अष्टम माला, खंड 39, अंक 41

बुधवार, 27 अप्रैल, 1988

7 वैशाख, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

59
17/11/88

(खण्ड 39 में अंक 41 से 53 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 39, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 41, बुधवार, 27 अप्रैल, 1988/ 7 वैशाख, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 835, 837, 841, 842 और 844...	1—13
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	18—163
तारांकित प्रश्न संख्या : 836, 838 से 840 और 845 से 855	19—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8554 से 8562, 8564 से 8591, 8593 से 8639, 8641 से 8679 और 8681 से 8706	30—162
सभा पटल पर रखे गये पत्र	163—167
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ...	
52वां प्रतिवेदन	167
प्राक्कलन समिति	
65वां प्रतिवेदन और समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश	167
लोक-लेखा समिति	
128वां और 132वां प्रतिवेदन	167

किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	168
(एक) 19वां प्रतिवेदन	168
(दो) समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश	168
समिति के लिये निर्वाचन	168
रेल सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति	168
राज्य सभा से सदस्यों को नियुक्त करने की सिफारिश करने के लिए प्रस्ताव	168
नियम 377 के अधीन मामले	169—172
(एक) सोनीपत, हरियाणा, में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता	
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	169
(दो) रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनः सक्षम बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री जगदीश अवस्थी	169—170
(तीन) महाराष्ट्र में धुले और अमलनेर के बीच रेल लाइन बिछाना	
श्री विजय एन० पाटिल	170
(चार) उत्तर प्रदेश में पेय जल की कमी दूर करने के लिए उपाय करना	
श्री जितेन्द्र प्रसाद	170
(पांच) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में कतिपय औषधियों को सम्मिलित न किए जाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	170—171
(छः) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करना	
श्री श्रीहरि राव	171
(सात) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता में उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाना	
श्री बसुदेव आचार्य	171—172

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
44वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	177
वित्त विधेयक, 1988	172—240
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री नारायण दत्त तिवारी	172—176
श्री मुरली देवरा	177—181
श्री शांताराम नायक	181—184
श्री पी० ए० एन्टनी	185—189
श्री बापू लाल मालवीय	189—192
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल	192—193
कुमारी ममता बनर्जी	193—198
श्री दिग्विजय सिंह	198—199
श्री अजीज कुरेशी	199—203
श्री हरीश रावत	203—209
डा० गौरी शंकर राजहंस	209—215
श्री प्रताप भानु शर्मा	215—219
श्री केयूर भूषण	219—222
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	222—226
श्री अब्दुल रशीद काबुली	226—228
श्री राम प्यारे पनिका	235—239
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	239—240

लोक सभा

बुधवार, 27 अप्रैल, 1988/ 7 वैशाख, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे. म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निराश्रितों को सहायता

[हिन्दी]

*835. **श्री कम्मोदी लाल जाटव :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निराश्रितों को 60 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धनराशि उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है और वे कब से उठाए जायेंगे ?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) से (ग) वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं सहित विभिन्न वर्गों के निराश्रितों को सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई धनराशि प्रतिमास 30 रु० से 100 रु० के बीच अलग-अलग होती है और आशा है कि इससे उनके परिवारों एवं समुदायों के प्रयासों में सहायता मिलेगी। बाल गृहों में निराश्रित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें लगभग 150/-रु० प्रति मास की दर से भरण-पोषण का खर्च भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य द्वारा संचालित गृहों में रह रहे निराश्रित वृद्धों और आशक्तों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतयः सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि निराश्रित लोगों को 30 रुपये से 100 रु० प्रतिमास पेंशन दी जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में केवल 60 रुपये पेंशन निराश्रित लोगों को दी जाती है जो दो रुपये रोज पड़ती है। इस दो रुपये में भला वह क्या आटा, तेल, लकड़ी या मसाला लेगा और कितना अन्य चीज लेगा। यह पेंशन बहुत कमती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप निराश्रित लोगों को और ज्यादा सहायता देंगे ताकि गरीब लोगों का गुजारा हो सके ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा गया है कि इसको सौ रुपए प्रति माह कर दिया जाए। ज्यादातर स्टेट इस बात के लिए राजी हो गयी हैं कि वह 60 रुप

प्रति मास देंगी। इससे आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमीशन से बातचीत की है। लेकिन यह स्टेट का सब्जेक्ट है और इससे स्टेट्स के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्लानिंग ने स्टेट गवर्नमेंट्स से बातचीत करने के लिए कहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स में कंसीड्रेशन जारी है। हमारी राय में यह राशि कम है और हम समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर सकें तो अच्छा है।

श्री कम्मोदी लाल जाटव : क्या निराश्रित लोगों के लिए अलग से कालोनियां बनाने की योजना पर भी सरकार विचार कर रही है जिससे कि उनमें निराश्रित लोगों को बसाया जा सके ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, ओल्ड एज में निराश्रित लोगों के लिए फिलहाल परिवार के अन्दर रहकर ही सप्लीमेंटरी असिसटेंश देने के सिलसिले में यह स्कीम जारी है और यही हमारी अप्रोच है। इसलिए अलग से कालोनी बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है और न मैं यह समझती हूं कि अलग से कालोनी बनाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए कुछ जो वोलेन्ट्री आरगेनाइजेशंस चल रही हैं, उनको हम मदद देते हैं।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि यह राज्य का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम कितने राज्यों में नहीं है ? जिनमें नहीं है, क्या भारत सरकार उनको कोई दिशा निर्देश देगी ताकि यह कार्यक्रम सभी राज्यों में लागू हो सके ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : यह कार्यक्रम सभी जगह ही है। यह जरूर है कि इसकी सहायता राशि में कमोवेशी है। सभी जगह यूनीफार्म रेट नहीं है। लेकिन यह स्कीम प्रायः सभी प्रदेशों में है।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदया ने बताया कि 30 रुपए से 100 रु० तक प्रतिमास सहायता राशि दी जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि सौ रुपए प्रतिमास आप कहीं ही दे रहे हों लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि 30 रुपए से 60 रुपए तक प्रतिमास आप उन लोगों को दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, तीस रुपए में एक बूढ़े आदमी का क्या हो सकता है जबकि कोई आदमी होटल में जाता है तो तीस रुपए तो उसका एक दिन में ही खर्च हो जाता है। एक बूढ़े आदमी का एक महीने में तीस रुपए में कैसे गुजारा हो सकता है ? इसके लिए उसको ज्यादा धन मिलना चाहिए। जो राज्य सरकारें नहीं दे रही हैं, क्या उनको केन्द्र सरकार कोई निर्देश देगी या केन्द्र से उनको अधिक राशि आवंटित की जाएगी ताकि वहां पर वृद्ध लोगों को ज्यादा सहायता मिल सके और उनको पेंशन ठीक तरह से मिल सके। इसके अलावा भी उनका गुजारा ठीक तरह से हो सके, इसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करने के लिए कोई स्कीम आपके पास है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में भी 30 रुपए दिए जा रहे हैं।

श्री वी० तुलसीराम : आंध्र प्रदेश में 60 रुपए दे रहे हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनमें आंध्र प्रदेश के लिए 30 रुपए दर्शाया गया है, इसलिए माननीय सदस्य पहले अपनी स्टेट में ही कहें तो अच्छा होगा। जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है, हमने पिछले वर्ष हर राज्य सरकार को लिखा था और कंसल्टेटिव कमेटी में भी यह मामला आया था, हमने लिखा था कि 150 रुपए भी अगर कर दिए जाएं तो ठीक है, लेकिन इसके लिए भी 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा। इस वजह से प्लानिंग कमीशन ने कहा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में इतनी राशि देना सम्भव नहीं होगा। यह राशि कम है, यह मैं मानती हूं।

पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब

*837. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**† : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे
श्री राम धन
कि :

(क) सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुसार किसी आवेदक को कितनी अवधि के भीतर पासपोर्ट मिल जाना चाहिए;

(ख) वास्तव में कितनी अवधि के भीतर आवेदकों को पासपोर्ट जारी किए जाते हैं;

(ग) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और विलम्ब के कारणों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

[**अनुवाद**]

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) आमतौर पर स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट मिल जाने के बाद पांच दिन के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाने चाहिए। तदनुसार, आवेदकों को सामान्यतः 6 सप्ताह में उनके पासपोर्ट मिल जाने चाहिए।

(ग) पासपोर्ट जारी करने में विलंब मुख्यतः इसलिए होता है कि सत्यापन प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्टों के मिलने में देर होती है, कुछ मामलों में विलम्ब इसलिए भी होता है कि आवेदक द्वारा अधूरी सूचना दी जाती है।

(घ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रक्रिया को सरल बनाने तथा विलम्ब के कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने नीचे लिखे कदम उठाए हैं :

(1) जिन मामलों में विलम्ब छह सप्ताह से अधिक हो, उनमें पासपोर्ट अधिकारी सम्बद्ध साक्ष्यांकन प्राधिकारियों को स्मरण-पत्र जारी करेंगे।

(2) तीन महीने से अधिक के विलम्ब वाले मामलों को विदेश मन्त्रालय के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जाएगा।

(3) आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करने और कम्प्यूटरीकृत पासपोर्ट कार्यालयों में आवेदकों को पूछताछ काउंटर पर ही कम्प्यूटरीकृत सूचना देने के उद्देश्य से कम्प्यूटर प्रणाली में सुधार किया जाएगा;

(4) सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से विभिन्न पासपोर्ट आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाया जाएगा।

(5) पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र आवेदकों को यथोचित समय के भीतर काउंटरों पर दिये जाएं और अनुरोध प्राप्त होने पर आवेदन प्रपत्र, प्रपत्र के मूल्य का पोस्टल आर्डर तथा आवेदक

का पता लिखा और यथोचित डाक टिकटें लगा लिफाफा प्राप्त होने के दो दिन के भीतर भेजे जाएं ।

(6) डाक विभाग के परामर्श से डाकघरों के जरिए पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र भेजने से सम्बद्ध मसले की जांच की जाए जिसके संबंध में डाक विभाग ने सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त की है ।

(7) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब से सम्बद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर कम्प्यूटर की सहायता से जांच करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, स्वयं मन्त्री महोदय ने ही यह स्वीकार किया है कि पासपोर्ट जारी करने में देरी मुख्य रूप से विभिन्न साक्ष्यांकन प्राधिकारियों से मिलने वाली सत्यापन रिपोर्ट में देरी के कारण है । इसलिए जब यह स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधिकारियों को सत्यापन भेजने के लिए छ. महीने का समय दिया गया है, मेरा प्रश्न यह है कि यदि सत्यापन छः महीने के भीतर नहीं पहुंचता है तो क्या यह नहीं माना जाये कि रिपोर्ट ठीक है ? और निर्यात के लिए पहले ही एक स्थान पर कार्य होता है तथा सहकारी गतिविधियों एवं औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में भी काम एक ही जगह होता है । आप पासपोर्ट प्रणाली में भी एक ही स्थान पर कार्य होने की व्यवस्था क्यों नहीं करते, जिससे पुलिस रिपोर्ट का सत्यापन कार्य इत्यादि भी आसान होगा ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो रामूवालिया जी को अच्छी तरह से जवाब देना पड़ेगा, अज ते रामूवालिया जी दो मुच्छां ते तोता पेया बोलदा है ।

श्री के० नटवर सिंह : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये रचनात्मक तथा सहायक सुझाव की सराहना करता हूं । उन्होंने एक स्थान पर कार्य होने के बारे में जो कुछ कहा है, हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे । सत्यापन के सम्बन्ध में, जैसा कि वह जानते हैं यह कार्य विदेश मन्त्रालय द्वारा नहीं किया जाता है परन्तु भारत सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है और हम इस देरी को कम करना चाहते हैं क्योंकि हम आवेदकों किसी भी तरह परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं । यदि छः महीने की सत्यापन अवधि को कम किया जा सकता है तो हम इसे कम करना चाहेंगे । पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में इन सभी समस्याओं पर विचार किया गया परन्तु विभिन्न कारणों से माननीय सदस्य भारत के एक विशेष भाग से सम्बन्धित हैं और वह जानते हैं कि क्यों—यह महसूस किया गया कि हमें सत्यापन के लिए कठोर नियम बनाने होंगे । परन्तु मैं देखूंगा कि यदि इसे कम किया जा सकता है, इस समय मैं सभा को यह आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि मुझे सम्बन्धित विभाग से बातचीत करनी होगी ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं माननीय मन्त्री का आभारी हूं । मेरे प्रश्न का जवाब देते समय मन्त्री जी ने देश के एक-एक क्षेत्र विशेष की ओर संकेत किया है जहां से मैं सम्बन्धित हूं । मैं एक अन्य प्रश्न पूछना चाहता हूं । पंजाब के लोगों के लिए केवल पंजाब से ही पुलिस सत्यापन लेगा आवश्यक नहीं है परन्तु हरियाणा और चण्डीगढ़ से भी पुलिस सत्यापन लेना आवश्यक है । क्या यह न्याय है ? क्या यह सही कदम है ? मैं माननीय मन्त्री से एक जानकारी चाहता हूं । एक बहुत गर्म खबर थी कि वे जालन्धर पासपोर्ट कार्यालय को बन्द करने जा रहे हैं, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पर पहले ही बहुत अधिक दबाव है क्योंकि इसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ तथा पंजाब के 6 जिलों को सम्भालना पड़ता है । इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि पंजाब के आवेदकों को 3 राज्यों से सत्यापन क्यों लेना पड़ता

है और आप जालन्धर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को क्यों बन्द करने जा रहे हैं ?

श्री के० नटवर सिंह : पहले मैं उनके प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब दूंगा। जालन्धर कार्यालय को बन्द करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के कारण हम कुछ पासपोर्ट कार्यालयों की पूरी व्यवस्था का पुनर्गठन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मामलों में हम कार्यालयों का दर्जा घटा कर उप-कार्यालय कर सकते हैं। परन्तु जालंधर के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और जो कुछ उन्होंने कहा है उसे मैं निश्चित रूप से ध्यान में रखूंगा। उनके प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में कि चण्डीगढ़, पंजाब तथा हरियाणा से पुलिस सत्यापन क्यों आवश्यक है, मैं निवेदन करता हूं कि वह यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि जैसे पासपोर्ट जारी करने में देरी अनियमितता है उसी प्रकार कुछ नागरिकों को पासपोर्ट देने में दिखाई गई जल्दबाजी भी अनियमितता नहीं है ? विशेषतौर पर क्या यह सच नहीं है कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 196" की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा कई अन्य उपबन्धों के अनुरूप यह आवश्यक है कि जो लोग न्यायालय के सम्मन का अपवंचन करने के दोषी पाये गये हैं अथवा जो लोग विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये हैं अथवा जो लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त पाये गये हैं उन्हें बिना छानबीन के पासपोर्ट नहीं दिये जाने चाहियें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें आपातकालीन यात्रा प्रमाण पत्र दिये जाने चाहियें ? और यदि यह प्रावधान है तो क्या मैं स्पष्ट रूप से यह जान सकता हूं कि क्या श्री विन चड्ढा के मामले मे इन बातों का उल्लंघन किया गया था और क्या उसे पासपोर्ट दिये जाने के बावजूद और उसे पासपोर्ट जारी करने में भी काफी धोखाधड़ी की गई थी ? मैं एक ठोस उत्तर चाहता हूं।

श्री के० नटवर सिंह : माननीय सदस्य ने श्री रामूवालिया के प्रश्न के क्षेत्र को बढ़ा दिया है…

प्रो० मधु दण्डवते : देरी अवश्यंभावी है, जल्दबाजी बहुत खराब है। अत: यह बात इसी प्रश्न के तहत आती है।

श्री के० नटवर सिंह : मेरे पास इस मामले विशेष का विवरण नहीं है परन्तु यदि आप चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से आपको यह विवरण उपलब्ध करायेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : आप प्रश्न के प्रथम भाग का जवाब दे सकते हैं कि क्या यह सच है कि जो लोग विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों, न्यायालयों के सम्मन का अपवंचन करने वालों तथा जो लोग षडयन्त्रों में शामिल होने के दोषी पाये गये हैं, उन्हें पासपोर्ट नहीं दिये जाने चाहियें ?

श्री के० नटवर सिंह : यह बिल्कुल सही बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : फिर श्री विन चड्ढा के बारे में क्या हुआ ?

श्री के० नटवर सिंह : यहां मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं यह जानकारी एकत्रित करके आपको दे सकता हूं।

श्री ए० चार्ल्स : हम यह समझ सकते हैं कि पासपोर्ट जारी करने में होने वाली देरी जायज है परन्तु केरल में, मुझे यह कहते हुए खेद है कि कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए आवेदन उपलब्ध नहीं हैं जबकि प्रत्येक ट्रैवल एजेंट के पास आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र खरीदने के लिए लोगों को 500 रुपये तक देने पड़ते हैं और वे इस बात पर जोर देते हैं कि ये आवेदन पत्र ट्रैवल एजेंट के माध्यम से

ही जाने चाहियें। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या वह इन भ्रष्ट तरीकों की जांच करवायेंगे और क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित कार्यालयों में आवेदन पत्र हमेशा उपलब्ध हों ?

श्री के० नटवर सिंह : दो दिन पहले मैं केरल में था और मैंने कोचीन में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को बुलाया था क्योंकि यह बात मेरे ध्यान में लाई गई थी।

श्री ए० चार्ल्स : पिछले तीन सप्ताह से त्रिवेन्द्रम में आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

श्री के० नटवर सिंह : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। दो दिन पहले मैं त्रिवेन्द्रम भी गया था।

श्री नारायण चौबे : यह समाचार आपके लिए नहीं है। यह समस्या केवल एक आम आदमी के लिए है।

श्री के० नटवर सिंह : चौबे जी, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिये। हमें आवेदनपत्रों की अनुपलब्धता की जानकारी दी गई थी। अब, मैंने इसकी जांच की है और आगे से इसमें सुधार किया जायेगा।

श्री ए० चार्ल्स : परन्तु प्रत्येक ट्रेवल एजेंट के कार्यालय में आवेदनपत्र उपलब्ध हैं।

श्री के० नटवर सिंह : आपने जिस कठिनाई का जिक्र किया है, मुझे उसकी जानकारी है। यही कारण है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इस ओर ध्यान दिया है। यह एक प्रशासकीय अड़चन है तथा यह बड़ी आपदा नहीं है जो हुई है। हम देखेंगे कि इसे ठीक किया जाये।

श्री तम्पन थामस : भारतीय नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत कुछ उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि पासपोर्ट एक नागरिक के लिए पहचान है। परन्तु दुर्भाग्यवश, विदेश मन्त्रालय इसे एक बहुत पवित्र दस्तावेज मानती है और यह महसूस करती है कि एक आम नागरिक सामान्य हालत में इसका हकदार नहीं है। जैसाकि श्री रामूवालिया ने सुझाव दिया है कि यदि निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं आती है तो यह माना जाना चाहिए कि नागरिक को उसका एक मौलिक अधिकार यानि उसका पहचान पत्र देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि इसे आप इस परिपेक्ष में देखें तो भारत का प्रत्येक नागरिक पासपोर्ट के रूप त अपना पहचान पत्र प्राप्त कर सकता है।

मैं आपको ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कई लोगों को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट जारी करने में होने वाली देरी के कारण नौकरी नहीं मिल पा रही है। हाल ही में यह बात हमारे ध्यान में आई है कि केरल में 30,000 आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय में लम्बित पड़े हैं। कई आवेदकों की नौकरियां चली गई हैं क्योंकि वे इस अवस्था में नहीं हैं कि पासपोर्ट प्राप्त कर सकें और विदेशों में जाकर अपनी नौकरी कर सकें। जबकि हम उन्हें नौकरियां नहीं दे सकते, उन्हें विदेशों में भी नौकरी ढूंढ़ने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। इस परिपेक्ष में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पासपोर्ट जारी करने में, जो बहुत कड़ी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसे कुछ सरल किया जायेगा और प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट जारी करने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

श्री के० नटवर सिंह : हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक जिसने किसी भी नियम तथा विनियम का उल्लंघन नहीं किया है और जो अपराधी नहीं रहा है, को पासपोर्ट लेने का अधिकार है। मानदंडों की एक पूरी सूची है जिन्हें पूरा किया जाना है। हम यथाशीघ्र भारत के प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट जारी करना चाहते हैं।

अब पश्चिम एशिया, खाड़ी तथा मध्यपूर्वी देशों में जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में, मैंने दो दिन पूर्व त्रिवेन्द्रम में इस विशेष मामले पर सम्बन्धित अधिकारियों तथा सरकार के साथ चर्चा की थी। बिचौलियों तथा दलालों का एक वर्ग हैं जिसे हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अनपढ़ लोगों का शोषण करते हैं और उनसे समुद्र पार सुनहरे संसार का वायदा करते हैं परन्तु जब वे वहां जाते हैं तो वे अपने आपको मुसीबतों से घिरा हुआ पाते हैं। ये दलाल भोले-भाले लोगों मे पैसा ऐंठते हैं और हम इस वर्ग विशेष को समाप्त करना चाहते हैं।

जहां तक नौकरियां मिलने में विलम्ब का संबंध है जब तक आवेदन पत्र त्रुटि रहित न हों पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। कई मामलों में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं होती हैं क्योंकि ये लोग अशिक्षित होते हैं और दलाल उनसे पैसा ले लेते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं कि उनके खाड़ी के देशों में पहुंचते ही चमत्कार हो जायेगा। आप भी स्वयं जानते हैं कि काफी संख्या में लोग खाड़ी से केरल वापस आ गए हैं और वहां जाने के बाद भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। परन्तु जो आधार भूत बात आपने कही हैं उसे मैंने नोट किया है। हम यथाशीघ्र पासपोर्ट जारी करना चाहते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम इसमें एक घंटे का भी विलम्ब नहीं करेंगे। परन्तु इसमें सुरक्षा सम्बन्धी मंजूरी तथा भारत में इसके सम्बन्ध में रखी गई शर्तों के बारे में कतिपय औपचारिकताओं को देखना पड़ता है और किसी भी व्यक्ति को इनसे गुजरना होता है। एक संसद सदस्य के नाते आप इसको मानेंगे।

सोवियत संघ से रिएक्टरों की खरीद

841. **श्री कमल नाथ†**
श्री प्रताप भानु शर्मा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ से 1000 मेगावाट के रिएक्टर खरीदने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने रिएक्टर खरीदे जाएंगे तथा इनका मूल्य कितना होगा;

(ग) ये रिएक्टर किन स्थानों पर लगाए जाएंगे; और

(घ) ये कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) 1000 मेगावाट क्षमता वाले दाबित हल्के पानी किस्म के दो रिएक्टरों की स्थापना में सहायता देने की सोवियत संघ की पेशकश के तकनीकी, आर्थिक, लागत तथा अन्य पहलुओं के बारे में एक अन्तर-सरकारी करार का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा इस बारे में निर्णय अभी लिया जाना है।

(घ) परियोजना का कार्यक्रम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित किया जाएगा। यह रिपोर्ट इस परियोजना को शुरू करने के बारे में निर्णय के लिए जाने के बाद तैयार की जाएगी।

श्री कमल नाथ : भारत भारी जल वाले रिएक्टर बना रहा है लेकिन इसने अभी तक दाबित जल रिएक्टरों का डिजाइन बनाना शुरू नहीं किया है। दाबित जल रिएक्टर, भारी जल रिएक्टरों से अधिक सक्षम होते हैं।

क्या इस समझौते में प्रौद्योगिकी के अन्तरण की बात भी है क्योंकि इसकी भविष्य में आवश्यकता

पड़ेगी ? यदि हमारे पास दाबित जल रिएक्टरों के लिए किसी प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी ।

जैसेकि मैंने कहा था हम भारी जल रिएक्टर बना रहे हैं । इसलिए क्या यह प्रस्तावित समझौता केवल खरीद के संबंध में ही है या इसमें प्रौद्योगिकी के अन्तरण की भी बात है । परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई के बारे में क्या किया जा रहा है ? क्या इस समझौते में परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई की बात भी है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो यह है कि हल्के पानी और परिष्कृत यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाये । दूसरा रास्ता यह है कि भारी जल और प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाये । इस तरह इसे बन्द नहीं करना पड़ेगा तथा इस पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और रिएक्टर का विकसित किया जाना जारी रहेगा ।

जहां तक पहले रास्ते का सम्बन्ध है जिससे हल्के पानी और परिष्कृत यूरेनियम की बात है हम 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता उत्पादित करने वाले बड़े रिएक्टरों को प्राप्त करने और उन्हें यहां स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें वह समयावधि घटाने में मदद मिलेगी जिसमें विद्युत पैदा की जा सकती है ।

जहां तक परिष्कृत यूरेनियम का सम्बन्ध है हम इसे सोवियत संघ से प्राप्त करेंगे ।

श्री कमल नाथ : मन्त्री महोदय ने अभी इसकी अत्यावश्यकता के बारे में कहा था। यह सर्वप्रथम 1979 में आरम्भ किया गया था। जैसेकि हम सब जानते हैं अब 1988 है। अभी तक यह अधर में लटका पड़ा है ।

हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष सहित एक दल ने वित्त सचिव के साथ मास्को का दौरा किया है। अनुमान लगाया जाता है कि कार्य सूची की मदों में एक मद इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के बारे में थी ।

क्या इस पर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो कब तक यह हो जायेगा ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : ऐसे कुछ मुद्दे थे जिन पर सोवियत संघ और सोवियत विशेषज्ञों से चर्चा करने की आवश्यकता थी । हमारा दल वहां गया था । उनका दल यहां आया था । उन्होंने कई पहलुओं पर चर्चा की—सुरक्षोपाय, ईंधन की सप्लाई, ऋण की उपलब्धता और कई अन्य बातें । जहां तक मुझे जानकारी है इस पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। हम एक निर्णय पर पहुंचने वाले हैं, इस तरफ या उस तरफ निर्णय लेने वाली शेष औपचारिकताएं, चाहे वे कुछ भी हों, पूरी कर दी जायेंगी ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आणविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश ने काफी कुछ प्राप्त किया है । हमारे वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों ने दाबित भारी जल वाले रिएक्टरों और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की है ।

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं : हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग ने अगले 50 वर्षों के लिए एक परियोजना रूपरेखा विकसित की है, उस परियोजना रूप रेखा में उन्होंने केवल 500 मेगावाट क्षमता वाले दाबित भारी पानी के रिएक्टरों के डिजाइन पर ही अधिक जोर दिया है। इस मामले में हमारे पास दाबित हल्के जल रिएक्टरों के लिए प्रौद्योगिकी है। इसलिए इसे उस परियोजना की रूपरेखा में

कैसे शामिल किया जायेगा और इसे हमारे दाबित भारी जल वाले वर्तमान डिजाईन ढांचें में कैसे ढाला जा सकेगा ? दूसरे हम उस फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे जिसे हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है—और हमने कलप्पकम में फास्ट ब्रीडर परीक्षण रिएक्टर (एफ० बी०टी० आर०) विकसित कर लिया है ? इसलिए हमारे देश की इस भावी आवश्यकता का क्या भविष्य है और आप इसे सोवियत संघ के साथ भावी समझौते के रूप में किस प्रकार लेते हैं ?

श्री शिवराज बी० पाटिल : जब मैंने श्री कमल नाथ द्वारा रखे गये पहले पूरक प्रश्न का उत्तर दिया था तो मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि यह एक अतिरिक्त बात है। इससे हमारे भारी जल और प्राकृतिक यूरेनियम के मार्ग को विकसित करने के लिए हमारे स्वदेशीय प्रयास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी इस क्षेत्र में क्षमता है और हमने अपनी स्वयं की प्रौद्योगिकी द्वारा रिएक्टर स्थापित किये हैं। अपनी प्रौद्योगिकी द्वारा भी हम 500 मेगावाट के रिएक्टर स्थापित कर रहे हैं। और सरकार द्वारा भी एक निर्णय लिया गया है कि देश में 500 मेगावाट के छह रिएक्टर स्थापित किये जायें तथा छह और, बाद में स्थापित किये जायेंगे। इस प्रकार देश में बारह 500 मेगावाट के रिएक्टर बन जाएंगे।

दूसरा कदम, जैसे कि आपने कहा था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आरम्भ करने का है। हम इस दिशा में भी अपने प्रयास कम नहीं करेंगे। इसलिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी भी विकसित की जायेगी और फिर हम इसको इस हद तक विकसित करेंगे कि इसका इस्तेमाल वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भी किया जा सके। हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं।

तीसरी बात थोरियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की है। हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोवियत संघ के साथ एक सौदा करके एक अतिरिक्त सुविधा प्राप्त कर लें जो देश में 1000 मेगावाट की दो इकाइयां स्थापित करने में सहायता देगी। इसका अर्थ यह है कि इस तरीके से 2000 मेगावाट विद्युत पैदा की जा सकेगी; और इससे कुछ फायदे भी होंगे जोकि हमें उपलब्ध हो सकेंगे। इसलिए यह एक अतिरिक्त चीज होगी। जो कुछ हम करने की कोशिश कर रहे थे यह उसका विकल्प नहीं होगा। अत: इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए जो चीजें हम स्वदेशीय रूप से कर रहे थे वे जारी रहेंगी। हम उस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही यदि इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है तो हम निश्चित रूप से इस सुविधा का भी उपयोग करना चाहेंगे और अपने देश में इस तरीके से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करना चाहेंगे।

श्री आनन्द गजपति राजू : मन्त्री महोदय ने अभी-अभी इस बात पर जोर दिया है कि जो कुछ पहले स्थापित किया जा चुका है यह उसमें एक बढ़ोतरी है, वह भी इस मायने में कि यह विद्युत सप्लाई का एक अतिरिक्त स्रोत हो जायेगा। परन्तु मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि इन रिएक्टरों में, जो कि आयात किये जाने हैं, प्रति इकाई विद्युत उत्पादन की कुल लागत क्या है ? पर्यावरण की रक्षा करने में पर्यावर्णीय लागत क्या है और प्रति इकाई सुरक्षा लागत क्या है और अन्य इकाइयों से विद्युत उत्पादन की तुलना में यह कितनी है ? यदि यहां से विद्युत की लागत अधिक पड़ती है तो फिर यह उत्पादन में किस प्रकार से सहायक होगी क्योंकि हम भी फिर ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों का सहारा ले सकते हैं जिसमें कम पर्यावर्णीय समस्यायें हैं। इसलिये जहां तक इसके उत्पादन की बात है इसकी अन्य इकाइयों के साथ किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

श्री शिवराज बी० पाटिल : 1000 मेगावाट के विद्युत जनित्र को स्थापित करके, इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ऊर्जा की प्रति इकाई उत्पादन लागत प्रतियोगितात्मक होगी। यह उतनी ही प्रतियोगितात्मक होगी जितनी कि ऊर्जा की प्रति इकाई लागत का हमारे अन्य रिएक्टरों में स्वदेशीय

तरीके से विकसित प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करके हम इसका उत्पादन करेंगे। यह बिजली की प्रति इकाई लागत के भी प्रतिस्पर्धनीय होगी जो हम कोयले का इस्तेमाल करके उत्पादन करते हैं।

जहां तक स्वदेशी तरीके से विकसित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उत्पादित बिजली की प्रति इकाई लागत का सम्बन्ध है इसकी तुलना पन-बिजली वाले तरीके से प्रौद्योगिकी की प्रति इकाई लागत से नहीं की जा सकती है। यह अतुलनीय है। परन्तु इस पर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय इस बात पर दिया जा सकता है कि क्या यह अधिक अनुकूल होगी या यह पैदा की गई बिजली की लागत के समान होगी। जहां तक सुरक्षा की बात है यह फायदेमन्द होगा कि इस प्रकार की प्रकृति के रिएक्टर को एक स्थान पर रखा जाये। यदि हमारे विभिन्न स्थानों पर कई रिएक्टर होंगे तो सुरक्षा प्रदान करने में हमें कठिनाई होगी और सुरक्षा उपलब्ध कराने की लागत भी बढ़ जायेगी। परन्तु यदि एक स्थान पर हमारी इस प्रकार की 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाली इकाई हो तो सुरक्षा उपलब्ध करने की और सुरक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराने की लागत भी कम होगी। अतः इस दृष्टि-कोण से भी यह इकाई काफी फायदेमन्द होगी।

श्री आनन्द गजपति राजू : सुरक्षा की प्रति इकाई लागत क्या है और आप इसकी गैर परंपरागत ऊर्जा से कैसे तुलना करेंगे ? आप ऐसा रिएक्टर ले रहे हैं जिसमें हमें काफी समस्याएं आयेंगी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सुरक्षा की प्रति इकाई लागत ऐसी अवधारणा है जो बहुत व्यापक है। अब यदि हमारे पास एक तापीय विद्युत केन्द्र हो तो एक तापीय विद्युत केन्द्र के जरिये से भी विद्युत पैदा करने की प्रति इकाई सुरक्षा लागत क्या होगी। पारिस्थितिकी भी रक्षा करनी है। यदि हम उस स्थान से कोयले का खनन करते हैं तो पारिस्थितिकी की भी रक्षा की जानी चाहिए और यदि वायु राख के तत्वों से प्रदूषित हो जाती है तथा ये सब चीजें वातावरण में फैल जाती हैं तो फिर हमें पारिस्थितिकी की एक स्थान पर रक्षा करने के सम्बन्ध में और अन्य स्थानों में वातावरण की वायु की रक्षा करने के लिये आने वाली लागत की गणना करनी पड़ेगी। इसलिये यह बहुत व्यापक रूप ले लेता है और इसके लिये यह तुलना करने हेतु कि तापीय विद्युत केन्द्र के इस्तेमाल से सुरक्षा प्रदान करने की लागत क्या आयेगी। विभिन्न रूप से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। भले ही हम पन बिजली का इस्तेमाल करते हों तो भी उसके लिये हम भूमि को जलमग्न कर देते हैं और यहां सुरक्षा प्रदान करने की प्रति इकाई लागत भी भिन्न है।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे पूरक प्रश्न, प्रश्न के भाग (ग) के अन्तर्गत आता है। यह उस स्थान के चयन से सम्बन्धित है जहां ये सुविधायें दी जायेंगी। इस सम्बन्ध में इस शताब्दि के अन्त तक 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के हमारे लक्ष्य की बात की गई है; और ये दो रिएक्टर इस दृष्टिकोण से आयात किये जा रहे हैं कि आणविक विद्युत उत्पादन के जरिए विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जायेगा। इस संदर्भ में बिहार — मंत्री इसे स्वीकार करेंगे - देश में एक मात्र स्थान है जहां यूरेनियम पाया जाता है।

एक माननीय सदस्य : केरल में भी यह मिलता है।

प्रो० के० के० तिवारी : नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। विद्युत पैदा करने के दृष्टिकोण से भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए राज्य में यूरेनियम की उपलब्धता और बिजली की कम उपलब्धता तथा बिहार राज्य के आकार और संसाधन तथा क्षमता को देखते हुए क्या सरकार इनमें से एक सुविधा बिहार को प्रदान करेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : बिहार ऐसा राज्य है जहां खनिज संसाधनों का बाहुल्य है।

यूरेनियम उपलब्ध है और कोयला भी उपलब्ध है। इसलिये इससे सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात कि यह इकाई कहां स्थापित की जायेगी एक निर्णय लिया जाना चाहिये, इसकी विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए और इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा इसके पश्चात् यह निष्कर्ष सरकार के पास आयेंगे और सरकार निर्णय लेगी। इस वक्त मेरे लिये यह कहना कठिन होगा कि ये इकाई कहां लगाई जानी चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : कुछ सर्वेक्षण पहले ही किये जा चुके हैं।

औषधों के दुरुपयोग में वृद्धि

*842. **श्री भद्रेश्वर तांती**† }
डा० बी० वेंकटेश } : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन महीनों में औषधों के दुरुपयोग में अचाचनक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बुराई को रोकने के लिये कोई व्यापक योजना तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) इस निष्कर्ष के समर्थन करने की कोई जानकारी नहीं है कि देश में गत तीन महीनों के दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है। फिर भी, उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि नशीली दवाओं की समस्या समाज के सभी वर्गों में फैली हुई है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बुराई पर नियंत्रण करने और यदि संभव हो, तो इसे समाप्त करने के लिये सभी प्रयास किये जाने चाहिए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए सामुदायिक प्रयासों की गतिशीलता में जन-चेतना का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है तथा इस प्रयोजन के लिए हाल ही में अनेक बैठकें व प्रचार अभियानों का आयोजन किया गया है। अत: नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जन-चेतना में तीव्र विकास हुआ है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अभिज्ञान, संदर्भ सेवाएं, उपचार, जन-चेतना, शिक्षा, पुनर्वासात्मक पहलू, कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण तथा अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना शामिल है।

श्री भद्रेश्वर तांती : मेरे प्रश्न का उत्तर देने में मंत्री महोदया को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी है और मैं उनका आभारी हूं। किन्तु इस सभा में जो उत्तर दिये गये हैं, वे बड़े अस्पष्ट हैं। यह उत्तर अस्पष्ट है। उनके अनुसार इस निष्कर्ष के समर्थन करने की कोई जानकारी नहीं है कि गत तीन महीनों के दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है। किन्तु जो उत्तर दिया गया है उससे पता चलता है कि देश में सभी वर्ग के लोगों में नशीली दवाओं की लत पड़ गई है। चूंकि यह बात सभी लोगों को पता है कि इसकी लत सभी वर्ग के लोगों में पड़ गई है। अत: अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है क्योंकि आपकी जानकारी के अनुसार यह समस्या समाज के सभी वर्गों में फैली हुई है। मैं इसके बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मेरे पास ऐसे मामलों की निश्चित संख्या नहीं है। (व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती : इस समय देश में स्मैक और हेरोइन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। सभी लोग विशेषकर कालेज और स्कूल के छात्र इन मादक औषधियों के आदी हैं। नशीली दवायें कैंसर और तपेदिक से अधिक खतरनाक हैं। इन घातक नशीली दवाओं से मस्तिष्क, आंतें, फफड़े खराब हो जाते हैं और अन्ततोगत्वा पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है तथा अन्त में युवा व्यक्ति मर जाते हैं। (व्यवधान) उत्तर के अनुसार मंत्री महोदय को जानकारी है कि नशीली दवाओं की समस्या पूरे देश में फैली हुई है। उत्तर में यह भी कहा गया है कि सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अभिज्ञान, संदर्भ सेवायें उपचार, जन-चेतना, शिक्षा, पुनर्वासात्मक पहलू, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना शामिल है। आपने इसे अपनाया है। किन्तु क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भी कुछ किया गया है। अथवा ये योजनायें केवल कागज पर ही हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप कह रही थीं कि तेज बोलो, क्या आपने उनकी बात सुनी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, सरकार को इस मामले की जानकारी है और अपने समाज में व्याप्त नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से हम बहुत अधिक चिन्तित हैं और हम इसे मिटा देना चाहते हैं। उसके लिए अनेक उपाय किये गये हैं।

1986-87 के दौरान, पहली बार पन्द्रह बिस्तरों वाला नशा की लत छुड़ाने वाले एक केन्द्र के लिए धन दिया गया और उसे दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसका कार्य प्रगति पर है। नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों का उपचार करने के लिए 1987-88 में स्वयंसेवी संगठनों को नशे की लत छुड़ाने वाले 6 और केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को हम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं। ये केन्द्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बंगलौर और कलकत्ता में हैं। इसके अलावा 1985-86 के दरान 4 स्वयंसेवी संगठनों ने नशे की लत छुड़ाने वाले 21 शिविर लगाये थे जहां नशीली दवाओं के आदी 1,026 व्यक्तियों का इलाज किया गया। तत्पश्चात् 1986-87 में ऐसे 23 शिविरों को आर्थिक सहायता दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1987-88 के दौरान दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के नशा की लत छुड़ाने वाले ऐसे 26 केन्द्रों को धन दिया गया। इसके अतिरिक्त 1985-86 के दौरान, पहली बार दिल्ली में 7 परामर्शदाता केन्द्र स्थापित किये गये थे। 1987-88 के वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक में 21 नये केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दें।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : यह केवल कागज पर ही नहीं है। हम इसे ईमानदारी से कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अतीत में किसी समय कुछ फिल्में उदारतापूर्वक आयात की गई थीं। इसके पीछे निश्चित ही सही इरादा रहा होगा। मुझे यह जानकारी है कि कैसेटों में लगभग 200 फिल्में अनधिकृत रूप से हैं जिन्हें परिचालित किया जा रहा है। लाखों कैसेट होंगे। इन फिल्मों से बड़ा खतरा है क्योंकि इन फिल्मों में सेक्सप्रधान हिंसा और नशीली दवाओं की लत के दृश्य हैं। महोदय, सौभाग्यवश, कल्याण मंत्रालय है। स्कूलों और कालेजों में हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है। मेरा

प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री सर्वेक्षण कराने को तैयार हैं जिससे देश में जो हो रहा है, उसके प्राधिकृत आंकड़े प्राप्त हो सकें और इसके बाद क्या वह इस समस्या को समाप्त करने के लिए ठोस उपाय करेंगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हमने उपाय किये हैं और इस समस्या को समाप्त करने के लिए हम और अधिक सख्त उपाय करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम जनमत तैयार करना चाहते हैं और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक कैसेटों तथा अन्य बातों का संबंध है, माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : इसमें कोई संदेह नहीं है कि नशीली दवाओं की आदत और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर समुचित नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने कुछ स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करते हुए अनेक उपाय किये हैं। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या अपने देश में बार्बी-ट्रेट्स, स्वापक और प्रशासक नशीली नवाओं का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यदि इनका निर्माण किया जायेगा तो उनका सेवन किया ही जाएगा। उन नशीली दवाओं के निर्माण पर समुचित नियंत्रण रखने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनका हमारे देश के युवा लोगों द्वारा बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है और इस प्रकार वे नशीली दवाओं के शिकार हो जाते हैं और उनके आदी हो जाते हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, कुछ नशीली दवाओं का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है। यह सच है किन्तु इन दवाओं के निर्माताओं को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। यदि अन्य वस्तुयें तैयार की जाती हैं तो सरकार उसका पता लगा रही है और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री डी० एन० रेड्डी : हमारे देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग का मुख्य कारण यह है कि मूल नशीली औषधें हैं जिनसे सघटक दवाइयां तैयार की जाती हैं। ऐसी दवाइयों में से 150 अना-वश्यक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। चीन में और हाल ही में बंगलादेश में ऐसी मूल नशीली दवाओं की संख्या घटाकर लगभग 40 से 50 तक कर दी गई है जिससे वे नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण करते हैं। क्या मंत्री महोदया उनके उदाहरण का अनुसरण करेंगी और अपने देश में उन मूल नशीली दवाओं की संख्या कम करेंगी जिनके कारण मुख्य रूप से नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। चीन और बंगलादेश ने ऐसा किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते ? इस विषय पर परामर्शदात्री समिति में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी और माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह इस मामले पर विचार करेंगी और ऐसी बहुत सारी दवाओं में से अनावश्यक और हानिकारक दवाओं की संख्या घटाकर कम कर देंगी जिससे कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग कम हो जाए।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हमने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है और हम इस पर विचार करेंगे।

"भारत बन्द" से हुई हानि

***844. श्री सुभाष यादव†**
श्री सीताराम जे० गावली } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1988 को "भारत बन्द" के फलस्वरूप राष्ट्र के सभी क्षेत्र में अनुमानतः

कितनी हानि हुई;

(ख) इस अवसर पर देश में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए;

(ग) इस पर सरकार का कितना व्यय हुआ; और

(घ) क्या इस हड़ताल का आम जनता पर कोई प्रभाव पड़ा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग क्षेत्रों में बन्द का परिवर्ती और आंशिक असर हुआ था और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए यह बन्द उस समय हुआ था जब विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा बन्द के उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में हड़ताल का आह्वान किया गया था इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को वास्तव में कितनी हानि हुई।

(ख) तीन व्यक्ति मारे गए और 48 व्यक्ति जख्मी हुए।

(ग) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्यों के लिए अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती पर आम व्यय से अधिक केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशिष्ट व्यय नहीं किया गया।

(घ) देश के कुछेक राज्यों में परिवहन जैसी जन-सेवाओं में कमी होने के कारण उन क्षेत्रों के व्यक्तियों को दैनिक मजूरी की हानि सहित असुविधा हुई।

[हिन्दी]

श्री सुभाष यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न राष्ट्र की हानि होने के सम्बन्ध में पूछा था, मुझे खेद है कि गृह मंत्रालय ने इसको बहुत गम्भीरता से नहीं लिया है। अत: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ? इस "भारत बन्द" के अन्तर्गत इस देश को कुल कितनी हानि हुई है ? इस देश के मतदाता और नागरिक यह जानने के लिए इच्छुक हैं कि कुल कितनी हानि हुई है ? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यह सब हमें बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने इसका कारण बता दिया है कि सही अनुमान लगाना क्यों सम्भव नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कोयला क्षेत्र में अथवा रेल विभाग को कितनी हानि हुई है तो मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं। किन्तु पूरे राष्ट्र को होने वाले घाटे का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष यादव : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय से मेरी यह प्रार्थना है कि वह हानि का अनुमान लगाने पर पुनर्विचार करे और अगर सम्भव हो तो बताने की कृपा करें। जो तीन व्यक्ति मारे गये हैं, उन तीन व्यक्तियों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया गया या नहीं ? अगर मुआवजा दिया गया है तो कितना दिया गया है ? इसके अलावा जिन्होंने उनको जख्मी किया है और मारा है क्या उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर किया गया है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : बिहार में एक व्यक्ति पुलिस की गोली से मारा गया था। केरल में दो

व्यक्ति उस समय मारे गये थे जब आटा मिल मालिक ने देशी बंदूक से गोली चलाई थी। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें कोई मुआवजा दिया गया अथवा नहीं अथवा उन मामलों को दर्ज किया गया है अथवा नहीं। मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि मुआवजा दिया गया है अथवा नहीं और मामले दर्ज किए गए हैं या नहीं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मुझे विश्वास है कि सरकार को केरल के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की जानकारी है कि बंद वाले दिन दिल्ली में पुलिस द्वारा सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था ; यदि हां, तो मुख्य मंत्री द्वारा इस प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने सभा की कार्यवाही देखी है जिसमें केरल के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का आभास मिलता है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि दिल्ली में पुलिस के अभिरक्षण में अनेक महिलाओं—सैकड़ों—महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार का वक्तव्य दिया गया है। मुझे नहीं पता कि किस आधार पर मुख्य मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। न ही ऐसा कोई मामला नहीं है। ऐसी कोई घटना दिल्ली में नहीं हुई है। वास्तव में ऐसा आरोप तो संसद में भी नहीं लगाया गया था। यह बहुत ही दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्य के मुख्य मंत्री ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसके बारे में संसद में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिए, शांत रहिये ···।

(व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसमें गलत क्या है। उन्होंने इसका खंडन किया है। बस इतनी सी बात है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं ? ···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह क्या है ? आप सब एक साथ क्यों चीख रहे हैं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा जा रहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा···

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान दीजिए। प्रश्न ही नहीं उठता। बैठ जाइए···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइये। मेरी बात सुनिये। बात यह है कि उन्होंने बयान का खंडन किया है। बस, और कोई बात नहीं है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न से संबद्ध था···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न से संबद्ध था। इससे सभा की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचती है। यह वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और यह इस प्रश्न से सम्बद्ध है। इसीलिए इसका उल्लेख किया गया था। बस। इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप व्यर्थ ही चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। श्री आचार्य, आगे बोलिए···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। अब बैठ जाइये। हां, तो श्री आचार्य···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। श्री आचार्य बोलने जा रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बंद के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के अधीन, तमिलनाडु सरकार ने देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी किए थे और क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच कराई है कि दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया तथा पुलिस स्टेशन पर उन पर हमला किया गया था···(व्यवधान) ? क्या कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो जांच की क्या रिपोर्ट है ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यर्थ में क्यों चीख रहे हैं ?···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाएये। वह प्रश्न पूछ चुके हैं। आप और क्या चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे यह याद नहीं है कि माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने यह प्रश्न इस सभा में बंद वाले दिन या बंद के एक दिन बाद उठाया था और उसका जोरदार खंडन किया गया था तथा अस्वीकार कर दिया गया था। (व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : वह कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी पूरी कर लेने दीजिए।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते नहीं है आप शोर क्यों करते हैं। इतने कमजोर लगते हो, जोर से बोलते हो।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना वे लोग जो कुछ कहते हैं, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, जब इसे सभा में उठाया गया था तब इससे इन्कार नहीं किया गया था और मंत्री महोदय ने कहा था कि इसकी जांच कराई जायेगी। श्री बूटा सिंह ने कहा था : "मैं जांच करूंगा और तब बताऊंगा।" अब वह कहते हैं कि इसका जोरदार ढंग से खंडन किया गया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे यह सुनने दीजिये कि उन्हें क्या कहना है। आप इसकी आधी बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, इन आरोपों का खंडन किया गया था कि महिलाओं को पीटा गया था। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, जी नहीं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किसने इन्कार किया था ? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : श्री बूटा सिंह ने इस सभा में स्वयं ही वक्तव्य दिया था। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय···**···सभा में बोला नहीं जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप असंसदीय भाषा नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह असंसदीय भाषा बोलते हैं तो क्या मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं ?

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री वसुदेव आचार्य : जी नहीं, वह असंसदीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें पूरी बात कह लेने दें तब मैं देखूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात को बीच में ही काट रहे हैं। उन्हें पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन, आप नियन्त्रण के बाहर होते जा रहे हैं। आप मेरे धैर्य की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं कि पहले उन्हें अपनी पूरी बात कहने दीजिये और इसके बाद मैं देखूंगा। मैं धमकियों से झुकने वाला नहीं हूं।

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, मेरे विचार से कोई भी माननीय सदस्य की इस बात से असहमत नहीं होगा कि सभा में "···" नहीं बोला जाना चाहिये। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं और यदि सभा में "···" नहीं बोला जाना है, तो विपक्ष को चुप रहना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह शब्द असंसदीय है और उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद, अब हमें पता चला कि लगभग समूचे वाद विवाद में वह चुप क्यों हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। विरोधी दल के विरुद्ध उन्हें इस प्रकार का बड़ा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सभा का नेता समस्त विरोधी दल के साथ इस तरह का अनादर नहीं कर सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप प्रधान मंत्री द्वारा इस सभा में लगाये गये आरोपों का अनुमोदन करते हैं? **(व्यवधान)** समस्त विरोधी दल पर इस प्रकार का आक्षेप करना सभा के नेता के लिए उचित नहीं है। यह सच नहीं कह सकते हैं, इसीलिए वह सभा से चुपचाप खिसक गये हैं। (व्यवधान)

इस समय श्री वसुदेव आचार्य तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

[अनुवाद]

*836. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में गठित रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड विकिरण से प्रभावित वस्तुओं सम्बन्धी नीति की समीक्षा करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित रेडिएशन और आइसोटोप टैक्नालाजी बोर्ड का किरणित खाद्य पदार्थों सम्बन्धी नीति की समीक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के आरक्षण/पदोन्नति के लंबित पड़े मामले

*838. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के आरक्षण और पदोन्नति से सम्बन्धित कितनी रिट याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी मामलों का निर्धारित समय के भीतर निपटान सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाने का विचार है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों को संविधान द्वारा प्रदत्त लाभ वास्तव में प्राप्त हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उच्च अनुसंधान और विकास के लिए वैज्ञानिक सोसायटी

*839. **श्री मानिक रेड्डी**
श्री माणिकराव होडल्य गावित } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिकी विभाग का देश में इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उच्च अनुसंधान और

विकास के लिए एक वैज्ञानिक सोसाइटी बनाने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यह सोसाइटी कब से कार्य करना शुरू कर देगी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। कुछ क्षेत्रों की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत कम होने के कारण देश में उनका अनुसंधान तथा विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा रहा है। हाल ही में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा माड्यूलों का काफी मात्रा में मानकीकरण हो सका है और इसके फलस्वरूप इन उपकरणों एवं माड्यूलों की विविधताओं और उनकी अल्प मात्रा में होने वाली मांग के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समन्वित आधार पर किफायतशारी से अनुसंधान तथा विकास करना संभव हो सकेगा। चूंकि एक पंजीकृत संस्था का संगठनात्मक ढांचा उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिणामोन्मुख समयबद्ध परियोजनाओं के लिए बहुत ही अनुकूल साबित हुआ है, जैसा कि टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) के मामले में है, अत: इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने यह प्रस्ताव किया है कि उन्नत इलेक्ट्रॉनिकी अध्ययन केन्द्र (केस) और प्रणाली इंजीनियरी तथा परामर्श संगठन (सीको) के अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस समय अपने ही संगठन में जो कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं, जो उन्हें मिलाकर एक ही संस्था के अन्तर्गत जारी रखा जाए। प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) "सीको" तथा "केस" के कार्यकलापों के लिए चालू वर्ष में लगभग 2.7 करोड़ रु० के बजट का प्रावधान है।

भारतीय नौसेना की गश्त के लिए विमान

***840. श्री एच० बी० पाटिल**
श्री बरसराम भारद्वाज : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना को दूर तक फैले हुए समुद्र तट पर गश्त लगाने और हिन्द महासागर क्षेत्र को कारगर ढंग से अहितकारी तथ्यों से मुक्त रखने में सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार के मध्यम और लम्बी रेंज वाले विमानों की आवश्यकता है; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) आई० एल०-38 और टी०यू० 142 एम विमान लम्बी तथा मध्यम दूरी के समुद्री सर्वेक्षण और गश्त के लिये इस्तेमाल किए जाते हैं। नौसेना की जरूरतों के लिये अपेक्षित संख्या में उपयुक्त विमान क्रमिक आधार पर प्राप्त किये जा रहे हैं।

दिल्ली में हस्त शिल्प मेला

***845. डा० जी० विजय रामाराव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंग और विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित स्वयंसेवी संगठन "तमन्ना" ने दिल्ली में हस्तशिल्प मेला आयोजित किया था, जैसाकि दिनांक 4 मार्च, 1988 के "इंडियन एक्सप्रेस" में

समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार सारे देश में इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन संगठनों की गतिविधियों का कोई मूल्यांकन किया जाता है या उन पर निगरानी रखी जाती है और संगठनों को इस सम्बन्ध में बताया जाता है ताकि भविष्य में वे सुधार कर सकें?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार का मेला स्वयं स्वैच्छिक संगठन द्वारा बिना सरकार की सहायता से आयोजित किया गया था। सरकार, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोग का शीघ्र पता लगाने और निदान करने, विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग लगाने के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान कर रही है। ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और 2 में दर्शाये गये हैं।

(ग) जी, हां।

विवरण-1

1987-88 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता योजना—
दी गई अनुदान सहायता

क्र० सं०	राज्य का नाम	1987-88 के दौरान दी गई धनराशि (रुपये लाखों में)	संगठनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.13	5
2.	असम	—	—
3.	बिहार	7.10	4
4.	गुजरात	25.86	12
5.	हरियाणा	1.38	2
6.	हिमाचल प्रदेश	7.10	1
7.	जम्मू और कश्मीर	4.21	2
8.	कर्नाटक	35.69	14
9.	केरल	16.75	14
10.	मध्य प्रदेश	4.93	5
11.	महाराष्ट्र	46.79	21
12.	मणिपुर	4.22	2
13.	मेघालय	—	—

1	2	3	4
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	4.64	3
16.	पंजाब	2.24	1
17.	राजस्थान	4.84	6
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडू	23.40	23
20.	त्रिपुरा	0.76	1
21.	उत्तर प्रदेश	43.51	20
22.	पश्चिम बंगाल	47.82	14
23.	चंडीगढ़	1.29	3
24.	दिल्ली	41.74	21
25.	गोवा	0.11	1
26.	लक्षद्वीप	—	—
27.	पांडिचेरी	—	—
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
29.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
30.	दादर और नगर हवेली	—	—
31.	मिजोरम	—	—
32.	दमन और द्वीप	—	—
		340.51	175

विवरण-2

1987-88 के दौरान के लिए सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को दी गई धनराशि

क्र० सं०	राज्य का नाम	जारी की गई राशि (रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	50,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	—

1	2	3
3.	असम	—
4.	बिहार	12,00,000
5.	गोवा	15,000
6.	गुजरात	14,10,516
7.	हरियाणा	3,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	14,75,900
11.	केरल	40,000
12.	मध्य प्रदेश	4,30,000
13.	महाराष्ट्र	10,10,000
14.	मणिपुर	1,75,000
15.	मेघालय	—
16.	नागालैंड	—
17.	मिजोरम	—
18.	उड़ीसा	28,90,000
19.	पंजाब	16,00,000
20.	राजस्थान	25,00,000
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	13,06,535
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	1,26,25,000
25.	पश्चिम बंगाल	9,70,000
केन्द्र शासित प्रदेश		
1.	अंडमान और निकोबार	—
2.	चंडीगढ़	10,000
3.	दादर और नगर हवेली	—
4.	दमन और द्वीप	—

1	2	3
5.	दिल्ली	21,85,000
6.	लक्षद्वीप	—
7.	पांडिचेरी	—
8.	परिवहन भत्ते पर विविध व्यय	5,367
		3,01,98,318

सीमा सुरक्षा बल के लिए हेलीकाप्टर

[हिन्दी]

*846. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा क्षेत्रों में तस्करी रोकने के लिये सीमा सुरक्षा बल को हेलीकाप्टर देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा सुरक्षा बल द्वारा तस्करी रोकने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किए गये हैं और उनका क्या परिणाम रहा है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के सामांमिक स्तर को उन्नत करने के लिये लाइट विंग वाले गश्ती विमान उपलब्ध कराने की एक स्कीम विचाराधीन है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल सीमा पर सतर्क है। सीमा सुरक्षा बल के विस्तार की पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत, घुसपैठ और तस्करी की रोकथाम करने के लिये उसकी शक्ति और अन्य आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है।

केरल में संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान

अनुवाद]

*847. प्रो० के० वी० थामस : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कौन-कौन से संगठन विदेशी दान/अंशदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या इन संगठनों के लेखाओं में कोई अनियमितता पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) केरल में बड़ी संख्या में संगठन विदेशी अभिदान प्राप्त करने की सूचना दे रहे हैं। सूचना के अधिक विस्तृत होने के कारण इसके ब्यौरे प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। यदि किसी विशिष्ट संगठन से सम्बन्धित सूचना अपेक्षित हो तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) और (ग) केरल में मुख्य प्राप्तकर्ताओं के लेखों की जांच करने पर 8 संगठनों को उनके

लेखों में अनियमितता पाये जाने और अन्य गतिविधियों के कारण किसी विदेशी अभिदान को स्वीकार करने से निषिद्ध कर दिया गया है/पूर्वानुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है ।

एल० टी० टी० ई० के नेता को दी गई धनराशि

*848. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या विदेश मन्त्री भारत श्रीलंका समझौते के बारे में 6 अप्रैल, 1988 को सभा में दिये गये वक्तव्य के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने उक्त समझौते के सिलसिले में एल० टी० टी० ई० के नेता को अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : लिट्टे को दी गई अंतरिम वित्तीय राहत की पूरी पृष्ठ भूमि 6 अप्रैल, 1988 को सदन में दिये गये वक्तव्य में बता दी गयी है । सरकार को इस सबंध में और कुछ नहीं कहना है ।

गोवा के लिए राज्य संवर्ग

*849. **श्री शांताराम नायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 में किये गये उपबन्ध के अनुसार राज्य संवर्ग बना दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार और गोवा राज्य सरकार के बीच इस विषय पर यदि कोई बातचीत हुई है तो उसमें किन पहलुओं पर चर्चा की गई है;

(ग) क्या गोवा राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं कि वह किस प्रकार का संवर्ग बनाना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अभी नहीं श्रीमान् ।

(ख) से (घ) गोवा सरकार ने निम्नलिखित विकल्प सुझाये हैं :—

(एक) गोवा के लिए पृथक संवर्ग;

अथवा

(दो) संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त संवर्ग;

अथवा

(तीन) महाराष्ट्र जैसे पड़ौसी राज्यों में से किसी एक के साथ संयुक्त संवर्ग ।

यह मामला विचाराधीन है ।

अमरीकन सेंटर में आग

*850. **श्रीमती माधुरी सिंह**
डा० गौरीशंकर राजहंस } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अप्रैल, 1988 को नई दिल्ली में जिस भवन में अमरीकन सेंटर स्थित है उसकी पांचवीं मन्जिल में आग लग गई थी।

(ख) यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था;

(ग) क्या जिस भवन में आग लगी उसमें अग्नि शमन यंत्र लगे हुये थे; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का उक्त भवन के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने क विचार है?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आग लगने का सही कारण ज्ञात नहीं है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा और सुविधाएं

*851. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मन्त्री पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में 24 फरवरी, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं से सम्बन्धित कितने मामलों को अब तक सुलझाया गया है और कितने दोषी व्यक्तियों को पकड़ा और गिरफ्तार किया गया है तथा कितने चालान अदालतों में विचारण हेतु प्रस्तुत किये गये हैं; और

(ख) आतंकवादियों द्वारा मारे गए या घायल किये गये व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे के अतिरिक्त अन्य क्या सुविधाएं अथवा रियायतें दी हैं?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 12 मई, 1987 से 14 अप्रैल, 1988 तक की अवधि के दौरान राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं में 1251 व्यक्ति मारे गये थे। 12-5-1987 से 14-1-1988 तक की अवधि के दौरान दर्ज किये गये मामलों, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या, उन मामलों की संख्या जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है, आदि के बारे में उपलब्ध ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

1. दर्ज किए गए मामलों की संख्या	3442
2. विचारणाधीन मामले	252
3. जिन मामलों में दोष मुक्ति हुई	13
4. लापता मामले	35
5. वे मामले जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।	3140
6. वे मामले जिनमें दोषसिद्धि हुई	2
7. दोष सिद्ध व्यक्ति	2
8. गिरफ्तार किए गए उग्रवादी/आतंकवादी	2678

(ख) राज्य में आतंकवादी हिंसा के परिणामस्वरूप जिन परिवारों के व्यक्ति मारे गये हैं उनका पुनर्वास करने की दृष्टि से उनको निम्नलिखित अतिरिक्त रियायतें और सुविधाएं दी गई हैं :

(1) आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों की उन विधवाओं को मुफ्त निम्न आय वर्ग के मकान दिये जायेंगे जिनकी सहायता के लिए शारीरिक रूप से सक्षम कोई सदस्य नहीं है बशर्ते राज्य में उनका अपना कोई मकान न हो।

(2) $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज की दर पर 25 वर्षों में वसूल किये जाने वाले निर्धारित मूल्य पर निम्न आय वर्ग के मकानों को खरीदने की सुविधा, जिसमें दो वर्ष की अवधि के लिए ऋण वापस न करने की छूट होगी आतंकवादी हिंसा से पीड़ितों के परिवारों को दी जाएगी, जैसा कि सिख आप्रवासी परिवारों के मामले में है।

(3) प्रभावित परिवारों के लिए आवासीय प्लाटों में 2 प्रतिशत तथा सभी शहरी सम्प्रदाओं, सुधार न्यासों/नगर पालिका समितियों, निगमों में वाणिज्यिक प्लाटों/बूथों, दुकानों आदि के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा। आवासीय प्लाट सामान्य आरक्षित मूल्य से 20 प्रतिशत कम मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) ऐसे व्यक्तियों को औद्योगिक सम्पदाओं, केन्द्रीय स्थलों, गोइंदवाल परियोजना आदि में तरजीह के आधार पर औद्योगिक प्लाट भी दिए जाएंगे।

(5) मारे गये व्यक्तियों की विधवाओं को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वे पंजाब महिला तथा बाल कल्याण निगम द्वारा तैयार की गई ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अपनी जीवनक्षम आर्थिक इकाईयां स्थापित कर सकें।

(क) यदि ऋण योजना 5,000/-तक है तो 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाएगी।

(ख) यदि ऋण योजना 5,001 रुपये से 10,000 रुपये तक है तो 40 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि ऋण योजना 10,001 रुपये से 20,000 रुपये तक है तो 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाएगी।

निगम द्वारा दिया गया ऋण ब्याज मुक्त है।

(6) विधवाओं के अतिरिक्त मृतक के परिवार का उक्त मद संख्या 5 के अन्तर्गत आने वाला कोई सदस्य जो बैंक से 25,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त करता है, वह आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपये तक का अनुदान पाने का हकदार होगा।

(7) रोजी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधवाओं को 250 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जायेगी।

(8) मृतक के परिवार के सदस्यों को पंजाब महिला तथा बाल कल्याण निगम द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(9) मृतक की पुत्री के विवाह के अवसर पर 5,000/-रुपये का अनुग्रह पूर्वक अनुदान दिया जाता है।

(10) मृतक के बच्चों को राज्य के और राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा।

वे व्यक्ति जो :

(क) स्थाई रूप से नेत्रहीन,

(ख) ऐसी कोई चोट लगने जिसके कारण पैरों और हाथों का हिलना-डुलना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, और

(ग) मेरु-रज्जू को लगी किसी चोट, के कारण स्थाई रूप से 100 प्रतिशत अक्षम हो जाते हैं, भी उक्त मद 9 तथा 10 में उल्लिखित राहत के हकदार होंगे।

बंगला देश को इस्लामी राज्य घोषित करने का समाचार

*852 **डा० बी०एल० शैलेश**
प्रो० पी० जे० कुरियन } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगला देश के राष्ट्रपति द्वारा बंगला देश को एक इस्लामी राज्य घोषित करने सम्बन्धी हाल के वक्तव्य से बंगला देश में रह रहे 2 करोड़ अल्पसंख्यक हिन्दुओं के बीच उत्पन्न आतंक के समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति के प्रभाव पर विचार किया है जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में हिन्दू भागकर भारत में आएंगे और भारी शरणार्थी समस्या उठ खड़ी होगी; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है तथा क्या इस मामले पर बंगला देश सरकार से विचार किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रपति इरशाद की इस आशय की घोषणा की रिपोर्टें देखी हैं कि बंगला देश की संसद में एक ऐसे विधेयक पर विचार किया जायेगा जिसमें इस्लाम को बंगला देश का "राज्य धर्म" घोषित किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) बंगला देश की सरकार ने हमारी सरकार को आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है।

परमाणु अपशिष्ट का निपटान

*853. **श्री दोलतसिंहजी जडेजा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अपशिष्ट का निपटान करने में सभी सम्भव सावधानियां बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2000 तक ऐसे अपशिष्टों का निपटान करना एक गम्भीर समस्या बन जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) और (ख) जी, हां। विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों को, उनमें विद्यमान रेडियो सक्रियता के

आधार पर सामान्यतः उच्च, मध्यम और निम्न स्तर के अपशिष्ट पदार्थों की श्रेणियों में बांटा जाता है। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षित ढंग से भंडारित करने से पहले विस्तृत संसाधन और अनुकूलन किया जाता है। केवल बहुत निम्न स्तर के अपशिष्ट पदार्थ, जिनका निपटान करना सुरक्षित होता है, यह सुनिश्चित करने के बाद विसर्जित किए जाते हैं कि उनका स्तर निर्धारित सीमाओं के भीतर ही है। पर्यावरण का निरन्तर मानीटरन भी यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है कि उचित स्वास्थ्य और संरक्षा सम्बन्धी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

(ग) जी, नहीं। विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के हस्तन, संसाधन और उपचार में काम में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकियों का आधुनिकीकरण इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित प्रौद्योगिकियों के अनुरूप बनाया जा सके।

(घ) यह प्रश्न उठना ही नहीं।

त ाघाट-जीप्ति सड़क का निर्माण

[हिन्दी]

*854. श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में वाहनों के लिए उपयुक्त तवाघाट-जीप्ति सड़क का निर्माण करने की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सड़क के लिए सर्वेक्षण, प्राक्कलन तैयार करने इत्यादि की औपचारिकताए पूरी कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब पूरा किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इन औपचारिकताओं को कब तक पूरा किया जाएगा तथा इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सड़क निर्माण का कार्य सीमा सड़क को सौंपने के लिए सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया गया है।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस सड़क को सर्वेक्षण रिपोर्ट/अनुमानित परियोजना अनुमान के आधार पर सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाने के पश्चात आशा है 1989-90 के दौरान इसका निर्माण शुरू हो जाएगा।

आत्महत्या की घटनाएं

[अनुवाद]

*865. श्री जितेन्द्र प्रसाद
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1988 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में

"50,000 इण्डियन कमिट सूसाइड एवरी ईयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी आत्महत्याएं की गईं;

(ग) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में आत्महत्याओं की दर अधिक है; और

(घ) आत्महत्याओं की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां, श्रीमान ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1986 और 1987 के दौरान क्रमश: 53,492 और 38,32 मामले सूचित किए गए ।

(ग केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा उच्च अन्य देशों में की गई आत्महत्याओं के मामलों के बारे में सूचना संकलित नहीं की जाती है ।

(घ) क्योंकि आत्महत्या करने के निश्चय की कोई पूर्व चेतावनी अथवा सूचना उपलब्ध नहीं होती है इसलिए पहले ही निवारणात्मक कार्रवाई करना कठिन प्रतीत होता है दहेज के कारण आत्महत्या द्वारा हुई मौतों के बारे में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में कानून को कड़ा बनाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 में 1984 और 1986 में संशोधन किया गया है । दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों से ही नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों से भी कारगर ढंग से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भी संशोधित किया गया है ।

काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टैक्नालाजी द्वारा प्राप्त विदेशी धन

8554. **श्री गदाधर साहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंसी, काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालाजी, गुरू नानक फाउंडेशन बिल्डिंग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली द्वारा, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विदेशी धन को देश में कई स्वयंसेवी संस्थाओं में बांटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालाजी द्वारा वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान विदेशों से प्राप्त धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालाजी द्वारा धन प्राप्त करने वाले उन संगठनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन संगठनों ने प्राप्त धन के उक्त अधिनियम के अनुसार लेखा-जोखा प्रस्तुत किये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सी०ए०पी०ए०आर०टी० द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि राशि अन्य विभिन्न संगठनों में वितरित की जाती है ।

(ख) 1985	—	सूचित नहीं किया गया
1986	—	31,57,848.00/-रु०
1987	—	28,05,000.00/-रु०

(ग) ऐसे संगठन जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन आते हैं; विदेशी अभिदाय तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक वे या तो पंजीकृत नहीं हो जाते अथवा केन्द्र सरकार से पूर्वानुमति नहीं प्राप्त कर लेते।

(घ) अभी तक सभी ने अपने लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किये हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतन्त्रता सेनानी

8555. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारावास की छः महीने की अवधि की शर्त को घटाकर तीन महीने करने से लाभान्वित स्वतंत्रता सेनानियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाएं) की संख्या का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस छूट के अन्तर्गत ऐसा कोई मामला सरकार के विचारार्थ अभी भी लम्बित पड़ा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे सारे मामले कब तक निपटाने का लक्ष्य रखा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) 4,46,062 आवेदनों में से 1,44,972 मामलों में पेंशन दी गई हैं। केवल 1052 मामले राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्टों के नहीं आने अथवा गैर-सरकारी जांच समितियों द्वारा संवीक्षा के लिए अनिर्णीत हैं। तथापि, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा महिला स्वतंत्रता सेनानियों के रिकार्ड अलग से नहीं रखे जाते हैं।

असम में 1983 के दंगों से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास

8556. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1983 के दंगों और जनसंहार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए असम सरकार को अब तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की है और/अथवा प्रदान की है;

(ख) मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय की गई उक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितने परिवारों अथवा व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) परिवार के सदस्यों द्वारा मृत्यु सम्बन्धी कितने दावे प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि मारे गए व्यक्तियों की लाशें नहीं मिली थीं और इसलिए वे शव परीक्षा के अध्यधीन नहीं आते और जांच के बाद कितने दावे स्वीकार किए गए, कितने अस्वीकार किए गए और 1-1-1988 को कितने दावे लम्बित पड़े थे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) भारत सरकार ने, असम सरकार द्वारा पता लगाए गए 52818 परिवारों को राहत और पुनर्वास सहायता देने के लिए 59.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। इसमें से 54.71 करोड़ रुपये अब तक असम सरकार को दिये जा चुके हैं। राज्य सरकार से खर्चे के आगे कोई दावे प्राप्त नहीं हुए हैं। मुख्य शीर्षों के तहत 59.98 करोड़ रुपये के ब्यौरे को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) 1-1-1988 को भारत सरकार के पास परिवार के सदस्यों द्वारा दायर किये गये मृत्यु सम्बन्धी कोई दावे लम्बित नहीं पड़े हैं।

विवरण

	रुपये लाखों में
राहत आवश्यकताएं	
(i) एक महीने के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति	275.10
(ii) नकद दान	78.60
(iii) बरतन	21.50
(iv) कम्बल, मच्छरदानियां और कपड़े	162 75
(v) पोषण आहार	30.00
(vi) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	137.89
(vii) शिविरों और गांवों में पेय जल आपूर्ति प्रबंध	34.80
(viii) अस्थायी निवास	25.00
(ix) मारे गए परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी	152.45
जोड़ :	918.09
पुनर्वास आवश्यकताएं	
(i) पांच महीने के लिए खाद्यान्न आपूर्ति के रूप में निर्वाह सहायता	1373.62
(ii) तीन महीने के लिए नकद दान	235.80
(iii) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 52,818 घरों (51,149 पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त और 1669 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त) का निर्माण	2599.00
(iv) बीज	19.20
(v) ट्रेक्ट्रीकरण	5.00
(vi) गुम हुए हल जोतने के बैल और दुधारू पशुओं का प्रतिस्थापन	180.00

(vii)	स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सहायता	20.00
(viii)	स्कूल और अन्य सार्वजनिक भवनों का पुनर्निर्माण	98.92
(ix)	पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख	11.00
(x)	पुलों और सड़कों की मरम्मत	478.00
(xi)	उर्वरक	4.40
(xii)	गैर-कृषक परिवारों को सहायता	55.00
	जोड़ :	5079.94
	सकल जोड़ :	5998.03

सूखा और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए योजना

8557. **श्री महटम श्रीराम मूर्ति** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में घोषणा की है कि योजना प्रक्रिया से सूखे के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए और इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विशेषज्ञों आदि के किसी सरकारी दल ने देश में सूखा-प्रवण और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन योजनाएं तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (घ) प्रश्न के भाग (क) में यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें किन क्षेत्रों का उल्लेख किया जा रहा है।

फ्रिगेट "गोमती" द्वारा परीक्षण पूरे करना

8558. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी श्रेणी के प्रक्षेपास्त्र-युक्त तीसरे फ्रिगेट "गोमती" ने अपने परीक्षण पूरे कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे विकसित करके नौसेना को सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ये ब्यौरे प्रकट नहीं किये जा सकते।

(ग) यह पोत 16 अप्रैल, 1988 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

कम्प्यूटर एककों के लिए निर्यात करने की बाध्यता को समाप्त करना

8559. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कम्प्यूटर उद्योग में एककों पर व्यक्तिगत रूप से निर्यात करने की बाध्यता को समाप्त कर कम्प्यूटर उद्योग में समग्र रूप से निर्यात को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इस उद्योग द्वारा किये गये आयात को निर्यात द्वारा पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में कम्प्यूटरों के विनिर्माण में निर्यात सम्बन्धी बाध्यता की शर्त आमतौर पर 30% से घटाकर 10% करने का निर्णय किया है। स्वदेशी कम्प्यूटर उद्योग के विकास के लिए सरकार एक समन्वित नीति का अनुपालन कर रही है, जिसमें सॉफ्टवेयर तथा उपान्त-उपस्कर (पेरीफरल) भी शामिल है। सॉफ्टवेयर के निर्यात की अच्छी सम्भावनाएं हैं और इस पर उचित बल भी दिया जा रहा है। यह भी आशा की जाती है कि अगले 3-4 वर्षों में सॉफ्टवेयर के निर्यात के जरिये विदेशी मुद्रा की जो आय होगी उससे कम्प्यूटर के विनिर्माण के लिए संघटक-पुर्जों/अतिरिक्त पुर्जों के बढ़ते हुए आयात पर आने वाले व्यय की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति हो सकेगी।

गृह मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों अनुसूचित/जनजातियों के अधिकारी

8560. **श्री आर० एम० भोये : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उनके मंत्रालय में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी और अधिकारी हैं तथा इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में कर्मचारियों और अधिकारियों की श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना बकाया है;

(ग) यदि हां, तो इन बकाया रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों और गृह मंत्रालय तथा इसकी संवर्ग इकाइयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या के श्रेणीवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	कर्मचारियों की कुल सं०	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रुप "क"	117	12	3
ग्रुप "ख"	1245	160	17
ग्रुप "ग"	1670	224	47
ग्रुप "घ"	1237	312	51

2. गृह मंत्रालय में ग्रुप "क" के अधिकांश पद अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं से

प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। संयुक्त सचिव, निदेशक, उप-सचिव और अवर सचिव जैसे कुछ ग्रेडों को प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति दोनों के द्वारा भरा जाता है। अवर सचिव (ग्रुप "क" में निम्नतम) स्तर पर पदोन्नति के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए और 7-1/2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तथापि, इस ग्रेड में पदोन्नति समस्त मंत्रालय के आधार पर की जाती है और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा पदोन्ननि के लिए सामान्य चयन सूची बनाते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उचित प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके लिए आरक्षित कोटा भरने के लिए जब कभी आवश्यक होता है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीमित विशेष परीक्षाएं आयोजित करके विशेष कदम भी उठाए जाते हैं।

3. ग्रुप "ख" और "ग" में अनुभाग अधिकारी, सहायक, विभिन्न ग्रेडों के स्टेनोग्राफर, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक आदि जैसे पदों को आंशिक रूप से संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और आंशिक रूप से विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरा जाता है या केन्द्रीय आधार पर वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के अनुसार पदोन्नति की जाती है। निर्धारित कोटे के अनुसार इन पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग रोस्टर रखते हैं और इस प्रकार से प्राप्त हुई आरक्षित रिक्तियों को समस्त मंत्रालय आधार पर संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती करते समय या समस्त मंत्रालय आधार पर पदोन्नति के लिए जोन निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है। मंत्रालय में ग्रुप "घ" के लिए सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है।

4. यदि आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपर्युक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो, ऐसे पदों को अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाया जाता है और ऐसे आगे ले जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से बदला जा सकता है।

जनगणना

8561. **चौधरी रामप्रकाश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1981 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुसलमानों, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अन्यों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार जनसंख्या विवरण-1 में दी गई है। संलग्न विवरण-2 में, मुसलमानों और अन्य धर्मों की जनसंख्या के आंकड़े दिये गये हैं जो परिवार अनुसूचियों के माध्यम से परिवार के मुखिया के धर्म के आधार पर 1981 की जनगणना में एकत्र किये गये थे।

विवरण-1 और विवरण-2 में दिये गये आंकड़ों में असम शामिल नहीं है क्योंकि 1981 की जनगणना के समय राज्य में अशान्ति होने के कारण वहां जनगणना नहीं करायी जा सकी। पिछड़े वर्गों के राज्यवार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-1

भारत/राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1981 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

क्र०सं०	भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जातियों की जनसंख्या	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या
1	2	3	4	5
	भारत*	665,287,849	104,754,623	51,628,638£
1.	आंध्र प्रदेश	53,549,673	7,961,730	3,176,001
2.	बिहार	69,914,734	10,142,368	5,810,867
3.	गुजरात	34,085,799	2,438,297	4,848,586
4.	हरियाणा	12,922,618	2,464,012	—
5.	हिमाचल प्रदेश	4,280,8[illegible]8	1,053,958	197,263
6.	जम्मू और कश्मीर@	5,987,389	497,363	—
7.	कर्नाटक	37,135,714	5,595,353	1,825,203†

1	2	3	4	5
8.	केरल	25,453,680	2,549,382	261,475
9.	मध्य प्रदेश	53,178,844	7,358,533	11,987,031
10.	महाराष्ट्र	62,784,171	4,479,763	5,772,038
11.	मणिपुर	1,420,953	17,753	387,977
12.	मेघालय	1,335,819	5,492	1,076,345
13.	नागालैण्ड	774,930	—	650,885
14.	उड़ीसा	26,370,271	3,865,543	5,915,067
15.	पंजाब	16,788,915	4,511,703	—
16.	राजस्थान	34,261,862	5,838,879	4,183,124
17.	सिक्किम	316,385	18,281	73,623
18.	तमिलनाडु	48,408,077	8,881,295	520,226
19.	त्रिपुरा	2,053,058	310,384	583,920
20.	उत्तर प्रदेश	110,862,013	23,453,339	232,705
21.	पश्चिम बंगाल	54,580,647	12,000,768	3,070,672
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अ० एवं निकोबार द्वीपसमूह	188,741	—	22,361

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	631,839	2,919	441,167
3.	चण्डीगढ़	451,610	63,621	—
4.	दादरा और नागर हवेली	103,676	2,041	81,714
5.	दिल्ली	6,220,406	1,121,643	—
6.	गोआ, दमन और दीव	1,086,730	23,432	10,721
7.	लक्षद्वीप	40,249	—	37,760
8.	मिजोरम	493,757	135	461,907
9.	पांडिचेरी	604,471	96,636	—

टिप्पणी : 1. *असम सम्मिलित नहीं है जहां 1981 की जनगणना के समय अशांति की स्थिति होने के कारण जनगणना नहीं कराई जा सकी ।

2. @पाकिस्तान और चीन के अनधिकृत कब्जों के स्थान शामिल नहीं हैं जहां जनगणना नहीं करायी जा सकी ।

3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में कोई जातियां अनुसूचित नहीं की गई ।

4. 1981 के अनुसूचित जातियों के आंकड़ों की गणना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 और अन्य सम्बद्ध अधिनियमों और आदेशों पर आधारित है ।

5. †इस आंकड़े से प्रतीत होता है कि इन में क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल इसी प्रकार की नामों वाले कुछ समुदायों से सम्बन्धित उच्च विवरणियां शामिल हैं ।

6. £कर्नाटक के बारे में कृपया क्रम संख्या 5 की पद टिप्पणी भी देखें ।

विवरण-2

भारत/राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1981 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या और धर्मवार-जनसंख्या का विवरण

भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई
1	2	3	4	5
भारत	665,287,849	549,724,717	75,571,514	16,174,498
आन्ध्र प्रदेश	53,549,673	47,525,681	4,533,700	1,433,327
बिहार	69,914,734	58,011,070	9,874,993	740,186
गुजरात	34,085,799	30,518,500	2,907,744	132,703
हरियाणा	12,922,618	11,547,676	523,536	12,215
हिमाचल प्रदेश	4,280,818	4,099,706	69,613	3,954
जम्मू और कश्मीर	5,987,389	1,930,448	3,843,451	8,481
कर्नाटक	37,135,714	31,857,029	4,163,691	773,500
केरल	25,453,680	14,801,347	5,409,687	5,233,865
मध्य प्रदेश	52,178,844	48,504,575	2,501,919	351,972
महाराष्ट्र	62,784,171	51,109,457	5,805,785	795,464
मणिपुर	1,420,953	853,180	99,327	421,702
मेघालय	1,335,819	240,831	41,434	702,854
नागालैंड	774,930	111,266	11,806	621,590

भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सिख	बुद्ध	जैन	अन्य धर्म और सम्प्रदाय	धर्म का उल्लेख नहीं किया गया
1	6	7	8	9	10
भारत*@	13,078,146	4,719,900	3,192,572	2,766,285	60,217
आन्ध्र प्रदेश	16,222	12,930	18,642	851	8,320
बिहार	77,704	3,003	27,613	1,179,878	287
गुजरात	22,438	7,550	467,768	15,683	13,413
हरियाणा	802,230	761	35,482	680	38
हिमाचल प्रदेश	52,209	52,629	1,046	594	1,067
जम्मू और कश्मीर	133,675	69,706	1,576	44	8
कर्नाटक	6,401	42,251	284,508	12,901	433
केरल	1,295	233	3,605	499	3,159
मध्य प्रदेश	143,020	75,312	444,960	155,692	1,394
महाराष्ट्र	107,255	3,946,149	939,392	74,386	6,283
मणिपुर	992	473	975	35,490	8,814
मेघालय	1,674	2,739	542	344,215	1,530
नागालैण्ड	743	517	1,153	27,852	3

1	2	3	4	5
उड़ीसा	26,370,271	25,161,725	422,266	480,426
पंजाब	16,788,915	6,200,195	168,094	184,934
राजस्थान	34,261,862	30,603,970	2,492,145	39,568
सिक्किम	316,385	212,780	3,241	7,015
तमिलनाडु	48,408,077	43,016,546	2,519,947	2,798,048
त्रिपुरा	2,053,058	1,834,218	138,529	24,872
उत्तर प्रदेश	110,862,013	92,365,968	17,657,735	162,199
पश्चिम बंगाल	54,580,647	42,007,159	11,743,259	319,670
अण्डमान एवं नि० द्वीपसमूह	188,741	121,793	16,188	48,274
अरुणाचल प्रदेश	631,839	184,732	5,073	27,306
चण्डीगढ़	451,610	339,920	9,1[illegible]5	4,470
दादर और नगर हवेली	103,676	99,072	1,932	2,025
दिल्ली	6,220,406	5,200,43[illegible]	481,802	61,609
गोआ, दमन और दीव	1,086,730	716,169	48,461	318,249
लक्षद्वीप	40,249	1,799	38,173	266
मिज़ोरम	493,757	3[illegible],245	2,205	413,840
पाण्डिचेरी	604,471	517,228	36,663	49,914

1	6	7	8	9	10
उड़ीसा	14,270	8,028	6,642	273,596	3,318
पंजाब	10,199,141	799	27,049	7,658	1,045
राजस्थान	492,818	4,427	624,317	3,543	1,074
सिक्किम	322	90,848	108	1,987	84
तमिलनाडु	4,395	735	49,564	16,972	1,870
त्रिपुरा	285	54,806	297	27	24
उत्तर प्रदेश	458,647	54,542	141,549	20,339	1,034
पश्चिम बंगाल	49,054	156,296	38,663	263,414	3,132
अ० और नि० द्वीपसमूह	991	127	11	231	1,126
अरुणाचल प्रदेश	1,231	86,483	42	326,000	972
चण्डीगढ़	95,370	454	1,889	264	128
दादर और नागर हवेली	11	189	372	63	7
दिल्ली	393,921	7,117	73,917	1,081	527
गोआ, दमन और दीव	1,380	302	602	562	1,005
लक्षद्वीप	—	—	—	—	11
मिजोरम	471	40,429	11	1,606	—
पाण्डिचेरी	31	75	277	172	111

टिप्पणी : 1. *असम की जनसंख्या को छोड़कर जहां उस समय अशान्ति की स्थिति होने के कारण जनगणना नहीं कराई जा सकी।

2. @उन क्षेत्रों की जनसंख्या को छोड़कर जो पाकिस्तान और चीन के अनधिकृत कब्जे में है और जहां जनगणना नहीं करायी जा सकी।

3. 1981 की जनगणना के आंकड़े परिवार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किये गये और परिवार के मुखिया के धर्म पर आधारित है।

वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए दीर्घकालीन पदोन्नतियां को शामिल करना

8562. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 8.2.83 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/26/82-स्थापना पी०आई० के साथ पठित दिनांक 26.9.81 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/1/80-स्थापना पी०आई० के अन्तर्गत उच्च ग्रेडों में पदोन्नति होने पर दीर्घकालिक पदोन्नतियों को वेतन वृद्धि निर्धारण में विकल्प के प्रयोजन के लिए निम्न पद के वेतनमान में वेतन वृद्धि की आगामी तारीख से नियमित पदोन्नतियों के रूप में नहीं लिया जाता;

(ख) यदि हां, तो दीर्घकालिक पदोन्नति को अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड-बी की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की पात्रता के प्रयोजन के लिये नियमित सेवा के रूप में माने जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश जारी किए हैं कि विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में वेतन निर्धारण में समानता लाने हेतु उक्त प्रयोजन के लिए केवल वरीयता सूची की पदोन्नति को ही नियमित पदोन्नति के रूप में लिया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस मामले को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क), से (घ) ऐसे मामलों में भी जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी व्यवधान के नियमित पदोन्नति की जाती है, वहां पदोन्नति की आरम्भिक तारीख से इस लाभ को प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में विद्यमान आदेशों में पहले ही व्यवस्था की गई है। इस प्रकार ऐसी दीर्घकालीन पदोन्नतियां जो कि तदर्थ स्वरूप की भी होती है, विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत आ जाती है।

वर्ष 1986 से पूर्व के पेंशन पाने वालों की पेंशन में वृद्धि

8564. **श्री के० एस० राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 1986 से लागू पेंशन-राशि 1 जनवरी, 1986 को वर्ष 1986 से पूर्व के पेंशन पाने वालों की समेकित पेंशन राशि से लगभग 20 से 30 प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1986 से पूर्व के पेंशन पाने वालों की पेंशन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी नहीं। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के निर्णयों के अनुसार, पेंशन के ढांचे को हाल ही में युक्तिसंगत बनाया गया है। पेंशन की राशि का संबंध सेवा-निवृत्ति के समय ली गई परिलब्धियों और की गई अहर्क सेवा से जोड़ा गया है। जहां पेंशन की संगणना 50 प्रतिशत की दर पर किए जाने का लाभ सभी पेंशनभोगियों को दे दिया

गया है, वहां 1.1.1986 से पूर्व के पेंशनभोगियों को वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त राहत की मन्जूरी दी गई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पेंशन के ढांचे में हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दायर मामले

8565. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि**
श्री उत्तमभाई ह० पटेल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों द्वारा 1 अप्रैल, 1986 से 31 मार्च, 1988 तक की अवधि में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कितने मामले दायर किये गये; और

(ख) इनमें से निर्णीत, अस्वीकृत और विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1 अप्रैल, 1986 से 31 मार्च, 1988 तक की अवधि में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये मामलों की संख्या 26790 है।

(ख) इनमें से निर्णीत/अस्वीकृत मामलों की संख्या 12958 है और 1.4.1988 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में विचार के लिए लम्बित मामलों की संख्या 12910 (इसमें 31.3.1988 को निपटान के लिए शेष मामलों की संख्या भी सम्मिलित है) है।

रेडियो/टेलीविजन सैट

8566. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनसंख्या की तुलना में रेडियो/टेलीविजन सैटों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए कौन से कदम उठाए गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय देश में रेडियो सैटों की कुल अनुमानित संख्या क्रमशः 6 करोड़ 70 लाख तथा दूरदर्शन सैटों की कुल अनुमानित संख्या 1 करोड़ 55 लाख है। यह देश की जनसंख्या के हिसाब से रेडियो के मामले में लगभग 8.4% तथा दूरदर्शन सैटों के मामले में 2% बैठता है।

(ख) इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में उदारतापूर्वक लाइसेंस प्रदान करना और वित्तीय नीतियों को उदार बनाना तथा रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है।

फिजी में भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाना

8567. **श्री सोमनाथ रथ**
चौधरी राम प्रकाश } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिजी में नये शासन में भारतीय मूल के

व्यक्तियों के साथ, विशेषकर ट्रेड यूनियन क्षेत्र में भेदभाव बरता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले कुछ महीनों से इस बात को देखने के लिए उस देश में भारतीय मूल के लोगों को नागरिक के रूप में उनके कानूनी अधिकारों से वंचित न रखा जाए, क्या नये राजनीतिक कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) फिजी में सैनिक शासन का तख्ता पलटने का तथाकथित उद्देश्य स्वदेशी मेलानेशियाइयों को राजनीतिक सर्वोच्चता की गारंटी देता रहा है। ऐसा समझा जाता है कि फिजी, में शासन इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक संविधान बना रहा है। लेकिन इस संविधान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) भारत ने सैनिक शासन-परिवर्तन की कड़ी निन्दा की है और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा और पिछले वर्ष वैंकूवर में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में उठाया है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत ने फिजी के बारे में विचार-विमर्शों में प्रमुख भूमिका निभायी जिसके परिणामस्वरूप फिजी की राष्ट्रमंडल से सदस्यता समाप्त हो गई। हमारी यह नीति है कि फिजी को अपनी सदस्यता पुन: प्राप्त करने के लिए राष्ट्रमंडल के सिद्धांतों का पालन करना होगा जिसमें जातीय भेदभाव की मनाही है।

27 अप्रैल, 1988 को होने वाली सदन की बैठक के लिए रिएक्टर कूलेण्ट पम्पों की मोटर के लिए पश्चिम जर्मनी से सहयोग

8568. **श्री एस० बी० सिदनाल**
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एन०जी०ई०एफ० ने 500 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर के कूलैण्ट पम्पों के लिए मोटर के निर्माण की तकनीकी जानकारी के अंतरण के लिए पश्चिम जर्मनी की ए०ई०जी० के साथ कोई सहयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने कूलैण्ट पम्पों का प्रतिवर्ष निर्माण किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) और (ख) 500 मेगावाट क्षमता वाले दाबित भारी पानी रिएक्टरों के वास्ते रिएक्टर कूलेंट पम्पों के लिए मोटरों का निर्माण एन०जी०ई०एफ० द्वारा किया जाएगा जिसके लिए तकनीकी जानकारी पश्चिम जर्मनी के ए०ई०जी० से ली गई है।

(ग) आशा है कि एन० जी० ई०एफ० द्वारा अगले दस वर्षों में रिएक्टर कूलेंट पम्पों के लिए 40 मोटरों का निर्माण किया जाएगा।

बम्बई में नौसेना के कर्मचारियों को रियायती सरकारी आवास

8569. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में भारतीय नौसेना के (योधी तथा गैर-योधी) अधिकारियों/कर्मचारियों को रियायती सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कुल कितने अधिकारियों और गैर-अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) वर्ष 1988-89 में कितने मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिये आवास की कमी इस प्रकार है :

	आवास		
	प्राधिकृत	उपलब्ध	मंजूर/ निर्माणाधीन
(1) अफसर	1538	1124	414
(2) नाविक	5723	2952	1900
(3) सिविलियन	3198	1146	620

(ग) और (घ) आवास की परियोजनाएं निधियों की उपलब्धता के आधार पर शुरू की जाती हैं। अत: 1988-89 का निर्माण कार्यक्रम निधियों की स्थिति पर निर्भर करेगा।

मूलभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु आदिवासियों के लिए धनराशि

8570. श्री एन० डेनिस : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जिनके विकास पर आदिवासी कल्याण के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या इन मूलभूत सुविधाओं का निर्माण गैर-आदिवासियों द्वारा किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो मूलभूत सुविधाओं का आदिवासियों द्वारा ही निर्माण कराये जाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) आदिवासी उपयोजना नीति का उद्देश्य आदिवासी परिवारों को महत्व देते हुये क्षेत्र विकास करना है। सड़कों, संचार, सिंचाई, स्कूलों, चिकित्सा सुविधाओं आदि जैसी अवसंरचना में सुधार करते हुए तथा परिवारोन्मुखी आय अर्जक कार्यक्रमों को भी शुरू करते हुए इस नीति के लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है।

(ख) और (ग) अवसंरचना का विकास मुख्यत: परियोजना स्तर की समिति जिसमें आदिवासी प्रतिनिधि भी होते हैं, के परामर्श से जिला/परियोजना स्तर की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। एन०आर०इ०पी० तथा आर०एल०इ०जी०पी० आदि के अन्तर्गत कार्य स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ही किए जाते हैं, ताकि ऐसे अवसंरचना विकास में आदिवासियों का समावेश सुनिश्चित हो सके।

रद्दी धातु के सौदे में घोटाला

8571. **श्री नारायण चौबे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 फरवरी, 1988 के हितावदा, नागपुर में समाचार पत्र "स्क्रैप डील स्केण्डल इन अम्बाझारी ऑफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयुध निर्माणी अम्बाझरी और अन्य आयुध निर्माणियों में एकत्रित धातु के टुकड़ों एवं कतरनों को, इस संबंध में विद्यमान अनुदेशों के अनुसार निपटाया जाता है। इस सम्बन्ध में आमन्त्रित टेंडर दो अधिकारियों की उपस्थिति में खोले जाते हैं और सभी टेंडरदाताओं के प्रस्ताव फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पढ़े जाते हैं। इन दोनों अधिकारियों द्वारा प्रस्तावों के संबंधित पृष्ठों पर उसी समय हस्ताक्षर किये जाते हैं। टेंडर खोलते समय किसी भी ऊपरी लिखाई पर प्रति-हस्ताक्षर किए जाते हैं। टेंडरदाताओं का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें अन्यों के साथ, महाप्रबन्धक और लेखाओं के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें किसी पक्ष को किसी तरह का लाभ देने की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

2. उक्त समाचार में फर्म का नाम नहीं बताया गया है। सम्भवतः यह मैसर्स "आरसना मैटल कम्पनी है जो एम०आई०डी०सी० नागपुर में एक लघु पैमाने की यूनिट के रूप में पंजीकृत है। 1982 और 1987 के बीच उक्त फर्म को एल्यूमीनियम की कतरनों, एल्युमीनियम एवं पिटवां लोहे, पीतल तथा तांबे की कतरनों एवं टुकड़ों की 17 संविदाएं प्राप्त हुईं। फर्म को पीतल एवं तांबे की कतरनों/टुकड़ों की उपर्युक्त संविदाएं लघु उद्योगों के कोटे और उच्चतम कीमत पर खुले कोटे के लिए निर्धारित मात्राओं के लिए मिलीं। इस तरह के सामान के लिए मंगाई गई निविदाओं की विभिन्न खेपों में से प्रत्येक निविदा में इस फर्म द्वारा ऐसी दरों का प्रस्ताव दिया जाता रहा जिनसे इस सामान की बिक्री से सबसे अधिक आय प्राप्त हुई।

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

8572. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में तीन करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इसके विकास के लिए कोई धनराशि नियत की है; और

(ग) आकाशवाणी अथवा साहित्य अकादमी आदि द्वारा इस भाषा के विकास के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सरकार का विचार है कि आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाएं

शामिल करने से अन्य प्रभाव और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी। फिर भी, सरकार का प्रयास है कि सभी भाषाओं की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का विकास किया जाय चाहे वे आठवीं अनुसूची में शामिल हों, अथवा नहीं।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, बजट में भाषावार आवंटन नहीं किये जाते हैं।

(ग) साहित्य अकादमी ने 1971 में राजस्थानी भाषा को भाषा की साहित्यिक प्रोन्नति के लिए मान्यता दी है। कार्यक्रम में प्रकाशन पुरस्कार, संगोष्ठियां, कार्यशाला, यात्रा अनुदान और भाषा लेखकों के लिए अन्य साहित्यिक गतिविधियां शामिल हैं। साहित्य अकादमी की वर्तमान महापरिषद में राजस्थानी भाषा और राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि शामिल है। कार्यकारी बोर्ड ने हाल में राजस्थानी सलाहकार बोर्ड का गठन किया है जहां तक सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा उठाये गये कदमों का सम्बन्ध है, यह कहा जाता है कि आकाशवाणी प्रसारण का उद्देश्य किसी भाषा का संचार करना है, उसे बढ़ावा देना नहीं। आकाशवाणी अनेक भाषाओं को प्रसारित करता है और केवल संचार की दृष्टि से किसी स्थानीय भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता। फिर भी आकाशवाणी के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और सूरतगढ़ केन्द्रों द्वारा राजस्थानी भाषा में प्रसारण किया जाता है।

गाड़ियों में लूटपाट

[अनुवाद]

8573. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1987 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ट्रेन राबरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो लूटपाट की इस घटना में कितने लोग मारे गये और कितने घायल हुये;

(ग) क्या विभिन्न रेलगाड़ियों में इस प्रकार की लूटपाट की घटनाएं आम बात हो गई हैं;

(घ) क्या 29 दिसम्बर, 1987 को पटना-रांची सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जब लूटपाट की यह घटना हुई थी, कोई सशस्त्र गार्ड नहीं था;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने रेलवे में इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) रेलवे में अपराधों के मामलों को सरकारी रेलवे पुलिस जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करती है सहित राज्य सरकार ऐजेंसियों को सूचित किए जाते हैं जो उन्हें दर्ज करती है उनकी जांच पड़ताल करती है।

(घ) और (ङ) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(च) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सरकारी रेलवे पुलिस फास्ट/सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों में सुरक्षा प्रदान करती है। जब आवश्यक हो इस कार्य में रेलवे संरक्षण बल भी सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता करता है।

नेशनल कैडेट कोर का भारत-कनाडा युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

8574. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नेशनल कैडेड कोर के भारत-कनाडा युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम के भारतीय चरण के लिए तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों को चुना गया है :

कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

(I) अरासुर

(II) के अय्याम्पलायम

(III) अल्ला पलायम

सोलन (हिमाचल प्रदेश)

(I) कण्डाघाट

(II) डांगरी

(III) धरमपुर

वृद्ध व्यक्तियों के लिए कार्यशाला

8575. **श्री जी० एस० बसवराजू** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 26 मार्च, 1988 को वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में किन-किन संगठनों ने भाग लिया;

(ग) क्या कार्यशाला द्वारा सरकार को कुछ सुझाव दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस कार्यशाला में दिये गये सुझावों की सरकार ने जांच कर ली है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां। पेंशन भोगी संघ के अखिल भारतीय केन्द्रीय समिति नामक एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा 26 मार्च, 1988 को "वृद्धों और फेयर पेंशन के लिए समाज सुरक्षा" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(ख) चूंकि कार्यशाला का आयोजन एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया गया था, इसलिए हमारे पास भाग लेने वालों की कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर छापे

8576. **श्री सुभाष यादव**
श्री प्रकाश चन्द्र
श्री श्रीहरि राव
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मार्च, 1988 के "टेलीग्राफ" में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा देश भर में सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर मारे गये छापों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके परिसरों पर छापे मारे गये;

(ग) पकड़े गये आपत्तिजनक दस्तावेजों का स्वरूप क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) जिन अधिकारियों के परिसरों पर छापे मारे गये थे उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) इन छापों के दौरान, चल/अचल सम्पत्तियों में निवेश तथा अनुचित सरकारी पक्षपात दिखाने इत्यादि से सम्बन्धित अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए थे।

(घ) मामले दर्ज कर लिए गये हैं तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

ऐसे अधिकारियों के ब्यौरे, जिनके परिसरों पर छापे मारे गए थे

सर्वश्री :

1. आर० आर० द्विवेदी, अधिकारी यूको बैंक, जौहरी बाजार, जयपुर।
2. उदय प्रकाश गुप्ता, प्रधान लिपिक,
डी०आर०एम० कार्यालय, कोटा (राजस्थान)।
3. श्रीमती के० मैथिलीरानी, आई० आर० एस०
आयकर अधिकारी, हैदराबाद।
4. महेश चन्द्र महाजन, उच्च श्रेणी लिपिक,
सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त अनुभाग-II,
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी० डी० ए०), नई दिल्ली।

5. नगेन्द्र मिश्रा, महा प्रबन्धक एवं मुख्य सम्पादक,
रोजगार समाचार, आर० के० पुरम, नई दिल्ली।

6. के० नारायण मूर्ति, क्षेत्रीय प्रबन्धक,
कारपोरेशन बैंक, गुंतूर।

7. एच० सरेन सिंह, सीमा शुल्क अधीक्षक भोरेह, मणिपुर।

8. ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह, शाखा प्रबन्धक,
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, मणिपुर।

9. बी० शराफ, उप महा प्रबंधक,
यूनियन बैंक आफ इण्डिया।

10. नवीन सी० शाह, शाखा प्रबन्धक,
यूनियन बैंक आफ इंडिया अहमदाबाद।

11. ए० टी० वंजानी, शाखा प्रबन्धक,
यूनियन बैंक आफ इण्डिया, अहमदाबाद।

12. कमान्डर, सी० डी० पे० पेरा, उप महाप्रबन्धक,
माजगांव डौक लिमिटेड, मंगलौर यार्ड यूनिट, मंगलौर

13. के०जी० मन्जुनाथ, प्लांट प्रबन्धक,
माज गांव, डौक लिमिटेड।

14. एस० लक्ष्मीनारायणन, वरिष्ठ प्रबन्धक (वाणिज्यिक),
हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट, न्यूज प्रिंट नगर, केरल।

15. जी० वी० सुन्दरम्, प्रबन्धक (वन),
हिंन्दुस्तान न्यूज प्रिंट, कोटायम।

16. श्रीमती हंसा मनोहरन, ई० डी० पी० ओपरेटर, ग्रेड-II,
वित्त प्रभाग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बी० ई० एच० एल०), मद्रास।

17. एस० नागराजन, आयकर निरीक्षक,
सिटी सर्किल-II, मद्रास।

18. आर० ए० प्रसाद, संयुक्त प्रबन्धक (पी०),
भारतीय खाद्य निगम लखनऊ।

19. डी० पी० श्रीवास्तव, उप महा प्रबन्धक,
महानगर टेलीफोन निगम, नई दिल्ली।

20. बी० एन० हलदर, शाखा प्रबन्धक,
आंध्रा बैंक, कलकत्ता।

21. पी० एन० दीक्षित, आयकर अधिकारी, भोपाल।

22. पी० के० दूबे, शाखा प्रबन्धक,
सिण्डीकेट बैंक, परतापुर, जिला मेरठ।

23. एम० के० शर्मा, शाखा प्रबन्धक,
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, ताजगंज, आगरा।

24. हरभजन सिंह ढिल्लों, महा प्रबन्धक,
भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद।

25. पी० एन० राय, अधीक्षक (रख-रखाव),
ओल्ड रोलिंग, बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो।

26. राम करण सिंह, मुख्य अधीक्षक,
एस० एम० एस० राउरकेला स्टील प्लांट।

27. अनेंदा वेद बारूअर्ल, उप महा प्रबन्धक,
आयल इण्डिया लिमिटेड, डलियाजम।

28. वी० रत्ना सोहापति, महा प्रबंधक,
हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे।

29. एस० मजूमदार, मार्केटिंग मैनेजर,
हिन्दुस्तान एंटी-बायोटिक्स लिमिटेड, पुणे।

30. एच० एस० राव, मुख्य प्रबन्धक,
बैंक आफ बड़ौदा, बम्बई फोर्ट, बम्बई।

आय की असमानताएं कम करने के लिए प्राथमिकताएं

8577. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब-हरियाणा-दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष ने आठवीं योजना में आय असमानता कम करने और निर्माण कार्य जैसे संभावित क्षेत्रों में अत्याधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु उच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा है;

(ख) क्या सरकार पंजाब-हरियाणा-दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष के दिये गये सुझावों पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) इस आशय की रिपोर्टें प्रेस में आ चुकी हैं।

(ख) आठवीं योजना की अभिकल्पना सोच-विचार की प्राथमिक स्थित में है।

(ग) और (घ) युवाओं के रोजगार से सम्बन्धित अन्य सरकारी योजनायें पहले ही चल रही हैं। इनके नाम हैं— शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की स्कीम और स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम)।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का केन्द्रीय राजकोष में योगदान

8578. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में केन्द्रीय राजकोष में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के योगदान की अनुमानित राशि क्या है;

(ख) रेलवे, दूरसंचार आदि जैसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) डाक विभाग आदि जैसे कुछ केन्द्रीय उद्यमों के भारी घाटे में चलने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) केन्द्रीय राजकोष में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के योगदान का अनुमान वार्षिक बजटीय अभ्यास के भाग के रूप में लगाया जाता है। अतः सातवीं योजना की शेष अवधि अर्थात् 1989-90 में इन उद्यमों के योगदान की राशि का पता तभी चलेगा जब उक्त वर्ष के केन्द्रीय बजट को अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों में ये शामिल हैं : किरायों, भाड़ों, शुल्क-दरों तथा उत्पादों की कीमतों में संशोधन क्षमता/परिसम्पत्तियों के उपयोग में वृद्धि तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड जारी करना आदि।

(ग) डाक विभाग सहित केन्द्रीय उद्यमों को हुए घाटों के लिए कारण विभिन्न उद्यमों में अलग-अलग हैं। मुख्य कारण ये हैं : लागतों में हुई वृद्धि को प्रतिसन्तुलित करने के लिए प्रशासित कीमतों में समायोजन करने में विलम्ब, क्षमता/परिसम्पत्तियों का कम उपयोग, सामाजिक खर्चों में वृद्धि, व्यय मजदूरी समझौतों का पुनरीक्षण, तथा विद्युत की कमी जैसी अन्य सामान्य बाधाएं।

पश्चिम बंगाल को सहायता

8579. श्री के० राममूर्ति : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मन्त्री द्वारा उत्तर बंगाल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये के घोषित पैकेज डील में से पश्चिम बंगाल सरकार को अब केवल 96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : प्रधान मन्त्री द्वारा उत्तरी बंगाल के विकास के लिए किसी सहायता-पैकेज की घोषणा नहीं की गई हैं।

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत

8580. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यह आवश्यकता महसूस की गई थी कि ऐसे क्षेत्रों में, जहां सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम है और जहां बारानी खेती के विकास के माध्यम से सिंचाई करना या तो असंभव है अथवा अलाभकारी है, सुनिश्चित सिंचाई के विस्तार द्वारा क्षेत्रीय आधार पर उत्पादन बढ़ाना चाहिए;

(ख) क्या देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की खपत में समुचित रूप से वृद्धि नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो योजना दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि लक्ष्य को जनसंख्या संवृद्धि दर की अपेक्षा विशेषकर खाद्यान्न की उत्पादन दर में वृद्धि करके प्राप्त किया जाएगा। सिंचाई, पौष्टिक तत्वों की सप्लाई तथा कृषि संबंधी निवेशों में त्वरित विस्तार पर महत्व दिया गया है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करना है।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए शिक्षा और सामाजिक विकास की योजनाएं

[हिन्दी]

8581. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें देश में पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए तैयार किया गया है;

(ख) बिहार में छोटा नागपुर में प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमति सुमति उरांव) : (क) और (ख) देश में आदिवासियों के शैक्षिक तथा सामाजिक विकास की विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं में शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण छात्रवृत्तियां, वजीफे, होस्टल सुविधाएं तथा लेखन सामग्री किताबें, वर्दियां आदि जैसी सहायक सामग्री शामिल हैं। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में, ग्रामीण जलपूर्ति, स्वास्थ्य, आवास, श्रमिक कल्याण तथा पोषाहार आदि शामिल हैं। राज्य सरकार के माध्यम से छोटा नागपुर में भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में परिवारोन्मुखी आय अर्जक कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं, जिनमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, कुटीर तथा लघु उद्योग आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत बिहार में 1987-88 के दौरान 1,15,000 के लक्ष्य की तुलना में कुल 1,31,620 आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता दी गई।

(ग) इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में पृथक बजट प्रक्रिया अपनाई गई है। समेकित आदिवासी विकास परियोजना, संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) समूहगत तथा विच्छिन्न आदिवासियों के लिए आदिवासी उपयोजना हेतु अलग से विशेष केन्द्रीय सहायता का आकलन किया गया है। आदिवासियों की अनुभूत आवश्यकताओं तथा उनके कार्यान्वयन में उनके समावेश की सुनिश्चिति को ध्यान में रखकर, राज्य सरकारों को आई०टी०डी०पी० वार आदिवसी उपयोजना की राज्य योजना राशि का आकलन करने तथा परियोजना स्तर की योजना भी बनाने की सलाह दी गई है।

भर्ती में योद्धा जातियों की ओर विशेष ध्यान देना

[अनुवाद]

8582. **श्री के० मोहन दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में भर्ती करते समय योद्धा जातियों अथवा समुदायों के लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत संघ की सहायता से परमाणु ऊर्जा संयंत्र

8583. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि सोवियत संघ की सहायता से भारत में स्थापित किए जाने वाले सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में अमरीकी सहायता प्राप्त तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में होने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ द्वारा किन-किन ऊर्जा संयंत्रों को सहायता दी जाएगी;

(ग) क्या इस बारे में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) सोवियत संघ की सहायता से निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) 1000 मेगावाट क्षमता वाले दाबित हल्के पानी किस्म के दो रिएक्टर लगाने में सहायता देने की सोवियत संघ की पेशकश के तकनीकी, आर्थिक, लागत तथा अन्य पहलुओं, जिनमें ईंधन की सप्लाई भी शामिल है, के बारे में एक अन्तर-सरकारी करार का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा इस बारे में निर्णय अभी लिया जाना है।

(घ) भारत में इस समय सोवियत संघ की सहायता से लगाया जाने वाला कोई भी न्यूक्लियर संयंत्र निर्माणाधीन नहीं है।

आयुध कोरों में पैकरों के वेतन के संबंध में मध्यस्थ पंचाट

[हिन्दी]

8584. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय द्वारा गठित मध्यस्थ बोर्ड ने आयुध कोरों में कार्यरत पैकरों के संबंध में कोई पंचाट दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पंचाट को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं और पंचाट को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री सतोष मोहन देव**) : (क) जी, हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मामला अंतिम निर्णय के लिए आखिरी चरण में है।

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

[अनुवाद]

8585. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये;

(ख) क्या इस अधिनियम के विशेष रूप से गुजरात राज्य में कथित दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) शिकायतों के बारे में गुजरात सरकार से बात की गई थी। इसके फलस्वरूप 59 मामलों में टी०ए०डी०ए० के उपबंधों को प्रयोग नहीं किया गया है जिनमें 593 व्यक्ति अंतर्ग्रस्त हैं।

"नो फायर एपारेटस इन 100 हाई राइज बिल्डिंग्स" शीर्षक से समाचार

8586. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
प्रो० रामकृष्ण मोरे
प्रो० के० वी० थामस } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "नो फायर एपारेट्स इन 100 हाई राईज बिल्डिंग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या राजधानी में अनेक गगन चुम्बी इमारतों के मालिकों को अपनी इमारतों को अग्नि-शमन उपकरणों से पूरी व्यवस्था करने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि तीन महीने का समय समाप्त हो गया है तथा इमारतों के मालिकों ने अभी तक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था नहीं की है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) नोटिस की अवधि समाप्त नहीं हुई है ।

(घ) किसी गलती करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अधीन कार्यवाही करना नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद ही संभव है ।

माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह का छोड़ा जाना

8587. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह छोड़ने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा किस वर्ष तक अपना माइक्रोवेव रिकोट सेंसिंग उपग्रह छोड़ जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वायुयान वाहित संवेदकों और उपग्रहों के माध्यम से विकसित विविध प्रौद्योगिकियों को लाभदायक रूप में उपयोग में लाना, 1980—90 दशाब्दि के अन्तरिक्ष प्रयास के विशिष्ट उद्देश्यों और अवयवों में से एक उद्देश्य रहा है। माइक्रोवेव सुदूर संवेदन कार्यक्रम एक ऐसा ही कार्यक्रम है। चूंकि माइक्रोवेव उपग्रह परियोजना से संबंधित विवरणों को तैयार करने का कार्य अभी भी प्रारंभिक चरणों में है, अत: प्रमोचन तिथियों और अन्तरिक्षयान की प्राप्ति के बारे में उठाए गए कदमों के संबंध में किसी प्रकार की सुनिश्चित सूचना देना असामयिक होगा ।

आन्ध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र

8588. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में कोई नया जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से रक्षा सामग्री की खरीद

8589. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग की आवश्यकता की 45 प्रतिशत सामग्री गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का रक्षा सामग्री की खरीद केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है: और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) रक्षा उपस्करों एवं सामग्रियों की खरीद के स्वदेशी स्रोत ये हैं :

(I) आयुध निर्माणियां;

(II) सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम; और

(III) व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में गैर-रक्षा एकक जिसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों शामिल हैं।

आयुध निर्माणियों और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को विशिष्ट प्रकार के उपस्करों और सामग्रियों के लिए उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया हुआ है और वे रक्षा आवश्यकताओं के एक बड़े हिस्से की पूर्ति करते हैं। व्यापार एवं सिविल क्षेत्र के उद्योगों से अन्य मदों की खरीद प्रतियोगी संविदाओं के आधार पर की जाती है। ऐसी खरीदें विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा की जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, आयुध निर्माणी महानिदेशालय, सेवा मुख्यालय, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग आदि। हालांकि देश के गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा की गई रक्षा सामान की सप्लाई के प्रतिशत के अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते, फिर भी उनका अंशदान 45% से भी कम बैठेगा।

(ख) से (घ) रक्षा सामान की खरीद केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तक सीमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार केवल सरकारी क्षेत्र के लिए ही सीमित रखी गई मदें ये हैं—(I) हथियार, गोलाबारूद एवं अनुषंगी रक्षा उपस्कर (II) विमान (5700 किलोग्राम से अधिक वजन) (III) पोत निर्माण (छोटी नौकाओं को छोड़कर)।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए योजना

8590. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समूह "क" के कितने अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया;

(ख) विदेशों में इन अधिकारियों ने किन पाठ्यक्रमों में भाग लिया;

(ग) ऐसे कितने अधिकारियों ने अभी तक विदेशों में किसी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है;

(घ) क्या इन अधिकारियों को विदेशों में पाठ्यक्रमों के लिए भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक भेजा जायेगा।

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) 1987-88 के दौरान अनुसूचित जाति के एक अधिकारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था परन्तु अंततः उनका चयन नहीं हुआ। यू० के० में उन्हें 1988-89 के पाठ्यक्रम के लिए दोबारा नामांकित किया गया है।

(ग) आठ।

(घ) और (ङ) विदेश में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 1988-89 के दौरान दो और अधिकारियों को (एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति) नामित किया गया है।

उत्तर प्रदेश को विशेष केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

8591. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व और पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान इस राज्य के विकास के लिए विशेष सहायता प्रदान करने हेतु योजनायें आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दानापुर छावनी द्वारा पारित किये गये संकल्प

[अनुवाद]

8593. **श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दानापुर छावनी द्वारा जनवरी, 1985 से मार्च, 1988 तक कितने संकल्प पारित किए गए और अब तक इनमें से कितने संकल्प कार्यान्वित किए गए हैं और उन कार्यान्वित तथा कार्यान्वित नहीं किए गए संकल्पों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : छावनी बोर्ड, दानापुर ने जनवरी, 1985 से मार्च, 1988 तक 287 संकल्प पारित किए। इनमें से 284 संकल्प कार्यान्वित किए जा चुके हैं। कार्यान्वित किए गए और कार्यान्वित नहीं किए संकल्पों के ब्यौरे सभा पटल पर रखे जाते हैं।
[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—6042/88]

हिन्दी अनुवादकों की भर्ती

8594. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग हिन्दी अनुवादकों की भर्ती कर रहा है;

(ख) क्या रक्षा मन्त्रालय तथा इसके विभागों में अनेक हिन्दी अनुवादक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) इन तदर्थ हिन्दी अनुवादकों को राजभाषा विभाग में पदों पर भर्ती न करने के क्या कारण हैं;

(घ) रक्षा मंत्रालय एवं इसके विभागों में कुल कितने हिन्दी अनुवादक हैं;

(ङ) कितने पद रिक्त हैं; और

(च) इन अनुवादकों को रक्षा मन्त्रालय तथा इसके विभागों में स्थायी पदों पर भर्ती न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) रक्षा मन्त्रालय और इसके विभागों में तदर्थ आधार पर चार कनिष्ठ अनुवादक (1400-2600/-रु०) काम कर रहे हैं ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (वर्ग "ग" पद) नियम, 1981, भारत के राजपत्र में 19-9-1981 को प्रकाशित किये गये और सभी व्यक्तियों, जो उस तारीख को या तो पद धारण किये हुए थे अथवा नियमों की अनुसूची-1 में शामिल पदों पर उनका ग्रहणाधिकार था, को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के आरम्भिक गठन के समय शामिल कर लिया गया । नियम-8 के अनुसार, सेवा के आरम्भिक गठन के बाद, अनुरक्षण स्तर पर 100% भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा की जानी है जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा आयोजित करता है । ये तदर्थ कनिष्ठ अनुवादक कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्त नहीं किये गये थे ।

(घ) रक्षा मन्त्रालय और इसके विभागों में कनिष्ठ अनुवादकों के 10 पद हैं ।

(ङ) चार पदों के अलावा जिन पर तदर्थ कनिष्ठ अनुवादक काम कर रहे हैं, दो और रिक्त पद हैं जिसके लिए दो उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है जिन्होंने 1987 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास की है ।

(च) वही जो, उपर्युक्त (ग) में कहा गया है ।

मूक और बधिर व्यक्तियों की संख्या

8595. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मूक और बधिर व्यक्तियों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितने प्रतिशत बच्चे हैं;

(ग) क्या मूक और बधिरों के लिए वर्तमान स्कूल और संस्थाएं ऐसे समस्त बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसे बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसी संस्थाएं स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां । 1981 में वाणी और श्रवण विकलांगता सहित विकलांगों पर एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) बच्चों में वाणी और श्रवण विकलांगता की प्रचलित दर (प्रति एक लाख जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों की संख्या) निम्न प्रकार थी :—

	ग्रामीण	शहरी
1. वाणी विकलांगता	411	429
2. श्रवण विकलांगता	314	244

यह सूचना 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के बारे में है। 0-4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इस आयु वर्ग की जानकारी अपूर्ण तथा अविश्वसनीय है।

(ग) और (घ) हाल ही में किये सर्वेक्षण के अनुसार देश में वाणी और श्रवण विकलांगों के लिए 330 स्कूल तथा संस्थान हैं। उनमें से अनेक कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। संसाधन उपलब्ध होने पर अधिक स्कूल प्रारम्भ किये जायेंगे।

भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशों से प्रस्ताव

8596. **श्री बिमल कान्ति घोष** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान उन देशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) श्रीलंका, सिंगापुर, फिलीपीन्स, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, मंगोलिया, आदि देशों सहित अनेक देशों ने द्विपक्षीय बातचीत के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव किए थे। सरकार इन प्रस्तावों का स्वागत करती है और आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से विचाराधीन प्रस्तावों के साथ इन प्रस्तावों पर भी सक्रिय विचार कर रही है।

हेरोइन का पकड़ा जाना

8597. **श्री उत्तम भाई ह० पटेल**
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी दिल्ली पुलिस के विशेष कर्मचारियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 40 करोड़ रुपये मूल्य की उत्तम किस्म की 40 किलोग्राम हेरोइन पकड़ कर वर्ष की सबसे बड़ी नशीले पदार्थों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 28 मार्च, 1988 को लाजपत नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किये गये एक मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था तथा उससे 4 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 1 अप्रैल और 4 अप्रैल, 1988 को कुछ अन्य व्यक्तियों से 36 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई।

(ग) इस सम्बन्ध में दर्ज हुए तीन मामलों में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

एयर फोर्स स्टेशन, हाकिमपेट, सिकन्दराबाद में स्टाफ क्वार्टर

8598. श्री सी० सम्बु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एयर फोर्स स्टेशन हाकिमपेट, सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश) में किस-किस श्रेणी के आवास/स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध है तथा श्रेणी-वार उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनमें से कोई स्टाफ क्वार्टर आकस्मिक प्रयोजनों हेतु बिना कब्जे के अथवा खाली रखा गया है और यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टाफ क्वार्टरों के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपलब्ध होस्टल आवास का ब्यौरा क्या है;

(घ) वहां उपलब्ध ट्रांजिट आवास का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का और अधिक स्टाफ क्वार्टर/होस्टल बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वायुसेना स्टेशन, हाकिमपेट में आवास की निम्नलिखित श्रेणियां उपलब्ध हैं :—

परिवार आवास

अफसर	: 20
वायुसैनिक	: 202 स्थायी मकान एवं 59 अस्थायी आवास ।
सिविलियन	: शून्य

सिंगल आवास

(क) अफसर मैस

(ख) फ्लाइट कैडेट मैस

(ग) वरिष्ठ गैर-कमीशन अफसर मैस

(घ) वायुसैनिक मैस

(ख) जी, नहीं।

(ग) पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले फ्लाइट कैडेटों एवं पायलट अफसरों को फ्लाइट कैडेट मैस में ठहराया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले थलसेना के अफसरों को अफसर मैस में ठहराया जाता है।

(घ) अफसर मैस और वरिष्ठ गैर-कमीशन अफसर मैस में अस्थाई ड्यूटी पर ठहरने के लिए कमरे (ट्रांजिट रूम) उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) निम्नलिखित निर्माण चल रहा है :—

(1) अफसरों के लिए 20 परिवार मकान।

(2) वायुसैनिकों के लिए 96 परिवार मकान।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र दिए जाने के बारे में अमरीकी रक्षा सचिव के साथ बातचीत

8599. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्री प्रशान्त राव मडाल पाटिल } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी रक्षा सचिव ने वर्ष 1987-88-89 में पाकिस्तान को दिए जाने वाली अमरीकी शस्त्र पैकेज के सम्बन्ध में इसे पाकिस्तान सरकार को दिये जाने से पहले रक्षा मन्त्रालय से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत से क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) दिये गये विकल्पों के सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अमरीका द्वारा भारत को किन्हीं शस्त्रों की सप्लाई करने से पहले पाकिस्तान के साथ भी इसी प्रकार की बातचीत की जा रही है?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) अमरीका के रक्षा सचिव श्री फ्रैंक कार्लुक्सी ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में भारत तथा अमरीका के बीच चल रही उच्च स्तरीय वार्ता के सिलसिले में 4 से 6 अप्रैल, 1988 को भारत की यात्रा की। अमरीका के रक्षा सचिव ने रक्षा मन्त्री के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की। रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर उनकी बातचीत मिशन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अन्तरण एवं प्रशिक्षण के सहायक उपकरण प्राप्त करने पर हुई।

अमरीका के रक्षा सचिव और रक्षा मन्त्री ने वर्तमान गतिविधियों के सन्दर्भ में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में आपसी हित पर विचार-विनिमय किया वार्ता के और ब्यौरे बताना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन

8600. श्री बी० तुलसीराम : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को अधिकार तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संशोधन के कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रकार का कानून बनने के बाद भारत में महिलाओं का दर्जा क्या होगा?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

8601. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने सरकारी कर्मचारियों के

मकानों पर छापे मारे गए;

(ख) ये कर्मचारी किन विभागों में कार्य करते हैं तथा ये छापे किन स्थानों पर मारे गये;

(ग) इन छापों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने मामले दर्ज किये हैं तथा इसमें शामिल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले छह महीनों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सरकारी कर्मचारियों के आवासीय/कार्यालय परिसरों पर 170 तलाशियां ली गई थीं।

(ख) इन सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध जिन विभागों से है उनके नामों को दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। सरकारी कर्मचारियों के आवासीय/कार्यालय परिसरों की जहां कहीं वे स्थित हैं, तलाशियां ली गई थीं।

(ग) तलाशियों के दौरान बरामद हुई चल/अचल मदों के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

चल परिसम्पत्तियां :	89.41 लाख
अचल परिसम्पत्तियां :	79.11 लाख

इसके अतिरिक्त चल/अचल परिसम्पत्तियों में निवेश से सम्बन्धित काफी संख्या में अभिशंसी दस्तावेज बरामद हुए हैं।

(घ) इनमें शामिल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध 79 मामले दर्ज किये गये हैं और उनके विरुद्ध विधि के अनुसार कारंवाई की जाएगी।

विवरण

उन विभागों के नामों की सूची जिनसे सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है।

1. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क।
2. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
3. नई दिल्ली नगर पालिका।
4. रेलवे।
5. दिल्ली नगर निगम।
6. नागर विमानन महा-निदेशालय।
7. डी०एस०आई. डी०सी०
8. दिल्ली प्रशासन।
9. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।
10. दिल्ली विकास प्राधिकरण।
11. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान।

12. सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ।

13. केन्द्रीय विद्यालय ।

14. आयकर ।

15. डाक और तार ।

16. ई० एस० आई० ।

17. भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय नासिक ।

18. रक्षा/एम० ई० एस० ।

19. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।

20. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना (सी० जी० एच० एस०)

21. यू० टी० पांडिचेरी ।

22. शिक्षा निदेशालय, कवारत्ती, लक्षद्वीप ।

23. केरल सरकार ।

24. महानगर टेलीफोन निगम, नई दिल्ली ।

25. ए० जी० आफिस ।

26. नेहरू युवा केन्द्र ।

संचार माध्यमों द्वारा पंजाब की घटनाओं का कनाडा में गलत ढंग से पेश किया जाना

8602. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब की घटनाओं को कनाडा में संचार माध्यमों द्वारा गलत ढंग से पेश किये जाने की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि कनाडा के समाचार पत्र पंजाब समस्या के बारे में भारत की सही आवाज को स्थान नहीं दे रहे हैं; और

(ग) क्या कनाडा स्थित भारतीय उच्चायुक्त को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) पिछले लगभग दो वर्षों में कनाडा के रेडियो, टेलीविजन और समाचार-पत्रों ने पंजाब की घटनाओं के बारे में जो जानकारी दी जाती रही है वह कुल मिलाकर तथ्यात्मक है। मीडिया द्वारा दी गई खबरों से इस बात का संकेत मिलता है कि वहां के लोग पंजाब की घटनाओं के सही स्वरूप को धीरे-धीरे पहचान रहे हैं। लेकिन कुछ प्रचार-माध्यमों ने तोड़-मरोड़कर कुछ टिप्पणियां की हैं। जब कभी विदेश स्थित हमारे मिशनों एवं केन्द्रों ने उचित समझा तो उन्होंने सम्पादकों को पत्र भेजकर इन टिप्पणियों का खंडन किया। कनाडा स्थित हमारे मिशन के अधिकारी भी वहां रहने वाले भारतीय समुदायों को समकालीन घटनाओं से और सरकार की नीतियों से सूचित रखने के लिए उनके साथ सम्पर्क बनाये रखते हैं। विदेश स्थित हमारे मिशन एवं केन्द्र वहां के दूरदर्शन के कई चैनलों को प्रसारण के लिए कुछ चुने हुए वीडियो कैसेट भी

नियमित रूप से सप्लाई करते हैं ताकि भारत की घटनाओं का सन्तुलित चित्र प्रस्तुत किया जा सके।

गुजरात में ट्रेवल एजेन्टों के परिसरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

8603. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद से चुराये गये कोरे पासपोर्ट फार्मों का वितरण किए जाने का पता लगाने के लिए गुजरात में कुछ ट्रेवल एजेंटों के परिसरों पर छापे मारे थे;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद से उक्त फार्म किस प्रकार चोरी हो गए;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तरदायी ट्रेवल एजेंटों के विरुद्ध आरम्भ किए गए मुकदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद से 500 खाली पासपोर्ट आवेदन पत्रों की चोरी होने के बारे में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अहमदाबाद की रिपोर्ट पर केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो ने एक ट्रेवल एजेंसी यानी मैसर्स अहमदाबाद गाइड पर छापा मारा।

(ख) से (घ) चोरी के बारे से केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो की जांच पड़ताल अभी चल ही रही है।

सोवियत संघ से पोलियो वैक्सीन का आयात

8604. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने देश में पोलियो वैक्सीन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस समय पोलियो वैक्सीन का सोवियत संघ से आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मन्त्रालय में उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। सोवियत यूनियन ने भारत में मुख से लिए जाने वाले पोलियो टीकों की परियोजना की स्थापना के लिए परामर्शदाता सहयोग का प्रस्ताव किया है।

(ख) सहयोग के ब्यौरों के सम्बन्ध में वार्ता प्रगति स्थिति में है।

(ग) और (घ) सोवियत यूनियन मुख से लिए जाने वाले पोलियो के टीके आयात के हमारे स्रोतों में से एक स्रोत रहा है। सोवियत संघ से हाल ही में ओ० पी० वी० का आयात निम्न प्रकार से हुआ है :

1984-85	3,000,000 खुराकें
1985-86	8,6096,75 खुराकें
1986-87	3,5000,00 खुराकें

प्रौद्योगिकी मिशन

[हिन्दी]

8605. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विकास के लिए पांच प्रौद्योगिकी मिशनों की योजना को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रौद्योगिकी मिशनों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए कितनी धनराशि व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका कार्यान्वयन कब तक आरम्भ होगा और तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मिशन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) (I) पेयजल।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत 1988-89 के लिए स्वीकृत परिव्यय 410 करोड़ रुपये है। राज्य क्षेत्र एन०एन० पी० (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) के अन्तर्गत अनन्तिम परिव्यय 520.48 करोड़ रुपये है। मिशन क्रियाकलापों का कार्यान्वयन 1986-87 में शुरू हुआ था। लगभग 170 हजार समस्या वाले ग्रामों की योजनागत सूची में से मार्च, 1988 तक लगभग 90 हजार (आंशिक रूप में शामिल किये गये) को सम्मिलित किया गया। वर्ष 1988-89 के दौरान पूरी तरह से 32,678 और आंशिक रूप से 23,799 को शामिल करने का लक्ष्य है। शेष समस्या वाले ग्रामों को सातवीं योजना अवधि के अन्त तक इस स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा।

(II) **तेलहन**

वर्ष 1988-89 के दौरान व्यय का लक्ष्य नीचे दिया गया है :

स्कीम का नाम	व्यय का लक्ष्य	भारत सरकार अंशदान
(क) राष्ट्रीय तेलहन विकास परियोजना	29.32 करोड़	16.50 करोड़
(ख) तेलहन उत्पादन थ्रस्ट परियोजना	35.00 करोड़	35.00 करोड़
(ग. योग (क+ख)	64.32 करोड़	51.50 करोड़

मानसून में 20 प्रतिशत की कमी के बावजूद वर्ष 1986-87 में तेलहन-उत्पादन वर्ष 1985-86 की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 1987 की खरीफ फसल में सूर्यमुखी और सोयाबीन के क्षेत्र सामान्य स्तर से काफी ऊंचे रहे। इसके अलावा आर्द्रता प्रतिबल के बावजूद 1987-88 में रबी तेलहन के रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान है।

यह मिशन 1990 तक कार्य करेगा।

(III) दूरसंचार

1988-89 के लिए 1700 करोड़ रुपये के वार्षिक योजना आवंटन में से प्रौद्योगिकी मिशन के व्यय की पूर्ति की गई है। की गई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

I सेवा की गुणवत्ता में सुधार

	लक्ष्य	उपलब्धि
	मार्च 1988	1-4-1988
1. काल सफलता दर (काल सक्सेस रेट)		
स्थानीय काल	93.5	96.1
जंक्शन काल	94.0	90.6
एस० टी० डी० काल	50.0	69.4
2. टेलीफोन की खराबी दर	20.0	19.2
3. टैलेक्स की खराबी दर	43.0	35.4
4. मैनुअल ट्रंक कार्यक्षमता	75.5	84.5
II. टेलीग्रामों के वितरण में सुधार		
500 बड़े केन्द्रों में दिन के 12 घंटों के भीतर टेलीग्रामों के वितरण की प्रतिशतता	60.0	72.2
III. ग्रामीण संचार में सुधार		
	1987-88	31-3-1988 तक)
लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों को बढ़ाए	1200	2018

(IV) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन० एल० एम०)

1987-88 से 1988-90 की अवधि के लिए वित्तीय अनुमान 550 करोड़ रुपये है, जिसमे से केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 340 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र के लिए 210 करोड़ रुपये हैं। 1988-89 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 75.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य क्षेत्र में, 1988-89 के लिए राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों की वार्षिक आयोजना पर कार्यकारी दल द्वारा 41.45 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का कार्यान्वयन पहले ही शुरू हो गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को कामचलाऊ साक्षरता प्रदान करना है।

(V) प्रतिरक्षण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीम के अंतर्गत, 1988-89 के दौरान, प्रतिरक्षण कार्यक्रम

के लिए 52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985—8‧ के दौरान 182 जिलों को शामिल किया गया। 1988-89 के दौरान, 122 जिलों को शामिल करने का लक्ष्य है। 1990 तक सर्वत्र प्रतिरक्षण कर लि‧ जाने की आशा है।

विशाखापत्तनम में नौसेना गोदी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी

[अनुवाद]

8606. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्थित नौसेना गोदी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कमचारियों के लिये कोई संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल बनाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय, विशाखापत्तनम का संपर्क अधिकारी विशाखापत्तनम में नौसेना गोदी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।

कनिष्ठ अभियंताओं की वरिष्ठता के लिए उनकी पिछली सेवाओं की गणना

8607. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृह मंत्री नगर निगम के कर्मचारियों की वरिष्ठता के लिए उनकी पिछली सेवाओं की गणना करने के बारे में 14 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3552 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय कनिष्ठ अभियन्ताओं के मामले में कानून, नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके उन्हें अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से उनकी पिछली सेवाओं की गणना करने के बारे में, जिससे 100 अन्य कनिष्ठ अभियंताओं को स्थायी रूप से हानि पहुंची है; जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या उक्त उल्लंघन जानबूझकर इस मामले में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की सांठ-गांठ से किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में निगम के दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि अभी तक कोई जांच नहीं की गई है, तो क्या ऐसी जांच करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) दिल्ली नगर निगम ने नियम के उपबंधों की गलत व्याख्या की और गलती से लागू किया तथा अपने कुछ कनिष्ठ अभियन्ताओं को वरिष्ठता प्रयोजनों के लिए पिछली सेवा का लाभ दिया। उन्हें भविष्य में नियमों के उपबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। यह निर्णय किया गया था कि पिछले मामले जिनमें ऐसा लाभ दिया गया था, पर पुनः कार्यवाही नहीं की जाए क्योंकि इस बिलम्बित स्थिति में उनको उचित रूप से निर्धारित करना प्रशासनिक रूप से संभव नहीं होगा।

केरल को अनुदान के रूप में दी गई राशि

8608. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क गत तीन वर्षों के दौरान केरल, को अनुदान अथवा ऋण के रूप में प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि दी गई;

(ख) इस राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में कितनी सहायता दी गई;

(ग) क्या राज्य को दी गई सहायता अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) केरल को अपनी वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण के लिए वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान क्रमशः 178.01 करोड़ रुपये, 217.63 करोड़ रुपये तथा 273.30 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई। सहायता की वर्तमान पद्धति के अनुसार उक्त धनराशि का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में है तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में है।

(ख) अन्य गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में केरल को आबंटित धनराशि कुल आवंटन के 5.37 प्रतिशत के बराबर है।

(ग) से (ङ) 14 गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को आवंटित कुल सहायता में केरल का प्रतिशत हिस्सा 4 राज्यों से अधिक है किन्तु 9 राज्यों से कम है। प्रत्येक राज्य को किया गया आवंटन, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत संशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत सातवीं योजना के लिए तय किए गए कुल आवंटन में उनके हिस्से पर आधारित होता है। इसके अलावा, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अतिरिक्त सहायता, सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए सहायता के संवितरण की प्रगति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई है। अतः केरल अथवा अन्य किसी राज्य को सहायता में वृद्धि के लिए सुधारात्मक उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी कोरिया के साथ इलेक्ट्रानिक्स में संयुक्त उद्यम लगाना

8609. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय इलेक्ट्रानिकी कम्पनी ने दक्षिण कोरिया के सहयोग से देश में इलेक्ट्रानिकी सामान का निर्माण करने वाली यूनिट संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह यूनिट किस स्थान पर है; और

(ग) उस संयुक्त उद्यम परियोजना में कुल कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी, नहीं। किन्तु, कुछ कम्पनियों दक्षिण कोरियाई कम्पनियों से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर रही हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

जैव-प्रौद्योगिकी का प्रभाव

8610. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पौधों, जानवरों और मानव जीवन पर जैव प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का वैज्ञानिकों को यह कार्य सौंपने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के क्या कार्यक्रम हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाल ही के वर्षों में बायोटेक्नालोजी में प्रमुख उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

कृषि :

उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों की ऊतक संवर्धित वृद्धि, पौधा पोषकों के रूप में नाईट्रोजन सुदृढ़ीकरण सूक्ष्म-जैवों का उपयोग और मछली की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हार्मोन सम्बन्धी विनियमन।

पशुपालन :

भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी के माध्यम से पशु यूथ सुधार, दूध की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वृद्धि हार्मोन्ज और रोगों के विरुद्ध तथा बंध्यीकरण के लिए टीकों का विकास।

मानव स्वास्थ्य :

रोगों के विरुद्ध परिष्कृत टीकों का विकास तथा उत्पादन, गर्भावस्था और रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए रोग नैदानिकी किटो का विकास; प्रजनन क्षमता नियंत्रण के लिए टीकों का विकास आदि।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद को सहायता तथा सलाह देने के लिए समिति का गठन

8611. **श्री राज कुमार राय :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में सहायता और सलाह देने के लिये कितनी समितियों का गठन किया जाएगा;

(ख) पहले से ही गठित समितियों का वर्तमान दर्जा क्या है और उन सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन समितियों को राष्ट्रपति और परिषद की सामान्य सभा से मंजूरी मिल गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) शून्य।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के संविधान में वित्त समिति की तो व्यवस्था है ही, इसके अतिरिक्त परिषद की सहायता तथा परामर्श के लिए निम्नलिखित परामर्श समितियां स्थापित की गई हैं :—

1. भारतीय सां० सं० प० की स्थाई समिति।
2. विदेशी छात्रों के लिए स्थायी समिति।
3. समसामयिक कलाओं के लिये परामर्शदायी पैनल (ए०पी०सी०ए०)
4. शास्त्रीय नृत्य के लिए परामर्शदायी पैनल (ए०पी०सी०डी०)
5. परम्परागत कलाओं और हस्तकलाओं के लिये परामर्शदायी पैनल (ए०पी०टी०ए०सी०)
6. लोक कलाओं और कठपुतलियों के खेल के लिये परामर्शदायी पैनल (ए०पी०एफ०ए०पी०)
7. शास्त्रीय संगीत के लिए परामर्शदायी पैनल।
8. थियेटर के लिये परामर्श समिति (ए०पी०टी०)।
9. प्रकाशन के लिये परामर्शदायी पैनल।
10. दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के केन्द्र के लिये परामर्शदायी पैनल।
11. अफ्रीका के निमित्त केन्द्र के लिये परामर्शदायी पैनल।
12. लातिन अमरीका के निमित्त केन्द्र के लिये परामर्शदायी पैनल।
13. दृश्य-श्रव्य उत्पादों के लिये परामर्शदायी पैनल।

इन समितियों और पैनलों के सदस्यों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०**—6043/88]

(ग) इन समितियों और पैनलो को भा०सा०सं०प० के अध्यक्ष ने अपना अनुमोदन दे दिया है और परिषद की महासभा का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन द्वारा सियाचिन को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दर्शाना

8612. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमेरिकन एल्पाइन जर्नल द्वारा सियाचिन क्षेत्र को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में गलत दर्शाये जाने की जानकारी है;

(ख) क्या टाइम ग्रुप वर्ल्ड एटलस ने भी सियाचिन क्षेत्र को पाकिस्तान के एक हिस्से के रूप में दिखाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सम्बद्ध क्षेत्रों से कोई विरोध प्रकट किया गया है; यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हाँ। इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्लेनिटोरियम की स्थापना

8613. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अनेक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें एक भी प्लेनिटोरियम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं और क्या केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक प्लेनिटोरियम की स्थापना करने हेतु इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यह किस तारीख तक किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र जहां एक भी तारामंडल नहीं है वे हैं :

राज्य : अरुणाचल प्रदेश, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा।

केन्द्र शासित क्षेत्र : अण्डमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दीव और दमन।

तारामण्डल स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान से वी० सी० आर० प्रौद्योगिकी का आयात

8614. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने वीडियो कैसेट रिकार्डरों के निर्माण के लिए सम्पूर्ण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने से इस तर्क पर इन्कार किया है कि इनमें से "ड्रम्स तथा रिकार्डिंग हेड्स" जैसी कुछ प्रौद्योगिकियां, तृतीय विश्व के लिए संवेदनशील और पूर्ण नियंत्रित प्रौद्योगिकियों के निर्यात संबंधी "कोकम" ग्रुप द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) हालांकि कुछ जापानी कम्पनियों ने वीडियो कैसेट रिकार्डरों के कुछ महत्वपूर्ण संघटक

पुर्जों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने में अनिच्छा दिखाई है। तथापि, कुछ भारतीय कम्पनियों को वीडियो कैसेट रिकार्डरों का आमूलचूल रूप से विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों के विनिर्माण के लिए पहले ही प्राप्त कुछ प्रस्तावों के आधार पर इकाइयों को अनुमति देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

गोआ में राज्य लोक सेवा आयोग

8615. **श्री शांताराम नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या गोवा सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ङ) प्रस्तावित राज्य लोक सेवा आयोग का स्वरूप कार्य-क्षेत्र और सदस्यों की संख्या क्या होगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) गोवा सरकार ने पहले ही गोवा लोक सेवा आयोग स्थापित करने का निर्णय ले लिया है, किन्तु यह सूचित किया है कि इसमें कुछ और समय लग सकता है। इस बीच राज्य सरकार के अनुरोध पर, गोवा राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 31-5-1988 तक अथवा राज्य लोक सेवा आयोग के स्थापित होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

इलेक्ट्रानिक सामान के उत्पादन का मूल्य

8616. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान देश में अनुमानतः कुल कितने मूल्य के इलेक्ट्रानिक सामान का उत्पादन किया गया;

(ख) पूर्णतः स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित कुल कितने मूल्य के इलेक्ट्रानिक सामान का उत्पादन किया गया;

(ग) पूर्णतः अथवा आंशिक तौर पर आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित कितने मूल्य के इलेक्ट्रानिक सामान का उत्पादन किया गया; और

(घ) द्वितीय श्रेणी में उत्पाद के मूल्य में शामिल आयातित प्रौद्योगिकी पर, एक मुश्त भुगतान और आवर्ती रायल्टियों के रूप में कितनी लागत आई ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 1987-88 में इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य लगभग 5285 करोड़ रु० होगा।

(ख) और (ग) विभिन्न इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली लगभग 2500 कम्पनियां हैं। कई ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिनके लिए शुरू-शुरू में विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई थी। कितना उत्पादन स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर हो रहा है और कितना आयातित प्रौद्योगिकी के आधार पर हो रहा है, यह बताना कठिन है।

(घ) आयातित प्रौद्योगिकी के लिए की जाने वाली अदायगी सरकार (उद्योग मंत्रालय) द्वारा विदेशी सहयोग के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है।

अखिल भारतीय और सिविल सेवाओं के अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

8617. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय और सिविल सेवाओं के उन अधिकारियों की संख्या का सेवावार तथा संवर्गवार ब्यौरा क्या है जिन्हें इस नियम के बनने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई है;

(ख) प्रत्येक सेवा के ऐसे अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे सदस्यों को जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं, उन राज्य सरकारों को आवेदन देना होता है जिनके संवर्गों में वे शामिल हैं।

केन्द्रीय सेवाओं के मामले में, आवेदन पत्र संबंधित संवर्ग प्राधिकारियों को भेजा जाना होता है।

अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे सदस्यों से सम्बन्धित सूचना, जिन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दे दी गई है, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

देश में पिछड़े जिलों की संख्या

8618. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिलों के पिछड़ेपन के मानदण्डों में परिवर्तन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में कुल कितने पिछड़े जिले हैं; और

(घ) केरल में पिछड़े जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किये जा रहे विशेष आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (घ) सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय उप-योजना आदि जैसे कुछ विशेष कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत विशिष्ट

उद्देश्य के लिए अथवा लोगों के विशेष वर्ग के लिए चुनिंदा जिलों/जिलों के भागों में विशेष सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, वे जिले जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं को विशेष रूप से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में चित्रित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 31-3-988 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 300 जिले थे। केरल में इस प्रकार के सात जिले हैं।

मलेरिया रोधक औषध पौधा

8619. श्री एस० बी० सिदनाल
श्री जी० एस० बसवराजू
श्रीमती ऊषा चौधरी
श्री चिंतामणि जेना
श्री मोहनभाई पटेल
श्री एस०जी०वी०बी० महेश्वर राव
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या सेंट्रल इस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लांट्स ने मलेरिया-रोधक औषध पौधा उगाने के लिए तकनीकी का विकास किया है;

(ख) इस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) इस प्रकार विकसित औषधि मलेरिया के रोकथाम में किस सीमा तक प्रभावी रही है; और

(घ) बाजार में यह औषधि कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय औषधीय और संगध पौधा संस्थान (सी० आई० एम० ए० पी०) ने आर्टिमिसिया एनुआ नाम का एक चाईनीज मलेरिया रोधी औषधि पौधे का यहां प्रवेश कराया है। जो कश्मीर घाटी में "क्विनघावसू" के रूप में साधारणतया जाना जाता है।

(ख) इस पर अब तक लगभग 3 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय भेषज संहिता में यह सूचित किया गया है कि आर्टिमिसिया एनुआ में आर्टि-मिसिनाइन वर्तमान हैं जो क्लोरोक्विन प्रतिरोधी मलेरिया पैरासाइटों (परजीवियों) से उत्पन्न मलेरिया और (मस्तिष्क) मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रभावकारी है। तथापि, भारतीय परिस्थितियों में औषधि के प्रभाव की केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) संस्थान में किये जा रहे नैदानिक परीक्षणों की सफलता पर औषधि का विपणन निर्भर करेगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय स्कूल

8620. **श्री आर० एम० भोये :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए अतिरिक्त आवासीय स्कूल खोलने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वर्ष 1987-88 में कार्यान्वयन के लिए इस संबंध में क्या कार्यक्रम

तैयार किया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस बारे में क्या व्यवस्था की गई है अथवा करने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुमित उरांव) : (क) देश में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए और अधिक आवासीय स्कूल खोलने के लिए कुछ प्रदेशों द्वारा सुझाव दिये गये हैं।

(ख) कुछ राज्य सरकारों ने राज्य योजना के रूप में आवासीय स्कूलों के निर्माण का कार्य शुरू किया हुआ है। राज्यों को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता का अंश भी विशेषकर आदिम जातियों के आवासीय स्कूलों के निर्माण पर लगाया जा रहा है। तथापि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के आवासीय स्कूलों के निर्माण की कोई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है।

अल्पसंख्यक आयोग में प्रतिनिधित्व

8621. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग में आंग्ल भारतीय का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अल्पसंख्यक आयोग में आंग्ल-भारतीय समुदाय का एक प्रतिनिधि नामांकित करने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख) अल्पसंख्यक आयोग में राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि शामिल हैं। अत: अल्पसंख्यक आयोग में आंग्ल-भारतीय के प्रतिनिधित्व को नामित करने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय एकता परिषद में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि

8622. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद में एंग्लो-भारतीय समुदाय के लोगों का कोई प्रतिनिधि है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने एंग्लो-भारतीय समुदाय की विभिन्न समस्याओं के समाधान की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता परिषद में इस समुदाय का कोई प्रतिनिधि मनोनीत करने हेतु कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन साम्प्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रीयता की बुराइयों से निपटने के उपायों का पता लगाने और देश की एकता और अखण्डता को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने के लिए किया गया है। अत: राष्ट्रीय एकता परिषद में जातिवार प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

नेल्लोर में भूकम्प

8623. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के नेल्लोर नगर में 22 मार्च, 1988 की सुबह भूकम्प आया था, यदि हां, तो भूकम्प की तीव्रता कितनी थी;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूकम्प के कारण क्या थे ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। 2? मार्च, 1988 की सुबह भूकम्प का एक झटका आया था। रिक्टर पैमाने पर इसका परिणाम 4.1 था। भूकम्प का यह झटका नेल्लोर और निकटवर्ती क्षेत्रों में महसूस किया गया, किन्तु इससे किसी तरह के नुकसान का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भूकम्प आने का कारण कुडप्पा बेसिन के पूर्वी किनारे के पास विभंग क्षेत्रों का होना बताया जाता है। ऐसे विभंगों के पास भूवैज्ञानिक उद्गम की शक्तियों के सक्रिय होने पर चट्टानें खिसकने से अक्सर भूकम्प आता है।

संयुक्त रक्षा अनुसंधान परियोजना के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता ज्ञापन

8624. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रक्षा अनुसंधान परियोजना के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब किए गये;

(ग) ब्रिटेन किस क्षेत्र में अपनी तकनीक का अन्तरण करेगा; और

(घ) क्या इससे भारतीय वायुसेना की शक्ति में वृद्धि होगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) 11 अप्रैल, 1988

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन का सम्बन्ध विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान तथा विकास में सहयोग से है न कि विशिष्ट हथियार प्रणालियों से। समझौता ज्ञापन में शामिल विशिष्ट क्षेत्रों के ब्यौरे बताना लोक-हित में नहीं होगा।

सीमा सुरक्षा बल में जवानों को पदोन्नतियां देना

[हिन्दी]

8625. **श्री रामधन**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को पदोन्नतियां अखिल भारतीय स्तर पर वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है जबकि जवानों को पदोन्नतियां क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है और उनका स्थानान्तरण अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों की पदोन्नति और स्थानान्तरण के लिए अलग-अलग मानदण्ड अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इन मामलों में अपनाये जा रहे मानदण्डों को युक्तिसंगत बनाने का विचार है ताकि किसी प्रकार का अन्याय न हो ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की पदोन्नति सीमा

सुरक्षा बल (अधिकारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवा निवृत्ति) नियम, 1978 के उपबंधों द्वारा विनियमित की जाती हैं और अन्य रैंकों (ओ० आर० एस०) पर पदोन्नतियां सीमा सुरक्षा बल (अधीनस्थ अधिकारी और अवर अधिकारी) पदोन्नति और वरिष्ठता नियम 1975 के उपबंधों के अनुसार की जाती है। कांस्टेबल की लांस नायक के पद पर, लांस नायक की, नायक के पद पर और नायक की हैड कान्स्टेबल के पद पर पदोन्नतियां सीमा सुरक्षा बल (अधीनस्थ अधिकारी तथा अवर अधिकारी) पदोन्नति तथा वरिष्ठता नियम, 1975 के उपबंधों के अधीन यूनिट कमांडेन्ट द्वारा की जाती है। हैड कांस्टेबल से उप निरीक्षकों के पद के लिए पदोन्नति के लिए पैनल संबंधित उपमहानिरीक्षकों द्वारा और उप-निरीक्षकों से सूबेदारों के पद पर पदोन्नति के लिए पैनल महानिरीक्षकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन पदों पर पदोन्नतियों के लिए एक सामान्य पैनल बल के मुख्यालय में तैयार किया जाता है। अधिकारियों की पदोन्नति बल के स्तर पर केन्द्रीय रूप से की जाती है।

सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों का अखिल भारतीय सेवा का दायित्व है और इसलिए उनको लो सेवा की अपरिहार्यता में जगह-जगह स्थानान्तरित किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप से अधिकारियों का स्थानान्तरण कार्यकाल के आधार पर और संचलानात्मक/प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारियों और अन्य रैंकों का स्थानांतरण अखिल भारतीय स्तर पर नहीं किया जाता बल्कि वे यूनिटों की परिवर्तन योजना के दौरान यूनिट के साथ स्थानान्तरित होते हैं। उनकी पदोन्नति के समय भी यदि यूनिट/सैक्टर/फ्रंटियर में रिक्तियां उपलब्ध नहीं है तो अन्य फ्रन्टियरों में उनकी तैनाती की जाती है। किन्तु स्थानान्तरणों के लिए व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर भी विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले का गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

वर्ष 1973 से पहले के पेंशनभोगी रक्षा कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ

[अनुवाद]

8626. श्री मानिक रेड्डी
श्री मानिकराव होडल्य गावित
श्री सुभाष यादव
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री श्रीहरि राव
श्री प्रकाश चन्द्र
: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकार द्वारा 1973 से पूर्व के पेंशनभोगी रक्षा कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी लाभों में वृद्धि के बारे में लिए गए अनेक निर्णय क्रियान्वित नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्णयों को क्रियान्वित कराने के लिए कौन से उपायों पर विचार किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतोष मोहन देव) : (क) जी, हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) अभ्यावेदनों का सम्बन्ध इनसे है—उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप पेंशन संशोधित न करना, 19:3 से पूर्व के रक्षा पेंशनरों को मंजूर की गई तदर्थ अनुग्रह पूर्वक अदायगी का भुगतान न करना, संराशीकरण सेवानिवृत्त होने की तिथि से 15 वर्ष के पश्चात् पुन: चालू न करना, पेंशन को बढ़ाकर 375 रु०/- प्रतिमाह के न्यूनतम स्तर तक न करना, पेंशनरों के लिए चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसार पेंशन में संशोधन न करना।

(ग) उन अनेक मामलों को, कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग के 8-3-1988 को जारी किये गये आदेश लागू करके निपटा लिया जाएगा, जो पेंशनरों के दो पेंशन प्राप्त करने या अनुग्रहपूर्वक अदायगी को 375/- रु० प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन में शामिल किये जाने के कारण संशोधन हेतु लंबित पड़े हुए थे। कुछ मामले पूर्ण पेंशन दस्तावेजों और/या पेंशन के संशोधन के बारे में "विकल्प प्रमाणपत्र" के उपलब्ध न होने के कारण लंबित पड़े हैं। ऐसे बकाया मामलों पर कार्यवाही की जा रही है और अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उनके निपटान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

विभिन्न स्टेशनों पर आयोजित की जाने वाली रक्षा पेंशन अदालतें भी, उनके पास दायर की गई याचिकाओं के आधार पर ऐसे मामलों को निपटा रही हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 में संशोधन

8627. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विवाह के भंग होने" को विवाह-विच्छेद का एक आधार बनाने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, :956 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 सम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति ने 18 नवम्बर, 19:3 को लोक सभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 विषयक संसदीय संयुक्त समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब तक पूरे देश में कुटुम्ब न्यायालय प्रणाली प्रारम्भ नहीं हो जाती और उपयुक्त प्रक्रिया (जिसमें वैवाहिक सलाह सेवा, मन:चिकित्सा, सामाजिक व्यवहार आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा संबंधित विषय पर विचार करने संबंधी उपबंध सम्मिलित है) तैयार नहीं कर ली जाती, विवाह-विच्छेद के लिए प्रस्तावित नये आधार को विधि में सम्मिलित करना उचित नहीं होगा। चूंकि कुटुम्ब न्यायालय प्रणाली पूरे देश में प्रारम्भ नहीं हुई है, हिन्दू विवाह अधिनियम का इस प्रयोजन के लिए संशोधन करने के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ओजोन छिद्र

8628. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के बर्फीले द्वीप पर ओजोन की परत में छिद्र होने की बात का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 1987 में एंटार्कटिका में ओजोन की परत में छिद्र देखा गया है। एंटार्कटिका क्षेत्र में वायुमंडल में ओजोन का मौसमी अवक्षय दक्षिणी वसंत अर्थात् सितम्बर-अक्तूबर के दौरान होता है। एंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन को मापने का भारतीय वैज्ञानिक कार्यक्रम भू-आधारित एवं बैलून-आधारित उपकरणों के द्वारा निरंतर चल रहा है।

शिक्षित बेरोजगारों की समस्या हल करने के लिए केन्द्रीय सहायता

8629. **डा० बी० वेंकटेश**
श्री विमल कांति घोष : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगारों की समस्या हल करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य को राज्य-वार किस प्रकार की और कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए किस प्रकार की और कितनी सहायता प्रदान की जाएगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार राज्यों को लाभभोगियों की संख्या के रूप में केवल भौतिक लक्ष्यों का ही आबंटन करती है, योजना के कार्यान्वयन के लिये निधियों का आवंटन नहीं। जिला उद्योग केन्द्रों के (डी० आई० सी०) कृतिक बलों की सिफारिशों पर बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किये जाते हैं। प्रत्येक ऋण पर 25 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी भारतीय रिजर्व बैंक की मार्फत केन्द्रीय बजट से दी जाती है। वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान पूंजी सब्सिडी के सम्बन्ध में क्रमश: 83.57 करोड़ तथा 68.88 करोड़ रु० का व्यय हुआ। 1987-88 के दौरान ऐसे मामलों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक 2.50 करोड़ रु० की राशि सवितरित की है। सवितरित पूंजी सब्सिडी का राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। लक्ष्यों तथा स्वीकृत राशि के बारे में सूचना संलग्न विवरण 1,2 और 3 में दी गई है।

सातवीं योजना के दौरान अब तक 32.02 लाख रु० के सहायता अनुदान दिये गये हैं जो पिछड़े जिलों में अवसर संबंधी रूपरेखाएं (प्रोफाइल) तैयार करने की स्कीम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है। स्कीम का उद्देश्य रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कराने के लिये अप्रयुक्त/कम उपयोग किये गये संसाधनों पर आधारित सम्भाव्य अवसरों के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की धारा के भावी उद्यमियों को मार्गदर्शन तथा समेकित सूचना प्रदान करना है। उन राज्यों/जिलों के नाम, जहां यह स्कीमों कार्यान्वयनाधीन है, नीचे दिये गये हैं।

राज्य	पिछड़े जिले	दी गई सहायता-अनुदान (लाख रु० में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	अनन्तपुर	2.69
बिहार	भागलपुर	2.83

1	2	3
महाराष्ट्र	नान्देड़	3.63
राजस्थान	जोधपुर	3.98
केरल	कोझीकोडे	4.07
तमिलनाडु	1 धर्मपुरी 2 पासुम्पन मुथुरमलिंगम जिला	4.66
मध्य प्रदेश	रायपुर	5.75
उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर	1.24
त्रिपुरा	अगरतला	1.17
उड़ीसा	बालासौर	2.00
		32.02

स्व-रोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण (ट्राइसेम) के कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी की समस्याएं सुलझाने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है। स्व-रोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण की स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सम्बन्धी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता में केन्द्र के हिस्से की जानकारी संलग्न विवरण-4 में दी गई है।

(ग) आठवीं योजना की समग्र नीति अभी सोच-विचार के प्रारंभिक चरणों में है।

विवरण-1

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार देने की स्कीम की प्रगति रिपोर्ट 1985-86

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	सिफारिश प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत संख्या	राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	17300	76930	20815	16518	3474.22
2.	असम	6200	15594	7399	4629	1026.55
3.	बिहार	29600	40591	40591	26376	5055.03
4.	गुजरात	10700	60042	16088	6522	898.42
5.	हरियाणा	4600	13241	6900	4782	908.68

1	2	3	4	5	6	7
6.	हिमाचल प्रदेश	1600	5531	2168	1591	353.25
7.	जम्मू और कश्मीर	1400	4303	1720	1095	254.52
8.	कर्नाटक	12400	57003	16548	12837	2506.40
9.	केरल	13000	48145	16153	13033	2452.37
10.	मध्य प्रदेश	17600	37664	29286	17224	3368.20
11.	महाराष्ट्र	15500	31129	29219	13848	2631.12
12.	मणिपुर	1500	5068	1508	1491	363.10
13.	मेघालय	300	564	282	111	13.58
14.	नागालैंड	200	404	166	166	33.40
15.	उड़ीसा	9300	29771	11354	8757	2039.64
16.	पंजाब	15000	32689	23250	11677	2373.65
17.	राजस्थान	10300	72389	14874	19875	2162.46
18.	सिक्किम	100	83	76	49	12.07
19.	तमिलनाडु	18100	107758	26439	18722	3744.64
20.	उत्तर प्रदेश	31300	97706	38798	26264	4569.05
21.	पश्चिम बंगाल	24300	115886	36239	21885	4349.14
22.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	100	218	154	101	24.56
23.	त्रिपुरा	900	1028	1028	912	175.12
24.	अरुणाचल प्रदेश	100	120	91	61	15.31
25.	चंडीगढ़	500	969	603	394	82.74
26.	दादरा और नगर हवेली	100	90	57	40	7.76
27.	गोआ, दमन और दीव	350	731	368	84	16.22
28.	मिजोरम	200	622	230	104	14.86
29.	पांडिचेरी	450	1541	520	465	73.06
	योग	243000	857810	342924	220724	42999.22

अवितरित 7000

कुल जोड़ 250000 देश के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य का 88.29 प्रतिशत वर्ष 1985-86 के दौरान प्राप्त किया गया।

विवरण-2

1986-87 के दौरान 31-3-1987 की स्थिति के अनुसार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार स्कीम की प्रगति (3-2-88 को संकलित)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1986-87 के लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	डी० आई० सी० कृतिक बलों द्वारा बैंकों को सिफारिश की गई आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा मंजूर शुदा आवेदनों की संख्या	
					संख्या	रकम (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	17300	106577	21404	14919	3225.60
2.	असम	6200	17114	7840	5837	1494.87
3.	बिहार	29600	86650	32597	22560	5460.78
4.	गुजरात	10700	37945	12016	4924	696.45
5.	हरियाणा	4600	15022	7243	4808	939.85
6.	हिमाचल प्रदेश	1600	4775	2156	1406	285.92
7.	जम्मू और कश्मीर	1400	4019	1512	708	157.16
8.	कर्नाटक	12400	62871	17311	12100	2395.00

1	2	3	4	5	6	7
9.	केरल	20000	87156	27069	19015	3805.65
10.	मध्य प्रदेश	17600	33800	26429	16679	3540.52
11.	महाराष्ट्र	15500	26203	24684	13466	2428.63
12.	मणिपुर	1500	7496	1514	1493	378.41
13.	मेघालय	300	405	247	80	18.79
14.	नागालैंड	200	280	137	129	28.43
15.	उड़ीसा	9300	42004	14148	8620	2145.11
16.	पंजाब	15000	41997	24390	15037	3428.80
17.	राजस्थान	10300	35849	13296	10736	2399.48
18.	सिक्किम	100	51	51	33	8.10
19.	तमिलनाडु	18100	101667	27112	18362	3787.38
20.	त्रिपुरा	900	2069	952	909	179.84
21.	उत्तर प्रदेश	31300	108068	36514	23197	5002.38
22.	पश्चिम बंगाल	24300	83673	30397	20468	4845.48
23.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	100	268	99	80	17.57
24.	अरुणाचल प्रदेश	100	107	72	22	5.30

1	2	3	4	5	6	7
25.	चंडीगढ़	500	975	610	416	94 20
26.	दादरा और नगर हवेली	100	54	30	19	4.46
27.	गोआ, दमन और द्वीव	350	465	369	220	80.20
28.	मिज़ोरम	250	670	250	233	45.16
29.	पांडिचेरी	450	1719	564	480	91.26
	कुल योग	250050	909949	331043	216956	46990.78

विवरण-3

29-2-88 की स्थिति के अनुसार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने की स्कीम की प्रगति रिपोर्ट—1987-88

(12-4-88 को संकलित)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	सिफारिश प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा मंजूर ऋण	मंजूर राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8650	58813	9950	3136	663.02
2.	असम	3100	9644	3803	583	144.43
3.	बिहार	14800	81363	19156	3098	691.61
4.	गुजरात	5350	18531	12461	3050	452.68
5.	हरियाणा	2300	9313	4532	2125	434.16
6.	हिमाचल प्रदेश	800	2870	1145	489	100.02
7.	जम्मू व कश्मीर	700	2324	640	37	7.86
8.	कर्नाटक	6200	54629	8629	3764	558.84
9.	केरल	10000	72464	15294	4055	898.01
10.	मध्य प्रदेश	8800	24178	14231	1715	379.11
11.	महाराष्ट्र	7750	19902	15243	6646	1123.17
12.	मणिपुर	750	1075	750	130	37.92
13.	मेघालय	150	340	159	54	सूचित नहीं
14.	नागालैंड	100	—	सूचित नहीं		—
15.	उड़ीसा	4650	25607	3760	—	—
16.	पंजाब	7500	27103	13218	3776	501.72
17.	राजस्थान	5150	27014	10719	4720	019.34
18.	सिक्किम	50	25	22	19	5.00
19.	तमिलनाडु	9050	71092	14715	5354	1050.00
20.	त्रिपुरा	450	1572	416	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	15650	80107	20900	4342	739.90

1	2	3	4	5	6	7
22.	पश्चिम बंगाल	12150	60073	10510	1214	154.67
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	50	171	59	30	5.99
24.	अरुणाचल प्रदेश	50	61	35	7	1.54
25.	चण्डीगढ़	175	200	200	132	20.14
26.	दादरा व नगर हवेली	50	34	17	3	सूचित नहीं
27.	गोवा, दमन व दीव	175	272	272	132	31.20
28.	मिजोरम	125	410	157	19	4.95
29.	पांडिचेरी	225	1249	326	225	32.93
30.	लक्षद्वीप	50	20	13	—	—
	कुल जोड़ :	1,25,000	651432	189420	49663	5850.11

विवरण-4

छठी तथा सातवीं योजनाओं के दौरान ट्राइसेम के अधीन प्रशिक्षण सम्बन्धी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए दी जाने वाली सहायता में केन्द्र का हिस्सा

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छठी योजना 1980-85	सातवीं योजना						
			1985-86	केन्द्रीय शेयर का आबंटन तथा दिया गया शेयर 1986-87	वचनबद्ध देयता को पूरा करने के लिए दिया गया धन 1986-87	कुल दिया गया धन (5+6)	आबंटन (कुल) 1987-88	आबंटन का केन्द्रीय शेयर 1987-88	दिया गया केन्द्रीय शेयर 1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	48.78	7.09	26.96	3.09	30.05	77.60	38.80	38.80
2.	असम	16.84	—	9.08	1.04	10.12	24.36	12.18	12.18
3.	बिहार	18.25	—	51.20	14.13	65.33	150.12	75.06	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	गुजरात	13.95	4.25	14.28	—	14 28	37.90	18.95	121. 5
5.	हरियाणा	—	2.52	5.00	1.50	6.50	12.02	6.01	7.03
6.	हिमाचल प्रदेश	5.92	—	3.16	1.16	4.32	6.88	3.44	—
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	5.08	—	5.08	10.82	5.41	—
8.	कर्नाटक	48.67	3.38	15 68	27.38	43.06	46.30	23.15	23.15
9.	केरल	1.30	—	10.64	—	10.64	29.20	14.60	14.60
10.	मध्य प्रदेश	29.14	2.35	36.60	19.64	56.24	104.46	52.23	24.695
11.	महाराष्ट्र	9.46	14.97	26.68	8.83	35.51	78.98	39.49	39.49
12.	मणिपुर	3.85	—	1.12	—	1.12	2.30	1.15	—
13.	मेघालय	—	—	1 52	—	1.32	3.44	1.72	1.72
14.	नागालैंड	0.06	—	1.88	—	1.88	3.00	1.50	1.50
15.	उड़ीसा	—	—	21.44	—	21.44	57.92	28 96	28.96
16.	पंजाब	3.03	0.35	5 72	—	5.72	13.02	6.51	6.51
17.	राजस्थान	27.62	7 68	18.20	0.46	18.66	51.38	25.69	50.145
18.	सिक्किम	—	—	0.64	—	0.64	0.58	0.29	—
19.	तमिलनाडु	9.97	9.05	27.36	7.15	34.51	75.58	37.79	33.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	त्रिपुरा	—	—	1.04	—	1.04	2.74	1.37	—
21.	उत्तर प्रदेश	57.28	9.10	72.32	4.15	76.47	207.96	103 98	103.98
22.	पश्चिमी बंगाल	5.07	0.68	28.84	4.31	33.15	84.34	42.27	30.16
23.	अंडमान और निकोबार	—	—	0.64	—	0.64	0.71	0.71	0.71
24.	अरुणाचल प्रदेश	2.38	—	5.28	—	5.28	6.86	3.43	5.24
25.	चंडीगढ़	—	0.59	0.88	—	0.88	0.14	0.14	—
26.	दादर और नागर हवेली	—	—	0.36	—	0.36	0.14	0.14	—
27.	दिल्ली	—	—	1.44	—	1.44	0.71	0.71	—
28.	गोवा दमन व दीव	—	—	2.80	—	2.80	1.71	1.71	2.51
29.	लक्षदीप	—	—	0.44	—	0.44	0,71	0.71	0.71
30.	मिजोरम	1.67	—	2.60	—	2.60	2.86	1.43	2.86
31.	पांडिचेरी	0.80	—	1.12	0.36	1.48	0.57	0.57	0.34
	अखिल भारत	304.04	62.04	400.00	93.20	493.20	1095.31	550.00	550 00

टिप्पणी : छठी योजना के दौरान केन्द्रीय संस्थाओं को केन्द्र के हिस्से के रूप में दी गई राशि 83.95 लाख रु० थी । यह ऊपर दशाए गए 304 04 लाख रुपये से अतिरिक्त है ।

भारतीय दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या

8630. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 की तुलना में वर्ष 1986-87 और 1987-88 में भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई; और

(ख) क्या कर्मचारियों की संख्या में कमी करने और इससे व्यय में कटौती करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय मिशन/केन्द्र में स्टाफ आवश्यकता के पुनरीक्षण की नीति के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 और 1987-88 में स्टाफ की समीक्षा का कार्य किया है। कई मिशनों में पद अधिशेष घोषित किये गये और उन पदों को या तो छोटे मिशनों/केन्द्रों में जहां पर कार्य की आवश्यकताएं बढ़ गयी थी, या फिर नये खोले गये मिशनों में स्थानान्तरित किया गया। इस तरह कुछ जगहों पर जो किफायत हुई उससे कुछ दूसरे मिशनों/केन्द्रों का खर्च पूरा किया जा सका।

चीन द्वारा सऊदी अरब को मिसाइलों की कथित सप्लाई

8631. **डा० बी० एल० शैलेश**
श्री बी० तुलसीराम } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा सऊदी अरब को मिसाइलों की सप्लाई के समाचार से इस क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण में परिवर्तन आ गया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई किये जाने पर भारत ने दोनों देशों को अपनी चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) चीन द्वारा सऊदी अरब को मिसाइलों की तथाकथित सप्लाई का अभिप्राय उस क्षेत्र में इन हथियारों को भेजना है जहां पर पहले से ही शांति और सुरक्षा खराब है।

(ख) और (ग) इन अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों का प्रवेश और उनसे क्षेत्र के सुरक्षा वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में भारत सरकार की चिन्ता सुविदित है। सरकार अपने सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर निकटता से निगरानी रखे है।

पासपोर्ट कार्यालयों का कामकाज

8632. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों के कामकाज में खामियों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन खामियों में आवास तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो पासपोर्ट कार्यालयों के कामकाज को कार्यकुशल बनाने हेतु इन खामियों को

दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) पासपोर्ट कार्यालयों की कार्य-प्रणाली में कोई विशेष खामियां नहीं हैं।

(ख) पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारी पासपोर्ट मामलों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। किन्तु कुछ स्थानों पर जगह की कमी महसूस की गई है।

(ग) खामियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) उन पासपोर्ट कार्यालयों के लिये वैकल्पिक स्थान के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है जिनके पास पर्याप्त स्थान नहीं है।

(2) पासपोर्ट कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से विभिन्न पाठ्य-क्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिनमें "जनसम्पर्क", "रोकड़ एवं लेखा", "कम्प्यूटर" आदि शामिल हैं।

(3) इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि पासपोर्ट कार्यालयों का काम सुचारू तथा कारगर ढंग से चले, निम्नलिखित कदम भी उठाये गये हैं :—

(क) कम्प्यूटर प्रणाली को संवर्धित करना ताकि, शीघ्र कार्रवाई की जा सके और कम्प्यूटरीकृत पासपोर्ट कार्यालयों में पूछताछ काउंटरों पर आवेदकों को महत्वपूर्ण सूचना शीघ्र की जा सके।

(ख) आवेदकों को काउंटरों पर उचित समय के अन्दर तथा अपना पता लिखें एवं डाक टिकट लगे लिफाफे सहित अनुरोध प्राप्त होने के 2 दिन के अन्दर डाक द्वारा आवेदन-पत्रों की सप्लाई करना।

(ग) डाक विभाग के परामर्श से डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की सप्लाई की जांच करना।

(घ) कम्प्यूटर की सहायता से की जाने वाली जांच से पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के बारे में शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करना।

(ङ) आवेदकों की सहायता के लिए सभी पासपोर्ट कार्यालयों में सहायता काउंटर खोलना।

बंगला देश द्वारा भारतीय मत्स्य नौकाओं को पकड़ना

8633. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 से आज तक बंगलादेश नौवहन द्वारा कितनी मत्स्य नौकाएं पकड़ी गई हैं;

(ख) सभी पकड़ी गई भारतीय मत्स्य नौकाओं को छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) भविष्य में उस क्षेत्र में हमारे मछुआरों को क्या सुरक्षा प्रदान करने का विचार है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 1987 और 1988 के दौरान बंगलादेश द्वारा पकड़ी गई मछली पकड़ने की भारतीय नौकाओं की सही संख्या का पता लगाया जा

रहा है और इस सम्बन्ध में सूचना सदन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ख) सरकार ने इन नौकाओं को शीघ्र छुड़ाने के लिए बंगलादेश की सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर सम्पर्क किया था। 1987 के दौरान पकड़ी गई सभी नौकाएं छोड़ दी गई हैं। 1988 में पकड़ी गई नौकाओं को छोड़ने के आदेश पारित किए जा चुके हैं।

(ग) सभी आवश्यक उपाय किये गये हैं।

थलसेना रेजीमेंट द्वारा शताब्दी समारोह

8634. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थलसेना के कुछ रेजीमेंट इस वर्ष अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन रेजीमेंटों के नाम क्या हैं और इन समारोहों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) इस वर्ष थलसेना की कोई रेजीमेंट अपना शताब्दी समारोह नहीं मना रही है। लेकिन कुमाऊं रेजीमेंटल सेन्टर और 4वीं बटालियन ग्रेनेडियर्स रेजीमेंट इस वर्ष के दौरान अपना द्विशती समारोह मनाएंगी। ये समारोह थलसेना की सामान्य प्रणाली के अनुसार आयोजित किये जाएंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि पर आधारित प्रति व्यक्ति आय

[हिन्दी]

8635. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में समुद्री तल से 2000 फुट की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि पर आधारित प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या यह आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय औसत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कृषि पर आधारित आय को प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के औसत के बराबर लाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों, अर्थात चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, पिथौरागढ़, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी को पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी गई है। जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों का अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लगाया जाता तथापि जैसाकि राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गये उत्तर प्रदेश पहाड़ी उप-योजना 1987-88 दस्तावेज में दिखाया गया है, उपर्युक्त जिलों के वस्तु उत्पादक क्षेत्रकों से निवल उत्पादन (चालू कीमतों पर) की जानकारी, जैसाकि राज्य योजना संस्थान उत्तर प्रदेश के आर्थिक तथा सांख्यिकी प्रभाग द्वारा अनुमान लगाया गया है, संलग्न विवरण-1 तथा 2 में दी गई है। इन सारणियों से यह पता चलता है कि 1983-84 के दौरान पशु पालन सहित कृषि क्षेत्रक का कुल निवल उत्पादन, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सभी वस्तु उत्पादक क्षेत्रों के निवल उत्पादन के 73.2 प्रतिशत के बराबर था। लेकिन सहकारिता तथा सिंचाई सहित कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों का परिव्यय उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सातवीं योजना के परिव्यय के लगभग 25 प्रतिशत के बराबर था।

विवरण-1

वस्तु उत्पादित क्षेत्रों से प्रति व्यक्ति निवल उत्पादन
(चालू कीमतों पर)

जिले	प्रति व्यक्ति निवल उत्पादन (रु० में)					
	1971-72	1973-74	1979-80	1981-82 (पी)	1982-83 (पी)	1983-84 (पी)
1. अल्मोड़ा	354	654	708	916	990	1080
2. पिथौरागढ़	392	665	953	1332	1411	1275
3. देहरादून	360	430	552	7[illegible]1	823	894
4. गढ़वाल	260	473	616	831	948	1031
5. चमोली	598	1061	1027	1459	1444	1511
6. नैनीताल	592	1072	1140	1409	1363	1596
7. टिहरी गढ़वाल	329	561	557	867	834	880
8. उत्तर काशी	902	1281	1520	1951	1950	1724
पहाड़ी क्षेत्र	432	730	836	1113	1146	1226
उत्तर प्रदेश	335	475	556	739	852	932

(पी) अनन्तिम

स्रोत : वार्षिक योजना 1987-88—दस्तावेज—पहाड़ी विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

विवरण-2

वस्तु उत्पादित क्षेत्रों से कृषि तथा पशु पालन क्षेत्र का प्रतिशत निवल उत्पादन
(उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिले) चालू कीमतों पर—1983.84

जिले	प्रतिशत
1	2
1. अल्मोड़ा	85.1
2. पिथौरागढ़	85.3
3. देहरादून	58.6
4. गढ़वाल	73.4

1	2
5. चमोली	66.1
6. नैनीताल	74.5
7. टिहरी गढ़वाल	79.2
8. उत्तर काशी	3.6
योग : पहाड़ी	73.2
योग : उत्तर प्रदेश	77.8

स्रोत : वार्षिक योजना—1987-88 दस्तावेज से उद्धरण पहाड़ी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की भारत यात्रा

[अनुवाद]

8636. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च, 1988 में भारत की यात्रा पर आये थे; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) 15 फरवरी, 1988 को ब्रिटिश हाई कमीशन ने विदेश मंत्रालय को सूचित किया था कि भारत के तत्कालीन रेल राज्य मंत्री द्वारा यू०के० के तत्कालीन परिवहन मंत्री को 1986 में दिए गये निमंत्रण के उत्तर में यूनाईटिड किंगडम के परिवहन मंत्री 17 से 24 मार्च, 1988 तक भारत यात्रा पर आना चाहते हैं।

भारत के राज्य मंत्री की संसदीय कार्य में पूर्व व्यस्तताओं के कारण ब्रिटिश प्राधिकारियों को सूचित किया गया कि प्रस्तावित तारीखें सुविधाजनक नहीं हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा वृत्ति

8637. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों को इस समय राज्यवार प्रति मास कितनी राशि की शिक्षा वृत्ति दी जा रही है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : इस योजना को क्रियान्वित करने वाले सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए छात्रवृत्तियों की दरें समान हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों को प्रति मास दी जा रही शिक्षावृत्ति की राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों को इस समय मैट्रिकोत्तर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दी जा रही छात्रवृत्तियों की दरें

समूह		होस्टल में रहने वाले		दिवस छात्र	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
क. (मैडिकल/इंजीनियरिंग बी०एस०सी०, कृषि/बी०वी० साइंस इत्यादि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष				
	उसके पश्चात	185	200	100	115
ख. (भारतीय होम्योपेंथी चिकित्सा पद्धति में डिग्री इंजीनियरिंग/चिकित्सा/प्रौद्योगिकी इत्यादि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष				
	उसके पश्चात	130	145	105	120
ग. (इंजीनियरिंग/चिकित्सा/प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, कला व विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष				
	उसके पश्चात	130	145	105	115
घ. (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम)	द्वितीय वर्ष व उसके पश्चात	115	130	70	85
ङ. (10 + 2 कक्षाएं पद्धति तथा सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष)	प्रथम वर्ष	75	85	50	60
	द्वितीय वर्ष और सामान्य डिग्री का प्रथम वर्ष	80	95	55	70

सरकारी विभागों में आरक्षित स्थानों का भरना

8638. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री कुंवर राम } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति के लिए क्या प्रतिशत निर्धारित की गई है;

(ख) क्या अनेक सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित प्रतिशत पद नहीं भरे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता पदों से नहीं, बल्कि केवल भरी जाने वाली रिक्तियों से सम्बन्धित है। 31.12.1986 को समाप्त हुए वर्ष में आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

समूह	अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	रिक्तियों की संख्या	अनुसूचित जाति के नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशतता	रिक्तियों की संख्या	अनु० जन जाति के नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
क	742	452	60.9	363	151	41.6
ख	842	713	84.9	325	177	54 5
ग	22409	24179	107.9	10711	9113	85.1
घ	7881	9545	121.1	4282	3630	84.8

(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा सभी आरक्षित रिक्तियों को न भरे जाने का कारण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों की गैर-उपलब्धता है।

(घ) सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु, यात्रा भत्ता, चयन के न्यूनतम स्तर, अनुभव की निर्धारित अवधि में छूट, शुल्क में पूरी छूट तथा इन समुदायो के उम्मीदवारों के लिए अलग साक्षात्कार जैसी विभिन्न रियायतें प्रदान की गई हैं। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए, यदि कोई आरक्षित रिक्ति उपयुक्त आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार के अभाव में आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार द्वारा नहीं भरी जाती है तो ऐसे आरक्षण को बाद के तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रेनीत कर दिया जाता है जिसके पश्चात आरक्षण व्यपगत हो जाता है। समूह "ख" पर, समूह ख के भीतर और समूह "ख" से समूह "क" के न्यूनतम स्तर पर चयन द्वारा पदोन्नति को छोड़कर, पदोन्नति में भी अग्रेनीत करना अनुमत है। आशा है कि इन उपायों से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में और आगे सुधार आएगा।

विवरण

सीधी भर्ती/पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रतिशतताएं नीचे दिए अनुसार हैं :

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
(i) अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती		
(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा	15 प्रतिशत	7-1/2 प्रतिशत
(ख) उपर्युक्त (क) से अन्यथा	16-2/3 प्रतिशत	7-1/2 प्रतिशत
(ii) समूह "ग" और "घ" पदों पर सीधी भर्ती।	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र की अपनी-अपनी कुल जनसंख्या के मुकाबले में क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात के अनुसार।	
(iii) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद—(उन ग्रेडों/पदों पर जिनमें सीधी भर्ती का तत्व, यदि कोई हो, 66-2/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है)		
(क) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से	15 प्रतिशत	7-1/2 प्रतिशत
(ख) उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर	15 प्रतिशत	7-1/2 प्रतिशत
(ग) समूह "ख" से समूह "क" के न्यूनतम स्तर पर और समूह "ख", "ग" और "घ" में चयन द्वारा।	15 प्रतिशत	7-1/2 प्रतिशत

राज्यों में लोक शिकायत निदेशालय

8639. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में लोक शिकायत निदेशालय स्थापित करने के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) लोक शिकायतों के निवारण से सम्बन्धित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। तथापि संघ सरकार ने राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर आग्रह किया है। कई राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर समितियों की स्थापना की है। भारत सरकार का 20 सूत्री कार्यक्रम भी लोक शिकायतों के तुरन्त और सहानुभूतिपूर्ण निवारण के प्रश्न की ओर केन्द्रित है। संवेदनशील (रिसपोंसिव) प्रशासन के विषय पर समाहर्ताओं की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है और इस प्रयोजन की पूर्ति के तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है डाक, दूर-संचार, रेल मंत्रालयों/विभागों तथा आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग प्रभाग से संबंधित लोक शिकायतों की जांच करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधीन एक लोक शिकायत निदेशालय स्थापित कर दिया गया है।

बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान

8641. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन भुगतान प्राधिकारी पेंशनभोगी को उस बैंक शाखा के माध्यम से जिसमें पेंशन-भोगी का अपना खाता होता है पेंशन का भुगतान करने से इंकार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेशों का ब्यौरा क्या है और प्रक्रिया को और अधिक सरल और पेंशन-भोगियों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) ऐसे सैनिक पेंशन-भोगियों के मामले में, जो लकवे आदि के कारण अशक्त हो गए और चल-फिर नहीं सकते, पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में क्या आदेश हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पेंशन भुगतान प्राधिकारी बैंकों की केवल उन शाखाओं के माध्यम से पेंशन वितरित करते हैं जिनके नाम सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन के वितरण के लिए नियत किये गये हैं। जिन शाखाओं के नाम अभी तक नियत नहीं किये गये उनके द्वारा पेंशन का वितरण नहीं किया जाता है।

(ख) रक्षा पेंशन भुगतान अधिकारी, महानियंत्रक, रक्षा लेखा द्वारा विभागीय रूप से चलाई जाने वाली नई बैंकिंग योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन वितरित करने का प्रबन्ध कर रहे हैं। रक्षा पेंशन भुगतान अधिकारी, नियमित प्रक्रिया के रूप में पेंशनरों की सुविधा के लिए और अधिक शाखाओं को यह काम सौंपने पर विचार कर रहे हैं तथा उनके नाम अंकित करा रहे हैं।

(ग) पेंशन अदायगी अनुदेश (1973) के पैरा 8 (ख) (IV) के अनुसार शारीरिक रूप से निशक्त होने की दशा में जो पेंशनर स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते वे 6 महीने में एक बार जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके किसी व्यक्ति को नामित कर और उस नामित व्यक्ति को पेंशन की अदायगी के लिए लिखित अधिकार देकर पेंशन ले सकते हैं।

फिजी द्वारा राष्ट्रकुल में फिर से शामिल होना

8642. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजी राष्ट्रमण्डल का पुन: सदस्य बनने का प्रयत्न कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। ऐसे संकेत मिले हैं कि फिजी राष्ट्रमण्डल में पुन: आने की कोशिश कर रहा है।

(ख) भारत सरकार की नीति यह है कि राष्ट्रमण्डल में फिजी के पुन: प्रवेश पर तभी विचार किया जा सकता है जब इसने राष्ट्रमण्डल सिद्धान्तों का पालन किया हो जिसमें जातीय आधार पर भेद-भाव न करने का सिद्धान्त भी शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का स्थानान्तरण

8643. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के कुछ देशों द्वारा किसी तटस्थ देश में स्थानान्तरित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुबई में कैद किए गए भारती श्रमिक

8644. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि एक दुबई की कम्पनी ने बेहतर वेतन की मांग करने के लिए लगभग 200 भारतीय श्रमिकों को जेल में बन्द कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मामला सम्बन्धित कम्पनी और वहां की सरकार के साथ उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) एट्रेस इण्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज, जेबेल अली द्वारा नियोजित 174 भारतीय श्रमिकों को 17-3-1988 को हड़ताल और प्रदर्शन का सहारा लेने के लिए दुबई की सरकार के एक संगठन जेबेल अली फ्री जोन अथारिटी ने गिर-फ्तार कर लिया था।

प्रबन्धकों और भारतीय श्रमिकों के बीच विभिन्न मसलों पर मतभेद थे जैसे रात्रि-ड्यूटी करना, बहुत सवेरे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की अपेक्षा, उचित चिकित्सा सुविधाओं का कथित अभाव और कार्य-संविदा में दिखाए गए वेतन और वास्तव में उन्हें दिए गए वेतन में विसंगतियां।

जैसे ही असंतोष की खबरें दुबई स्थित भारतीय कोंसलावास की जानकारी में लाई गई वैसे ही उसने विवाद का समाधान करने के लिए नियोक्ता से सम्पर्क किया। लेकिन प्रधान कोंसलावास की सलाह के विरुद्ध लगभग 150 भारतीय श्रमिक 17-3-1988 को जेबेल अली फ्री जोन अथारिटी के प्रशासनिक कार्यालय गए। जब ये श्रमिक इस प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे तब उनके और कार्मिक प्रबंधक के बीच काफी कहा-सुनी हुई जिसने बाद में शिकायत की कि श्रमिकों ने उन्हें धमकी दी है। तब प्राधिकारियों ने पुलिस को बुला लिया जिसने श्रमिकों को अपने शिविर में लौट जाने का आदेश दिया परन्तु उनके ऐसा करने के लिए मना करने पर उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें नौकरी से बर्खास्त करके 20-3-1988 को भारत वापस भेज दिया गया। इन श्रमिकों के लेखे स्थानीय कानून के अनुसार निपटाये गये।

(ग) जी, हां।

(घ) संयुक्त अरब अमीरात में हड़तालों और प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध लगा है और ऐसी कोई कार्रवाई करने पर बर्खास्त और पद्वासित किया जा सकता है तथा अवकाश-वेतन उपदान और वापसी का यात्रा-किराया जैसे सभी अधिकार जब्त किये जा सकते हैं। जेबेल अली प्रशासनिक कार्यालय के समक्ष भारतीय श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन किये जाने के कारण स्थानीय प्राधिकारियों ने श्रमिकों को बर्खास्त करके उनके उद्वासन का आदेश दिया। भारतीय श्रमिकों ने 20-3-1988 को नजरबंदी केन्द्र में एक बार फिर हड़ताल/प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया। प्रधान कोंसलावास के मध्यस्ता करने पर श्रमिकों को अपनी देय राशि स्वीकार करने और शांतिपूर्ण तरीके से वहां से जाने के लिए राजी किया गया और नियोक्ता प्रत्येक श्रमिक को उसकी सामान्य हकदारी के अतिरिक्त 200/- रु० डी० एच० एस० की अतिरिक्त राशि देने पर सहमत हो गए।

भारत का प्रधान कोंसलावास ने श्रमिकों को उनके नियोक्ता द्वारा रोकने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए परन्तु स्थानीय प्राधिकारियों को यह स्वीकार्य नहीं था।

श्रीलंका में भारतीय मूल के राज्यविहीन तमिलों का भविष्य

8645. **श्री सुभाष यादव**
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री प्रकाश चन्द्र
श्री एच० बी० पाटिल
: **क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1988 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "दि अदर तमिल्स आफ लंका" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय मूल के तमिलों को 23 वर्ष से अधिक समय से राज्यविहीन स्थिति के बावजूद जिसके श्रीमाओ-शास्त्री समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् निपटारा हो जाना चाहिए था, भारतीय मूल के छ: से सात लाख तमिल लोग अभी भी श्रीलंका में उपेक्षित रूप से रह रहे हैं और ये लोग यह नहीं जानते कि वे किस देश से सम्बन्धित हैं अथवा उनका भविष्य क्या होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या का शीघ्र समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच 1964, 1974 तथा 1986 में सम्पन्न करारों

के अनुसार, भारत और श्रीलंका को क्रमश: कुल 5,06,000 तथा 4,69,000 व्यक्तियों को, जिसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, नागरिकता प्रदान करनी थी । इनमें से भारत ने 4,20,133 व्यक्तियों को उनकी संतति सहित तथा श्रीलंका से 2,11;153 व्यक्तियों को उनकी संतति सहित नागरिकता प्रदान की।

(ग) सरकार इन तीनों करारों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है और शेष व्यक्तियों के सम्बन्ध में इनके शीघ्र कार्यान्वियन के लिए श्रीलंका सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के प्रौद्योगिकी मिशन

8646. **श्री एस० एम० गुरड्डी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद किन दो राष्ट्रीय मिशनों में भाग ले रहा है;

(ख) इन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मिशनों का मुख्य लक्ष्य क्या है; और

(ग) वर्ष 1987 में इन मिशनों के अन्तर्गत कुल कितने गांवों को शामिल किया गया और वर्ष 1988 में कितने गांवों को शामिल किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दो राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी मिशन जिनमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भाग ले रही है, पेयजल तिलहनों से सम्बन्धित हैं ।

(ख) इन मिशनों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

1. **पेयजल मिशन :**

मिशन के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्देश्यों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि प्रदान करना है :—

(1) 1990 तक (कुल गांवों की 39 प्रतिशत) 2.27 लाख समस्यामूलक गांवों को दायरे में लेना।

(2) योजना आकलन की बाध्यता के अन्तर्गत इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कम कीमत की प्रौद्योगिकी मिश्र का विकास करना।

2. **तिलहनों पर राष्ट्रीय मिशन (फसल कटाई के बाद और संसाधन प्रौद्योगिकी) :**

मिशन के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्देश्यों में सी० एस० आई० आर० का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि प्रदान करना है :—

(1) आवश्यकता के आधार पर आधुनिक प्रक्रम प्रौद्योगिकी का विकास करना।

(2) तेल की खली से उन्नत (सुधरी किस्म का) तेल निकालना।

(ग) पेयजल मिशन के अधीन वर्ष 1987-88 में 4323 गांवों में जल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रदर्शन पूरे कर लिए गए हैं। भूमि जल अन्वेषण के लिए अन्य 537 गांवों को पूरा कर लिया गया है। वर्ष 1988 में यह कार्य पूर्व वर्ष की तुलना में 10 गुना अधिक पूरा होने की आशा है तिलहन

सम्बन्धी मिशन के लिए पूरा करने का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि मूलत: मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विमोचित और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से सम्बन्धित हैं।

बर्मा के साथ संबंध मजबूत बनाना

8647. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने बर्मा दौरे के दौरान भारत और बर्मा ने आपसी मैत्री संबंध मजबूत करने का वचन दिया था तथा भारत ने बर्मा के आर्थिक विकास में सहयोग करने का भी प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बर्मा के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) क्या उनके आर्थिक विकास के लिए भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों को बर्मा भेजा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। प्रधान मन्त्री ने भारतीय तकनीकी ज्ञान से चलाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये के अनुदान की पेशकश की थी।

(ख) भारत और बर्मा के बीच 1970 में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए थे। बर्मा के व्यापार मन्त्री की फरवरी, 1988 की भारत यात्रा के दौरान भी एक सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) से (ङ) 10 करोड़ रुपये का अनुदान देने की प्रधान मन्त्री की पेशकश के अनुरूप एक औद्योगिक परियोजना की स्थापना पर विचार-विमर्श करने के सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञ बर्मा भेजे जाएंगे।

27 अप्रैल, 1988 को होने वाली सदन की बैठक के लिए परमाणु रिएक्टरों की खरीद के लिए भारतीय शिष्टमण्डल का मास्को का प्रस्तावित दौरा

8648. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग का एक उच्च शक्ति प्राप्त शिष्टमण्डल देश में विद्युत केन्द्रों के लिए रिएक्टरों के आयात पर चर्चा करने के लिए शीघ्र ही मास्को का दौरा करने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत में न्यूक्लियर पावर रिएक्टरों की स्थापना में सोवियत संघ के सहयोग के बारे में अन्तर सरकारी करार के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल 4 से 11 अप्रैल, 1988 के दौरान सोवियत संघ गया था।

विदेशी कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास एककों की स्थापना

8649. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विदेशी कम्पनियों को देश में उनके शत प्रतिशत स्वामित्व वाले अनुसंधान और विकास एकक स्थापित करने के लिए अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था की शर्तें क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(घ) विदेशी कम्पनियों के अनुसंधान और विकास एकक कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) की उद्योग में संस्थानान्तर्गत अनुसंधान और विकास यूनिटों को मान्यता प्रदान करने की एक स्कीम है और इस स्कीम के अन्तर्गत विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों को भी मान्यता प्रदान की गई है।

(ख) इस प्रकार दी गई मान्यता से संबंधित मानक शर्तें संलग्न अनुबन्ध में दी गई हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुबन्ध

27-4-1988 के लिए प्रश्न सं० 8649 (लोक सभा) के उत्तर से संबंधित विवरण
प्रदान की गई मान्यता से संबंधित मानक शर्तें इस प्रकार हैं :—

(i) इस मान्यता से अनुसंधान और विकास एकक को, मान्यता की अवधि के दौरान मौजूदा आयात नीति के अनुसार आयात सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ii) यह मान्यता, मान्यता पत्र में उल्लिखित अवधि के लिए वैध होगी।

(iii) इस मान्यता के नवीकरण के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में इस मान्यता की वैधता समाप्त होने के 3 महीने पहले अनुरोध किया जाएगा।

(iv) अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए पृथक खाते रखे जायेंगे और इसे फर्म की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा।

(v) आयातित वस्तु की मात्रा, मूल्य, आपूर्ति के स्रोत, आदि के सम्बन्ध में पूरा विवरण हर वर्ष के अंत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सूचित किया जाए। किसी एक समय में आयातित 1 लाख रुपये सी० आई० एफ० से अधिक मूल्य की वस्तुओं के मामले में कस्टम के द्वारा वस्तुओं की निकासी की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए आयात का पूरा विवरण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सूचित किया जाए।

(vi) अनुसंधान और विकास एकक की उपलब्धियों का संक्षिप्त सार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाए। इसमें प्रकाशित किए गए पत्र, प्राप्त किये गये पेटेंट, विकसित प्रक्रियाएं, प्रस्तुत किये गये नये उत्पाद, प्राप्त पुरस्कार एवं इनाम आदि सम्मिलित किये जायें।

(vii) फर्म की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति इसके प्रकाशन के 15 दिन के भीतर भेज दी

जाए। यदि किसी फर्म की विदेशी इक्विटी 10% से अधिक हो तो विदेशी इक्विटी रखने वाली फर्मों की वार्षिक रिपोर्ट इसके प्रकाशन के 3 महीने के भीतर मिल जानी चाहिए।

(viii) अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में विकसित जानकारी/प्रक्रिया के वाणिज्यिक दोहन को समय-समय पर केवल लाइसेंस नीतियों के द्वारा ही लागू किया जायेगा और लाइसेंस अधिकारियों का निर्णय ही अंतिम माना जायेगा। किसी एकक में किये गये अनुसंधान और विकास के आधार पर लाइसेंस में अधिमान्यता के लिए आवेदनों के सम्बन्ध में सूचना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र की एक प्रति के साथ प्रेषित की जाये।

(ix) इस मान्यता का अर्थ कर में छूट नहीं है। कर में राहत की मात्रा, विकास छूट इत्यादि, यदि कोई हो तो, समय-समय पर लागू कर-नियमों द्वारा शासित होगी। इस प्रकार के सभी मामलों को सम्बन्धित कर अधिकारियों के साथ सीधे ही उठाया जाए।

(x) लागू आयात नीति से सम्बन्धित परिच्छेदों के प्रावधानों और/अथवा उपरोक्त शर्तों का किसी प्रकार से उल्लंघन करने पर फर्म की मान्यता समाप्त की जा सकती है और आयात नीति अथवा अन्य संबंधित प्रावधान के अंतर्गत अन्य दण्डनीय कार्यवाही की जा सकती है।

(xi) अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप होने वाले उत्पादन, यदि कोई हो जैसे कि, फोटोटाइपों, प्रायोगिक संयंत्रों से उत्पादन, इत्यादि को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुमति के बिना बेचा नहीं जा सकेगा, विशेष रूप से यदि फर्म ने मौजूदा औद्योगिक लाइसेंस नियमों के अंतर्गत इन उत्पादों के विनिर्माण, विक्रय के लिए वैध अनुमति प्राप्त नहीं की है। आयातित कच्ची सामग्री, उपकरण और अनुसंधान तथा विकास के लिए आयातित सामग्री और उपकरण से उत्पन्न उत्पादों/मध्यों का निपटान, सिवाय इसके कि इनकी बिक्री किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को की जाती है, बिना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा, चाहे फर्म के पास औद्योगिक लाइसेंस है अथवा नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिक्री के मामले में फर्म को केवल बिक्री के 30 दिन के भीतर सभी विवरण के साथ केवल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सूचित करना है।

(xii) अनुसंधान और विकास उत्पादों/मध्यों/कच्चे माल/अपशिष्ट पदार्थों, पूंजी उपकरण की बिक्री से कोई वसूली हुई हो तो उसे अनुसंधान और विकास लेखे में दिखाया जायेगा।

(xiii) मान्यता-पत्र मिलने के तत्काल बाद फर्म को यह बताते हुए इसे स्वीकार करना चाहिए कि उपरोक्त शर्तें उनको मान्य हैं।

दानापुर छावनी बोर्ड के वार्डों का दानापुर नगर पालिका में विलय

[हिन्दी]

8650. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने दानापुर छावनी बोर्ड पटना (बिहार) की वार्ड संख्या 1 से 4 का दानापुर नगर पालिका में विलय करने हेतु अपनी सहमति दे दी है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने भी दानापुर छावनी बोर्ड की वार्ड संख्या 1 से 4 का दानापुर नगर पालिका में विलय करने हेतु निर्णय लिया है;

(ग) क्या बिहार विधान मण्डल के सदस्यों और दानापुर के नागरिकों ने भी इस सम्बन्ध में 10 जनवरी, 1988 को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) मालूम नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) रक्षा मन्त्रालय ने दानापुर छावनी के कुछ क्षेत्रों को अलग करने का एक निर्णय सिद्धान्त रूप में लिया था और बिहार सरकार को इसे स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था। बिहार सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् ही रक्षा मन्त्रालय इस मामले पर अंतिम निर्णय ले सकता है।

मधुबनी, बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

[अनुवाद]

8651. **श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मधुबनी (बिहार) के कुछ व्यक्तियों ने अपने फरार होने के दावे के समर्थन में अपने राजनैतिक जुर्माने के मामलों से सम्बन्धित कोर्ट रिकार्ड प्रस्तुत किये हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन मामलों में केन्द्रीय सरकार से सम्मान पेंशन देने की सिफारिश की है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन रिकार्डों के बारे में स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और केन्द्रीय सरकार को, वर्ष 1948, 1949 और 1957 में जारी किए गए मूल दस्तावेज भेजे थे;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने श्री हरिनाथ मिश्र की अध्यक्षता में गठित राज्य सलाहकार समिति की राय जानने के लिए यह मामला राज्य सरकार के पास भेजा था और राज्य सलाहकार समिति ने इन मामलों की सिफारिश कर दी थी;

(ङ) क्या सरकार को तीन वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़े मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इन मामलों में पेंशन मंजूर किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (च) एस० डी० ओ० मधुबनी द्वारा जारी किये गये मजिस्ट्रेट के जनरल रजिस्टर से राजनैतिक जुर्मानों के मामलों से संबंधित उद्धरणों पर आधारित 6 माह या इससे अधिक समय तक की फरारी के आधार पर मधुबनी के लगभग

200 व्यक्तियों ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अंतर्गत स्वतन्त्रता सैनानी पेंशन के लिए आवेदन किया था। इन दस्तावेजों के आधार पर राज्य सरकार/राज्य सलाहकार समिति ने इस प्रकार के अनेक मामलों में पेंशन प्रदान करने के लिए सिफारिश की थी। मधुबनी, दरभंगा और पटना में जिला रिकार्ड कक्षों द्वारा जारी किये गये कुछ कोर्ट रिकार्डों के वास्तविक सत्यापन करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने मार्च-अप्रैल, 1985 में पटना, दरभंगा और मधुबनी का दौरा किया। दल की रिपोर्ट से पता चलता है कि जबकि मधुबनी में सभी अन्य प्रविष्टियां एक ही लिखावट में की गयी है लेकिन राजनैतिक जुर्मानों के मामलों से सम्बन्धित प्रविष्टियां भिन्न स्याही और भिन्न लिखावट में की गयी। सभी जनरल रजिस्टरों में इन मामलों के सम्बन्ध में प्रविष्टियां लिखने का नमूना समान है चाहे वे किसी भी वर्ष में की गई। तथापि, इन मामलों के अंत में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर उन्हीं जनरल रजिस्टरों में अन्य मामलों में उसी प्राधिकारी द्वारा किये गये हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित जनरल रजिस्टरों में अन्य प्रविष्टियों जो एक लम्बा समय बीतने के बाद मन्द पड़ गई है की तुलना से राजनैतिक जुर्मानों के मामलों से सम्बन्धित प्रविष्टियां नई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि किसी स्तर पर कोर्ट रिकार्ड में क्षेपक जोड़ा गया है। दल की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और उप-मण्डल अधिकारी मधुबनी का भी यह मत है कि सभी सम्भावनाओं में ये प्रविष्टियां बाद में जोड़ी गई हैं। अतः राज्य सरकार से, मूल दस्तावेजों से, यदि उपलब्ध हो, इनका सत्यापन करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि इन उद्धहरणों का मूल जनरल रजिस्टरों जिनको वर्ष 1957 में नष्ट कर दिया गया था में की गई प्रविष्टियों से मिलान करना उनके लिए सम्भव नहीं है। इन रिकार्डों की सदिग्धता जैसा कि दल की रिपोर्ट में कहा गया है, के कारण इन मामलों में पेंशन प्रदान नहीं की जा सकी।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को नई भूमिका

8652. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को परम्परागत भूमिका से अलग नई भूमिका सौंपने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा निभाई जाने वाली नई भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पुनअनुस्थापन के लिए लक्ष्य की अवधि निर्धारित की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

परस्पर सम्बन्धों में सुधार के लिए प्रतिनिधिमण्डल

8653. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परस्पर सद्भावना सम्बन्धों का वातावरण तैयार करने के लिए चीन और एशिया के अन्य पड़ोसी देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और प्रतिनिधिमंडल के लिए क्या मार्गनिर्देश तय

किये गये हैं और वे कब तक इन देशों की यात्रा पर जायेंगे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि चीन और एशिया के अन्य पड़ोसी देशों के साथ आपसी सद्भाव और समझबूझ के वातावरण को बढ़ावा दिया जाये। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह प्रस्ताव है कि कुछ शिष्टमंडलों को चीन और पाकिस्तान भेजा जायेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर आवश्यक समझा गया तो और जब आवश्यक समझा गया तब कुछ अन्य प्रतिनिधिमंडलों को भी इन देशों में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी भेजा जा सकता है, हालांकि अभी इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई है। शिष्टमंडलों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तथा उनकी यात्रा की तारीखें अभी निश्चित नहीं की गई हैं।

पर्वतीय राज्यों को प्रोत्साहन

8654. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या योजना मंत्री पर्वतीय राज्यों को आर्थिक सहायता के बारे में 15 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य, संचार, ग्रामीण विकास, वित्त, परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास के प्रशासनिक मन्त्रालय जो पेयजल पूर्ति योजनाओं का कार्य देख रहे हैं जिनके सम्बन्ध में उत्तर में नियमों की छूट और विशेष प्रोत्साहनों के बारे में बताया गया है, ने पर्वतीय क्षेत्रों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के लिए सातवीं योजना के पहले छः महीनों में इन छूटों और प्रोत्साहनों पर वास्तव में ध्यान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक विशेष श्रेणी के राज्य और पर्वतीय क्षेत्रों में इन मार्गनिर्देशों के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य उपकेन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये गये हैं और ग्रामीण सड़कों, विद्युतीकरण और पेयजल पूर्ति से संबंधित कितनी योजनाओं की मंजूरी दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पुलिस व जनता के बीच सम्पर्क मजबूत करने और उसे कायम रखने हेतु तंत्र

8655. **श्री बिमल कान्ति घोष :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस व जनता के बीच सम्पर्क मजबूत करने और उसे कायम रखने हेतु एक तंत्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में पुलिस का विषय सम्मिलित है। पुलिस-व-जन सम्पर्क को सुदृढ़ करने तथा बनाये रखने के लिए एक कारगर तंत्र तैयार करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का कार्य है।

मंजूरी के लिए लंबित पड़ी पनबिजली योजना

8656. **श्री बिमल कांति घोष** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के पास कोई पन-बिजली योजना मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) तत्सम्बन्धी कारणों के साथ-साथ निवेश अनुमोदनार्थ लम्बित जल-विद्युत स्कीमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

निवेश अनुमोदनार्थ लंबित हाइड्रो पावर परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	योजना का नाम	राज्य	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	स्थापित क्षमता (मे०वा०)	लंबित अनापत्ति के कारण
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
1.	चेनानी एच०ई० परियोजना (2 × 1—12 × 2 मे०वा०)	जम्मू व कश्मीर	20.92	6	इंडूज वाटर ट्रेटी से अनापत्ति की प्रतीक्षा है।
2.	शाहपुर कंडी एच०ई०पी० (2 × 47 मे०वा०)	पंजाब	124.30	94	अन्तरर्राज्य पहलुओं से अनापत्ति की प्रतीक्षा है।
3.	पालामनेरी एच०ई०पी० (3 × 47.5 मे०वा०)	उत्तर प्रदेश	126.16	142.5	पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की प्रतीक्षा है।
4.	खारा एच०ई०पी० (3 × 24 मे०वा०)	उत्तर प्रदेश	110.07	72	उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों के बीच अन्तर्राज्य पहलुओं को अभी हल किया जाना है।
5.	सोबला मिनी हाइडल (3 × 2 वा०)	उत्तर प्रदेश	7.33	6	वन अनापत्ति की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
6.	राजघाट एच०ई०पी०) (3 × 15 वा०)	उत्तर प्रदेश/ मध्य प्रदेश	37.47	45	वन अनापत्ति की प्रतीक्षा है।
7.	उहल एच०ई०पी० चरण-2 (4 × 17.5 मे०वा०)	हिमाचल प्रदेश	97.66	70	(1) वन अनापत्ति की प्रतीक्षा है। (2) 1988-89 वार्षिक योजना में अपर्याप्त प्रावधान।
8.	चमेरा एच०ई०पी० चरण-2 (3 × 100 मे०वा०)	हिमाचल प्रदेश	366.41	300	(1) वन अनापत्ति की प्रतीक्षा है। 2 } * 3 } *—
	उप – जोड़ (उ०क्षे०)		890.32	735.50	
	पश्चिमी क्षेत्र				
9.	नर्मदा सागर (8 × 125 मे०वा०)	मध्य प्रदेश	1392.85	1000	परिशोधित लागत के लिए टी०ए०सी०/सी०ई०ए० अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
10.	सरदार सरोवर (6 × 200 + 5 × 50 मे०वा०),	मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र/ गुजरात	4240.00	1450	परिशोधित लागत के लिए टी०ए०सी०/ सी०ई०ए० अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
	उप-जोड़ (प०क्षे०)		5632.85	2450.00	
	दक्षिणी क्षेत्र				
11.	मधुर-शांखा नहर (1.5 वा०)	कर्नाटक	2.42	1.5	अन्तर्राज्य पहलुओं से अनापत्ति का प्रतीक्षा है।
12.	पेकरा अननतिम चरण (3 × 50 मे०वा०)	तमिलनाडु	70.16	150	वन अनापत्ति की प्रतीक्षा है।
	उप-जोड़ (द० क्षेत्र)		72.50	151.5	
	उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र				
13.	सेस्सा नाला	अरुणाचल	1.96	1.5	(1) वन अनापत्ति की प्रतीक्षा है। (2)* वार्षिक योजना 1988-89 में अपर्याप्त प्रावधान (3)* केन्द्रीय क्षेत्र में अंतरित करने की सम्भावना।

20-सूत्री कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को धनराशि

8657. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को वर्षवार कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ख) उड़ीसा ने कितनी धनराशि व्यय की ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88) के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के लिये उड़ीसा राज्य योजना के सम्बन्ध में दी गई कुल धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रु०)

	आवंटित की गई कुल धनराशि	कुल व्यय
1985-86	305.93	271.87
1986-87	387.26	360.72
1987-88	414.70	437.85 (प्रत्याशित)

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई में पासपोर्टों के लिए आवेदन-पत्र

86‘8. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई में पासपोर्ट बनवाने के लिये प्रतिमाह औसतन कितने आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाते हैं और औसतन कितने पासपोर्ट जारी किये जाते हैं;

(ख) इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार बम्बई स्थित पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिये कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) (I) अप्रैल, 1987 से मार्च, 1988 के दौरान प्रतिमास औसतन 18566 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए।

(II) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रतिमास औसतन 17342 पासपोर्ट जारी किये गये।

(ख) 30—45 दिन।

(ग) पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय पुलिस स्पष्ट साक्ष्यांकन रिपोर्टों की प्राप्ति और आवेदनों द्वारा दी गई पूर्ण सूचना पर निर्भर होता है तथापि पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई सहित पासपोर्ट कार्यालयों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे सामान्य रूप से स्पष्ट पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्टें प्राप्त होने के पांच दिन के भीतर पासपोर्ट जारी कर दें।

हथियारों की खरीद के लिए रक्षा सम्बन्धी शिष्टमण्डल की अमरीका यात्रा

8659. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोई रक्षा सम्बन्धी शिष्टमण्डल हथियारों की खरीद के लिए अमरीका गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये अमरीका की सरकार के साथ कोई समझौता कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) हाल ही में, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन एवं थल सेना से तीन सदस्यों के दल को, कुछ रक्षा मदों के बारे में तकनीकी विमर्श के लिये अमरीका भेजा गया था। इस दल को दिये गये आदेश में हथियारों की खरीद का विचार मामला शामिल नहीं था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम राइफल कैम्प को आइजोल शहर से हटाकर अन्यत्र ले जाना

8660. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आइजोल स्थित असम राइफल कैम्प को शहर के मध्य भाग से हटाकर अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो कैम्प को अन्यत्र स्थान पर ले जाने की मांग करने के क्या कारण बताये गए हैं; और

(घ) इन पर क्या निर्णय लिया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, मिजोरम सरकार से।

(ग) मिजोरम सरकार असम राइफल बटालियन द्वारा अधिकृत भूमि को अपने भवन इत्यादि के निर्माण के लिए चाहती है।

(घ) असम राइफल बटालियन को आइजोल शहर से नए स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिये सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है।

चीनी सेना के आधुनिकीकरण के बारे में समाचार

8661. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन का शीर्ष सैनिक निकाय, सैंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन की रक्षा और सेना के आधुनिकीकरण के बारे में कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह आधुनिकीकरण भारत की रक्षा के लिए कितना खतरनाक होगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार ने चीन द्वारा अपनी रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के उस कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट देखी हैं जिसमें चीन के रक्षा औद्योगिक आधार का पुनर्निर्माण, रक्षा अनुसंधान और विकास क्षमताओं में सुधार और अपनी फारमेशनों को पुन: सगठित एवं पुन: सुसज्जित करके पी०एल०ए० की युद्ध कारगरता को बढ़ाने का कार्यक्रम शामिल है ।

सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर उचित उपाय करती है ।

भारत शिक्षा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा

8662. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत शिक्षा केन्द्र ने कमजोर वर्गों को लाभप्रद रोजगार में सहायता करने हेतु उन्हें कम्प्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो भारत शिक्षा केन्द्र द्वारा आरम्भ किये जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) कमजोर वर्गों के लिए यह कार्यक्रम किस सीमा तक सहायक होगा; और

(घ) यह कार्यक्रम किन-किन राज्यों में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) "इण्डिया एज्युकेशन सेंटर" एक निजी ट्रस्ट है जो आमतौर पर कम्प्यूटर में प्रशिक्षण देने वाली एक व्यावसायिक संस्था है । कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कम्प्यूटर शिक्षण तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की उनकी योजना के बारे में सरकार का कोई जानकारी नहीं है ।

जिला स्तर पर योजना तंत्र को सक्षम बनाने के लिए कृतिकबल

8663. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य तथा जिला स्तर पर योजना तंत्र को सक्षम बनाने के लिए एक कृतिकबल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने योजना आयोग से जिला तथा राज्य स्तर पर योजना प्रक्रिया को विकसित करने तथा उसे लागू करने को कहा है;

(घ) कृतिकबल कब तक गठित कर लिया जायेगा; और

(ङ) इससे राज्य स्तरीय योजना को कहां तक सहायता मिलेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख) योजना आयोग में हाल ही में जिला स्तर की योजना के सम्बन्ध में अवधारणा तथा विचारों के सम्बन्ध में पूर्ण प्रक्रियाशीलता में रुकावट डालने वाले मसलों को हल करने के वास्ते एक आंतरिक कृतिकबल की स्थापना की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) कृतिकबल की पहले ही स्थापना की जा चुकी है।

(ङ) जिला योजना को संचालित करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना कृतिकबल का उद्देश्य है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में विलम्ब

8664. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के बारे में 23 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4487 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल लागत प्राक्कलन किस वर्ष तैयार किया गया था और प्रत्येक मामले में अद्यतन अनुमान किस वर्ष किया गया है;

(ख) परियोजना पूरा करने के लिए मूल लक्ष्य वर्ष क्या था और प्रत्येक मामले में परियोजना पूरी करने के लिए अब किस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या प्रशासनिक मन्त्रालय के प्रमुख और/अथवा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना का मूल अनुमान निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरा न करने के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभाने के लिए किसी भी मामले में दण्डित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार मन्त्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में उपलब्ध सूचना के आधार पर पीछे चल रही प्रत्येक 80 परियोजनाओं के संबंध में लागत अनुमान मूल और संशोधित के अनुमोदन के वर्ष और चालू होने की मूल संशोधित और प्रत्याशित तारीखें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	मूल (संशोधित) लागत अनुमान की सरकारी अनुमोदन की तारीख	चालू होने की तारीख	
			मूल (संशोधन)	प्रत्याशित
1	2	3	4	5
	उर्वरक			
1.	केप्रोलेक्ट्म-अमोनियम सलफेट (फेक्ट)	82/04	88/05	89/01

1	2	3	4	5
2.	हल्दीया उर्वरक परियोजना (एच० एफ० सी०)	71/11 (81/07)	76/10 (82/04)	90/03
3.	केप्टिव विद्युत परियोजना भटिंडा (एन० एफ० एल०)	85/04	88/04	88/06
4.	केप्टिव विद्युत परियोजना पानीपत (एन० एफ० एल०)	85/04	88/04	88/06
5.	पारादीप-2 फासफोरिक एसिड पी० पी० एल०)	82/01 (84/07)	87/11	89/04
	कोयला			
6.	एन० टी० सी० कोयला गैस दनकुनी (सी० आई० एल०)	77/10	84/09	88/12
7.	मूनीडीह यू० जी० (बी० सी० सी० एल०)	65/11 (83/02)	72/03 (85/03)	89/03
8.	राजरप्पा ओ० सी० (सी० सी० एल०)	77/08 (83/06)	84/03 (85/03)	90/03
9.	राजमहल ओ० सी० (ई० सी० एल०)	80/08 (85/05)	87/03 (91/03)	91/03
10.	बीना ओ० सी० (एन० सी० एल०)	79/05 (85/05)	86/03 (87/03)	88/03
11.	जयन्त विस्तार ओ० सी० (एन० सी० एल०)	79/01 (83/06)	84/03 (89/03)	90/03
12.	ककरी ओ० सी० (एन० सी० एल०)	80/10	87/03	90/03
13.	मादिया ओ० सी० (एन० सी० एल०)	85/09	94/03	94/03
14.	मानुगुरू-2 ओ० सी० (एस० सी० सी० एल०)	85/03	90/03	91/03
15.	रामागुंडम-2 ओ० सी० (एस०सी०सी०एल०)	87/01	92/03	94/03
16.	द्वितीय खान विस्तार (एन० एल० सी०)	83/02 (87/02)	90/03 (90/03)	90/03
17.	द्वितीय टी० पी० एल० स्तर-1 (एन० एल० सी०)	78/02 (83/02)	83/04 (86/02)	88/03

1	2	3	4	5
18.	द्वितीय टी० पी० एस० स्तर-2 (एन० एल० सी०)	83/02 (87/02)	89/06 (93/02)	97/02
	विद्युत			
19.	बोकारो बी-1 थर्मल (डी० वी० सी०)	78/01	82/04	87/03
20.	बोकारो बी-2 थर्मल (डी० वी० सी०)	81/07	85/10	89/06
21.	मेजिया थर्मल (डी० वी० सी०)	86/03	92/09	92/09
22.	दोयांग एच० ई० (निपको)	83/02 (85/03)	92/06 (92/06)	93/06
23.	कोपिली एच० ई० (निपको)	75/03 (85/09)	82/12 (86/06)	88/03
24.	चमेरा एच० ई० (एन० एच० पी० सी०)	84/04	90/03	91/05
25.	दुलहस्ती एच० ई० (एन० एच० पी० सी०)	82/11	91/01	92/12
26.	कोयल कारो एच० ई० (एन०एच०पी०सी०)	82/07	88/12	94/03
27.	टनकपुर एच० ई० (एन० एच० पी० सी०)	84/08	89/06	90/03
28.	जयपुर तलचर संचरण लाईन (एन० एच० पी० सी०)	83/12	87/03	89/03
29.	फरक्का एस० टी० पी० पी० स्तर-2 (एन० टी० पी० सी०)	84/09	92/03	92/06
30.	कहलगांव एस० टी० पी० पी० स्तर-1 (एन० टी० पी० सी०)	85/07	92/07	93/01
31.	कोरबा एस० टी० पी० पी० स्तर-2 (एन० टी० पी० सी०)	81/09	89/03	89/08
32.	रामागुंडम एस० टी० पी० पी० स्तर-1 (एन० टी० पी० सी०)	78/04 (83/09)	84/12 (88/03)	88/07
33.	रामागुंडम एस० टी० पी० पी० स्तर-2 (एन० टी० पी० सी०)	81/09	90/03	90/07
34.	रिहन्द एस० टी० पी० पी० स्तर-1 (एन० टी० पी० सी०)	82/06	88/06	88/12
35.	विन्ध्याचल एस० टी० पी० पी० स्तर-1 (एन० टी० पी० सी०)	82/06	89/12	89/12

1	2	3	4	5
36.	एन० सी० आर० टी० पी० पी० दादरी (एन० टी० पी० सी०)	87/02	93/09	93/09
37.	कवस जी० पी० पी० सूरत (एन० टी० पी० सी०)	86/10	91/04	91/04
38.	ऐंटा जी० पी० पी० (एन० टी० पी० सी०)	86/10	90/08	90/08
39.	औरैया जी० पी० पी० (एन० टी० पी० सी०)	86/10	91/01	90/12
40.	केन्द्रीय संचरण लाइनें (एन० टी० पी० सी०)	84/01 (87/08)	89/93 (92/03)	92/03
41.	कोरबा संचरण लाईनें-2 (एन टी० पी० सी०)	81/09	88/03	89/03
42.	रामागुंडम संचरण लाईनें-1 (एन० टी० पी० सी०)	78/04 (83/09)	87/10 (87/10)	88/12
43.	रिहन्द संचरण लाईनें (एन० टी० पी० सी०)	85/03	88/12	89/09
44.	विन्ध्याचल संचरण लाईनें-1 (एन० टी० पी० सी०)	82/06	89/02 (89/02)	89/06
	रसायन और पैट्रो-रसायन			
45.	महाराष्ट्र गैस क्रेकर काम्पलेक्स (आई० पी० सी० एल०)	84/08	89/12	89/12
46.	नाईलॉन-6 फिलामेंट यार्न परियोजना (पी० सी० एल०)	86/03	90/ 3	90/03
	लोक उद्यम (डी० पी० ई०)			
47.	नयागांव परियोजना विस्तार (सी० सी० आई०)	81/04 (86/09)	86/04 (89/04)	89/04
48.	येरागुन्तला सीमेंट परियोजना (सी० सी० आई०)	81/04 (87/10)	86/09 (89/10)	90/04
49.	काचर कागज परियोजना (एच० पी० सी०)	77/03 (82/07) (85/05)	81/12 (86/04)	88/03
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस			
50.	एल० पी० जी० विपणन सुविधा-3 (बी० पी० सी० एल०)	83/06 (85/12) (87/07)	88/03 (88/03) (88/12)	88/12

1	2	3	4	5
51.	पोली स्टेपल फाईबर संयंत्र (बी० आर० पी० एल०)	72/08 (84/03)	81/12 (86/04)	88/03
52.	एल० पी० जी० विपणन सुविधा-3 (एच० पी० सी० एल०)	83/06 (85/12)	88/03 (88/03)	89/03
53.	एल० पी० जी० विपणन सुविधा-3 (आई० ओ० सी०)	83/06 (85/12)	88/03 (88/03)	88/11
54.	वीरामगाम-चाकसू-करनाल पाईप लाईन (आई० ओ० सी०)	84/09 (87/04)	88/09 (91/03)	91/03
55.	त्वरित उत्पादन कार्यक्रम बम्बई सुदूर तटीय (ओ० एन० जी० सी०)	82/07 (83/05)	8 /03 (87/04)	88/05
	खान			
56.	केप्टिव विद्युत संयंत्र (बालको)	82/12 (85/08)	87/09	88/01
57.	उड़ीसा अल्म० काम्पलैक्स (नालको)	80/11 (84/06)	87/10 (88/09)	88/09
	इस्पात			
58.	4 मी० टन० विस्तार भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल)	76/03 (83/03) (86/12)	81/12 (84/12)	88/03
59.	4 मी० ट० विस्तार बोकारो इस्पात संयंत्र (सेल)	73/03 (82/12)	77/03 (84/12)	88/09
60.	केप्टिव विद्युत संयंत्र दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (सेल)	78/09 (82/12) (88/02)	83/12 (84/05) (88/06)	88/06
61.	केप्टिव विद्युत संयंत्र दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (सेल)	78/09 (81/10) (87/08)	83/06	88/03
62.	केप्टिव विद्युत संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र (सेल)	81/06	85/06	88/03
63.	राउरकेला सिलीकॉन इस्पात परियोजना (सेल)	77/11 (82/12) (86/08)	81/03 (83/03) (83/03)	88/03

1	2	3	4	5
64.	विजाग इस्पात परियोजना (आर० आई० एन० एल०)	79/06 (82/07)	87/12 (91/07)	90/06
	रेलवे			
65.	झांसी-बीना-इटारसी (विद्युतिकरण)	81/07 (84/04)	88/12	78/12
66.	विजयवाड़ा-काजीपेट-वलहारशाह (विद्युतिकरण)	81/04 (84/04)	88/12	89/03
67.	जोगीघोपा-गोहाटी (नई लाईन)	84/03	94/03	94/03
68.	कोरापुट-रायगढ़ (नई लाईन)	82/03 (86/06)	87/03 (91/03)	91/03
69.	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच (नई लाईन)	81/03	90/03	90/03
70.	रेल कोच फैक्टरी-चरण-1 कपूरथला	85/08 (87/12)	88/03	88/03
71.	भूमिगत कलकत्ता मेट्रो	72/04 (75/12) (86/04)	78/12 (89/12)	90/12
72.	मद्रास बीच-एल० यू० जैड०-आर० टी० एस० लाईन	83/05	93/06	93/06
73.	मनखुर्द/बेलापुर लाईन विस्तार	86/02	90/10	90/10
74.	भाड़ा प्रचालन, आ० स० प्रणाली	84/03	93/12	93/12
	भूतल परिवहन			
75.	3 एल० आर०-2 टेंकरों की प्राप्ति (एस० सी० आई०)	86/04	91/01	91/01
76.	नवाहा शेवा बन्दरगाह परियोजना	82/06 (83/09)	87/12 (88/10)	89/02
77.	अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे	86/01	91/12	91/12
	परमाणु ऊर्जा			
78.	कठोर जल परियोजना मानुगुरू	82/09	88/04	89/09
79.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	74/01 (83/04)	84/12	89/12
80.	ककरपारा परमाणु विद्युत परियोजना	81/07	91/12	91/12

भारत में शरणार्थी

8665. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1988 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने शरणार्थी हैं;

(ख) सरकार ने वर्ष 1984 से 1987 तक इन शरणार्थियों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की है; और

(ग) सरकार ने इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न देशों से आये शरणार्थियों की संख्या नीचे दी गई है :

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्न देशों से आए शरणार्थियों की संख्या		
		श्रीलंका (फरवरी, 1988 की समाप्ति पर स्थिति)	तिब्बत (फरवरी, 1988 की समाप्ति पर स्थिति)	बंगलादेश 23.3.1988 की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	1,10,127	—	—
2.	जम्मू और कश्मीर	—	4,817	—
3.	हिमाचल प्रदेश	—	14,380	—
4.	उत्तर प्रदेश	—	12,251	—
5.	पंजाब	—	7	—
6.	हरियाणा	—	10	—
7.	चण्डीगढ़	—	75	—
8.	दिल्ली	—	895	—
9.	बिहार	—	39	—
10.	पश्चिम बंगाल	—	3,396	—
11.	सिक्किम	—	4,967	—
12.	अरुणाचल प्रदेश	—	5,911	—
13.	मेघालय	—	183	—
14.	उड़ीसा	—	3,249	—
15.	मध्य प्रदेश	—	1,798	—

1	2	3	4	5
16.	महाराष्ट्र	—	1,023	—
17.	पांडिचेरी	—	78	—
18.	कर्नाटक	—	26,833	—
19.	त्रिपुरा	—	—	45,379
	जोड़	1,10,127	79,912	45,379

उपर्युक्त आंकड़ों में श्रीलंका अथवा अन्य देश जैसे बर्मा, मोजाम्बिक, जैयरे, युगांडा, वियतनाम से वापस भेजे गए व्यक्तियों की संख्या शामिल नहीं है क्योंकि मांगी गई सूचना केवल शरणार्थियों से सम्बन्धित है।

2. भूतपूर्व पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति जो भारत आये थे और सरकार की सहायतो अथवा, स्वयं आबाद हो गए थे, की संख्या भी इस कारण शामिल नहीं की गई है, क्योंकि उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल माना जाता है और वे अब शरणार्थी नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक इन शरणार्थियों पर किया गया खर्च इस प्रकार है :—

	लाख रुपयों में खर्च
श्रीलंका के शरणार्थी	10,42,84
बंगलादेश के शरणार्थी	3,18,23
तिब्बत के शरणार्थी	68,53

(ग) श्रीलंका के शरणार्थियों को न तो पुनर्वास सहायता दी गई और न ही कोई सहायता देने का प्रस्ताव है क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं है और उनको श्रीलंका वापस भेजा जाना है।

त्रिपुरा में रह रहे बंगलादेश से आये शरणार्थियों को भी उस देश में वापस जाना है और उनको वापस भेंजने के प्रश्न को बंगला देश सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया जा रहा है।

जहां तक तिब्बती शरणार्थियों का सम्बन्ध है, लगभग 38,300 शरणार्थियों का विभिन्न राज्यों में कृषि और हस्तशिल्प योजनाओं में सरकार की सहायता से पुनर्वास किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 24,200 तिब्बती शरणार्थी छोटे व्यापारों और रोजगारों में स्वयं पुन: आबाद हो गए हैं। लगभग 2950 तिब्बती शरणार्थियों को पुन: बसाया जा रहा है। बताया जाता है कि लगभग 14,000 तिब्बती शरणार्थियों को अभी सहायता की आवश्यकता है। राज्यों सरकारों से उनके उचित पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त राजस्व

8666. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-88 के दौरान परमाणु ऊर्जा केन्द्रों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): वित्त वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान बिजली की बिक्री से परमाणु बिजलीघरों से क्रमश: 191.10 करोड़ रुपये और 206.29 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को धनराशि

8667. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए वर्षवार, कार्यक्रमवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : संलग्न विवरण में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पिछले तीन वर्ष अर्थात (1985-86, 1986-87, 1987-88) के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए आवंटित कुल धनराशि की जानकारी दी गई है ।

विवरण

प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अधीन-निधियों का आवंटन

क्र० सं०		एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम			ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम		
		1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	2666.33	3739.77	4347.72	5284.00	5914.90	4119.70	5191.00	6506.86	6232.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	214.26	367.15	384.00	42.00	64.12	36.06	47.80	70.86	54.06
3.	असम	1377.20	1256.59	1365.16	1158.75	1241.92	1371.82	1250.75	1363.48	1305.87
4.	बिहार	5248.41	7097.72	841[illegible].68	7621.25	3590.02	9523.67	8222.25	9205.16	8966.39
5.	गुजरात	1597.10	1979.67	2123.03	1723.00	1983.20	2263.72	1873.60	2126.80	2158.72
6.	हरियाणा	441.25	691.18	673.45	455.75	560.60	637.84	502.95	600.80	608.84
7.	हिमाचल प्रदेश	310.63	437.76	385.76	321.00	371.48	410.38	346.60	420.00	403.38
8.	जम्मू और कश्मीर	549.77	702.03	606.14	396.25	457.92	506.18	422.45	510.90	489.18
9.	कर्नाटक	1726.56	2173.82	2593.47	2514.00	2853.98	3153.00	2710.40	3144.48	3012.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	केरल	1341.32	1477.97	1635.49	2467.25	2332.37	2214.00	2648.65	2561.08	2450 80
11.	मध्य प्रदेश	3762.82	5073.61	5851.95	3901.00	5065.29	5620.73	4235.80	5430.71	5410.86
12.	महाराष्ट्र	3057.85	3699.47	4424.25	4251.25	4806.05	4421.20	4572.25	4292.50	4160.20
13.	मणिपुर	126.41	154.83	129.14	58.25	69.42	74.50	55.20	76.98	74.50
14.	मेघालय	170.92	208.17	192.96	79.25	96.46	104.46	71.60	101.12	97.46
15.	मिजोरम	89.28	180.68	160 00	42 00	64.12	34.06	47.60	245.86	54.06
16.	नागालैण्ड	100.29	263.27	168.00	56.25	77.09	82.54	59.65	83.57	80.54
17.	उड़ीसा	2496.40	2972.04	3244.50	2412.50	2728.16	3013.13	2579.50	3001.74	2874.13
18.	पंजाब	531.06	795.36	728.95	736.25	597.15	681.00	808.25	639 80	649.00
19.	राजस्थान	1587.63	2523.54	2879.05	1280.00	2337.35	2664.95	1395.80	2523.00	2558.95
20.	सिक्किम	20.07	86.13	32.00	42.00	48.73	53.69	46.80	55.80	52.69
21.	तमिलनाडु	2776.85	3793.53	4234.50	4772.00	4876.91	5387.27	5110.80	5359.80	5133.27
22.	त्रिपुरा	165.76	146.75	153.12	177.50	204.60	223.68	190 30	228.68	217.69
23.	उत्तर प्रदेश	6827.25	10029.66	11651.58	9130.75	10622.15	12225.36	9809.25	11383.10	11634.20
24.	पश्चिम बंगाल	3403.28	4001.01	4725.10	4130.00	4537.85	5242.08	4452.60	4867.10	4938.28
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.32	45.15	40.00	42.00	64.12	66.46	47.80	70.86	66.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	चण्डीगढ़	4.46	60.73	0.75	12.25	15.70	20.05	12.85	16.60	18.06
27.	दादरा और नगर हवेली	4.46	23.79	8.00	21.00	32.06	33.69	23.80	35.80	33.69
28.	दिल्ली	22.32	100.58	40.00	19.00	26.05	32.09	23.80	41.50	42.09
29.	गोआ, दमन और द्वीव	53.56	193.36	96.00	45.75	75.67	76.90	58.75	97.30	91.90
30.	लक्षद्वीप	22.32	30.49	21.25	12.25	17.03	20.00	12.85	18.14	19.96
31.	पांडिचेरी	17.86	76.75	32.00	42.00	64.12	66.46	47.80	70.86	66.46

नेशनल फैडरेशन आफ दि ब्लाइंड

8668. श्री पी० एम० सईद : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1988 के अन्तिम सप्ताह में नेशनल फैडरेशन आफ दि ब्लाइंड द्वारा दिल्ली में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस फैडरेशन द्वारा क्या निर्णय किये गये तथा कौन-कौन से प्रस्ताव पारित किये गये;

(ग) क्या सरकार से विकलांगों के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक पुरःस्थापित करने का अनुरोध किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) फैडरेशन द्वारा लिये गये निर्णय और पारित किये गये प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार सेमिनार में विकलांगों के लिये एक व्यापक विधान बनाने की सिफारिश की गई है। श्री महाबूल इस्लाम, संसद सदस्य की अध्यक्षता में विकलांगों के लिए विधान बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये पहले से ही एक समिति का गठन किया गया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में महासागर विकास के लिए स्थल का चुनाव

8669. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में महासागर विकास के लिए स्थान चुनने का निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थान तथा प्रस्तावित विकास का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्षद्वीप में इसी प्रकार के महासागर विकास की स्थापना करने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। स्थल के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। विशेषज्ञों का एक दल हाल ही में पोर्ट ब्लेयर गया था जिसने एक समुद्री जलजीवशाला की स्थापना के लिए अण्डमान में कुछ सम्भावित स्थलों की पहचान की है।

(ग) और (घ) यही विशेषज्ञ दल वर्तमान जलजीवशाला के विस्तार की योजना का अध्ययन करने तथा एक नई जलजीवशाला की स्थापना के लिए हाल ही में लक्षद्वीप भी गया। इस दल के रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के कार्यालय

8670. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी विभाग के कार्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यालय कहां और कब खोले जायेंगे; और

(ग) क्या एक ऐसा कार्यालय बंगलौर में भी खोला जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां, एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) शुरू-शुरू में सात केन्द्रों अर्थात लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, कोचीन तथा बंगलौर में कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कर्नाटक के समुदायों की संख्या

8671. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु दस समुदायों तथा इनके पर्याय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मेडा समुदाय कर्नाटक समुदाय द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने के लिये सिफारिश किये गये समुदायों में से एक है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिये कोई निर्णय लिया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की सिफारिशें और उन पर सरकार के निर्णय को इस स्तर पर नहीं बताया जा सकता।

जांच आयोगों के लिए नियुक्त न्यायाधीश

8672. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कितने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जांच आयोगों के कार्य के लिए नियुक्त किया गया;

(ख) उनके द्वारा की जाने वाली जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक महत्व की जांचों पर केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नौसैनिक विज्ञान प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

8673. **श्री अनादि चरण दास :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसैनिक विज्ञान प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती सम्बन्धी नीति और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 100 और 40 प्वाइंट रोस्टरों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोगशाला में विभिन्न श्रेणियों में कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) आरक्षण नियमों का कार्यान्वयन न किये जाने के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान प्रयोगशाला को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आरक्षित पद को अनारक्षित किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) भारत सरकार द्वारा भर्ती के लिए समय-समय पर जारी किए गए सभी सांविधिक नियमों एवं अन्य अनुदेशों का, नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम सहित रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की सभी प्रयोगशालाएं पालन करती हैं।

सभी प्रयोगशालाओं को केवल समूह "ग" और समूह "घ" स्टाफ को भर्ती करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) समूह "ग"

	वर्ष	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(क)	1985	6	—	1
(ख)	1986	11	2	1
(ग)	1987	23	3	3
	समूह "घ"			
(क)	1985	1	—	—
(ख)	1986	2	—	—
(ग)	1987	19	7	3

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला को पांच अभ्यावेदन प्राप्त हुए। अप्रैल, 87 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से एक दल ने नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का दौरा किया था। इस दल ने नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रयोगशाला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गये सेवा सम्बन्धी लाभों का विस्तार से अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किसी गम्भीर अनियमितता को उल्लेख नहीं किया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधी भर्ती के किसी पद को अनारक्षित नहीं किया गया।

नौसैनिक गोदी, विशाखापत्तनम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की फोरमैन ग्रेड में पदोन्नति

8674. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 मार्च, 1988 को विशाखापत्तनम की नौसैनिक गोदी में फोरमैनों और वरिष्ठ फोरमैनों की संख्या कितनी थी और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे;

(ख) क्या पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण की सुविधा दी जा रही है और यदि हां, तो इन उम्मीदवारों को पदोन्नति में क्या रियायतें दी जाती हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे फोरमैनों की संख्या कितनी है जिनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया और ऐसा किन कारणों से किया गया; और

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम की नौसैनिक गोदी को पदोन्नति में आरक्षण नीति को क्रियान्वित न किए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क)

	वरिष्ठ फोरमैन	फोरमैन
कुल संख्या	95	161
अनुसूचित जाति	7	22
अनुसूचित जनजाति	3	2

(ख) जी, हां। विभागीय परीक्षाओं/प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रियायती मानदंड अपनाये जाते हैं। चयन आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अलग चयन सूचियां बनाई जाती हैं।

(ग) शून्य।

(घ) जी, हां। पदोन्नतियों में आरक्षण नीति का अनुपालन न होने के बारे मे प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्बन्धित अनुदेशों के अनुसार विचार किया गया तथा उन्हें निपटाया गया।

विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक गोदी में अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव किये जाने की शिकायतें

8675. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक गोदी और पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना गोदी में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों पर जाति के आधार पर अत्याचार, भेदभाव तथा उनके उत्पीड़न के विरुद्ध कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) इन अभ्यावेदनों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों के निवारण में कितना औसत समय लगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क)और (ख) प्राप्त हुए 25 अभ्यावेदनों की तत्काल जांच की गई। इनमें से अधिकतर स्थानांतरण, भर्ती एवं पदोन्नति से सम्बन्धित थे। जहां आवश्यक था शिकायतों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

(ग) प्रत्येक मामले में लगभग एक माह।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सरकारी कर्मचारियों के लम्बित मामले

8676. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावनि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सरकारी कर्मचारियों के अनेक मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका मंत्रालयवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, केन्द्रीय सतर्कता आयोग में 1983 के बाद से सलाह के लिए प्राप्त हुए मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 1983 में 2044, 1984 में 2600 और 1985 में 2956 थी।

(ख) 31.3.1988 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग में लंबित पड़े उन मामलों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है, जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं।

(ग) चूंकि प्रत्येक मामले की बहुत ही सावधानीपूर्वक और बारीकी से जांच-पड़ताल की जानी आवश्यक होती है इसलिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अधिकारी—उन्मुख प्रणाली पर बल दिया गया है। प्राप्त हुए मामलों के शीघ्र निपटान के प्रयोजन से जून-जुलाई, 1986 में एक कर्मचारी निरीक्षण यूनिट कार्य अध्ययन आयोजित किया गया था। कर्मचारी निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों पर, लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, 21 अतिरिक्त पद (3 सी०डी०आई०, एक निदेशक, एक अवर सचिव और 2 अनुभाग अधिकारियों तथा कार्यालयी स्टाफ के अन्य पद) मंजूर किए गए थे

विवरण

31 3.1988 की स्थिति के अनुसार आयोग के पास लंबित पड़े मामलों की सूची
(जिनमें सरकारी कर्मचारी और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं)

क्रम सं०	विभाग का नाम, जिससे मामला संबंधित है	आयोग में लंबित पड़े मामलों की संख्या	
		सलाह के लिए	जांच के लिए
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	11	36
2.	रेल मंत्रालय	25	99
3.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड	4	34
4.	कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय	1	9
5.	जल संसाधन मंत्रालय	1	—
6.	दूरसंचार विभाग	4	22
7.	डाक विभाग	6	54
8.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1	—
9.	पर्यटन और नागर विमानन विभाग	5	5
10.	पूर्ति मंत्रालय	42	14
11.	शहरी विकास मंत्रालय	37	13
12.	श्रम मंत्रालय	5	15
13.	दिल्ली प्रशासन	28	40
14.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	6	5
15.	शिक्षा विभाग	1	10
16.	संस्कृति विभाग	3	—
17.	अंडमान और निकोबार प्रशासन	2	—
18.	अरुणाचल प्रदेश	1	4
19.	पांडिचेरी सरकार	1	5
20.	मंत्रिमण्डल सचिवालय	2	1
21.	गोवा सरकार	2	7
22.	चण्डीगढ़ प्रशासन	1	—

1	2	3	4
23.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1	4
24.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	1	7
25.	गृह मंत्रालय (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित)	3	10
26.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	2	—
27.	रक्षा मंत्रालय	1	30
28.	वाणिज्य मंत्रालय	1	9
29.	परमाणु ऊर्जा विभाग	—	2
30.	कोयला विभाग	—	1
31.	विदेश मंत्रालय	—	2
32.	भू-तल परिवहन मंत्रालय	—	6
33.	अंतरिक्ष विभाग	—	2
34.	खान विभाग	—	9
35.	विधि मन्त्रालय	—	1
36.	मिजोरम	—	2
37.	औद्योगिक विकास विभाग	—	3
38.	संचार मंत्रालय	—	1
39.	पर्यावरण, वन और वन्यजीवन विभाग	—	2
40.	कम्पनी कार्य विभाग	—	1
41.	वस्त्र मंत्रालय	—	1
	जोड़	199	466

समूह "क" के वरिष्ठ ग्रेडों में रिक्त पद

8677. श्री कुंवर राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव और इससे ऊपर जैसे समूह "क" के वरिष्ठ ग्रेडों में, श्रेणीवार, कितने पद लम्बी अवधि तक रिक्त पड़े रहे थे;

(ख) इन पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं और प्रत्येक पद कितने समय तक रिक्त रहे थे;

(ग) क्या सरकार ने इन पदों पर आसीन व्यक्तियों की अवनति/सेवानिवृत्ति के कारण इन पदों को भरे जाने से पूर्व कोई अग्रिम योजना तैयार की थी; यदि हां, तो लम्बी अवधि तक पदों को रिक्त

पड़े रहने देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वर्ष 1987 के दौरान विभाग में वरिष्ठ ग्रेडों में कुछ अधिकारियों को बिना कार्य सौंपे ही ड्यूटी पर रखा गया था; यदि हां, तो उनकी तैनाती न करके रिक्तियों की स्थिति का किस प्रकार समाधान किया गया था ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ये पद इन पदों के पदधारियों के स्थानान्तरण/पदोन्नति/परावर्तन/सेवानिवृत्ति के कारण खाली रहे। जिस अवधि के लिए ये पद खाली रहे, वह संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) जी, हां। ये पद इन कारणों से खाली रहे—(1) इन खाली पदों को भरने के लिए उपयुक्त अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया चल रही थी (2) चुने गए अधिकारियों ने संबंधित नियुक्तियों का कार्यभार ग्रहण करने में काफी समय लिया।

(घ) एक उप सचिव को 1987 के दौरान किसी अन्य मन्त्रालय/विभाग में उसका स्थानन होने तक लोक हित में अनिवार्य रूप से प्रतीक्षा में रखा गया था।

विवरण

क्रम सं०	पद का पदनाम	उस पद (पदों) की संख्या जो एक मास से अधिक की अवधि के लिए खाली रहे	रिक्ति की अवधि
1.	अपर सचिव	1	लगभग दो मास।
2.	निदेशक/उप सचिव	10	दो मास से 7 मास की अवधि के बीच, भिन्न-भिन्न अवधियों तक खाली रहे।
3.	अवर सचिव	6	एक मास से एक वर्ष की अवधि के बीच भिन्न-भिन्न अवधियों तक खाली रहे। एक पद लगभग एक वर्ष तक खाली रहा तथा अवर सचिव के एक खाली पद को आस्थगित रखा गया है।

अपंगों को बिजली के कनेक्शन

[हिन्दी]

8678. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व अपंग सैनिकों को बिजली के कनेक्शन तथा कई अन्य सुविधाएं देने

में रियायतें दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अन्य अपंग व्यक्तियों को भी ये रियायतें देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) भूतपूर्व अपंग सैनिकों को लाईट तथा पावर के घरेलू उपयोग के लिए प्रति मास 75 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान करता है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण, सभी विकलांगों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना सम्भव नहीं है। अन्य राज्य विद्युत बोर्डों से ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का विविधिकरण कार्यक्रम

[अनुवाद]

8679. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने अपने विविधिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नए क्षेत्रों को चुना है;

(ख) यदि हां, तो विविधिकरण योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने पूंजी निवेश के अधिकतम उपयोग द्वारा अपनी उत्पादकता मे सुधार के लिए कौन से कदम उठाये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। विविधिकरण के लिए पता लगाये गये नये क्षेत्रों में से मुख्य है—उपग्रह संचार व्यवस्था, सिम्युलेटर, स्वचालित परीक्षण उपकरण, आप्टीकल फाइबर संचार प्रणालियां, बहु चैनल रेडियो रिले, डिजिटल सूक्ष्मतरंग संचार प्रणालियां और कम्प्यूटर उपस्कर।

(ख) कुछ उत्पादों को कारखानों में विकसित किया जा रहा है जबकि उन अन्य उत्पादों के लिए तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है जिसके लिए लाइसेंस समझौते हो चुके हैं। कुछ मामलों में प्रौद्योगिकी के अंतरण के प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है।

(ग) उत्पादकता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ये कदम उठाये गए हैं—उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण द्वारा कार्मिकों की कुशलता बढ़ाना और अधिक कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिए गुणवत्ता परिमंडल कार्यकलापों को बढ़ाना। कार्य-निष्पादन के विभिन्न मानदंडों के लिए दीर्घ-कालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन पर बराबर नजर रखी जा रही है।

नेत्रहीनों के कल्याण के लिए कार्यक्रम

8681. डा० **वी० विजय रामाराव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऐच्छिक कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने नेत्रहीन व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उन्हें दी गई सुविधाएं पर्याप्त हैं, यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कल्याण मन्त्रालय द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से दो योजनाएं क्रियान्वित की जाती है अर्थात् :

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता; और
2. सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता। 1986-87 के दौरान, इन योजनाओं के अंतर्गत जिन नेत्रहीन व्यक्तियों को लाभ हुआ है उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

(1)	विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता :	3025
(2)	विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/ लगाने के लिए सहायता :	866

कुछ राज्य सरकारों के पास अपने ही कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान दिये जाते हैं।

नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वे संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं।

केरल में बेरोजगार व्यक्ति

8682. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना के आरम्भ में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) चालू वार्षिक योजना के अन्तर्गत कितने अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) केन्द्र तथा राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य में किन-किन मुख्य परियोजनाओं से अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी सम्बन्धी अन्तिम पंचवार्षिक सर्वेक्षण एन०एस०एस०ओ० द्वारा 38वें चक्र (जनवरी-दिसम्बर, 1983) में किया गया था, अतः वर्ष 1988-89 के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) सातवीं योजना में शामिल क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) प्रमुख रोजगार स्कीमें हैं। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए भी एक स्कीम है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को भारी ट्रकों के लिए दिए गए क्रयादेश

8683. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना के टैंकों को खींचने के लिए अत्याधुनिक भारी ट्रक बनाने हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को क्रयादेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने इनका निर्माण प्रारम्भ कर दिया है; और

(ग) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा सेना के टैंकों को खींचने के लिए आधुनिक भारी टैंकों की सप्लाई की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड-टेट्रा के 80 ट्रकों की सप्लाई के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को एक आर्डर दिया गया था। आर्डर पूरा कर दिया गया है।

सामाजिक समुदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

8684. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से सामाजिक समुदायों ने ऐसे ज्ञापन दिए हैं, जिनमें उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की इच्छा व्यक्त की गई है तथा सम्बन्धित राज्य अथवा समूचे देश में उनकी अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें इस सूची में शामिल किए जाने अथवा अन्यथा के बारे में औपचारिक निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जिन सामाजिक वर्गों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के लिए हाल ही में अनुरोध किया है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन समुदायों की आबादी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ऐसी जनगणना केवल सूचीकृत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में ही की जाती है।

(ख) उपरोक्त अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित व्यापक संशोधन के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद ने अधिनियम द्वारा ही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन किया जा सकता है।

विवरण

क्र०सं०	सामाजिक संगठन का नाम	अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में समावेश हेतु प्रस्तावित समुदाय का नाम	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	गुजरात राज्य धोबी महासंघ	धोबी	—
2.	नायक महासभा, हरियाणा	हेड़ी, नायक	—
3.	नव कल्याण सभा कांगड़ा, हि० प्र०	हेड़ी	—
4.	हिमाचल प्रदेश लबाना, हितकारी सभा	लवाना	—
5.	सेंट जोसेफ्स कथैड्रल कैथोलिक एसोसियेशनकेरल	एस० सी० क्रिश्चियन	—
6.	वायनाड चेटी सर्विस सोसायटी, केरल	कूरूम	—
7.	केरल थडंन महासभा	थंडन	—
8.	केरल साधू जन परिपादम योगम	धीवर	—
9.	कूरमी सेवा संघ, केरल	कूरमी	—
10.	ऑल मेघालय बोरोराव यूनियन	—	वोरो कचरी राव
11.	कैथोलिक एसोसियेशन नागालैंड	सी०ए० क्रिश्चिन	—
12.	ऑल इंडिया फ्रीडमफाइटर समिति नागालैंड	—	जेलियांगराग
13.	ऑल इंडिया वाशर मैंन फैडरेशन पश्चिम बंगाल	धोबी	—
14.	हेला समाज, पश्चिम बंगाल	हेला	—
15.	रजवार समाज, उत्तर प्रदेश	रजवार	—
16.	गूजर समाज, उत्तर प्रदेश	—	गूजर
17.	दिल्ली ओड समाज	ओड	—
18.	नवयुवक बीरवा संघ, दिल्ली	वेरवा	—
19.	अखिल भारतीय नायक महासंघ, दिल्ली	नायक	—
20.	अखिल भारतीय नूनिया महासंघ, दिल्ली	नूनिया	—
21.	अखिल भारतीय दूसाध उत्थान समिति, दिल्ली	दूसाध	—
22.	गोवारी समाज समिति, नागपुर	—	गोवारी
23.	लोधी, क्षत्रिय संस्था, नागपुर	—	लोधी, लोधा

1	2	3	4
24.	रिपब्लिकन पार्टी आफ दलित एलीवेशन पुणे	बौद्ध	---
25.	मणिपुर थडांऊ नेशनल कोंसिल	—	कूकी
26.	चोगथू ट्राइब रिकग्नीशन कमेटी, मणिपुर	—	चौथूं
27.	कोरेन हिसटोरीकल रिसर्च कमेटी, मणिपुर	—	कोरेन
28.	अखिल भारतीय गौड महासभा, उत्तर प्रदेश	—	गौंड
29.	भारतीय बिन्द समाज, उत्तर प्रदेश	बिन्द	—
30.	अखिल भारतीय अहेरिया महासभा, उत्तर प्रदेश	अहेरिया	—
31.	तमिलनाडू पर्वतराजकुल संगम	—	मछुआ
32.	नारीकोरवन संगम, तमिलनाडू	---	नारीकोरवन
33.	तमिलनाडू ट्राइवल फैडरेशन	—	वतैयकरन
34.	सोशिल प्रोगेस यूनियन, अन्ना जिला,	पुलयन	—
35.	मुरूथवर कम्यूनिटी फेडरेशन, तमिलनाडू	—	मुरूथवर
36.	त्रिपुरा, मणिपुर अपूनस कमेटी	—	मणिपुरी
37.	नवयुवक रजक सभा म० प्र०	धोबी	---
38.	देशी त्रिपुरा उपजाति कल्याण	(समस्त राज्य में)	लस्कर त्रिपुरा
39.	म० प्र० पणिका समाज उत्थान समिति	पाणिका	—
40.	आन्ध्र प्रदेश वड्डीजन सेवा संघ	—	बड्डी/ओडी
41.	अखिल राजस्थान दुमकई जाति सुधार सभा	ओड	—
42.	साध युवक संगठन, राजस्थान	साध	—
43.	अखिल भारतीय कांदरा समाज राजस्थान	कांदरा	—
44.	धानक समाज, राजस्थान	धानक	—
45.	कोड समाज, उड़ीसा	कोड	—
46.	लिम्बू सोसायटी, सिक्किम	—	लिम्बू
47.	तमंग सोसायटी, सिक्किम	—	तमग
48.	आल इण्डिया तंमग सोसायटी, दार्जिलिंग	—	तमग
49.	आदिवासी कोंसिल असम	—	चाय बागान श्रमिक
50.	आदिवासी कूरमी समाज, बिहार	कूरमी	—
51.	थारू कल्याण सह-सभा, बिहार	—	थारू

1	2	3	4
52.	बिहार तांतिया, तातवे, सभा	तांती, तांतवे तथा खाटवे	—
53.	बिहार पश्चिम बंग देशवाली माझी समाज	देशवाली माझी	—
54.	रौतिया समाज संघ, बिहार	—	रौतिया और पूरन
55.	ऑल इंडिया कैथोलिक एसोसियेशन, कर्नाटक	एस०सी० क्रिश्चियन	—
56.	भूबी समाज सेवा संघ, कर्नाटक	—	भूबी
57.	कणीकर समाज सेवा संघ, कर्नाटक	कंणीकर	—
58.	सिद्दी विकास एसोसियेशन, कर्नाटक	—	सिद्दी
59.	पंजीडैट, कर्नाटक स्टेट गिरिजन नायक, नायकड़ा संघ, बंगलौर	—	नायक, नायकड़ा आदि के पर्यायवाची
60.	धांगर, धांगड समाज, महाराष्ट्र	—	धांगर, धांगड

केरल को 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए धनराशि का आवंटन

8685. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल को 29-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए वर्षवार और कार्यक्रम-बार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस अवधि में वर्षवार और सूत्र-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए केरल की राज्य योजना में आवंटित राशि और राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88) के दौरान व्यय की गई राशि की कार्यक्रम-वार जानकारी संलग्न विवरण-1 और 2 में दी गई है।

विवरण-1

(लाख रु०)

सूत्र सं०	मद	1987-88	
		परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4
1.	**ग्रामीण गरीबी पर आक्रमण**		
	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	779	783
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	906	911

1	2	3	4
	सामुदायिक विकास तथा पंचायतें	252	253
	ग्राम तथा लघु उद्योग	1060	989
2.	वर्षा-सिंचित कृषि	—	—
3.	सिंचाई का बेहतर उपयोग	6[illegible]00	6260
4.	बृहद कृषि उत्पादन	3594	2773
5.	भूमि सुधार	20	7
6.	सुरक्षित पेय जल	2075	3586
7.	सभी के लिए स्वास्थ्य	474	347
8.	दो बच्चों का मानदंड-पोषाहार	1500	1500
9.	शिक्षा	1393	1009
10.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को न्याय	475	399
11.	युवाओं के लिए अवसर	198	298
12.	जनता के लिए आवास	180	175
13.	गन्दी बस्तियों का सुधार	50	35
14.	वानिकी	1600	1370
15.	पर्यावरण का संरक्षण	80	79
16.	उपभोक्ताओं का हित	15	15
17.	गांवों के लिए ऊर्जा	—	—
	जोड़ :	21451	20789

विवरण-2

(लाख रु०)

सूत्र सं०	मदें	1985-86		1986-87	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6
1. (क)	सिंचाई	6350	6458	6000	6192
2. (क)	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	675	671	813	1196
3. (ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1045	904	940	1085

1	2	3	4	5	6
4.	भूमि सुधार	150	475	12	12
5.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	415	376	450	469
6.	ग्रामीण जल आपूर्ति	1511	1637	1000	1347
7.	आवास स्थल/निर्माण सहायक	200	148	149	180
8.	गन्दी बस्तियों का सुधार	50	50	35	20
9.	विद्युत	6330	5833	7681	6460
10.	(क) वृक्षारोपण	1064	924	1265	1230
11.	ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा	500	246	525	215
12.	पौषाहार	538	497	1333	1380
13.	प्राथमिक/प्रौढ़ शिक्षा	449	313	160	226
14.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	10	10	15	15
15.	ग्राम तथा लघु उद्योग	913	898	953	1151
	जोड़	20200	19440	21331	21178

उड़ीसा के कुटिया कान्धा जनजाति का उत्थान

8656. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के फूलबनी जिले में बेलधार क्षेत्र में कुटिया कान्धा जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं;

(ख) यदि हां, यो क्या सरकार ने कुटिया कान्धा जनजाति के उत्थान के लिये कोई केन्द्रीय योजना आरम्भ की है;

(ग) अब तक इस जनजाति के कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया है; और

(घ) इस जनजाति के उत्थान के लिये और क्या उपाय किये गये हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) "कुटिया कोन्ध विकास एजेंसी, बेलघर" नामक एक माइक्रो परियोजना स्थापित की गई है तथा इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) माइक्रो परियोजना क्षेत्र में सभी कुटिया कोन्ध परिवारों को 31 मार्च, 1988 तक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उड़ीसा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन प्रायोजित किया है। इसके अतिरिक्त,

1987-88 में इस माइक्रो परियोजना क्षेत्र में 4.80 लाख रु० के अनुमानित व्यय के सड़क कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है और धनराशि जारी कर दी गई है। पेय जल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में काम कर रहे विदेश मन्त्रालय के अधिकारी

8687. **श्री राजकुमार राय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में विदेश मंत्रालय के कितने अधिकारी कार्य कर रहे है; और

(ख) क्या उनकी नियुक्ति भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के सेवा नियमों के अनुसार की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) छह

(ख) विदेश मंत्रालय अवर सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में काम करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजता है और ऐसा करते समय इस बात की जरूरत को ध्यान में रखता है कि वहां ऐसे अधिकारी चाहिए जिन्हें दूसरे देशों के साथ काम करने का अनुभव हो। यह प्रथा 1970 से चली आ रही है जबकि परिषद के शासी निकाय ने विदेश मंत्रालय से ऐसे अधिकारियों की सेवाएं मांगी थीं जिन्हें राजनयिक कार्य करने का अनुभव हो और जिन्हें भा०सां०सं० परिषद में तैनात किया जा सकता हो और साथ ही ये लोग विदेश मंत्रालय के कार्मिक बल में बने रहे।

कोदई कनाल दूरदर्शन रिले केन्द्र के समीप बम विस्फोट

8688. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप्रैल, 1988 को कोदई कनाल दूरदर्शन रिले केन्द्र काम्प्लैक्स के समीप शक्तिशाली बम के विस्फोट होने, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मर गया था तथा अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था, की जांच का कोई आदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राज्य का खुफिया विभाग इस घटना की जांच-पड़ताल कर रहा है और जांच प्रगति पर है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक पूर्वोपाय किये गये हैं।

नगर निगम के कर्मचारियों की वरिष्ठता के लिए उनकी पिछली सेवाओं की गणना

8689. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृह मन्त्री नगर निगम के कर्मचारियों की वरिष्ठता के लिए

उनकी पिछली सेवाओं की गणना के बारे में 14 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3552 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कनिष्ठ अभियन्ताओं के नाम क्या हैं जिनकी वरिष्ठता पर, निगम द्वारा कुछ कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति करने के लिये उनकी पिछली सेवाओं का लाभ दिये जाने के निर्णय के फलस्वरूप, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस सम्बन्ध में सरकार ने स्वीकार किया है कि यह कानून और नियमों का उल्लंघन है;

(ख) क्या सरकार ने उन कनिष्ठ अभियंताओं की वरिष्ठता बनाये रखने के लिये कार्यवाही की है जिन पर कानून और नियमों का उल्लंघन किये जाने के परिणामस्वरूप विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किये गये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) विवरण के रूप में एक सूची संलग्न है।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने नियम के उपबंधों की गलत व्याख्या की और गलती से लागू किया तथा अपने कुछ कनिष्ठ अभियंताओं को वरिष्ठता प्रयोजनों के लिये पिछली सेवा का लाभ दिया। उन्हें भविष्य में नियमों के उपबन्धों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गये थे। यह निर्णय किया गया था कि पिछले मामले जिनमें ऐसा लाभ दिया गया था, पर पुनः कार्यवाही नहीं की जाए क्योंकि इस बिलम्बित स्थिति में उनको उचित रूप से निर्धारित करना प्रशासनिक रूप से संभव नहीं होगा।

विवरण

ऐसी वरिष्ठता देने के परिणामस्वरूप प्रभावित हुए कनिष्ठ अभियंताओं की सूची

सर्व श्री

1. श्री पी॰ सी॰ जैन
2. श्री रमेश चन्द गुप्ता
3. श्री एल॰ सी॰ बावा
4. श्री आर॰ ए॰ गुप्ता
5. श्री के॰ पी॰ नागपाल
6. श्री पी॰ एम॰ जैन
7. श्री शरनजीत सिंह
8. श्री कपूर चन्द
9. श्री सोहन लाल शर्मा
10. श्री आर॰ जी॰ कौशिक
11. श्री सोम दत्त तलवार
12. श्री धर्म सिंह बंसल
13. श्री राम किशोर
14. श्री के॰ पी॰ रामरिख्यानी
15. श्री गोपाल कृष्ण
16. श्री राजिन्दर कुमार शर्मा
17. श्री जे॰ के॰ जैन

18. श्री बी० पी० जिंदल
19. श्री सूरज भान शर्मा
20. श्री के० के० गोपाल
21. श्री हरि शंकर शर्मा
22. श्री भूप सिंह मलिक
23. श्री के० सी० गुप्ता
24. श्री आर० पी० गर्ग
25. श्री चन्द्र प्रकाश
26. श्री एम० एल० मल्होत्रा
27. श्री एम० एम० शर्मा
28. श्री रामा नन्द गुप्ता
29. श्री एम० एल० नैय्यर
30. श्री एम० एस० गोठालवल
31. श्री अहमद सैयद
32. श्री आई० टी० सहिलियानी
33. श्री के० सी० सिंघल
34. श्री एम० एल० एच० पेशवानी
35. श्री शिवाजी राम गोयल
36. श्री के० एल० सपरा
37. श्री एम० एम० राधवानी
38. श्री राम निवास गुप्ता
39. श्री एम० पी० अग्रवाल
40. श्री जगदीश कुमार
41. श्री एस० सी० गौतम
42. श्री जी० के० अरोड़ा
43. श्री ओम प्रकाश गुप्ता
44. श्री एच० सी० शर्मा
45. श्री एम० सी० तायल
46. श्री घनश्याम पाठक
47. श्री टी० सी० मित्तल
48. श्री ओ० पी० जागिड़
49. श्री इकबाल सिंह
50. श्री बी० के० भटनागर
51. श्री चुन्नी लाल
52. श्री एस० सी० बिन्द्रा
53. श्री जे० एस० खोखर
54. श्री भारत भूषण
55. श्री भूपिन्दर सिंह
56. श्री सुन्दर लाल गुप्ता
57. श्री आर० सी० महाजन
58. श्री आई० एम० गोस्वामी
59. श्री एस० के० दास गुप्ता
60. श्री धर्म सिंह राणा
61. श्री आर० एन० मित्तल
62. श्री एस० सी० अग्रवाल
63. श्री श्री निवास गुप्ता
64. श्री शोभा राम लाऊल
65. श्री डी० बी० वधवा
66. श्री आर० के० गर्ग
67. श्री चमन लाल
68. श्री राम पाल सिंह
69. श्री श्रीचन्द सिंघल
70. श्री राजिन्द्र नाथ
71. श्री वी० पी० भटनागर

72. श्री एस० एस० जौली
73. श्री डी० के० जौली
74. श्री एम० एल० मल्होत्रा
75. श्री आर० एल० जैन
76. श्री राम प्रकाश
77. श्री एच० एल० मेंहदीरत्ता
78. श्री बी० एस० सेठी
79. श्री बी० एस० चौहान
80. श्री बलराज वर्मा
81. श्री नवनीत कुमार
82. श्री के० के० चुग
83. श्री बी० बी० एल० गर्ग
84. श्री पी० सी० बजाज
85. श्री आर० के० कपूर
86. श्री वी० के० पुरी
87. श्री के० सी० कुमार
88. श्री राज कुमार बलेखा
89. श्री किशोरी लाल
90. श्री आर० के० कौशिक
91. श्री के० एल० गुप्ता
92. श्री मुकुट लाल मित्तल

बाढ़ और सूखा राहत कार्यक्रमों के लिए परिव्यय

8690. **श्री मुरलीधर माने** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बाढ़ और सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को विभिन्न सिंचाई योजना के लिए अतिरिक्त परिव्यय स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के लिये अतिरिक्त परिव्यय के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई और तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1987-88 के लिये योजना आयोग द्वारा अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त परिव्यय

राज्य	अतिरिक्त परिव्यय
1	2
आंध्र प्रदेश	22
गुजरात	30
हरियाणा	2

1	2
हिमाचल प्रदेश	1.10
जम्मू और कश्मीर	6.40
कर्नाटक	25.00
केरल	5.50
मध्य प्रदेश	27.00
महाराष्ट्र	26.00
नागालैंड	0 50
उड़ीसा	22.00
राजस्थान	37.50
तमिलनाडु	3.00
उत्तर प्रदेश	28.00
	236.00

1971 के युद्ध में लापता भारतीय वायु सेना के विमान चालक

8691. डॉ० बी० एल० शैलेश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में लापता भारतीय वायु सेना के विमान चालकों और अन्य सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों में से कितनों का अभी भी पता नहीं चला है;

(ख) क्या उन में से कुछ बहुत समय से पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी वापसी के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पाकिस्तानी और ब्रिटिश लेखकों द्वारा प्रकाशित "बैटल फार पाकिस्तान" जिसमें भारतीय वायुसेना के दिवंगत स्क्वेडर्न लीडर अज्जामदा बीयप्पा देवैय्या के बहादुरी के कारनामों का वर्णन किया गया है—जैसी पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर की गई खोजों से इस सम्बन्ध में "अन्य किन अज्ञात कड़ियों" का पता लगा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि भारत के 43 लापता रक्षा कार्मिक 1971 से पाकिस्तानी जेलों में हैं।

(ग) भारत में उनकी वापसी के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) स्वर्गीय स्क्वाड्रन लीडर ए० बी० देवैय्या के मामले के अतिरिक्त सरकार के ध्यान में अन्य कोई मामला नहीं आया है।

सोवियत संघ से प्रौद्योगिकी अंतरण

8692. श्री वी० तुलसी राम
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी
श्री चिन्तामणि जेना
: क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का भारत को अंतरण करने में वृद्धि का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच इस सम्बन्ध में हुए समझौते का ब्योरा क्या है;

(ग) रक्षा के तीनों अंगों के विशेषकर जेट के बारे में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में आवश्यकताओं की किस सीमा तक पूर्ति होगी; और

(घ) यह प्रौद्योगिकी अंतरण कब तक होने की आशा है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) भारत-सोवियत रक्षा सहयोग के अन्तर्गत रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का अंतरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें तीनों सेवाएं शामिल हैं। जेट प्रशिक्षण के विषय पर भी वार्ताएं हुई हैं। परन्तु वार्ता के ब्योरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

असम द्वारा प्रधान मन्त्री के पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

8693. श्री अब्दुल हमीद : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में असम राज्य सरकार ने क्या प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो असम में प्रधान मन्त्री के पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मन्त्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन राज्य सरकार से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अनुसरण में, राज्य सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ितों के पुनर्वास तथा राहत के लिए केन्द्रीय दिशा निर्देश अपनाये हैं। राज्य सरकार द्वारा चयन समितियों के प्रतिनिधि की भर्ती के लिए जहां तक सम्भव हो कार्रवाई की गई है। राज्य में अब एक प्रबोधन सैल तथा एक अनुसंधान यूनिट कार्य कर रहा है। राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई है।

पैराशूट के कपड़े का आयात

8694. श्री एन० डेनिस : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बहुत बड़ी मात्रा में पैराशूट के कपड़े का निर्माण किया जाता है और देश इसका आयात भी किया जाता है;

(ख) इस किस्म के कपड़े का किन देशों से आयात किया जाता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया;

(घ) आयात किये गये कपड़े का मूल्य कितना था; और

(ङ) भारत में कितनी मात्रा में इसका निर्माण किया गया और उसका मूल्य कितना है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) आयुध निर्माणियों द्वारा खरीदी गई पैराशूट फेब्रिक तीन किस्म की हैं जो कार्मिकों तथा सामान को विमान से उतारने के पैराशूटों के निर्माण के लिए हैं। सामान उतारने के पैराशूट के फेब्रिक देशी स्रोतों से प्राप्त किये जाते हैं। कार्मिकों को उतारने के पैराशूटों के फेब्रिक आयात किये जाते हैं।

इस सम्बन्ध में आगे और ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल

8695. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु कितने प्रतिशत सहायता देती है;

(ख) इस सहायता से मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक कितने होस्टलों का निर्माण किया गया है; और

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के होस्टल की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत होस्टलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 50% तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत 31-3-1987 तक मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकार द्वारा क्रमश: 337 (अनुसूचित जातियों के लिए 149 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 188) तथा 36 (14 अनुसूचित जातियों के लिए तथा 22 अनुसूचित जनजातियों के लिए) होस्टलों का निर्माण किया गया।

(ग) लड़कियों के होस्टल की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अतिरिक्त इस मन्त्रालय की अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लड़कियों के लिए गैर औपचारिक केन्द्रों को प्रारम्भ करने के लिए पंचायत/ब्लाकों इत्यादि को सर्वोत्तम कार्यों के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार दिये जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ को 6 राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण संबंधी नये प्रस्ताव

8696. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 राष्ट्रों की पहल पर निरस्त्रीकरण के बारे में नये प्रस्ताव तैयार किये गये हैं जिन्हें

संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण संबंधी विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत किया जायेगा;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करने तथा उसमें उक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो नये प्रस्ताव क्या हैं; और

(घ) लगभग सभी देश इन प्रस्तावों पर कहां तक सहमत हुए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उम्मीद है कि प्रधान मन्त्री 31 मई से 25 जून, 1988 के दौरान न्यूयार्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध तृतीय विशेष अधिवेशन (एस० एस० ओडी-3) को संबोधित करेंगे।

(ग) इस वर्ष जनवरी में अपनी शिखर बैठक में छह राष्ट्रों की पहल के नेताओं ने निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध विशेष अधिवेशन-3 में संयुक्त रूप से यह प्रस्ताव रखने का फैसला किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान और नाभिकीय अस्त्र मुक्त विश्व में शांति और सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक सुदृढ़ बहुपक्षीय संरचना के अभिन्न अंग के रूप में संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक एकीकृत बहुपक्षीय साक्ष्यांकन पद्धति कायम करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस फैसले के अनुसरण में, यह प्रस्ताव विशेष अधिवेशन में पेश किया जायेगा।

(घ) इस प्रस्ताव पर अन्य देशों की प्रतिक्रिया का पता निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध विशेष अधिवेशन-3 में प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद ही चलेगा।

केरल में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग

8697. **श्री श्रीहरि राव**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1988 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "केरलाज इन्डस्ट्री इन डायर स्टेटस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि असंगत उत्पाद निर्माण नीति, उत्पादन लागत में कारगर कमी करने के अभाव, गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश करने में संकोच और केन्द्रीय सरकार की उदासीनता ने केरल के इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को गम्भीर संकट में डाल दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार केरल के इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने त्रिवेन्द्रम स्थित विकास अध्ययन केन्द्र से उक्त रिपोर्ट की एक प्रति मांगी है। इसके प्राप्त होते ही, सरकार इसकी जांच करेगी और मामले में उचित कार्रवाई करेगी।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा भारतीय कला को पुस्तकों और वस्तुओं कलाकृतियों की खरीद

8698. **श्री रामकुमार राम** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय

सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा वर्ष 1988 के जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में खरीदी गई भारतीय कला की पुस्तकों और कलाकृतियों का उनके मूल्य सहित ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : भारतीय कला और संस्कृति (संगीत, वास्तु शिल्प, आदि सहित), साहित्य, इतिहास, धर्म, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों जैसे विषयों की कुल 10,231 पुस्तकें खरीदी गई थीं। इसके अलावा, 769 भारतीय वाद्य यंत्र, 916 श्रव्य कैसेट तथा भारतीय संगीत पर 209 लांग प्लेलिंग रिकार्ड भी खरीदे गये थे।

इन वस्तुओं की लागत 11,61,597.54 रु० थी।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के भवन में परिवर्धन/परिवर्तन पर व्यय की गई राशि

8699. **श्री राजकुमार राय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के भवन में परिवर्धन/परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1987-88 के दौरान निम्नलिखित कार्य किये गये :—

(1) कर्मचारियों के लिए एक बरामदे को कमरे में बदला गया—14,320/-रुपये।

(2) भू तल पर स्थित एक गैराज को कमरे में बदला गया—11,500/-रुपये।

(3) मुख्य ब्लाक और नौकर क्वार्टरों के बीच खुले स्थान पर पारदर्शी तिरछी छत डाली गई—70,000/-रुपये।

(4) छत पर रोकड़ अनुभाग के पीछे खुले गलियारे को कमरे में बदला गया—14,775/-रुपये

प्रदर्शनी कक्ष के लिए पैकिंग सामग्री तथा स्टैंडों के लिए एक भंडारण कक्ष का निर्माण मौजूदा आर्ट गैलरी के पीछे किया जा रहा है जो मौजूदा भंडारण स्थल से जुड़ी होगी तथा जिसके निर्माण पर 52,800/-रुपये का व्यय होगा।

भारत के लिए रूसी युद्ध टैंक

8700. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नये युद्ध टैंक टी-72 एम० आई०, जिसका डिजाइन रूस द्वारा तैयार किया गया और जिसे भारत में तैयार किया गया है, को भारतीय सशस्त्र सेना को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह युद्ध टैंक पिछले टैंकों से भिन्न है और बेहतर है;

(ग) टैंक के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(घ) टैंकों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ङ) इन टैंकों के शामिल किये जाने से सशस्त्र सेना किस हद तक शक्तिशाली हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ङ) टी-72 एम॰ आई॰ टैंक की शस्त्ररोधी क्षमता और कार्य अवधि अपेक्षाकृत अधिक है।

नई दिल्ली नगरपालिका के प्रशासक के कार्यालय पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे के निष्कर्ष

8701. **श्री नारायण चौबे :** क्या गृह मंत्री नई दिल्ली नगरपालिका के प्रशासक के कार्यालय पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे के बारे में 24 फरवरी, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के प्रशासक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के निष्कर्ष प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा जांच कब तक पूरी हो जायेगी; और

(घ) क्या जांच से अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अन्तर्ग्रस्त होने का पता चला है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जांच-पड़ताल अति विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें साक्ष्य एकत्र करने में कानूनी औपचारिकताएं अपेक्षित हैं और इसमें बड़ी संख्या में दस्तावेजों की जांच, विभिन्न अधिकारियों से पूछताछ, साक्ष्य की छानबीन और समावेश शामिल है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि यह जांच-पड़ताल कब तक पूरी होगी। अन्य अधिकारियों के अन्तर्ग्रस्त होने का पता जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद ही चलेगा।

राजभर जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

[हिन्दी]

8702. **श्री राजकुमार राय :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभर जाति को किस श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) राजभर जाति को अभी न तो अनुसूचित जाति और न ही अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में कोई भी संशोधन संविधान की धारा 341 (2) और 342 (2) के अन्तर्गत प्रावधान को ध्यान में रखकर केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर कोई और ब्यौरे नहीं दिये जा सकते।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

[अनुवाद]

8703. **श्री के० एस० राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वयंसेवी संगठनों के लिए उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया है और मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये अनुदान किस आधार पर मंजूर किये गये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय राष्ट्रीय एकता परिषद योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देता है। राष्ट्रीय एकता के कार्यों के हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की शर्तें और वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान विभिन्न संगठनों को स्वीकृत किये गये सहायता अनुदान के विवरण संलग्न हैं।

विवरण

राष्ट्रीय एकता विषयक कार्यों के लिए स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता मंजूरी की शर्तें

1. **स्वयंसेवी संगठन की परिभाषा** :

इस कार्यक्रम के प्रयोजन से निम्नलिखित को "स्वयंसेवी संगठन" माना जाएगा :

(क) भारतीय सोसायटी पंजीकरण, अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम × × I) के अधीन पंजीकृत कोई सोसायटी, या

(ख) तत्समय लागू किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई पब्लिक ट्रस्ट, या

(ग) समाज कल्याण कार्यक्रम के विकास और संगठन कार्य में रत कोई गैर-सरकारी निकाय जो अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो।

2. **सहायता के पात्र संस्थान/संगठन का प्रकार** :

जो एजेंसियां निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती होंगी, वे सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी :

(क) उन्हें किसी उचित अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए या किसी पंजीकृत कल्याण-संगठन की नियमित रूप से गठित ब्रांच होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मात्र केन्द्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, या पंजीकृत निकाय से सम्बन्ध होना काफी नहीं होगा।

(ख) इसकी प्रबन्ध समिति भली भांति गठित होनी चाहिए, और उसकी शक्तियां कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्टतः परिभाषित और लिखित विधान में निर्धारित होने चाहिए।

(ग) स्वयंसेवी संगठनों अथवा कल्याण-संगठनों के ध्येय और उद्देश्य राष्ट्रीय एकता परिषद के उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए।

(घ) राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा प्रबन्धित या राज्य विधान परिषद के किसी अधिनियम के अधीन या राज्य सरकार के किसी संकल्प द्वारा स्थापित, या विश्व-विद्यालय अथवा किसी शैक्षिक संस्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थानीय निकाय के फण्ड से या मुख्यतः सरकार से धन प्राप्त करने वाला कोई संगठन या संस्थान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अपने कानूनी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये दिये गये प्रति व्यक्ति अनुदान को पूरा करने के लिए किसी संस्थान को कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

(च) वह संस्थान, सहकारी समितियों को छोड़कर, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं चलाया जाता हो।

(छ) स्वयंसेवी संगठन से आशा की जाती है कि वह किसी विशेष कार्य/कार्यों पर आने वाले कुल अनुमानित खर्च का कम से कम एक तिहाई खर्च स्वयं पूरा करे।

(ज) यह ऐसा संगठन होना चाहिए जिसका हिसाब-किताब नियमित रूप से किसी आंतरिक या बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किया जाता है।

(झ) यह भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला है जिसमें धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के लिए कोई भेदभाव नहीं होता है।

3. किन कार्यों के लिए अनुदान मिल सकता है :

अनुदान स्वीकृति की पात्रता ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में मानी जाएगी जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हो। ये कार्यकलाप विशेषकर ऐसे होने चाहिए जिनसे उन उद्देश्यों को उन्नति मिलती हो जिनकी घोषणा राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा 1968 में श्रीनगर में की गई थी। उदाहरण के लिए ये कार्य इन विषयों के बारे में हो सकते हैं।

(क) साम्प्रदायिक वैर-भाव और क्षेत्रीय विद्वेश को निरुत्साहित करना और हिंसा के मार्ग पर ले जाने वाले पथभ्रष्टी तत्वों को निकाल फेंकना।

(ख) विशेषरूप से सहनशीलता और सद्‌भावना के सिद्धांतों का सक्रिय और शक्तिशाली प्रचार करना क्योंकि ये हमारे देश के आधारभूत सिद्धांत हैं।

(ग) राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए निर्माणकारी तत्वों को गतिशील बनाना और उन्हें नेतृत्व, उत्साह एवं स्वर प्रदान करना।

(घ) भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, समान नागरिकता के विशिष्ट अधिकार दिलाने और राष्ट्रीय जीवन के स्तर को उन्नत करने पर बल देते हुए सामुदायिक या ग्रुप कार्य-कलापों और कार्यक्रमों को तैयार करना।

4. के सिद्धान्त जिन पर कार्यकलाप सुगठित किए जाएं :

ऊपर के पैराओं में उल्लिखित कार्यकलापों को नीचे लिखे अनुसार किसी भी रूप में सुगठित किया जा सकता है :

(क) सेमिनार और चर्चा ग्रुप ।

(ख) राष्ट्रीय दिवसों और त्यौहारों को विभिन्न समुदायों के साथ मिलकर मनाना।

(ग) सांस्कृतिक कार्यक्रम ।

(घ) अन्तर-क्षेत्रीय कैम्प और यात्राओं का आदान-प्रदान ।

(ङ) एकता विषयक समस्याओं और मसलों पर प्रकाशन निकालना और मूलभूत राष्ट्रीय मूल्यों पर जोर देना ।

(च) साम्प्रदायिक सद्‌भावना को बनाये रखने के लिए नागरिक समितियां बनाना ।

(छ) नागरिकों में शांति सद्‌भावना और सहनशीलता को बनाए रखने से सम्बन्धित स्थानीय मामलों और घटनाओं की उद्देश्यपरक जांच या अध्ययन हाथ में लेना ।

(ज) भाइचारे की भावना को बढ़ाने और भारतीय राष्ट्रीयता तथा धर्म-निर्पेक्षता के अनिवार्य सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शनियां या ग्रुप कार्यक्रम आयोजित करना।

(झ) उस संगठन के वित्तीय साधनों में सहायता देना जो साम्प्रदायिक सद्‌भावना धर्मनिर्पेक्षता और राष्ट्रीय एकता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो ।

उन संगठनों की सूची जिन्हें 1985-86 के लिए सहायतानुदान स्वीकृत किया गया

		रुपए
1.	फखरूद्‌दीन अली अहमद स्मारक समिति, नई दिल्ली	49,000/-
2.	सुर स्मारक मण्डल, आगरा	5,000/-
3.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फैडरेशन, नई दिल्ली	15,000/-
4.	भारतीय राष्ट्रीय एकता बोर्ड, हैदराबाद	32,500/-
5.	प्रकाशन इंस्टीच्यूट आफ डवलपमेंट स्टडीज, हैदराबाद	20,000/-
6.	पंजाब एसोसिएशन, मद्रास	15,000/-
7.	एशियन वर्क्स डवलपमैंट इंस्टीच्यूट, उड़ीसा	5,000/-
8.	इंडियन इंस्टीच्यूट आफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, इलाहाबाद	15,000/-
9.	कलकत्ता विश्वविद्यानय राष्ट्रीय एकता परिषद, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	24,000/-
10.	सामाजिक कार्य और अनुसंधान केन्द्र, राजस्थान	30,000/-
11.	अखिल भारतीय एकता परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1,500/-
12.	बंजाली महिला समिति, असम	2,500/-

		रुपए
13.	अंजुमन-शेर-ए-गुल-फरोश, नई दिल्ली	2,500/-
14.	केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12,000/-
15.	आनन्द निकेतन, पश्चिम बंगाल	15,000/-
16.	नेहरू बाल समिति, नई दिल्ली	19,000/-
17.	सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रीयल डवलपमैंट, चण्डीगढ़	90,000/-
18.	समाज कल्याण सेवा समिति, बीरसिंहपुर, उत्तर प्रदेश	15,000/-
19.	लोक शक्ति, बालासोर, उड़ीसा	15,000/-
20.	चिंगु पंगन्बा समाज कल्याण एसोसिएशन फायुग, मणिपुर	4,000/-
21.	दुलाल समिति समदस, प० बंगाल	3,750/-
22.	डिपार्टमेंट आफ सोशल वर्क इंस्टीच्यूट फार सोशल साईस, तमिलनाडु	3,880/-
23.	मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक, महाराष्ट्र	7,500/-
24.	अडरसनपती रूरल डवलपमेंट, एसोसिएशन, तमिलनाडु	9,500/-
25.	कर्नाटक कल्याण समिति, कर्नाटक	5,000/-
26.	येशु भवन, तमिलनाडु	5,000/-
27.	सागर शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000/-
28.	मणिपुर सांस्कृतिक एकता, सम्मेलन, इम्फाल, मणिपुर	15,000/-
29.	एग्रो इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्सी, वेल्लोर, तमिलनाडु	9,000/-
30.	नवज्योति युवक संघ, उड़ीसा	2,500/-
31.	सांस्कृतिक न्यास, कुपवाड़ा, कश्मीर	1,980/-
32.	इंडियन इंस्टीच्यूट आफ यूथ एण्ड डवलपमेंट, उड़ीसा	4,000/-
33.	धन्योपासक शिक्षण मंडल रावा, कालेज आफ आर्ट, कामर्स एण्ड साईस, परभाणी, महाराष्ट्र	5,000/-
34.	पीपुल्स एक्शन फार पीपुल इन नीड, सिरमोर, हिमाचल प्रदेश	2,200/-
35.	गोरीपर विवेकानन्द कल्ब, जिला धुबरी, (असम)	4,000/-
36.	शिक्षित युवा संघ, पूर्णिया, बिहार	4,000/-
37.	आनन्द भवन, बृदाबनपुर, जिला हावड़ा, प० बंगाल	6,500/-
38.	अखिल भारत धार्मिक नेता एसोसिएशन हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	17,500/-

		रुपए
39.	भारत स्काउट एण्ड गाइड, नई दिल्ली	1,00,00,000/-

उन संगठनों की सूची जिन्हें 1986-87 के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया

1.	एग्रि ़-राजभवन कृष्णा नगर, बैलोर, तमिलनाडु	5,000/-
2.	फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, नई दिल्ली	40,000/-
3.	सोसाइटी फार शोसल अपलिफ्टमैंट थ्रू रूरल एक्शन जगजीत नगर, कोशाली, हिमाचल प्रदेश	40,000
4.	प्रकाशन इंस्टीट्यूट आफ डवलपमेंट स्टडीज हिल कालोनी, मेंहदीपट्टनम हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	15,000/-
5.	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, नेशनल इन्टीग्रेशन काउंसिल सेन्टर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, (पश्चिम बंगाल)	28,000/-
6.	कल्चरल ट्रस्ट कपवाडा, कश्मीर	5,000/-
7.	नेहरू बाल समिति, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली	30,000/-
8.	सौर स्मारक मण्डल आगरा, उत्तर प्रदेश	15,000/-
9.	आल इण्डिया समाज उत्थान समिति, रोहिणी, दिल्ली	9,000/-
10.	भाषा संगम, 40, तुलाराम बाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	15,000/-
11.	पिपुल्स एक्शन फार पीपुल इन नीड, अंधेरी, सरमोन्स (हिमाचल प्रदेश)	2,500/-
12.	आल इण्डिया रिलीजियस लीडर्स एशोसिएशन इतिहाद भवन, बंजारा हिल रोड, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	22,500/-
13.	अन्जुमन शेरे-ए-गुल फरोसान पंचशील पार्क, नई दिल्ली	2,500/-
14.	प्रांतीय समाज कल्याण केन्द्र किमिन, उत्तरी लखीमपुर, असम	6,700/-
15.	सागर एजुकेशनल सोसाइटी बाराबंकी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	15,000/-
16.	इण्डियन नेशनल इन्टीग्रेशन बोर्ड जया नगर कालोनी, हैदराबाद (आ० प्र०)	17,500/-
17.	समाज कल्याण समिति, वीरसिंहपुर सुल्तानपुर, (उत्तर प्रदेश)	15,000/-
18.	इन्स्टीट्यूट फार सोसलिस्ट एजुकेशन सैक्यूलर हाउस, जे० एन० यू० के नजदीक, नई दिल्ली	35,000/-
19.	बजाली महिला समिति, महिला निवास पाठशाला, असम	2,500/-
20.	दुलाल स्मृति समसद खजूरादा, हुगली, पश्चिम बंगाल	4,700/-
21.	गांधी मेमोरियल कमेटी, चौरंगी रोड, कलकत्ता	4,600/-

	रुपए
22. अखिल भारतीय परिवार कल्याण परिषद, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली-110045	80,000/-
23. लोक नायक क्लब, पटापू, कटक, उड़ीसा	6,500/-
24. कर्नाटक वैलफेयर सोसायटी, वासवी धर्म साहब रोड, चिकवालापुर, कर्नाटक	5,000/-
25. कला जागृति परिवार, किलावाडी, बिलासपुर, मध्य प्रदेश	7,500/-
26. दक्षिण कालीकट सेवाश्रम, 93 तथा 97 शरत् बोस रोड, कलकत्ता	4,000/-
27. गोपीनाथ जूबा संघ, जिला पुरी, उड़ीसा	10,000
28. बाजाली प्रगति संघ पाठशाला, असम	3,000/-
29. कौमी मोर्चा, रेसकोर्स, मलकपेट, हैदराबाद	17,500/-
30. नेशनल इन्स्टीट्यूट कम्यूनिटी हैल्थ, 981, विल्ला कर्नल (डा०) नाथूस, संतरापुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	3,000/-
31. पंजाब एसोसिएशन, लाजपत राय भवन, मद्रास	21,500/-

उन संगठनों की सूची जिन्हें 1987-88 के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया

	रुपये
1. डा० जाकिर हुसैन एज्यूकेशनल कल्चरल फाउन्डेशन 2 विलिंग्डन क्रिसेंट, नई दिल्ली	15,000/-
2. बानी मन्दिर, खारदानाला सार्धुहाट, 24 परगना, पश्चिम बंगाल	4,000/-
3. इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ यूथ डवलेपमैंट, बेहरामपुर, उड़ीसा	4,000/-
4. फखरूद्दीन अली अहमद मैमोरियल कमेटी, एकता भवन बिहाइन्ड साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली	35,000/-
5. कोणार्क शिक्षण संगठन गणेशपुरा, त्रिनगर, दिल्ली	5,000/-
6. सर्वोदय शिक्षण मंडल, पारसोनी, नागपुर, महाराष्ट्र	4,000/-
7. भारतीय ग्रामीण महिला संघ, कोठी नं० 40 सैक्टर 4 बी, चण्डीगढ़	12,000/-
8. कौमी एकता ट्रस्ट, ए-199 पण्डारा रोड, नई दिल्ली	15,000/-
9. ग्रामीण शिक्षा समिति, ब्लाक-जे, जहांगीरपुरी, दिल्ली	13,000/-
10. ग्रामीण युवाजन विकास समिति, गांधी आश्रम, अवानिगाड्स, कृष्णा (आंध्र प्रदेश)	15,000
11. कल्चरल ट्रस्ट, कुपवाडा डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर	10,200/-

		रुपए
12.	आल इण्डिया समाज उत्थान समिति, ए-3-51/1-एल० आई० जी० रोहिणी सैक्टर-7, दिल्ली	28,000/-
13.	कौमी मोर्चा, सं० 16-10-1/ग/31 रेसकोर्स, मालापेट, हैदराबाद	20,000/-
14.	घिखाई जुबक संघ लोधिकुआ, पुरी, उड़ीसा	10,000/-
15.	सुर स्मारक मण्डल, ई-113 कमला नगर, आगरा	15,000/-
16.	कलकत्ता यूनिवर्सिटी नेशनल इण्टीग्रेशन काउंसिल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता-73	28,000/-
17.	यंग इण्डियन्स, 10-डी एन नगर, अंधेरी (पश्चिम) बम्बई	30,000/-
18.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवा जन समाज कृष्ण गली नं० 4 मौजपुर, दिल्ली	15,000/-
19.	वेस्वय महिला मण्डल, नाश्यिका केन्द्रम, बंजसकंल, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश	52,500/-
20.	अन्जुमन सायर-ए-गुल फरोशान पंचशील पार्क, दिल्ली	2,500/-
21.	इण्डियन नेशनल इण्टीग्रेशन बोर्ड, विजयनगर कालोनी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	27,500/-
22.	सागर एज्यूकेशनल सोसाइटी, रसूलपुर, बाराबंकी (यू० पी०)	15,000/-
23.	नेहरू पाथागरा, श्रीरामपुर, बेलासौर, उड़ीसा	2,500/-
24.	बाआली महिला समिति, महिला निवास, ज्योति नगर पठलाल, असम	2,500/-
25.	नेहरू बाल समिति, ई-63 साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली	16,500/-
26.	दि प्रगति संघ, पाठशाला, असम	2,500/-
27.	दीवान कामता प्रसाद मैमोरियल, विद्यालय, रामपुर (उ० प्र०)	4,000/-
28.	आल इण्डियां साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी, ए-199 भंडारा रोड, नई दिल्ली	45,000/-
29.	आनन्द भवन, जगतपुर, बृन्दावनपुर हावड़ा, पश्चिम बंगाल	9,000/-
30.	दि सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट, चंडीगढ़	50,000/-
31.	प्रकाशन इंस्टीट्यूट आफ डैवलपमेंट स्टडीज, हिल कालोनी मेहदीपटनम	15,000/-
32.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्यूनिटी हैल्थ, संतरापुर, भुवनेश्वर उड़ीसा	8,000/-
33.	अमोरा मझाल सत्र हिल्स आफ प्लेन्स कल्चरल इंस्टीट्यूशन, नार्थ लखीमपुर, असम	7,500/-

	रुपए
34. पंजाब एसोसिएशन, लाजपत राय भवन, पीटर्स रोड, रोयापेट्ठा, मद्रास	21,500/-
35. कल्चरल एसोसिएशन, 48-सिविल लाइन्स, बरेली (उ० प्र०)	8,000/-
36. सिटिजन्स काउंसिल, ए-20, कैपिटल कमर्शियल सेन्टर	24,000
37. इंस्टीट्यूट फार सोशलिस्ट एजूकेशन सेकुलर हाउस, 9/1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जे० एन० यू० के सामने, नई दिल्ली	35,000
38. आल इण्डिया परिवार कल्याण परिषद, आर० जेड०-2-ए, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली।	24,000/-

5. **अनुदान के लिए शर्तें :**

(क) जिस कार्य के लिए अनुदान मंजूर किया गया हो उसे मंजूरी-पत्र में दी गई समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा।

(ख) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय की किसी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलना चाहिए और किसी एक व्यक्ति के नाम या पदनाम पर नहीं खोलना चाहिए। इन खातों को संयुक्त रूप से दो अधिकारियों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

(ग) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय को अनुमोदित कार्यक्रमों को लागू करने में समुचित मिव्यतता बरतनी चाहिये।

(घ) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई सहायता अनुदान नहीं प्राप्त की गई है।

(ङ) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय को जब कभी कहा जाये गृह मन्त्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी या कार्यक्रम को लागू करने से सम्बन्धित अन्य सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

(च) स्वयंसेवी संगठन को दी गई अनुदान में से कोई अचल सम्पत्ति नहीं खरीदी जाएगी।

(छ) स्वयंसेवी संगठन को दी गई अनुदान में से 1000/रुपये से अधिक मूल्य की कोई चल सम्पत्ति नहीं खरीदी जायेगी।

6. **आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :**

प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न होने चाहिये :

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि या उस संस्था के मामले में जो किसी पंजीकृत कल्याण-संगठन की नियमित रूप से गठित ब्रांच हो, उस मामले में मूल कार्यालय के पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्य प्रतिलिपि और उस निकाय से इस आशय का प्रमाणपत्र कि यह संस्था उसकी नियमित रूप से गठित ब्रांचों में से और यह अनुदान के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ख) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय के विधान और उसके अधीन बनाये गए नियमों की प्रतिलिपि।

(ग) प्रत्येक सदस्य के विवरण सहित, प्रबन्ध समिति के गठन की प्रतिलिपि।

(घ) पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति।

(ङ) संस्था/संगठन/विश्वविद्यालय का पिछले तीन वर्षों की प्राप्तियां और अदायगियों का पूरा विवरण जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट या सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित हो, जिस संस्था के खातों की लेखा-परीक्षा न की गई हो उनके मामले में खातों के विवरण लेखा परीक्षा किए बिना ही भेजे जाने चाहिये।

7. **अनुदान मंजूर करने की विधि** :

(क) अनुदान के लिए भेजे जाने वाले प्रत्येक अनुरोध में उस कार्य/उन कार्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनके लिए अनुदान मांगा जा रहा है। उस कार्य या उन कार्यों पर होने वाले अनुमानित व्यय का भी उल्लेख होना चाहिये और सम्बद्ध संगठन के सम्भावित अंशदान का भी उल्लेख होना चाहिये

(ख) अनुदान मंजूरी की यह अनिवार्य शर्त होगी कि मंजूरी-पत्र में निर्धारित अवधि के अन्दर अनुदान-प्राप्त करने वाला संगठन अनुदान में से किये गये व्यय के लेखे का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ग) किसी संगठन को मंजूर किया गया अनुदान उस संगठन द्वारा केवल उसी कार्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा जिसके लिए वह मंजूर किया गया है। इस अनुदान का प्रमाण-पत्र अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा धारा (ख) में उल्लिखित अनुसार लेखा परीक्षितों लेखों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुदान किसी अन्य संगठन या किसी अन्य कार्य के लिए स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(घ) इस योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान में से खर्च न की गई राशि की मंजूरी पत्र में इस सम्बन्ध में दिये निर्देशों के अनुसार सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

(ङ) किसी संगठन को किसी एक वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत दो बार अनुदान नहीं दिया जाएगा। अतिरिक्त अनुदान के लिए कोई अनुरोध इस आधार पर स्वीकार नहीं होगा कि मूल अनुमान, जिसके आधार पर अनुदान मांगा गया था और मंजूर किया गया था, बढ़ गया है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भर्ती नीति की समीक्षा

8704. **श्री के० एस० राव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की भर्ती सम्बन्धी अपनी नीति की समीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान नीति को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) विशिष्ट गुणों और उत्कृष्टता के युवा वैज्ञानिकों को प्रयोगशालाओं/संस्थानों में

भर्ती करने के लिए विशेष योजनाएं पहले से ही विद्यमान हैं। केवल विशेष मामलों में ही सेवा-निवृत्त वैज्ञानिकों का विशिष्ट अवधि के लिए सेवाकाल बढ़ाया जाता है।

लोक सहायक सेना में की गई सेवा को शामिल करना

[हिन्दी]

8705. **श्री हरीश रावत :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी व्यक्ति द्वारा लोक सहायक सेवा में की गई सेवा की अवधि को उसके द्वारा सेवा में की गई सेवा की अवधि में शामिल किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे इस अवधि के दौरान की गई सेवा का उसके सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन आदि में लाभ दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा लोक सहायक सेना (राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल) में की गई सेवा की अवधि को, आपातकाल या अन्य प्रकार से उस व्यक्ति द्वारा नियमित थलसेना में पुनः नियोजित या पुनः नियुक्त होने पर, पेन्शन/ग्रेच्युटी के लिए नहीं गिना जाता। इस प्रकार थलसेना से उसके सेवा निवृत्त होने पर लोक सहायक सेना में की गई सेवा के लिए उसे पेंशन में वृद्धि का कोई लाभ स्वीकार्य नहीं होता।

भारतीय सीमा पर चीनी सेना का जमाव

[अनुवाद]

8706. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में गत कुछ महीनों में अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई है, उसका भारतीय सीमा क्षेत्रों में जमाव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान चीन-भारत सीमा पर चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ने और उनके जमा होने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करती है।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : आप कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं ? वे आपके विनिर्णय

के विरुद्ध सदन से उठकर बाहर जा रहे हैं। आप कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। सदन की गरिमा को बनाये रखना है। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, एक मिनट, यदि आप मुझे अनुमति देंगे। सदन से बाहर निकलते समय सदस्यों ने "मिसाइल" और पत्र फेंके हैं। यह अध्यक्षपीठ की ओर फेंके जा रहे थे। किन्तु यह मुड गया और इस ओर आ गया। आपको सदन के प्रति इस प्रकार का अनादर दर्शाने वाले बढ़ती हुई घटनाओं की निन्दा करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी ने ऐसा किया है तो यह अत्यन्त नृशंस है। यह सदन की अवमानना है।

12.0½ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सा० का० नि० 386 (अ), जो 29 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अक्तूबर, 1985 की अधिसूचना संख्या 319/85-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि मलेरिया-रोधी आदि कार्य के लिए म्युनिसिपल प्राधिकारियों द्वारा आयातित फोगिंग मशीनों पर मूल सीमा-शुल्क मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत किया जा सके तथा अधिसूचना की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ाई जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा० का० नि० 387(अ), जो 29मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 19 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 230/82-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सा० का० नि० 388 (अ), जो 29 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 71/87-सी० शु० की वैधता अवधि 31, मार्च, 1989 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सा० का० नि० 396 (अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 74/85-सी०शु०, 20 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 222/87-सी० शु० और 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 33/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट आयात शुल्क रियायतों के प्रयोजनों हेतु ईंधन-दक्षता के मानदण्ड प्राप्त करने के लिए समय-सीमा 30 जून, 1988 तक बढ़ाई जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सा० का० नि० 397 (अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए

[श्री ए० के० पांजा]

थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 213/85-सी० शु० की वैधता अवधि 30 जून, 1988 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सा० का० नि० 398 (अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या 160/87-सी० शु० की वैधता अवधि 30 जून, 1988 तक बढ़ाई गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सा० का० नि० 399 (अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 11 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 242/86-सी० शु० की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ाई गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) सा० का० नि० 400(अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 513/86 सी० शु० की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ाई गई है तथा उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले माल के लिए मूल सीमा-शुल्क को मूल्यानुसार 25 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर शून्य किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सा० का० नि० 401 (अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 30 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 513/86 सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले माल को उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) सा० का० नि० 402 (अ), जो 30 मार्च 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 89/88-सी० शु० में फालतू प्रविष्टि को हटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) सा० का० नि० 403 (अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 514/86-सी० शु०, अधिसूचना संख्या 515/86 सी० शु० और अधिसूचना संख्या 516/86-सी० शु० की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ायी गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) सा० का० नि० 404 (अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 127/82-सी० शु० की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ाई गई है और कुछ मूलपाठ विषयक परिवर्तन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) सा० का० नि० 405 (अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 210/82-सी०शु० का विषय क्षेत्र बढ़ाया गया है ताकि एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि को सप्लाई की जा सके और उक्त अधिसूचना की वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 1988 तक बढ़ाई जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6004/88]

डाक घर आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 1988]

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 1988, जो अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 458(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—6005/88]

न्यायपालिका में जनशक्ति आयोजना—एक रूप रेखा के सम्बन्ध में विधि आयोग का 120वां प्रतिवेदन, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) न्यायपालिका में जन शक्ति आयोजना—एक रूप रेखा के सम्बन्ध में विधि आयोग के 120वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6006/88]

(2) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—6007/88]

सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं, श्री के० आर० नारायणन की ओर, से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के वर्ष 198:-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—6008/88]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और केन्द्रीय सिविल सेवाएं नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1988, जो 22 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 365(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा(काडर) संशोधन नियम, 1988 जो 5 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 428(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1988 जो 26 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 187 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1988 जो 26 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 188 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1988, जो 26 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 190 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1988, जो 26 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 192 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**—6009/88]

(2) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—6010/88]

(4) (एक) केन्द्रीय सिविल सेवा खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवा खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—6011/88]

12.02 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

52वां प्रतिवेदन

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 52वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

65वां प्रतिवेदन और समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश

श्री हुसैन दलवाई (रत्नागिरि) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग)—भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में प्राक्कलन समिति का 65वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.03 म० प०

लोक लेखा समिति

128वां और 132वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) मानिकगढ़—चन्दूर नई बड़ी लाइन तथा चित्रदुर्ग —रायदुर्ग नई मीटर गेज लाइन के बारे में 128वां प्रतिवेदन।

(2) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा किये गये घोटालों के बारे में 132वां प्रतिवेदन।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

(एक) 19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

(दो) समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के 19वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

12.04 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

रेल सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

राज्य सभा को सदस्यों की नियुक्ति करने की सिफारिश करने के बारे में प्रस्ताव

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री मुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे, एस०बी० रमेश बाबू, सुकोमल सेन तथा श्रीमती प्रतिभा सिंह के राज्य सभा से निवृत्त हो जाने के कारण रेल सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा से चार सदस्य नियुक्त करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री मुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे, एस० बी० रमेश बाबू, सुकोमल सेन तथा श्रीमती प्रतिभा सिंह के राज्य सभा से निवृत्त हो जाने के कारण रेल सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा से चार सदस्य नियुक्त करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.05 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सोनीपत, हरियाणा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, जिला मुख्यालय सोनीपत हरियाणा प्रांत का बहुत बड़ा उद्योग केन्द्र है और भारत की राजधानी दिल्ली के निकट स्थित है। सोनीपत से करीब 40 हजार यात्री रोजाना दिल्ली आते हैं। केन्द्रीय कार्यालयों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी भी सोनीपत में अपनी रिहायश रखते हैं और दिल्ली में कार्यरत हैं। दिल्ली में आवास की समस्या होने के कारण ये हजारों केन्द्रीय कर्मचारी मजबूरन अपना आवास सोनीपत में रखते हैं। सोनीपत की आबादी एक लाख से अधिक है। सोनीपत में रहने वाले इन केन्द्रीय कर्मचारियों का जब कभी स्थानांतरण हो जाता है तो इनके स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की गम्भीर समस्या बन जाती है। क्योंकि सोनीपत में कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सोनीपत वासियों की इस समस्या का समाधान करके सोनीपत में शीघ्र अति शीघ्र केन्द्रीय विद्यालय खोला जाये।

(दो) रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनः सक्षम बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपकरण बहुत घाटे में चलते हैं और वे देश के लिए एक बोझ, एक समस्या बन गये हैं। घाटे पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन) का स्थान प्रमुख है। एन० टी० सी० के अधीन मिलों की स्थिति दिन प्रति दिन दयनीय होती जा रही है और वे धीरे-धीरे रुग्णता की स्थिति में पहुंचती जा रही हैं। बीमार मिलों के अधिग्रहण से पूर्व सरकार ने जांच में यह पाया था कि उनकी रुग्णता का मुख्य कारण मिलों में व्याप्त कुप्रबन्ध है। मिलों को समय से कच्चा माल, विद्युत और यातायात जैसी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है तथा मशीनों के रख-रखाव में लापरवाही बरती जाती है और विशेषज्ञों की कमी रहती है। सरकार व्यापक पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है लेकिन कुप्रबन्ध की वजह से सरकार द्वारा किये गये सारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। इन मिलों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद उनकी उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। परिणामस्वरूप अधिकतर मिलें बंदी के कगार पर पहुंच गई हैं तथा उनके कार्यरत लाखों मजदूरों एवं उनके परिजनों का भविष्य संकट में दिखाई पड़ रहा है और साथ ही देश के वस्त्र उद्योग पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कानपुर की अनेक टैक्स टाइल मिलें इस औद्योगिक रुग्णता की या तो शिकार बन चुकी हैं और या बनने के कगार पर हैं जिससे कानपुर और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक स्वरूप में अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

12.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि कानपुर के सम्बन्ध में वहां की सूती मिलों को पूर्व की भांति नियंत्रित मूल्य पर कपड़ा बनाने को दिया जाये, एन० टी० सी० मिलों को पुलिस, फौज आदि के सूती कपड़े बनाने का आर्डर दिया जाये तथा कानपुर स्थित एन० टी० सी० मिलों को फालतू भूमि को बाजार मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। इससे करोड़ों रुपये की आय से इन मिलों का आधुनिकीकरण

[श्री जगदीश अवस्थी]

किया जा सकता है साथ ही इस रुग्ण स्थिति को दूर करने के लिए एन० टी० सी० के अधीन मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किये जाएं और इन मिलों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रबन्ध श्रमिक सम्बन्धों को रचनात्मक दिशा दी जाये, कच्चा माल उपलब्ध कराया जाये। कार्य करने की दिशाओं में वांछित सुधार किया जाये, श्रमिकों में दायित्व बोध की भावना जागृत की जाये और प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।

(तीन) महाराष्ट्र में धुले और अमलनेर के बीच रेल लाइन बिछाना

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : उपसभापति महोदय, महाराष्ट्र में धुले तथा अमलनेर के बीच एक नई रेलवे लाइन प्रारम्भ करने की व्यावहारिकता पर कुछ वर्ष पहले रेल मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण किया था। धुले और अमलनेर के बीच एक रेलवे लाइन की मंजूरी देने की अविलम्ब आवश्यकता है। धुले तथा अमलनेर के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। इससे न सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा बल्कि अहमदाबाद-हैदराबाद-त्रिवेन्द्रम के मध्य रेल द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इससे अत्यधिक सुविधा मिलेगी क्योंकि इन स्थानों को जोड़ने वाली गाड़ियां प्रस्तावित धुले-अमलनेर रेलवे लाइन पर से गुजरेंगी। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे अहमदाबाद तथा त्रिवेन्द्रम के बीच की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी तथा इससे भुसावल तथा मनमाड (भुसावल-चालिसगांव) के बीच के रेल मार्ग पर यातायात का भारी दबाव कम हो जाएगा। धुले और अमलनेर में रहने वाले लोगों की यह काफी पुरानी मांग है। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित धुले-अमलनेर रेल लाइन के मामले में नई रेल लाइन को मंजूरी देने के लिए अपनाये जाने वाले लाभप्रदता के मानदंड का दृढ़ता से पालन न किया जाए। सरकार से यह अनुरोध है कि अगले वित्तीय वर्ष में इस रेल लाइन के निर्माण की मंजूरी दे।

(चार) उत्तर प्रदेश में पेय जल की कमी दूर करने के लिए उपाय करना

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : देश शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है तथा इस बार गर्मियों के महीनों में पेयजल की अत्यधिक कमी है। उत्तर प्रदेश राज्य में जल स्तर कम हो जाने और बिजली की कमी की वजह से अधिकांश शहरों में स्वच्छ पेयजल की कमी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के कुओं का जलस्तर नीचे चले जाने से विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। तालाबों और नदियों का जल सूख गया है। पशुओं के लिए भी जल उपलब्ध नहीं है तथा इस कारण बहुत से पशु मर रहे हैं। किसी भी समय महामारी फैल सकती है।

मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि नलकूप खोदने के लिए तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करने के लिए वह द्रुत कार्यक्रम आरम्भ करे। पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पंप सैटों अथवा नहरों के माध्यम से तालाबों में पानी भरा जाना चाहिए।

(पांच) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में कतिपय औषधियों को सम्मिलित न किए जाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 की घोषणा

अगस्त, 1987 में की गई थी। केलकर समिति की सिफारिशों के मुताबिक इस आदेश के पीछे मूल विचार यह था कि औषधियों के मूल्यों पर समुचित रूप से नियंत्रण रखा जाए विशेष रूप से जिनका उत्पादन ऐसे एकाधिकार गृहों द्वारा किया जाता है जो प्रति वर्ष 5 लाख रुपये से अधिक का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली औषधियों पर भी नियंत्रण किया जाना था। लेकिन रिफैम्पिसिन औषधि और आई० एन० एच० के साथ इसके यौगिक मूल्य नियंत्रण सूची में रखे जाने के निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत आते हैं, फिर भी उन्हें सारे देश में बहुत अधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है। रिफैम्पिसिन के मूल्यों को काफी विलम्ब के बाद संशोधित किया गया है, लेकिन आई० एन० एच० सहित रिफैम्पिसिन के मूल्यों को अभी तक संशोधित नहीं किया गया है। मन्त्रालय की इस नीति के परिणामस्वरूप लाखों गरीब लोगों को इन औषधियों का भारी मूल्य देना पड़ रहा है।

इसलिए मैं माननीय उद्योग मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि एक संसदीय समिति नियुक्त करके इस मामले की जांच की जानी चाहिए ताकि औषधि मूल्य आदेश में इन औषधियों को शामिल न करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके क्योंकि इस कारण इन औषधियों के निर्माताओं को गरीब लोगों का शोषण करने की अनुमति मिल गई।

(छः) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करना

श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री) : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं उनके अनुसार केवल उन गांवों में प्राइमरी स्कूल की इमारतों का निर्माण किया जा सकता है जहां पर 'निर्माण कार्यक्रम' के अन्तर्गत स्वयं के भवन नहीं हैं। वर्ष 1987 की जनगणना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में साक्षरता की दर केवल 29.94 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इसलिए आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र सरकार ने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों में एक माना है। शिक्षा को सर्वोच्च महत्व देने के ख्याल से अब केन्द्र सरकार ने 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' नामक एक नई योजना प्रारंभ की है। स्कूल भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने से ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार तथा वृद्धि होगी और शिक्षा के क्षेत्र में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। शिक्षा में सुधार से स्वाभाविक रूप से देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार उपलब्ध हो सकेगा। इन बातों को ध्यान में रखकर ही आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एन०आर०ई०पी० और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) के अन्तर्गत माध्यमिक स्कूल की इमारतों का निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है तथा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत प्रारम्भ किए जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची के अन्तर्गत माध्यमिक स्कूल की इमारतों के निर्माण को भी शामिल किया जाए। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में शीघ्र निर्णय करें।

(सात) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता में उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाना

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं सरकार का ध्यान भारत भारी उद्योग निगम, कलकत्ता की बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता

[श्री बसुदेव आचार्य]

की खराब स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं।

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड में उत्पादों की मांग की कमी अथवा उत्पादकता से संबंधित अथवा श्रमिक असन्तोष की समस्या नहीं है बल्कि यह समस्या इसमें निर्बाध उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई की वजह से है।

संयुक्त उत्पादन समिति के सुझावों को स्वीकार करके तथा 'वाल्व एक्चुऐटर' के निर्माण के लिए 1981 में किए गए तकनीकी सहयोग का कार्यान्वयन करने जैसी उपचारात्मक कार्यवाही करने की बजाय प्रबन्ध वर्तमान स्थिति के लिए श्रमिकों पर दोषारोपण कर रहा है। प्रबन्धकों को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अत्यधिक नुकसान हो रहा है। वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने अथवा विस्तार करने के लिए पिछले चार वर्ष में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके साथ ही बिक्री कर का भुगतान करने में भारी चूक करने से स्थिति में और खराबी आई है।

इसके अलावा प्रबन्ध वर्ष 1983 में यूनियन द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र तथा 1984 में संपन्न हुए सहमति पत्र पर काफी लम्बे समय से निर्णय नहीं कर रहे हैं। श्रमिकों का उपदान तथा भविष्य निधि का पैसा रोकने से भी कामगारों में काफी असन्तोष उत्पन्न हुआ है।

इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन मामलों का समाधान करे तथा सरकारी क्षेत्र के इस कारखाने को बचाने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करें।

12.15 म० प०

वित्त विधेयक, 1988

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब अगली मद को लेगी। वर्ष 1988 के वित्त विधेयक की सभी तीनों अवस्थाओं के लिए 12 घंटे आवंटित किए गए हैं लेकिन कुछ समय और उपलब्ध होने की संभावना है। यदि सभा सहमत है तो हम आम चर्चा के लिए 11 घंटे, खंड वार विचार के लिए 1 घंटा तथा तृतीय वाचन के लिए 1 घंटा रखेंगे। श्री नारायण दत्त तिवारी जी।

वित्त मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वित्त विधेयक में प्रस्तावों को विस्तार से स्पष्टीकरण देने संबंधी विवरण व्याख्यात्मक ज्ञापन में बताए गए हैं तथा बजट पत्रों के साथ ही इनका वितरण किया गया है। बजट भाषण में बजट के प्रस्तावों की मुख्य विशेषताओं को विस्तार से बताया गया है। फिर से वही दोहरा कर मैं सभा का समय नहीं लूंगा।

सामान्य वाद-विवाद के दौरान वित्त विधेयक के उपबंधों के बारे में अपने कीमती सुझाव देने के लिए मैं सभा में दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूं।

अर्थशास्त्रियों, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड एकाउंटेंटों), कराधान विशेषज्ञों तथा अन्य विद्वान लोगों के सुझाव प्राप्त करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि बजट के सम्पूर्ण दृष्टिकोण तथा इसमें निहित विभिन्न सुझावों को काफी समर्थन मिला है। मूल बजट प्रस्तावों में संशोधन के बारे में भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन्हें देखते हुए मूल बजट में निहित प्रस्तावों में कुछ संशोधन करने का मैंने निर्णय किया है।

प्रत्यक्ष करों के बारे में मैं निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंने बजट में बहुत सी रियायतों का प्रावधान किया था। अपने निर्यात की आमदनी को और बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि धारा 10-(ख) के अन्तर्गत 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयों के लिए की गई कर छूट की नई सुविधा, उन विद्यमान इकाइयों को भी पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए मिलेंगी जो पहले से ही कुछ वर्षों से कार्यरत हैं।

निगमित निर्धारकों के संबंध में धारा 8-'जजग' में निर्यात से प्राप्त लाभ के संबंध में, प्रस्तावित संशोधन से, जो पूर्ण कर-छूट दी गई थी उस पर आयकर अधिनियम की धारा 115-ञ में निहित निम्नतम कर की आवश्यकता की शर्त थी। धारा 115-ञ में उचित संशोधन करके मैं इस रोक को हटाने का प्रस्ताव करता हूं। इस संशोधन से निर्यातक निर्यात से प्राप्त लाभ पर 100 प्रतिशत कर-छूट का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं।

विद्युत शक्ति का वितरण करने या उसे पैदा करने वाले राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य कम्पनियों पर धारा 115 जे में दिये गये न्यूनतम कर संबंधी उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, मैं उन चुनींदा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए निवेश छूट योजना पुन: शुरू करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिसमें निवेश को बढ़ावा दिया जाना है। यह योजना, निवेश जमा खाता के स्थान पर, एक विकल्प के रूप में होगी। निर्धारिती द्वारा एक बार विकल्प दे दिये जाने के बाद, आगामी पांच निर्धारण वर्षों तक नहीं बदला जा सकता। निवेश छूट की दर बीस प्रतिशत रखने का प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव है कि ये उपबंध पहले की निवेश छूट योजना के उपबन्धों की तरह होंगे। पात्र उद्योगों की सूची और अन्य ब्यौरे की घोषणा अलग से की जायेगी।

पर्यटन जो कि देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला प्रमुख उद्योग है को बढ़ावा देने के लिए मैं कुछ उपाय शुरू करने का विचार रखता हूं। और पयटन उद्योग पर्याप्त सख्या में लोगों को रोजगार भी देता है। धारा 80 एच०एच०सी० के लाभों को जो कि अब तक वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात के लिये हैं। होटल और पर्यटन ऑपरेटरों को भी उपलब्ध का प्रस्ताव है। यह योजना, निर्यातकों के लिये चालू योजना के अनुसार ही कुछ संशोधन करके लागू की जायेगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर लाभ की पर्याप्त रूप से पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित कार्यों जैसे कि होटलों, ट्रेवल एजेंसियों, पर्यटन ऑपरेटरों, पर्यटक सज्जा आदि में पुन: निवेश किया जावे। होटलों की विदेशी मुद्रा आय की पचास प्रतिशत राशि कटौती की सीधे अनुमति दी जायेगी। शेष पचास प्रतिशत में से जितनी राशि पर्यटन उद्योग में पुन: निवेश के लिये बनाई गई निधि में दी जायेगी। उस पर कर छूट का लाभ दिया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि नयी इक्विटी में निवेश के सम्बन्ध में धारा 80 सी०सी० का लाभ, होटल उद्योग के नये पूंजी शेयरों के लिए और पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों के लिये दिया जायेगा। ब्यौरे की घोषणा अलग से की जाएगी। एक तारा दो तारा और तीन तारा होटलों के लिए ब्याज राज सहायता की दर वर्तमान दर एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैंने जिन नये उपायों की घोषणा की है उनको लागू करने के लिये आवश्यक कानून शीघ्र ही बनाया जाएगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि वन्य उत्पादों तथा एल्कोहल युक्त मादक द्रव्यों आदि का बिक्री का व्यापार करने वाले लोगों द्वारा किये जाने वाले कर अपवंचन से बड़े पैमाने पर निपटने के लिये आय कर अधिनियम में नई धारा 44 ए०सी० को जोड़ने का प्रस्ताव है। प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेदनों में बताई गयी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अब वित्त विधेयक के इस खंड में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि इन वस्तुओं के व्यापार से प्राप्त आय को निर्धारित करने के लिये पर्याप्त रूप से कम दरों की व्यवस्था की जा सके।

एल्कोहल युक्त मादक द्रव्य के मामले में ये दरें 40 प्रतिशत, पट्टे के ठेके के अन्तर्गत प्राप्त हुई इमारती लकड़ी के मामले में 35 प्रतिशत पट्टे के ठेके के अतिरिक्त ठेके के अन्तर्गत प्राप्त इमारती लकड़ी के मामले में 15 प्रतिशत और अन्य वन्य उत्पादों के मामले में 35 प्रतिशत तक कम कर दी गयी है। रद्दी या अपशिष्ट पदार्थों के व्यापार से प्राप्त आय को खरीद मूल्य के 60 प्रतिशत की समान दर से निर्धारित करने का प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है। लाभों की विभिन्न दरों को ध्यान में रखते हुए, स्रोत पर ही वसूल किये जाने वाले करों की दरों में उपयुक्त रूप से परिवर्तन भी किये गये हैं।

विधेयक में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों पर 5 लाख रुपये तक के पूंजी निवेश पर ही धन कर में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव न्याय्य संगत बनाने के उपाय के रूप में किया गया है। चूंकि इस बारे में विद्यमान लाभ को छीनने का सरकार का कोई इरादा नहीं है इसलिए आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि धन कर से छूट की सीमा केवल उन बांडों पर ही लागू होगी जोकि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा 1 जून 1988 को या उसके बाद में बेचे गये हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि अपने बजट भाषण में मैंने घोषणा की थी कि प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा सम्मिलित कुछ उपबंधों की समीक्षा की जा रही है। इनमें साझेदारी वाली फर्मों से सम्बन्धित उपबन्ध शामिल हैं। बाद में मेरे सहयोगी श्री पांजा ने विगत 30 मार्च को इस सभा में यह घोषणा की थी कि साझेदारी वाली फर्मों से सम्बन्धित नये उपबन्ध निर्धारण वर्ष 1990-91 से लागू होंगे। तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिये विधेयक में उपबन्ध किये गये हैं कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार की फर्में अपने अग्रिम कर का बढ़ी हुई दरों से भुगतान करेंगी। ये दरें विगत वर्ष वाली ही रहेंगी। फिर भी अन्य कर दाताओं की तरह उन सभी फर्मों को, जिनकी आय पचास हजार रुपये से अधिक है, कर के पांच प्रतिशत की दर से उपकर देना होगा।

विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि शेयरधारिता में कोई ऐसा परिवर्तन होने पर जिससे 51 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर होने पर मतदान देने के अधिकार में परिवर्तन हो रहा हो अधिकांश शेयर अपने पास रखने वाली कम्पनी को विगत वर्षों के व्यापार घाटे को आगे ले जाने और पूरा करने का लाभ नहीं दिया जायेगा। अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे उपबंध से उन मामलों में कठिनाई होगी जहां शेयरधारी की मृत्यु या सम्बन्धियों को उपहार देने जैसे वास्तविक कारणों की वजह से शेयर-धारिता में परिवर्तन हुआ है और कर से बचने के इरादे से नहीं। चूंकि सरकार का आशय यह नहीं है कि ऐसे वास्तविक मामलों में घाटे को आगे न ले जाने दिया जाए अतः इस उपबंध में संशोधन करने का

प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके। विगत वर्षों के घाटे को आगे ले जाने और उसकी पूर्ति करने की मनाही अधिकांश शेयर वाली उस कम्पनी के लिए नहीं होगी जिस में शेयरधारी की मृत्यु या शेयरधारी द्वारा अपने सम्बन्धी को शेयर का उपहार देने पर शेयरधारिता में परिवर्तन होकर 51 प्रतिशत या अधिक होने से मतदान की शक्ति में परिवर्तन हो गया है।

प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अन्य संशोधन पूर्णतः पारिणामिक अथवा स्पष्टीकारक हैं। और मैं उनका उल्लेख करने में, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

मैंने वित्त विधेयक के अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित भाग में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा है जो कि पूर्णतः पारिणामिक या समर्थकारी उपबन्धों के रूप में हैं और बड़ा राजस्व व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं।

अप्रत्यक्ष करों में अन्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

(1) कारपेट उद्योग को उचित मूल्यों पर ऊन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मैं 36 या उससे अधिक माइक्रोन की अपरिष्कृत ऊन पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर रहा हूं। आयातक एजेंसी द्वारा आयात करने पर छूट दी जाएगी।

(2) बजट प्रस्तावों में मैंने फैक्टरियों से सीधे निर्यात की जाने वाली चाय पर पूर्ण आयात शुल्क की छूट देने का प्रस्ताव रखा था। इस उपाय को और उदार बनाने के लिए मैं सभी मामलों में चाय निर्यात के लिए पूर्ण उत्पाद शुल्क की छूट का प्रस्ताव करता हूं।

(3) बजट में, आडियो मेग्नेटिक टेपों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया था। इस उद्योग को राहत देने के उपाय के रूप में अब मैं इसे घटाकर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करता हूं।

(4) स्टाइरीन मोनीमर पर जोकि रबड़ और प्लास्टिक के निर्माण के लिए कच्चा माल है आयात शुल्क मूल तथा अनुषंगी को मिलाकर 65 प्रतिशत तथा 1700 रुपये प्रति टन से घटाकर 30 प्रतिशत तथा 1700 रुपये प्रति टन किया जा रहा है।

(5) मैंने बजट में प्लास्टिक बोरा उद्योग के लिए कुछ राहतों की घोषणा की थी। इस उद्योग को और सहायता देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सर्कुलर करघे पर प्लास्टिक से बुने हुए बोरों पर मूल उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाये। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कम घनत्व वाली पोलीथीन के लिमिनेटिड कपड़ों पर आधारभूत उत्पाद शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जाए।

(6) बजट में कृत्रिम अंगों के निर्माण में प्रयोग होने वाली एल्युमीनियम ट्यूब और एल्युमीनियम एक्सट्रुशंस को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई थी। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को राहत देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि एल्युमीनियम के एक्सट्रुशंस और ट्यूब को पूरी छूट दी जाए जोकि 11 विनिर्दिष्ट पुनर्वास सहायक उपकरणों के निर्माण में की जाती हैं।

(7) आउटबोर्ड मोटरों पर आयात शुल्क विद्यमान स्तर से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जबकि ऐसे मोटरों का राज्य मात्स्यिकी निगम द्वारा आयात किया जाए।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

(8) बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा परिचर्या के लिए अनेक रियायतों की घोषणा की गयी है। उस दिशा में एक और कदम के रूप में, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दृष्टि की रक्षा उपकरणों पर सीमा शुल्क से पूरी छूट दी जाए। इसके अतिरिक्त कुछ निश्चित दृष्टि उपकरणों की 17 श्रेणियों के लिए 40 प्रतिशत की रियायती आयात पद लागू होगी। फालतू पुर्जों और इसके उपकरणों पर भी रियायती दरें लागू होंगी।

(9) यह प्रस्ताव है कि कम्प्यूटर के इलैक्ट्रानिक उपकरणों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी जाए।

(10) बजट में सूखे से निपटने के उपाय के रूप में मैंने प्रस्ताव रखा था कि उन इलैक्ट्रिक मोटरों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी जाए जो कि मोनो ब्लॉक पम्प सैटों और सबमार्सिबल पम्प सैटों में प्रयोग किए जाते हैं। इस रियायत को और बढ़ाने के रूप में मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ के शीर्ष 85.03 में उल्लिखित पुर्जों पर जो पूरी तरह या मुख्यतः इलैक्ट्रिक मोटर के साथ काम में लाये जाते हैं जो कि सबमरसिबल पम्प सेटों और मोनो ब्लॉक पम्प सेटों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं छूट दी जाए।

इन रियायतों और राहतों से सीमा शुल्क के रूप में 12.8 करोड़ और उत्पाद शुल्क के रूप में 26.5 करोड़ रुपये का कुल प्रभाव पड़ेगा।

कुछ अन्य परिवर्तनों का भी प्रस्ताव है जोकि शुद्धिकारक स्वरूप के हैं। ऐसे उपायों के ब्यौरे के लिए मैं माननीय सदस्यों का समय नहीं लेना चाहता हूं। कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में तथा इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। अन्य परिवर्तनों के बारे में तथा प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने के लिए जहां कहीं आवश्यकता होगी, अधिसूचनायें जारी की जायेंगी और यथा समय पर सभा के पटल पर रखी जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, समूचे देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के सम्बन्ध में अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकार पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मुश्त उपायों की घोषणा करेगी। इसके साथ मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछड़े क्षेत्रों के लिये राज-सहायता योजना अगले छः महीनों के लिए जारी रहेगी।

मैं माननीय सदस्यों से वित्त विधेयक का, मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं:

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्त वर्ष 1988-89 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मुरली देवरा को बोलना है। माननीय सदस्य के बोलने से पहले, श्री वक्कम पुरुषोत्तमन एक रिपोर्ट रखेंगे।

12.31 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

44वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : मैं भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 44वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.31½ म०प०

वित्त विधेयक, 1988

[—जारी]

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) . उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री श्री तिवारी द्वारा प्रस्तावित वित्त विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

पिछला वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही कठिनाई का वर्ष था। विशेषतया गम्भीर सूखे के कारण पिछले दो वर्षों में हमारे देश का अन्न उत्पादन बहुत कम हो गया है। इसलिए कृषि सम्बन्धी उत्पादन को बढ़ावा देना बहुत ही समझदारीपूर्ण है। अधिक ऋण सुनिश्चित करने, उर्वरक और कीटनाशी दवाओं के मूल्य कम करने, इलैक्ट्रानिक मोटरों और पम्पसेटों आदि पर शुल्क कम करने, सिंचाई को बढ़ावा देने, पम्पसेटों पर किराया प्रभार आदि कम करने जैसे उपायों से किसानों को कम लागत पर अधिक उत्पादन में सहायता मिलेगी।

माननीय मंत्री ने अभी प्रत्यक्ष कर विधेयक के बारे में कहा था। जब मंत्री जी बम्बई आये थे तो बहुत से लोगों ने कर अदा करने वालों के सामने आ रही कुछ विसंगतियों अथवा कुछ समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन दिया था। मैं श्री तिवारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि जनता की राय का देखते हुए हम इसे एक प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनायेंगे और यदि कुछ प्रावधानों को वापिस लेने की आवश्यकता पड़ी तो हम ऐसा करेंगे। श्री तिवारी ने अभी कहा है कि इस वर्ष हम साझेदारी अधिनियम के बारे में अनुच्छेद को लागू नहीं करेंगे; लेकिन इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जायेगा। मैं नहीं जानता वह ऐसा क्यों करना चाहते हैं। अगर सरकार स्वीकार करती है कि साझेदारी फर्मों पर कर लगाना साझेदारों के हित में नहीं है, तो आप इसे स्थगित क्यों करते हैं? आप इसे पूरी तरह वापिस क्यों नहीं लेते? इस मुद्दे पर काफी लोगों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है। हमारे देश में छोटी, मझली और बड़ी साझेदारी फर्में हैं। जब आपने यह महसूस किया है तब मैं नहीं समझता कि···

श्री नारायण दत्त तिवारी : स्पष्टीकरण के रूप में, मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने बजट भाषण में पहले ही कहा है कि हम एक नया बिल लायेंगे। अतः यह एक अस्थायी संक्रान्ति काल है। यह ऐसा ही होगा जैसा पिछले वर्ष था और कर-मूल्यांकन वैसे ही होगा जैसा पहले किया जाता था।

श्री मुरली देवरा : तलवार क्यों लटकी रहे? आप जानते हैं कि आप इसे वापिस लेंगे? आपने

[श्री मुरली देवरा]

अभी कहा है कि इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : संशोधन विधेयक आ रहा है।

श्री मुरली देवरा : अतः आपने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि अगले वर्ष यह लागू नहीं किया जायेगा। अभी आपने कहा है कि :

[हिन्दी]

नैक्स्ट ईयर से होगा।

[अनुवाद]

फिर भी मैं आपको बधाई देता हूं और उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

इस वर्ष प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की सबसे दु:खद बात संगठित क्षेत्र में रोजगार के बारे में है। मैं एक छोटा सा पैरा पढ़ना चाहूंगा। यह आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 41 पर है :

"पहली बार इससे पता चलता है कि हमारे देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार 1.2 प्रतिशत कम हो गया है। यह एक बहुत खतरनाक स्थिति है।"

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं एक लाइन और पढ़ना चाहूंगा।

"अप्रैल-नवम्बर, 1987 के दौरान अधिसूचित मासिक औसतन रिक्तियों की संख्या 50.4 हजार थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह संख्या 54.1 हजार थी अर्थात् 6.8 प्रतिशत की कमी आई है।"

इससे पता चलता है रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने की बजाय, वास्तव में, हमारे देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में कमी आ रही है। इसका क्या कारण है ? आपने कुछ कारण बताये हैं; आपने उन्हें स्पष्ट किया है; लेकिन वास्तविक कारण यह है कि हमारे देश में पूंजी निर्माण के क्षेत्र में गम्भीर कमी आई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर अधिक उद्योग होंगे तो अधिक उत्पादन होगा। अगर अधिक उत्पादन होता है तो ही रोजगार के अवसर भी अपने आप बढ़ जायेंगे। दुर्भाग्य से योजना के पहले दो वर्षों में भारी मात्रा में पूंजी निर्माण हुआ है और तीव्र गति से औद्योगिकीकरण हुआ है जिसकी वजह से यद्यपि खाद्य उत्पादन में कमी आई है परन्तु औद्योगिक उत्पादन में 9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी सकारात्मक रहा है। यह स्थिर रहा है या एक प्रतिशत बढ़ा है। पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा जारी किये गये पूंजी निर्गमों की राशि वर्ष 1986-87 में अप्रैल से दिसम्बर तक की अवधि में 4575 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष की इसी अवधि में यह घटकर 4062 करोड़ रुपये रह गई है। इसमें 11 2 प्रतिशत कमी हुई है और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पूंजी जमा करने के लिए जो स्वीकृति दी गई, उसमें 53 प्रतिशत की भारी गिरावट हुई है। इसका अर्थ यह है कि पूंजी निवेशकर्त्ताओं का विश्वास काफी सीमा तक कम हुआ है यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। एक या दो वर्षों में इसके परिणामों का पता चलेगा। पिछले वर्ष अच्छे औद्योगिक उत्पादन के कारण जी०एन०पी० ऋणात्मक नहीं हुआ। लेकिन यदि पूंजी निर्माण के बारे में उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाएंगे तो दो या तीन वर्ष बाद हमें गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

पूंजी निवेश छूट की एक प्रणाली थी। यह कई वर्षों तक अच्छी चली। यह एक ऐसी प्रणाली है

जिसमें उद्यमी उद्योग लगाता है और वह मुनाफा और पूंजी निवेश छूट में संतुलन बनाये रखने में समर्थ था। सरकार ने इस प्रणाली को वापस क्यों लिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने सामरिक महत्व के उद्योगों में पूंजी निवेश छूट को पुनः चालू करने की घोषणा अभी-अभी की है। ब्यौरा आपको दिया जायेगा।

श्री मुरली देवरा : यदि ऐसी बात है तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं।

दूसरा मुद्दा ब्याज प्रभार के बारे में है। हमारे देश में ब्याज प्रभार बहुत अधिक है। बचत को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें अधिक होनी चाहिए लेकिन इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे उद्यमी निरुत्साहित हों। आजकल सरकारी क्षेत्र के बांडों पर नयी पूंजी या ऋण पत्रों पर ब्याज दर इतनी अधिक है अथवा जनता से धन जुटाना इतना मंहगा है कि कुल 20 प्रतिशत पड़ता है। फिर छोटे या मध्यम वर्ग के उद्यमी उद्योग या कोई व्यापार शुरू क्यों करेंगे। यह अधिक अच्छा है कि वे बैंक में धन जमा करके कुल धन का 10 से 11 प्रतिशत बिना कर के प्राप्त करें मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि अभी ब्याज दरों में कमी करने की गुंजाइश है। घाटे की अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण है कि सरकार 14 हजार करोड़ रुपए ब्याज के रूप में भुगतान कर रही है। सरकार को ब्याज की दरों में सभी क्षेत्रों के लिए कमी करनी चाहिये। निस्सन्देह इससे बचत हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए लेकिन यह इतनी अधिक नहीं होनी चाहिये जितनी आज है।

अब मैं मन्त्री जी का ध्यान प्रवासी भारतीयों से धन जुटाने के लिए बनाई गयी एक योजना की ओर दिलाऊंगा। इस योजना के दो पहलू है। यह एक जाना माना तथ्य हैं। कुछ समय पहले स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री घोस ने स्वयं न्यूयार्क में कहा था। ये प्रवासी भारतीय क्या कर रहे हैं। अगर भारत की ऋण पात्रता अच्छी थी प्रवासी भारतीय 6 से 6½ प्रतिशत की दर पर धन प्रदान कर रहे थे और इस धन को विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों में 10 प्रतिशत की दर पर जमाकर रहे थे—अब यह कम हो गयी है तत्पश्चात् मैं नहीं जानता आप एफ० सी० एन० आर० और एन० आर० ई० आर० की योजनाओं की अनुमति क्यों दे रहे हैं। यही प्रवासी भारतीय अपनी जमा रसीदों को हमारे विदेश स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोग से रेहन रखकर धन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार का षड़यन्त्र चल रहा है और इससे भारत सरकार को प्रति वर्ष 110 या 120 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का घाटा हो रहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार इसे सकल विदेशी मुद्रा के साथ मेरा कहने का अर्थ ऋण सेवा अनुपात के साथ क्यों नहीं गिन रही है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय प्रवासियों के लिए सावर्ती जमा योजना के अन्तर्गत 7000 या 7,200 करोड़ रुपये लिए गए हैं। यह भी एक तरह का जमा है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि एफ० सी० एन० आर० के अन्तर्गत इतना ब्याज मत दीजिए क्योंकि प्रवासी भारतीय जब अपना धन वापिस लेते हैं तो उनके लिए कोई खतरा नहीं रहता। वे जिसमें जमा करते हैं उसी राशि पाउन्ड या डालर में वापिस ले सकते हैं। प्रवासी भारतीयों को ऊंचे ब्याज की दर आप एन०आर०ई०आर० में तब दे सकते हैं जब वे भारतीय मुद्रा में धन जमा करें जिससे धन भारत में जमा रहे।

अगर आपने निवेश भत्ता पहले ही घोषित कर दिया है तो मुझे विश्वास है इससे कुछ हद तक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मैं नहीं जानता क्या आपने उस एक और बात की भी घोषणा की है या नहीं जिसकी हमने आपसे उस समय बात की थी जब आप बम्बई गये थे और चेम्बर आफ कामर्स के लोगों से मिले थे। यह लाभांश के ऊपर दोहरे करके सम्बन्ध में है। यदि कोई कम्पनी अपनी आय पर कर दे रही है और शेयरधारी अथवा लाभांश प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी कर दे रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों छोटे किसान ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पादक कार्यों पर धन लगाते रहते हैं। मैं यह अनुरोध

[श्री मुरली देवरा]

कर रहा हूं कि आपको ग्रामीण लोगों की बचत को जुटाने का प्रयास करना चाहिए जो काफी मात्रा में उपलब्ध है परन्तु इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए लाभांशों पर इस दोहरे कर को हटाने की आवश्यकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ग्रामीण क्षेत्रों में धन है कहां ?

श्री मुरली देवरा : ग्रामीण क्षेत्रों में काफी धन है। हाल ही, में इस सम्बन्ध में योजना मन्त्रालय का एक नोट आया था और माननीय प्रधान मन्त्री का कहना है कि संसाधनों की कमी है। लोग इस बारे में संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि क्या आठवीं योजना के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। हमारे पास संसाधन नहीं हैं। कुछ समय पहले. इंजिनियरिंग एसोसियेशन की बैठक में, माननीय प्रधान मन्त्री ने विदेशी निवेश के बारे में कहा था। विश्व का प्रत्येक देश विदेशी निवेश को आमंत्रित करने का भरसक प्रयास करता है। भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जो निदेशी विवेश पर हर सम्भव रुकावट खड़ी करता है।

भारत समस्त विश्व से बहुत ज्यादा ऋण लेता है और उस पर भारी ब्याज दर अदा करता है। अच्छा है कि उनको निवेश करने की अनुमति दी जाए। हमारे देश की कुल पूंजी एक्विटी में सिर्फ लगभग 2000 करोड़ रुपयें—जो दो मिलियन डालर से कम हैं—निवेश किए गए हैं। हमारा 'कम्पनी विधि विभाग' जो फेरा, गैर-फेरा कम्पनियों को नियंत्रित कर रहा है, दूसरी समस्याओं, इसकी राजनीतिक समस्याओं को देखता है। मैं नहीं जानता कि सरकार को पूंजी लगाने की अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए। यदि एक्विटी हिस्सेदारी की अनुमति दे दें तो वे लोग जो धन का निवेश कर रहे हैं, कम्पनी को चलाने में रुचि लेंगे। वे अपनी जानकारी प्रदान करेंगे। वे प्रौद्योगिकी का लाना जारी रखेंगे। इससे भी हमें बाद में मदद मिलेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : एक निश्चित प्रतिशत तक···

श्री मुरली देवरा : 40 प्रतिशत की सीमा है। मैं 100 प्रतिशत की नहीं कह रहा हूं। हम सदैव भुगतान सन्तुलन में कमी के बारे में चिंतित रहे हैं। मैं श्री तिवारी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों को पूरी कर छूट देने का निर्णय किया है। धारा 115 (जा) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर लागू होती है। मैं नहीं जानता कि इसकी भी घोषणा की गयी है या नहीं। यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी निर्यात करती है तो उसे फिर 13 प्रतिशत बही खाता लाभ देना पड़ता है। क्या इसकी घोषणा की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अभी की गयी है।

श्री मुरली देवरा : मुझे खेद है, मैं उपस्थित नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री को आपकी समस्याओं का पहले ही पता चल गया। इसलिए, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है।

श्री मुरली देवरा : हमने उनके साथ पहले भी चर्चा की थी। लोग पहले भी बात कर रहे थे और कल डा० दत्ता सामंत ने भी जो अब उपस्थित नहीं हैं कपड़ा उद्योग के बारे में बात की थी। कपड़ा उद्योग संगठित क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार देता है। हमारे देश में कपड़ा उद्योग में 17 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तीन वर्ष पहले घोषित कपड़ा नीति को सही रूप में क्रियान्वित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि कुछ कपड़ों पर शुल्क में कमी की गयी है। अच्छा है कि ताईवान, दक्षिण कोरिया और हांग-कांग की मदद करने की बजाय हमारे बम्बई और अहमदाबाद में कपड़े के मिलों की मदद की जाए। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और भारतीय मूल्य में बहुत बड़ा अन्तर है। तस्करी होगी ही, सरकार कुछ भी कहे। हमारी कपड़ा मिलों की सहायता कपड़ा उद्योग की समस्या का समाधान करों को कम करके किया जा सकता है। यह अच्छा है कि उन्हें अधिक उत्पादन करने की अनुमति मिलनी चाहिए, इससे हमें अधिक राजस्व प्राप्त होगा। सीमेंट का उदाहरण हमारे सामने है। हम 30 से 31 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 1980 में सीमेन्ट पर लगाए गए कर से 180 करोड़ रुपये की उगाही हुयी। आजकल सीमेंट की कोई कमी नहीं है। आज हम जितना चाहें सीमेंट खरीद सकते हैं और सरकार को 6-7 वर्ष पूर्व की तुलना में 6 गुणा अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। अत. देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए उदार लाइसेंस नीति तथा उचित वित्तीय नीति अपनाई जानी चाहिए। उस समय सीमेंट का मूल्य 20 रुपये था और उनको इसमें वृद्धि करने की अनुमति नहीं थी। परन्तु वे सभी इसे काले बाजार में ले जा रहे थे और अतिरिक्त लाभों को खातों में नहीं दिखाया जा रहा था। सरकार की नीति के लिए धन्यवाद। आजकल, सीमेन्ट का मूल्य खातों में दिखाया जाता है। विस्तार करने के लिए उनके पास अधिक धन है और इस तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं हैं कि पहले वाली बड़ी कम्पनियां, अथवा फेरा अथवा गैर-फेरा और बड़े घराने अथवा एम० आर० टी० पी० घराने इसका निर्माण नहीं कर सकते। एक मिलियन टन सीमेन्ट वाले संयंत्र की लागत 130 से 135 करोड़ रुपये तक आती है। इसलिये, इसकी अनुमति दी जानी चाहिए और मेरा अनुरोध है कि सरकार लाइसेंस समाप्त करने और लाइसेंस नीति उदार बनाने में अधिक उदार नीति अपनायेगी।

श्री शांता राम नायक पणजी) : मैं इस सभा के सामने विचारार्थ रखे गये वित्त विधेयक, 1988 का स्वागत करता हूं। इस वित्त विधेयक में वित्त सम्बन्धी प्रमुख कानूनों, यथा आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर और कई दूसरे करों में संशोधन को शामिल किया गया है, उन विभिन्न कानूनों पर इसका व्यापक प्रभाव है जिसका सम्बन्ध विभिन्न वित्तीय मामलों से होता है। मैं आरम्भ में एक छोटी-सी टिप्पणी करना चाहता हूं। इस विधेयक से जुड़ा हुआ हमारे पास सिर्फ एक औपचारिक कारणों और उद्देश्यों का कथन है। यहां पर ऐसा कहा गया है कि—कारणों और उद्देश्यों के कथन के अनुसार : "विधेयक का उद्देश्य वर्ष 1988-89 वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावकारी बनाना है।" विवरणों और खंडों से विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का पता चलता है। अब, विधेयक के विवरण और खंड बहुत आवश्यक हैं क्योंकि यह प्रत्येक खंड के संशोधन के तरीके के बारे में बताता है। परन्तु यह पूर्णतया एक भिन्न पहलू है। विवरणों और खंडों के होते हुये भी विधेयक का उद्देश्य होना चाहिये क्योंकि उद्देश्य प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण होते हैं। जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया तो इसके लिए आपके पास बड़ा उद्देश्य और तर्क था यह केवल एक धारा यहां और एक धारा वहां देना नहीं है निस्संदेह, समझने के लिए यह होना चाहिए परन्तु इस विधेयक को और इसके विभिन्न खंडों को पुरः स्थापित करने का सरकार का क्या उद्देश्य है ? कोई विवरण और खंड होते हुये भी ये उद्देश्य आने चाहिये। संक्षिप्त बनाने अथवा किसी तरह की पुनरावृत्ति को टालने के लिये, संभवतः उन्होंने ऐसा किया होगा परन्तु इसके होते हुये भी, मैं कहता हूं कि कारणों और उद्देश्यों का कथन होना चाहिये। इस सभा में पुरः स्थापित किये जाने वाले दूसरे विधेयकों की जांच की जाये। इसमें कोई संदेह नहीं कि विभिन्न खंडों में संशोधन हैं, परन्तु जैसाकि हम देखते हैं कारणों और उद्देश्यों का कथन पृथक रूप से अवश्य होता है। तो विवरण हों अथवा विवरण बिल्कुल भी नहीं हों। यह मेरा आरम्भिक अनुरोध है।

[श्री शांता राम नायक]

जहां तक बजट और वित्त का सम्बन्ध है, समूचे देश, आम आदमी, मध्यमवर्ग ने इस वर्ष के बजट का स्वागत किया है। और लोग कहते हैं कि कई वर्षों तक उनको बजट का ही पता ही नहीं होता था। यह आदमी की टिप्पणी थी। इस प्रकार की टिप्पणी की गयी थी और मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं परन्तु मैंने इसका थोड़ा अध्ययन किया है। यह जानने के लिये मैंने क्या मापदण्ड अपनाया है कि क्या वित्त विधेयक अथवा बजट देश के कल्याण के लिये बेकार है या अच्छा है? मैंने सिर्फ एक ही मापदण्ड अपनाया है। जैसे ही मैंने देखा कि श्री पालकीवाला विधेयक का विरोध कर रहे हैं, मुझे विश्वास है यह बहुत ही घटिया बात होगी क्योंकि यह श्री पालकीवाला ही है, जिनका देश में दक्षिण-पंथी प्रतिक्रियावादियों द्वारा समर्थन किया जाता है और जिन्होंने राजधानी में और अन्य स्थानों पर यह बताने के लिये विशेष बैठकें की थीं कि बजट कितना बुरा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आओ हम एक प्रयोग करें। हम श्री पालकीवाला से एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिये कहें। हम उनको बताएं कि ये हमारे संसाधन हैं और यह देश का राजस्व है। आप देश के लिये एक विधेयक का मसौदा तैयार करें। सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद, देश इन दोनों विधेयकों की जांच करे। इस आदमी को इस प्रकार की चुनौती दी जानी चाहिए क्योंकि हम श्री पालकीवाला जैसे आदमियों को हर वर्ष सहन नहीं कर सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक बुद्धिजीवी हैं। वास्तव में हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन उनको अपनी बुद्धिजीवी क्षमताओं का देश के हित में उपयोग करना चाहिए और आम आदमी को गुमराह नहीं करना चाहिए।

मैं अब योजना के अन्य पहलू की ओर आता हूं। प्रधान मंत्री ने यह कहा है और उसे पुन: दोहराया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम जिला स्तर पर योजना बनाने पर अधिक बल देने जा रहे हैं, उसमें योजना का हमारा आधार जिला होगा। इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस नीति को हम सभी ने स्वीकार किया है और हम सभी ने इसका स्वागत किया है। लेकिन विगत समय में हमने एक अन्य पहलू को नोट किया है और वह है कि हमारे जिले, जोकि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं और जो भविष्य में हमारी योजना की इकाई होंगे, उन्हें अभी भी भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में अभी तक जिलों को मान्यता नहीं दी गई है। उसमें राज्यों को मान्यता दी गई है। यद्यपि भविष्य में एक कार्यकारी आदेश द्वारा अथवा आपके वित्तीय प्रस्ताव द्वारा हम जिला-वार धन का आवंटन करेंगे लेकिन आज भारत के संविधान में जिलों का कोई स्थान नहीं है। अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये हमारे प्रस्ताव के साथ हमें अपने सविधान में भी संशोधन करना चाहिए। भारतीय संविधान में जिलों को दर्जा देने के लिए जिलों में के संबंध एक अलग अध्याय शुरू किया जाना चाहिए। संविधान के उस भाग में इसकी नामावली और जिले का सृजन किस प्रकार किया जाए। इन सभी बातों को उसमें दिया जाना चाहिए। ऐसा करके हम संविधान के अन्तर्गत जिलों को दर्जा दे पाएंगे।

आज जिलों का सृजन किस प्रकार किया जाता है? प्रत्येक राज्य सरकार के पास अपनी भू-राजस्व संहिताएं हैं और उन भू-राजस्व संहिताओं के अन्तर्गत, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन जिलों की व्याख्या करती है। उनके लिये संविधान में कोई स्थान नहीं है। अत: यदि भविष्य में योजना प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है और जैसाकि प्रधान मंत्री ने बताया है यह जिला-वार होगा, तो जिलों को संविधान में अवश्य स्थान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि राज्य स्तर पर हमें यह देखना चाहिए कि एक जिले में धन के आवंटन के लिये राज्य वित्त आयोग का मार्गदर्शन करने के लिए, गाडगिल फार्मूला की तरह एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। गाडगिल ने एक फार्मूला बनाया है, जिसे हम अभी तक अपना रहे हैं। अत:

राज्यों में भी, धन के वितरण के लिए, राज्य स्तर पर एक समिति होनी चाहिए जो विभिन्न जिलों के लिए धन के वितरण हेतु मानदण्ड निर्धारित करेगी। उस समिति के मार्गनिर्देश भावी राज्य वित्त आयोग का धन के वितरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करेंगे।

अब मैं अपने राज्य गोवा के बारे में बताउंगा। वह हाल ही में एक राज्य बना है। एक राज्य बनने के बाद, हमारे वित्तीय बोझ बढ़ गये हैं। महोदय, मैं एक प्रस्ताव रखना चा हता हूं। जैसाकि हमारी सरकार ने भी सुझाव दिया है कि गोवा को एक निश्चित अवधि के लिए मंत्रालय द्वारा बनाई गई विशेष श्रेणी के राज्यों की सूची में रखा जाए ताकि गोवा को एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जो धन मिलना था उनमें परिवर्तन न होने पाए। हमने स्वशासी शक्तियां प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य की मांग की थी। स्वशासी शक्तियां प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने राज्य की मांग की थी और वह हमें प्राप्त हो गई है। इन शक्तियों को दिए जाने के बाद, उस वित्तीय सहायता को, जो हमें संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्राप्त हुआ करती थी, अचानक वापस ले लेना बहुत ही अनुचित होगा। इसके विपरीत, भारत सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह नए बने राज्यों को विशेष सहायता दे। वास्तव में, मैं यह कहूंगा कि संविधान में वित्तीय अनुच्छेदों से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक नये बने राज्य, एक राज्य जिसे एक संघ राज्य क्षेत्र के राज्य का दर्जा मिला है, उसको एक निश्चित अवधि के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी जाएगी। उस निश्चित अवधि में यदि आवश्यकता पड़े तो उसे एक अथवा दो और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। यह गारंटी स्वयं संविधान में होनी चाहिए।

मैं उन उपायों का भी स्वागत करता हूं जो आपने अभी रखे हैं। मैं श्री मुरली देवरा की एक बात से सहमत हूं। जहां तक साझेदारी का सम्बन्ध है। जबकि हम इन परिवर्तनों के लिये सभी सहमत हैं, मैं समझता हूं, यह बेहतर होगा यदि इस मामले से सम्बन्धित संशोधन विधेयक अति शीघ्र ही इस सदन में लाया जाये। जैसाकि उन्होंने स्वयं सुझाव दिया है, तलवार को क्यों लटकाए रखें?

दूसरी बात यह है कि यदि कोई चीज गलत है और यदि उससे बड़े व्यापारी समुदाय को नुकसान होता है, उसे हम यहां इसी समय ही ठीक कर दें। उस गलत चीज को पर्याप्त अवधि तक जारी नहीं रखा जाये, जिससे कि कुछ अन्य लोगों को उसका फायदा न हो। कभी-कभी गलत सलाह भी दी जाती है। अतः आपको उन लोगों की नेकनीयती की जांच करनी चाहिए। अन्यथा जब इस प्रकार का प्रस्ताव आता है, तो सम्पूर्ण देश की इस बात पर प्रतिक्रिया होती है कि यह प्रस्ताव किस प्रकार लागू किया गया। इन सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी-कभी कुछ परामर्श उचित नहीं हो सकते और वे देश के हित में बिल्कुल नहीं हो सकते।

मैं अन्य पहलू का भी स्वागत करता हूं जिसकी अभी-अभी घोषणा की गई है। अर्थात पर्यटन को सहायता दी जा रही है। जहां तक गोवा का सम्बन्ध है, मैं इसका बहुत ही स्वागत करता हूं। आपने एक से तीन सतारा होटलों के लिए राज सहायता में वृद्धि करके बहुत अच्छा कार्य किया है। अब तक सरकार की प्रवृत्ति, विशेषकर गोवा जैसे संघ राज्य क्षेत्रों में, और अधिक पांच सितारा होटलों को प्रोत्साहन देने की थी। यदि आप एक से तीन सतारा होटलों के लिये राजसहायता में वृद्धि करके उन्हें यह प्रोत्साहन देंगे, तो गोवा जैसे राज्यों में इस तरह के होटलों की संख्या में वृद्धि होगी। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ ही, हमें यह देखना चाहिए कि पर्यटन उद्योग को दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार की होनी चाहिए कि पर्यटन उद्योग को होने वाली आय में से, पर्याप्त धन सरकार की तिजोरी में जाना चाहिए। हम आज देखते हैं कि लोग दूसरे देशों में अथवा देश के अन्य भागों में आते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन सरकार को

[श्री शांता राम नायक]

उससे कुछ नहीं मिलता, और यह केवल नाममात्र के लिये एक उद्योग रह जाता है। पर्यटन स्थल पर और उसके आसपास व्यापारिक गतिविधि शुरू करने के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि सरकार को भी लाभ हो। जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, जहां केन्द्रीय सरकार को लाभ प्राप्त होता है। उसमें से कुछ पर्याप्त हिस्सा राज्य सरकारों को भी दिया जाना चाहिए। अन्यथा राज्य सरकारें पर्यटन उद्योग का बेहतर विस्तार नहीं कर पाएंगी। अत: जहां तक विदेशी मुद्रा की आय का सम्बन्ध है। राज्य सरकारों को भी बीच में लाना होगा।

मैं एक और पहलू पर बल देना चाहता हूं जिसका आपने अपने विगत भाषणों में उल्लेख किया था। विभिन्न प्रस्तावों के अन्तर्गत अनेक रियायतें और लाभ दिये गये हैं। यदि इनका लाभ उपभोक्ताओं को सीधे नहीं पहुंचता अथवा इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाये तो आपने कहा है कि आप उन रियायतों को वापस लेने में हिचकिचायेंगे नहीं। आपने यह बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है इन पहलुओं पर जिला स्तर से ही बहुत सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जाये। आपको यह अवश्य देखना चाहिए कि यदि किसी कारण ये लाभ अथवा रियायतें उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती, न केवल इन रियायतों को ही वापस लिया जाना चाहिए बल्कि इन उद्योगों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही भी की जाए। यह कार्यवाही या तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अथवा एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम या भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अन्तर्गत की जानी चाहिए। ये तीन विधान हैं जिनके बारे में मैं सोच सकता हूं। इसके अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। यदि आप केवल रियायतों को वापस ले लेंगे और उनसे कुछ धनराशि देने के लिए कहेंगे, केवल ईश्वर जानता है, वे कब ऐसा करने जा रहे हैं। यदि उनको निश्चय ही यह पता लग जाना चाहिए कि इन रियायतों को वापस लिये जाने के अलावा कुछ मुकदमा भी चलाया जाएगा और इस देश के कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, केवल तभी यह चीजें वास्तव में प्रभावी होंगी।

1.00 म०प०

अन्त में मैं थोड़ा बहुत औद्योगिक नीति के बारे में कहना चाहूंगा। क्योंकि हम विभिन्न उद्योगों को धन दे रहे हैं। मैं यह अनुरोध करता हूं कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव के साथ-साथ अथवा राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के साथ-साथ प्रत्येक राज्य को राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के विस्तृत परिप्रेक्ष्य के अन्दर अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अपनी स्वयं की नीति तैयार करने के लिये कहा जाना चाहिए, ताकि वित्त मंत्रालय यह जान सके कि राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अथवा राज्य सरकार से मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव राज्य सरकार की नीति के ढांचे के अन्तर्गत है अथवा नहीं और इसे सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है अथवा नहीं। इससे राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और मंत्रालय को भी राज्यों को सहायता देने में सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित करते हैं और 2 बजे म०प० पर पुन: समवेत होंगे।

1.01 म०प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.5 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.08 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

वित्त विधेयक, 1988

[—जारी]

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। वित्त विधेयक को लेने के साथ ही बजट सम्बन्धी कार्य अन्तिम अवस्था में पहुंच गया है। मैं अर्थ-व्यवस्था के मूल क्षेत्र में निवेश योजना में सरकार की नीति तथा बजट में घोषित वित्तीय उपायों का समर्थन करता हूं। उत्पादक क्षेत्र में निवेश नीति सुदृढ़ है और यह इस बात का संकेत है कि सरकार यह महसूस करती है कि कृषि तथा प्रमुख क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस वर्ष 100 लाख टन खाद्यान्नों की कमी को ध्यान में रखकर सरकार को चाहिए कि वह सातवीं योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खाद्यान्न की इस कमी को पूरा करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाए। वार्षिक परिव्यय में 40% की वृद्धि कर दी गई है। चालू वर्ष के दौरान 203 लाख हेक्टेयर अधिक भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जायेगा तथा धान और अन्य खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुझे विश्वास है कि इन कदमों से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है और कृषि उत्पादन में कमी से अवश्य महंगाई बढ़ेगी। पिछले 40 वर्षों के दौरान, हम पंडित जी, इंदिरा जी और राजीव जी के शुक्रगुजार हैं, कि उनके योजना से खाद्यान्न उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 1950 में हमारी जनसख्या 36 करोड़ थी तथा खाद्यान्न उत्पादन केवल 500 लाख टन था। इसके विपरीत पिछले वर्ष हमारी जन-संख्या 78 करोड़ थी और हमारा खाद्यान्न उत्पादन 1,550 लाख टन है। जबकि जनसंख्या दुगनी हो गई है, 1950 की तुलना में हमारा खाद्यान्न उत्पादन तिगुने से भी अधिक हो गया है और हमें इस बात पर गर्व है। निःसन्देह, भारत खाद्यान्न के मामले में विश्व के आत्मनिर्भर देशों में हो गया है। 270 लाख टन खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डार से हमने सूखे के कारण पैदा हुई विषम स्थिति का सामना किया है।

सूखे और बाढ़ के कारण 100 लाख टन खाद्यान्नों की कमी हुई है। फिर भी सरकार ने इस समस्या का बड़ी कुशलता से सामना किया है।

कृषि क्षेत्र में सुदृढ़ता के कारण ही हम देश में भयंकर सूखे की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम रहे हैं।

इसी तरह ऊर्जा क्षेत्र को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके बिना उत्पादन की सम्पूर्ण नीति का विफल होना अवश्यम्भावी है। यही कारण है कि सरकार ने विद्युत के लिए आबंटन में 32% की वृद्धि कर 1987-88 में 7936 करोड़ रुपये से सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के लिए 9195 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं और अकेले विद्युत क्षेत्र में 19 7-88 में 2994 करोड़ रुपये से वृद्धि करके 1988-89 में 3962 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। ऊर्जा मन्त्रालय ने अपनी कार्यकुशलता में सुधार किया है, जैसाकि यह अतिरिक्त क्षमता उत्पादन, संयंत्र भार में वृद्धि इत्यादि से स्पष्ट है। इस

[श्री पी० ए० एन्टनी]

प्रमुख मन्त्रालय के प्रभारी मन्त्री हमारी शुभकामनाओं के पात्र हैं।

फिर जलभूतल परिवहन क्षेत्र के लिए परिव्यय में 40% की वृद्धि की गई है, संचार क्षेत्र के परिव्यय में 44% की वृद्धि की गई है, रेल क्षेत्र के परिव्यय में 40% की वृद्धि की गई है इत्यादि। इस प्रकार यह देखा जायेगा कि निवेश नीति संगत है तथा अर्थव्यवस्था के इन प्रमुख क्षेत्रों में अधिक उत्पादन तथा कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए बनाई गई है।

इस वर्ष अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार द्वारा किये गये वित्तीय उपायों को आम-तौर पर गैर-मुद्रास्फीतिकारी माना गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य खपत तथा दैनिक उपभोग की कई वस्तुओं पर बहुत सी रियायतें दी गई हैं। इस वर्ष के कराधान उपायों से कुशलतापूर्वक संसाधन जुटाने का पता चलता है। कर वसूल करने का यह सुलभ तरीका है। इसके लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त, 7484 करोड़ रुपये के घाटे से कुछ समस्या पैदा हो सकती है। यदि 1987-88 की तुलना में थोड़ा भी कर राजस्व बढ़ता है तो इससे बहुत अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा। बजट दस्तावेजों से यह पता चलता है कि 1987-88 के बजट अनुमानों की कर प्राप्ति में वास्तविक वृद्धि 626 करोड़ रुपये थी। बेशक यह वित्त मन्त्रालय की कार्यकुशलता तथा नेतृत्व के कारण ही है। बेशक इससे पता चलता है कि कर वसूली के प्रयत्नों में तेजी लाई गई है। परन्तु इतना घाटा गम्भीर समस्या पैदा कर सकता है। जब तक कि इसे तेज कर प्रयासों से पूरा नहीं किया जाता है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि कर आधार को विस्तृत करने का क्षेत्र बहुत सीमित है क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति में भारी कमी आई है। जैसाकि दिया गया है, 8 वर्ष की अवधि में कर राजस्व में वृद्धि यथेष्ट रही है; 1980-81 में यह 12,000 तथा 13,000 करोड़ रुपये के बीच थी और 1988-89 में यह लगभग 43,000 करोड़ रुपये होगी। इन करों में से अधिकतम वृद्धि आबकारी में हुई है जिससे इस देश में प्रत्येक नागरिक प्रभावित होता है। 1980 से 1988 के बीच 8 वर्ष की अवधि में आबकारी में वृद्धि लगभग 300% रही है। क्या लोगों की आय इस हद तक बढ़ी है? जी नहीं। इसलिए कर उगाहने में सरकार के पास विकल्प बहुत सीमित है। सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय की पद्धति के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि जब आन्तरिक ऋण तथा बाहरी सहायता प्राप्ति का 20% होती है तो केवल ब्याज, ब्याज अदायगी ही व्यय का 17% होती है। ब्याज अदायगी से ही संसाधनों पर भारी बोझ पड़ता है। इसलिए ऋण भार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है यदि हम ऋण जाल में नहीं फंसना चाहते हैं।

आयकर केन्द्र सरकार के कुल कर राजस्व का केवल 4% है। विशेषज्ञों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि आयकर के स्थान पर व्यय कर लगा देना चाहिए। परन्तु इस पर सरकार ने विचार नहीं किया। फिलहाल आयकर में 18,000 रुपये तक की छूट है जो दो वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। महंगाई के कारण निर्धारित आय वर्ग की आय तथा क्रय शक्ति और कम हो गई है। इसलिए आयकर में छूट सीमा को कम से कम 25,000 रुपये तक बढ़ाने का ठोस मामला है। वित्त मन्त्री ने इसे अछूता छोड़ दिया है। इस कदम से कर दाताओं, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिलती! मुझे बताया गया है वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिये गये अधिकांश लाभ आयकर के रूप में वापस ले लिये गये हैं। मैं नहीं जानता कि क्या यह पूर्ण रूप से सही है। जब हम राहत देते हैं तो यह काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। यह वास्तविक होनी चाहिए। संयोगवश, पिछले सत्र में चेरीटेबल संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाने के लिए एक संशोधन था जैसा कि आप जानते हैं भारत में बहुत सी चैरीटेबल संस्थाएं हैं। यहां तक कि अब भी कुल जन-

संख्या का एक तिहाई भाग गरीबी रेखा के नीचे है। सरकार उनका पूरा कल्याण नहीं कर सकती। अतः कुछ स्वैच्छिक एजेंसियों को कुछ कार्य करना चाहिए ताकि सरकार गरीब लोगों की सेवा कर सके। भारत में कई बेहतर चैरीटेब्ल संस्थायें हैं, जो संस्थायें चला रही हैं। अब उन पर कर लगा दिया गया है। इसका अर्थ हुआ कि उन स्वैच्छिक संस्थाओं की गरीब लोगों की सहायता करने की क्षमता इतनी नहीं रहेगी। अतः मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस कानून में संशोधन करें ताकि सरकार द्वारा मान्यदा प्राप्त जो संस्थायें बेहतर समाज सेवा कर रही है उन्हें कर से मुक्त किया जा सके। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इस पर विचार करेंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था नियोजित है और इसके तहत देश के संसाधनों का प्रयोग निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार करके एक निर्धारित समय में विकास स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन का प्रबन्ध इस तरह किया जायेगा कि प्रत्येक योजना के बाद आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम हो जायेंगी और वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ जायेगी। जब वस्तुओं की कीमतें कम हो जायेंगी तो लोग अधिक बचत करेंगे। लोगों की वह बचत सरकार का आगे निवेश करने के लिये मिलेगी। इस तरह से अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। परन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में हमने लगभग 40,000 करोड़ रुपये से कम का निवेश किया है। उनमें से कई इकाइयां बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं, कई संस्थायें लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रही हैं। यदि एक बेहतर प्रबन्ध निगरानी करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में समस्त 40,000 करोड़ रुपये के निवेश पर—यदि इसका दस प्रतिशत आप बैंक में डालते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कितना ब्याज कमायेंगे। इसका अर्थ हुआ कि इन सार्वजनिक क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए कोई पद्धति होनी चाहिए ताकि उनकी राष्ट्रीय आय का वितरण हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप किया जा सके और राष्ट्रीय आय उन गरीब लोगों को दी जा सके जो वास्तव में सरकार से कुछ सहायता के पात्र हैं। मैंने कभी भी सरकार या उन लोगों की ईमानदारी पर शक नहीं किया जो हमारे साथ हैं। परन्तु कुछ गड़बड़ी है। हमारे सार्वजनिक उपक्रमों को क्या हो गया है ? हर व्यक्ति प्रत्येक राजनैतिक दल प्रत्येक मजदूर संघ यह कहेगा कि आप उनका राष्ट्रीयकरण कर दीजिये। एक बार यदि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो मजदूर संघों के नेताओं, इन बड़ी कम्पनियों के प्रबन्धकों, उनमें बहुत से लोगों को--- मैं नहीं कहता सभी को— इसका लाभ मिलेगा। वे आर्थिक सौदों का अपनी जगह पर ही, जहां वे उसका उपयोग कर सकते हैं, पूरा लाभ उठा रहे हैं। अतः वास्तव में हमें इसकी जांच करनी चाहिए। वास्ताव में संसद तथा मंत्री-गण का इन चीजों पर सीधा नियन्त्रण नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु वहां क्या हो रहा है ? कोई नहीं जानता है। अतः हमारे बुद्धिमान वित्त मन्त्री के नेतृत्व में कुछ निगरानी होनी चाहिए ताकि यह कुछ लाभ कमा सके, उस लाभ से लोगों के लिये और अधिक रोजगार पैदा किये जा सकें तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अधिक लाभ मिल सकें। सार्वजनिक उपक्रमों के लिये 40,000 करोड़ रुपये से कम की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। कोई नहीं जानता कि क्या होता है। परन्तु इस तरह अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। परन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है। एक ओर तो प्राथमिक उत्पादनकर्ता, सामान्य किसानों को उनके उत्पादन के लिये लाभकारी कीमत नहीं मिलती, दूसरी ओर उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। लाभ कौन कमाता है ? यह बिचौलिया हैं। बिचौलिये पूरे माहौल को खराब कर रहा है। मान लीजिये एक आम आदमी एक किसान को एक विशेष कृषि उत्पाद की कीमत 10 रुपये मिलेगी, यह तभी मिलेगी जब यह बाजार में होगा अथवा जब इसकी कीमत 40 या 50 रुपये मिलेगी तो उसे लाभ मिलेगा। अतः मेरा सुझाव है कि दूसरा व्यक्ति यानि किसान को अधिक पैसा मिलेगा, बिचौलिये को कम लाभ

[श्री पी० ए० एन्टनी]

मिलेगा तथा उपभोक्ता को अधिक लाभ मिलेगा। बेशक इसके लिये हम सहकारी आंदोलन के पक्षधर हैं। परन्तु क्या हुआ ? वास्तव में, सहकारी आन्दोलन—जैसा महात्मा जी ने किया था—हमारे देश में आशा के अनुरूप नहीं है। बहुत सी अच्छी सहकारी संस्थायें, सहकारी आन्दोलन के कई नेता बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं परन्तु परिणाम संतोषजनक नहीं हैं। वास्तव में हमें बहुत ऊंचा उठना है। अतः हमें इन बिचौलियों से बचना चाहिए। कोई तंत्र होना चाहिए। आप विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम कर सकते हैं तथा ऋण भार को कम कर सकते हैं। परन्तु फिलहाल घरेलू बचत दर बहुत कम है महंगाई लोगों की बचत को खा रही है। अतः मेरा सुझाव यह है कि सार्वजनिक उपक्रमों की उचित निगरानी आवश्यक है ताकि अधिक लाभ कमाया जा सके। कम से कम उस लाभ का उपयोग आन्तरिक ऋण के लिये किया जा सकता है।

हमारी नियोजित अर्थव्यवस्था की सफलता बहुत-कुछ बिचौलियों को खत्म करने पर निर्भर करती है। परन्तु सहकारी क्षेत्र, जिससे बिचौलियों को समाप्त करने की आशा की जाती है, ने प्रभावपूर्ण ढंग से भूमिका नहीं निभाई है। मुझे आशा है कि सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठायेगी।

यह कहने के पश्चात, मैं अपने राज्य केरल, की कुछ समस्याओं की चर्चा करूंगा। केरल की अर्थव्यवस्था का आधार नकदी फसलें हैं। केरल में हम चावल खाते है। परन्तु हम 45% से भी कम चावल पैदा करते हैं जो आवश्यक है तथा हमारी 50% से अधिक कृषि-वस्तुयें नकद फसलें हैं। उनसे देश को बहुत लाभ मिलता है। नकदी फसलों से विदेशी मुद्रा मिलती है। केरल की इन नकदी फसलों से देश को भारी धनराशि की आय होती है, करोड़ों—सैकड़ों या हजारों नहीं—रुपये की विदेशी मुद्रा मिलती है। ये नकदी फसलें जैसे—रबड़, नारियल, काली मिर्च, इलायची इत्यादि हमारे लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमाती हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि केरल की अर्थव्यवस्था को सरकार की हाल ही की आयात नीति के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नई आयात नीति के अन्तर्गत टायर, नारियल, रबड़, जायफल, लौंग आदि मसालों के आयात को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखा गया है। इसलिये कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के मुताबिक आपने लाभ के लिये कुछ भी आयात कर सकता है। यदि राज्य व्यापार निगम ऐसा करता है तो उनके पास देश की वास्तविक मांग के मुताबिक आयात सम्बन्धी कुछ आंकड़े होंगे। परन्तु अब यदि प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त रूप से आयात की इजाजत दी जाती है तो वह अपनी पसंद के मुताबिक पैसा कमा सकता है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस नीति से केरल की अर्थव्यवस्था में संकट पैदा हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन फसलों के उत्पादक छोटे और सीमान्त किसान हैं। उनकी जीविका इन फसलों से प्राप्त आय पर निर्भर करती है। पहले ही वे सूखे के कारण नुकसान उठा चुके हैं। साथ ही इस नीति का भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन वस्तुओं के अप्रतिबन्धित आयात से कीमतों में गिरावट आयेगी। केरल में इस नीति का काफी विरोध हो रहा है। चूंकि इससे राज्य के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस नीति की तत्काल समीक्षा करे और केरल के किसानों को बचाये। आज सुबह केरल कांग्रेस (इ) के संसद सदस्य हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री से मिले और उन्हें कठिनाइयों से अवगत कराया। प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले पर गौर करेंगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह केरल के औद्योगिक विकास के बारे में है। केरल ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश राष्ट्रीय औसत से कम है। कुछ आंकड़ों के अनुसार केरल में केन्द्रीय निवेश का प्रतिशत नीचे आ गया है। आपको याद रखना चाहिए कि केरल में रोजगार कार्यालयों में 30 लाख शिक्षित लड़के और लड़कियों के नाम दर्ज हैं।

एक माननीय सदस्य : पचास लाख।

श्री पी० ए० एन्टनी : मेरा तात्पर्य उन शिक्षितों से है जो स्नातक हैं और तकनीकी योग्यता रखते हैं। आपने अशिक्षितों को भी शामिल कर दिया है।

फिर बेरोजगारी की समस्या औद्योगिक विकास की कमी के कारण बढ़ी है। एफ०ए०सी०टी० कोपरो लेक्टम प्लांट, अमोनिया इकाई, कोचीन शिपयार्ड का विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार आदि का आधुनिकीकरण करने जैसे कुछ प्रस्ताव हैं जो कि केन्द्र सरकार को उनके अनुमोदन के लिए भेजे गये थे और इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना, आयुध कारखाना आदि की स्थापना करने की मांग काफी समय से चली आ रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शीघ्र मंजूर करे जिससे हमारे युवा पुरुषों और स्त्रियों को रोजगार मिल सके।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह खाड़ी के कामगारों के बारे में है। वर्ष 1981 की जन-गणना के अनुसार मेरे जिले त्रिचूर में सबसे अधिक साक्षरता थी, मेरे इस छोटे से नगर में 92.8 प्रतिशत लोग लिखना-पढ़ना जानते हैं। कम से कम दो या तीन लाख गरीब लोग खाड़ी के देशों में गये हुए हैं। शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अकुशल और गरीबकुली भी वहां गये हुए हैं। वे किसी प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं। खाड़ी के देशों में आर्थिक मन्दी के कारण और विकास कार्य की धीमी गति के कारण भी हमारे कई कामगार वापस आ रहे हैं। वे राज्य में बेरोजगारों की संख्या में इजाफा करेंगे। ये खाड़ी से लौटे हुए लोग यद्यपि वे कोई पांच, दस या पन्द्रह साल पहले गरीब थे, की वहां बहुत अच्छी आय थी और अब उनका जीवन बहुत आधुनिक हो चला है। फिर जब वे बगैर कार्य और धन के वापस लौटते हैं तो उन्हें मानसिक रूप से ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं को ढालना बहुत कठिन लगता है जो उन्होंने कोई दस या पन्द्रह या बीस वर्ष पहले किया था। उन्होंने काफी विदेशी मुद्रा कमाई है। आखिर उन्होंने हमारी विदेशी मुद्रा में काफी योगदान दिया है। अत: उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह उनके पुनर्वास के लिये एक कोष स्थापित करे।

दूसरी बात केरल राज्य को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये बनाई कार्य योजना से अलग कर देने के बारे में है। केरल को धान उत्पादन के कार्य बल में शामिल नहीं किया गया है। जो कि केरल के लोगों का भोजन है। इस कार्यक्रम में 14 राज्यों को शामिल किया गया है। हमारे पड़ौसी राज्य जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक इस सूची में हैं। केरल भी धान का उत्पादक है। यद्यपि इसका उत्पादन पिछले दस वर्षों में कम हो गया है फिर भी राज्य में धान उत्पादन में वृद्धि करने की आशा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में अपने निर्णय पर पुन: विचार करे और केरल को भी इस कार्य योजना के अन्तर्गत राज्यों की सूची में शामिल करे।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बापू लाल मालवीय (शाजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और मेरा ख्याल है कि इसके बिना बजट की पूर्ति नहीं हो सकेगी। डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्स का जहां तक सवाल है, हमें टैक्स लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बार-बार उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

पहले फर्स्ट प्वाइन्ट टैक्स लगाया, उसके बाद उसमें परिवर्तन हुआ। इसलिए जो कुछ करना हो,

[श्री बापू लाल मालवीय]

शासन को बिल्कुल जांच करके वास्तविक निर्णय पर पहुंचकर ही टैक्स लगाना चाहिए। जो बीच-बीच में नीति बदलते जाते हैं, मेरा सुझाव है कि इस तरह नीति नहीं बदलनी चाहिए और वास्तव में सही परिणाम देखकर ही टैक्स लगाना चाहिए।

किसान लोग शासन के बहुत-बहुत आभारी हैं, उनको इनकम टैक्स में छूट दी, मुक्त किया। यह खुशी का बात है। इतना ही नहीं, बल्कि जो खेती में लगने वाले साधन हैं उनको भी टैक्स से मुक्त किया है, बीज और खाद में भी छूट दी है, इससे खेती जरूर अच्छी होती, लेकिन जो बड़े उद्योगपति और कारखाने वाले लोग हैं, उन्होंने जमीन खरीदी हैं और जमीन के नाम से इधर का पैसा उसमें लगा देते हैं और उसे खेती में आया पैसा बता देते हैं, वास्तव में उनके द्वारा कोई खेती होती नहीं है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो बड़े उद्योगपति और व्यापारी हैं, जिन्होंने जमीनें ली हैं, वे वास्तव में खेती करते हैं या नहीं। इससे शासन का बहुत नुकसान होता है क्योंकि वे लोग अपना नम्बर दो का पैसा सारा खेती में दिखा देते हैं इससे गवर्नमैंट का बहुत नुकसान होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कम-से-कम इस बात का ध्यान रखें, इसकी जांच करें कि शासन को कोई नुक्सान न हो।

अभी हम यह देखते हैं कि आप खाद्य तेल और दालें बाहर से मंगवाते हैं, इसमें परिवर्तन होना चाहिये। इस समय तीन चीजों की जरूरत है—नैसेसिटी, कम्फर्ट और लग्जरी। हम चाहते हैं कि कम्फर्ट और लग्जरी का इम्पोर्ट नहीं हो और नैसेसिटी की चीजों का ही इम्पोर्ट हो। जैसे दाल और तेल के भाव बहुत ऊंचे जा रहे हैं, गरीब उसको खा नहीं सकते हैं। गरीबों के खाने का साधन दाल और तेल है हम चाहे ऊंचे भाव में तेल मंगवाएं लेकिन हमारे यहां ऐसे दाल मिल हैं।जो कि 90 हजार या लाख के करीब हैं लेकिन वह दाल मिल क्यों नहीं चल पाते? हमारी यह दाल मिलें इस कारण नहीं क्योंकि हम बनी बनाई दालें इम्पोर्ट करते हैं। हम यह चाहते हैं कि दालों की बजाय आप उनके बीज इम्पोर्ट करिये और यह बीज हमारे देश के कारखानों को दीजिये। इसका नतीजा यह होगा कि वह कारखाने अच्छे चल सकेंगे और दालें भी सस्ती मिल सकेंगी।

जहां तक मैं समझता हूं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12,000 की इनकम बतायी है। इसमें बालक, माता-पिता और अभिभावक आदि सबों की आमदनी आती है। हम 12,000 की राशि से यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि छात्रवृत्ति के जो पैसे मिलते हैं वह कितने कम मिलते हैं। इसके साथ गवर्नमेन्ट ने मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ायी है। इन सब को देखते हुये आसानी से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह 12,000 की राशि बहुत कम है। मेरा ऐसा सुझाव है कि 12,000 की बजाय कम से कम 25,000 की इनकम आंकी जानी चाहिये।

आज अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, उनको आप स्कालरशिप दे रहे हैं। वह जातीय आधार पर देनी चाहिए। इनकम टैक्स से सम्बन्धित जो आय का प्रमाण-पत्र होता है, उसको भी खत्म कर देना चाहिये। खुशी की बात है कि कुछ राज्य सरकारों ने इसको खत्म कर दिया है—जैसे कि मध्य प्रदेश है। उन्होंने 11वीं क्लास तक यह तय कर दिया है कि जाति के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाए। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने यह नीति गलत निर्धारित की है। इसके कारण कई गरीब बच्चों को, जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। मेरा तो यही सुझाव है कि छात्रवृत्ति जाति के आधार पर दी जानी चाहिये।

हमें आदिवासियों की संस्कृति की भी रक्षा करनी है। हम यह बात मानते हैं कि जहां पहाड़

थे और जंगल थे, वहां से आदिवासियों को आमदनी हुआ करती थी और उनका धंधा चलता था। लेकिन पहाड़ साफ हो गए हैं और जंगल कट गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी यह भावना बनी हुई है कि आदिवासियों की संस्कृति यथावत कायम रहे। उधर जंगल कट गए हैं और उनका कोई धंधा नहीं रहा है। इस कारण भूखे पेट वह अपनी संस्कृति कैसे कायम रखेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि आप आदिवासियों की संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं तो आप ऐसे स्थानों पर कारखानें खोलें जहां पर कि आदिवासियों के पास आमदनी का दूसरा कोई जरिया नहीं है। आज उन जगहों में कारखाने खोले जा रहे हैं जहां पर पहले से ही और दूसरे कारखाने खुले हुए हैं और जहां खुशहाली व सारे सोर्स हैं। मेरा यही सुझाव है कि यह कारखाने ऐसे जंगलों में खोले जायें जहां पर कि करीब के लोगों को लाभ मिल सके, उनको धंधा मिल सके और विशेषकर आदिवासियों के एरिया में बड़े कारखाने खोले जाएं।

बड़े कारखानों को आप 25 परसेन्ट कैपिटल सबसिडी देते हैं। लेकिन यह कैपिटल सबसिडी शहरों में ही दी जाती है। मेरा यह सुझाव है कि यह कैपिटल सबसिडी तहसील स्तर व ब्लाक स्तर पर देनी चाहिये ताकि वहां पर लोग कारखाने खोलें। कैपिटल सबसिडी के लालच के कारण बड़े कारखाने वाले लोग शहरों में ही कारखाने खोलते हैं। आप कैपिटल सबसिडी चाहे जितनी मर्जी दें लेकिन वह उस जगह दें जहां गरीब व आदिवासी लोग रहते हैं ताकि वहां कारखाने खुल सकें। यह मेरा सबसे बड़ा सुझाव है।

आज परिवार नियोजन के नाम पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों व अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। और क्या परिणाम हुआ, परिवार नियोजन के नाम पर हम और बढ़ते जा रहे हैं। आज 10 लाख शादियां होती हैं तो अगले साल 10 लाख बच्चे और पैदा हो जाते हैं। हमने क्या कन्ट्रोल किया।

जहां तक हम देखते हैं कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनकी भी शादी होती है, हमको इस बात को देखना है कि यह क्यों हैं कि 20 या 19 साल की बच्ची और 20 साल का बच्चा, ऐसे बच्चों की यदि शादी करते हैं तो शासन की ओर से दहेज देना चाहिए लेकिन ताकि जल्दी शादी न हो। दूसरे, गरीब लोग वास्तव में शादी नहीं कर सकते, मैं तो समझता हूं कि शासन की ओर से उनकी शादी का खर्चा देना चाहिए लेकिन शिकायत यह है कि 20 और 21 साल में शादी हो तो उससे परिवार नियोजन पर नियन्त्रण हो सकता है। आज लाखों लोगों की शादियां हो रही हैं, इस साल शादी हुई और अगले साल लाखों बच्चे पैदा हो जाते हैं, हमारा परिवार-नियोजन पर कोई नियन्त्रण नहीं।

दूसरे, आप अंग्रेजी दवाइयां और गोलियों का उपयोग करते हैं, आपरेशन वगैरह से थोड़ी सफलता जरूर मिली हैं लेकिन हमको यह देखना है कि देशी जड़ी बूटियों का भी उपयोग करना चाहिए। मुझे खुशी है कि गांवों में इतनी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं जिससे बच्चे-बच्ची पैदा नहीं होते हैं, यह कितनी बुरी बात है कि लाखों करोड़ों रुपया हम इस तरह से अंग्रेजी दवाओं, गोलियों पर खर्च करते हैं इसलिए मेरा विचार है कि ग्रामीण लोगों की जो औषधियां हैं, जो चुपचाप उपयोग करते हैं, बताते नहीं हैं, उसको उपयोग करना चाहिये ताकि परिवार नियोजन पर हम नियन्त्रण कर सकें। आज हालत यह है कि हर जगह लाइन लगती है, कहीं भी जाओ, रेल में बैठो तो लाइन, मोटर में बैठो तो लाइन और हमने यहां तक देखा है कि मोटरों में जगह नहीं होने पर लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर जाते हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है इसलिए इस पर चिन्ता करनी पड़ेगी हमको गम्भीरता से देखना है कि आबादी को हम कैसे कम करें। इसमें शासन का पैसा लगे तो परवाह नहीं लेकिन आबादी हमको कम करनी पड़ेगी।

जहां तक मैं समझता हूं कि जो रुग्ण उद्योग हैं, उनके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है उसके लिए बड़े मिलों को भी कर्जा देते हैं, अनुदान भी देते हैं लेकिन हम देखते

[श्री बापू लाल मालवीय]

हैं कि आजकल एक गांव का आदमी भी टैरीलीन, टैरीकोट पहनता है, आज कॉटन का उपयोग कौन करेगा इसलिए कॉटन मिल के लिए जो हौवा होता रहता है, कोई बम्बई वाले हौवा करते हैं, कलकत्ता वाले हौवा करते हैं तो वास्तव में उस कॉटन मिल में परिवर्तन करना पड़ेगा और दूसरी तरह से हमको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्त विधेयक का जिस पर सभा में चर्चा चल रही है समर्थन करता हूं। महोदय, वित्त मंत्री द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए लाया गया नया बजट किसानों का पक्ष धर है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमारे देश के किसानों को इतनी अधिक रियायतें दी गई हैं। वे कई वर्षों से उपेक्षित और पददलित रहे हैं। परन्तु अब उनके भविष्य के लिए एक नई आशा बंधी हैं क्योंकि किसानों को काफी प्रोत्साहित किया गया है।

महोदय, मैं देश के दूरस्थ दक्षिण किनारे का रहने वाला हूं अर्थात् केरल राज्य का। हम राजधानी दिल्ली से काफी दूर हैं, हमारी उत्तर में उपेक्षा की जाती हैं। महोदय, स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात केरल में प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। राज्य में बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब है। जैसाकि मेरे मित्र श्री एन्टनी ने पहले कहा था मध्य पूर्व के देशों तथा खाड़ी के देशों से काफी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि वहां तेल की कीमतें गिर गई हैं। मुझे डर है कि दक्षिण में एक दूसरी फ्रेन्च रिवोल्यूशन होगी। वे नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और उनके जीवन स्तर में भी पहले ही सुधार हो चुका है। अब उन्हें बगैर किसी सामान्य जीविका के इसे बरकरार रखने में बहुत कठिनाई हो रही है। पिछले कई वर्षों से केरल में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह केरल को अधिक धन राशि उपलब्ध करने और सरकारी क्षेत्र में अधिक उद्योग आरम्भ करने पर विचार करें। महोदय राज्य में शिक्षित लोगों की प्रतिशत काफी अधिक है और ये शिक्षित लोग नौकरियों को प्राप्त करने की कोशिश में तत्पर हैं। महोदय, यदि सरकार राज्य में इलेक्ट्रानिक और अन्य सहायक उद्योगों को खोलने पर विचार करे तो इन शिक्षित लोगों को इन उद्योगों में रोजगार दिलाया जा सकता है। इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में ताईवान या हांगकांग जैसे छोटे देश भी हमारे देश से अधिक विकसित हैं। हमारे देश में इलेक्ट्रानिक उद्योगों के विकास की काफी गुंजाइश हैं। अतः मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करूंगा कि केरल में इलेक्ट्रानिक उद्योग को स्थापित करने के बारे में विचार करें।

वहां बिजली की भी बहुत कमी है। इसलिए नए उद्योग लगाना बहुत कठिन है क्योंकि वहां केवल जल-विद्युत योजना ही है और हम कोयला क्षेत्र से बहुत दूर हैं तथा हमारे राज्य में एक भी तापीय संयन्त्र नहीं है।

आज अतः मन्त्री महोदय परमाणु बिजली घर के बारे में उत्तर दे रहे थे। केरल में कृपया एक परमाणु बिजली घर या किसी अन्य प्रकार का बिजलीघर चालू कीजिए। इस प्रकार आप केरल को और अधिक बिजली दें जिससे वहां और उद्योग स्थापित किए जा सकें तथा लोगों को और अधिक रोजगार मिल सकें।

हमारे पास विदेशी मुद्रा की बहुत कमी है। नयी निर्यात-आयात नीति में बहुत सारी प्रमुख रियायतें ओ० जी० एल० के अन्तर्गत भी आ रही हैं। जिन वस्तुओं के आयात पर रियायतें दी जा रही

हैं वे सभी विलासिता की वस्तुएं हैं । जायफल और लौंग विलासिता की वस्तुएं हैं और इनका इस्तेमाल बिरयानी तथा फलों का सलाद बनाने में किया जाता है । अरब शेख और अमरीकी करोड़पति इन मंहगी वस्तुओं पर खर्च करें । किन्तु अपने देश में इन वस्तुओं का आयात करना फिजूल खर्ची है । हमारे किसान निश्चित रूप से पर्याप्त पैदावार करेंगे और वे अपनी वस्तुओं का निर्यात करने को भी तैयार हैं बशर्ते कि उन्हें सही मूल्य मिले और हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं । इसलिए, इन विलासिता की वस्तुओं का आयात करना बेकार है । इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन वस्तुओं का आयात रोका जाये तथा आवश्यक दवाइयां और अपने उद्योग आदि के लिए यंत्रों को खरीदने के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा को बचाया जाये । यह भविष्य के लिये भी अच्छा होगा ।

हम लोग रबर आयात कर रहे हैं । इस वर्ष रबर का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़कर 14 रु० प्रति किलो तक हो गया है । बहुराष्ट्रिक और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां निर्धन ट्रक मालिकों और टैक्सी चालकों के लागत पर बहुत अधिक लाभ कमा रही हैं । इसलिए कृपया यह सुनिश्चित कीजिये कि रबर का आयात प्रतिबंधित कर दिया जाये जिससे कि किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके और रबर उपजाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिले । रबर ही एक ऐसी कृषि वस्तु है जिसका मूल्य गत छह साल से नहीं बढ़ा है । कपास, गन्ना और अन्य कृषि वस्तुओं के मूल्य बढ़ चुके हैं । अगर 1982 से 1988 का ग्राफ बनाएं तो आपको पता चलेगा कि रबर का मूल्य गत छः वर्ष से लगभग एक सा ही है । इसलिये किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा है । जमीन बेचकर यदि वे रुपया बैंक में जमा करवायें तो भी उन किसानों को कम से कम 10 प्रतिशत का लाभ मिलेगा । किन्तु रबर 'इस्टेट' से आप उस पर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं पा सकते हैं ।

इसी प्रकार गरीब किसान जंगल में इलायची और मिर्च उगा रहे हैं और उन्हें जंगली हाथियों, मलेरिया तथा अन्य रोगों (लीच) से लड़ना पड़ता है जो खून चूसते हैं । वे दक्षिण में संघर्ष कर रहे हैं तथा अपने देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं किन्तु उन्हें उजित मूल्य नहीं मिल रहा है । गत दो महीनों के दौरान मिर्च का मूल्य लगभग 40 से 50 प्रतिशत कम हो गया है । इस प्रकार किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मिर्च और काफी पर निर्यात शुल्क माफ कर दें तथा अपने देश के सीमांत किसानों को बचा लें । मैं एक किसान परिवार का हूं तथा मुझे किसानों की कठिनाइयों के बारे में पता है । इसलिये मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि अपने देश के किसानों के हित में निर्यात शुल्क माफ कर दिया जाये या घटा दिया जाये ।

केरल में राजमार्गों, रेल पथों और बिजली उत्पादन के विकास के लिए और अधिक धन आवंटित किया जाये । केरल राज्य को और अधिक धन दिया जाये ताकि वहां की परिवहन व्यवस्था सुधारी जा सके और वहां अधिक उद्योग लगाये जा सकें और रोजगार के और अधिक अवसर प्राप्त किये जा सकें । जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, अपने देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है । इसके बारे में नरम रवैया अपनाया जाये । वे अपने देश के शोषित व्यक्ति हैं । इसलिये केरल में और अधिक उद्योग लगाये जायें जिससे कि ये लोग देश के अन्य भागों के लोगों के समकक्ष आ सकें ।

इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई हूं । फाइनेंस बिल पर बोलते हुए मैं ए० आई० सी० सी० सैशन में जो प्रधान मंत्री जी ने गरीबी हटाओ और बेकारी हटाओ का स्लोगन दिया है, उस स्लोगन का मैं स्वागत करती हूं । मैं मंत्री

[कुमारी ममता बनर्जी]

महोदय को बताना चाहती हूं कि इस स्लोगन को इम्पलीमेंट करने के लिए, जितना जल्दी हो सके, स्टेट गवर्नमेंट और सैन्ट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनायेंगे, तब यह स्लोगन सक्सैस हो सकता है और उसका इम्पलीमेंटेशन ठीक हो सकता है। वैसे हमारे देश में बहुत सारे प्रोग्राम हैं। उन प्रोग्राम्स में सैल्फ-सफिशियेंट स्कीम है। इसमें नौजवानों के लिए सरकार ने ध्यान दिया है और वह काम कर रही है, लेकिन बेकारी हटाओ के लिए अभी एक नेशनल कमीशन और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए, जो यह ध्यान दे सके कि कैसे देश में बेकारी हटाओ के कार्यक्रम सक्सैस हो सकते हैं। सिर्फ स्लोगन देने से काम नहीं होगा, लेकिन स्लोगन को इम्पलीमेंट करने के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में अभी बहुत सारे नौजवान बेरोजगार हैं। उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम उनको ठीक से कोई काम नहीं दे सके हैं। ऐसे नौजवान ड्रग-एडिक्ट हो सकते हैं, ऐसे नौजवान देश के बुरे काम में भी जा सकते हैं, इसलिए ऐसे नौजवानों के लिए भी काम करना है। बेकारी हटाओ के लिए एक कन्सैंसस यूनिफार्म पॉलिसी होनी चाहिए। उस पॉलिसी को इम्पलीमेंट करने के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को काम करना चाहिए। अकेले सैन्ट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, इसलिये सैन्टर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलना पड़ेगा। एक साथ बैठ कर ऐसी पालिसी बनानी, पालिटिक्स करने के लिये नहीं, राजीव जी ने जो स्लोगन दिया है, उसके खिलाफ बोलने के लिए नहीं। यह सवाल हमारी कन्ट्री में है और इस सवाल को एक साथ बैठ कर सोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी होगी और नेशनल कमीशन भी बनाना होगा, जो इन सब चीजों के बारे में देखें, लेकिन यह जल्दी से जल्दी होना चाहिये। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था, तो ये अपोजीशन पार्टीज, जो आज यहां नहीं है, उनका एक तरीका हो गया है कि हर रोज वाक-आउट करके चला जाता है। एक बात हम जरूर मार्क किया है कि अपोजीशन वाक आउट हर दिन के लिए करता है। श्री बासुदेव आचार्य आज 377 में भाग लिया, जब जरूरी है तो वह भाग लिया और बाद में उठ कर चले गये। हर दिन के लिए वाक आउट किया है, यह हम मार्क किया है। आज हाउस में जो वे 377 रेज किया है, उसके लिये मिसेज गांधी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था। जब यह स्लोगन दिया, तो अपोजीशन के लोग इसके काफी खिलाफ बोला था। उन्होंने कहा इन्दिरा जी ने गरीब हटाओ के लिए बोला है, गरीबी हटाने के लिए नहीं बोला है, जबकि उन्होंने गरीबी हटाने के लिए बोला था। उन्होंने बीससूत्री कार्यक्रम दिया, आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और जितने भी कार्यक्रम उन्होंने दिए, ये सब गरीबी हटाने के कार्यक्रम हैं। उसी के लिए अब राजीव जी ने बेकारी हटाओ का स्लोगन दिया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टेट में यह प्राब्लम काफी है। पूरे देश के मुकाबले हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा प्राब्लम है। हमारे स्टेट में रजिस्टर्ड अनएम्पलायड एजुकेटेड यूथ हमारे प्रदेश में 70 परसेंट है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप ऐसी चीज बनाइए कि एक परिवार में एक आदमी को जरूर कुछ न कुछ मिलना चाहिए।

श्री हरीश रावत : पश्चिम बंगाल में गरीबी तभी हटेगी, जब वहां मार्क्सिसिस्ट गवर्नमेंट हटेगी। वह हटेगी नहीं तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी।

कुमारी ममता बनर्जी : थैंक यू फार दि काम्पलीमेंट। एक परिवार में कम से कम एक आदमी को नौकरी मिलनी ही चाहिए। क्योंकि हम अपनी कन्ट्री में देखा है कि हैव्ज-एंड-हैव्ज-नॉट काफी आदमी है, करोड़ों रुपये हैं। लेकिन हमारे कन्ट्री में ऐसे भी आदमी हैं, जो भूखे रहते हैं और जिनको खाना नहीं मिलता है। इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि जिस फैमिली में कोई आदमी रोजगार में

नहीं है, तो उस फैमिली के कम से कम एक आदमी को रोजगार देने का बन्दोबस्त करना चाहिए, जिससे वह फैमिली बच जाये।

एक बात यह कहना चाहती हूं कि जो फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी है, वह ईस्टर्न रीजन में ठीक नहीं है। एक यूनीफार्म पालिसी होनी चाहिए। ईस्टर्न रीजन में अगर फ्रेट इक्वेलाइजेशन ठीक नहीं होगा, तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी। ईस्टर्न रीजन में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी बड़ी स्टेट्स हैं। बिहार स्टेट है, वह कितनी बड़ी स्टेट है। उड़ीसा में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, बंगाल है और उड़ीसा है, ये सब स्टेट्स हैं। अगर यूनीफार्म कोई फ्रेट इक्वेलाइजेशन पालिसी बनेगी, तो इन सारी स्टेट्स में इंडस्ट्रीज बन सकती हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगी कि एक यूनीफार्म पालिसी इसके बारे में होनी चाहिए।

मंत्री जी हमारी स्टेट के हैं। आपको मालूम होगा कि हमारी स्टेट में मुर्शिदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक भागीरथी रीवर है। उसके इरोजन होने से क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद की हजारों एकड़, जमीन पानी के अन्दर घुस गई। बंगला देश के साथ वह मिला हुआ है। अगर इरोजन कन्टीन्यू रहेगा, तो भागीरथी और गंगा एक हो जाएंगी और बाद में क्या होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट की सारी की सारी जमीन पानी के अन्दर चली जायेगी। इसलिए इस पर आप को ध्यान देना है। यह एक बहुत ही जरूरी मामला है। कम से कम एक हजार एकड़ जमीन पानी के अन्दर घुस गई है। मैं आप से रिक्वेस्ट करती हूं कि एक सेन्ट्रल टीम आप वहां पर भेजिये। सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के आदमी लेकर एक टीम बनाइए और वह वहां जाकर ओबजर्व करे और इसका रिव्यू करे। जो भी करना है वह अभी करना है। नहीं तो, एक डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद भागीरथी रीवर के इरोजन की वजह से खत्म हो जायेगा, एबोलिश हो जायेगा। इसके लिये एक टीम आपको वहां पर भेजनी चाहिए।

मैं यह भी बोलना चाहती हूं कि मिनिस्टर साहब ने टूरिज्म के लिये जो सब्सिडि दी है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं। आपको मालूम है कि हमारी स्टेट में दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट है जोकि टूरिज्म के लिए एक बहुत अच्छा स्पोट है। झारगम डेवलपमेंट बोर्ड के आप चेयरमैन थे जब आप कैबिनट मिनिस्टर थे बंगाल में श्री सिद्धार्थ शंकर रे की मिनिस्ट्री के टाइम में और सुन्दरवन डेवलपमेंट बोर्ड के भी चेयरमैन थे। लेकिन अब क्या हुआ है। वह नान-फंक्शनल हो गये हैं और कोई काम नहीं होता है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। दार्जिलिंग में एक आन्दोलन पैदा हुआ है। मैं जी० एन० एल० एफ० के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूं और मैंने किलयर-कट बोल दिया है कि बंगाल डिवाइड नहीं हो सकता है। मैं जी० एन० एल० एफ० के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूं। बंगाल एक रहेगा, तो हम लोग एक रहेंगे। यह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया है और होम मिनिस्टर साहब ने भी बताया है लेकिन बात यह है कि जी० एन० एल० एफ० का मूवमेंट क्यों हुआ। जो हिल डेवलपमेंट कौंसिल है उसको काम नहीं करने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने काम नहीं करने दिया। झारगम डेवलपमेंट बोर्ड जो है, वह काम नहीं कर रहा है और सुन्दरबन डेवलपमेंट बोर्ड जो है, वह भी कोई काम नहीं कर रहा है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो सब्सिडि आप देते हैं, उसका प्रोपर यूटीलाइजेशन होना चाहिए और इसके लिये सेन्टर की एक मोनीटरिंग टीम होनी चाहिए, जो मोनीटर करके देखे कि जो लोग काम नहीं करते हैं, उसकी देखभाल करने के लिये अलग से पालिसी बनाएं। इस चीज को सेन्टर देखे। काफी स्टेट गवर्नमेंट्स एक्टिव हैं और मैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलती हूं लेकिन बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट पालीटिक्स ज्यादा करती है और काम नहीं करती है। पहले काम करे और फिर पालीटिक्स करे, तो कोई बात नहीं है लेकिन वहां पर पालीटिक्स ज्यादा होती है और काम नहीं होता है। अपोजीशन ने वाक-आऊट किया, अपोजीशन का वाक-आऊट करने का तरीका क्या है। अपोजीशन गरीबी दूर करने के लिये कोई बात नहीं करता है, अपोजीशन की तरफ से बेकारी दूर करने

[कुमारी ममता बनर्जी]

के लिये कोई बात नहीं होती है और वह देश को आगे ले जाने के लिये कोई बात नहीं बोलता है और खाली बोफर, बोफर चिल्लाता है। बोफर ही इनका घर है, बोफर ही इनका खाना है और बोफर ही इनका पीना है और बोफर ही इनका एक ड्रीम हो गया है। इसके अलावा यह और कुछ अच्छी बात नहीं बोलता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिये। जो सच बात है उसको बोलना चाहिये।

3.00 म० प०

कलकत्ता पोर्ट के बारे मे मैं एक बात बोलना चाहती हूं। कलकत्ता पोर्ट की हालत अभी बहुत खराब हो गई है। अगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वह सूख जाएगा और कलकत्ता पोर्ट पर कोई जहाज नहीं आ सकेगा। इसीलिए कलकत्ता पोर्ट ठीक तरह से चले इस पर मिनिस्टर को थोड़ा-सा कुछ करना है।

कलकत्ता पोर्ट के चेअरमैन ने अभी एक स्टेटमेंट दिया जो कि बुरा स्टेटमेंट है। तीन-चार दिन पहले कलकत्ता पोर्ट के चेअरमैन ने गोली चलवाया जिसमें तीन आदमी का डेथ हो गया। कैसे उन तीन आदमियों का डेथ हो गया उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया वह रोंग स्टेटमेंट दिया। उसमें कहा कि पोर्ट की लैंड पर जो मन्दिर, मस्जिद है उसको हम तोड़ देंगे। मन्दिर, मस्जिद को तोड़ देना ठीक है लेकिन उसके लिए पहले लोकल एम० पी०, एम० एल० ए०, लोकल कोंसलर, लोकल कमेटी से बात करके फैसला करना चाहिये। प्रेशर डालकर, शोर मचाकर मन्दिर, मस्जिद तोड़ा जाएगा तो ऐसी चीज से हिन्दु, मुसलमान, सिख, ईसाई का आपस में रायट हो जाएगा। आप कलकत्ता पोर्ट के चेअरमेन को कहिये कि वह ऐसी चीज न करे। अगर वह ऐसी चीज करेगा तो कम्युनल रायट हो जाएगा। ऐसी चीज वहा नहीं होना चाहिये। वहां तीन-चार दिन पहले तीन आदमियों का डेथ हो गया। और भी लोगों का डेथ हो सकता है। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से बात करके ऐसा बन्दोबस्त कीजिए कि ऐसी बात वह न करें।

मैं ट्वन्टी प्वाएंट प्रोग्राम के बारे में दो-चार बातें बोलना चाहती हूं। यह ट्वन्टी प्वाइंट प्रोग्राम सारी स्टेट्स में आ गया है और काफी स्टेट्स में अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये जो आई० आर० डी०, एन० आर० ई० पी०, प्रोग्राम हैं ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनके लिए जो रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट दे रही है, इस रुपये का प्रोपर यूटेलाइजेशन नहीं होता है। इसका प्रोपर यूटेलाइजेशन होता है या नहीं होता है इसको देखने के लिए आपको मोनेटरिंग स्कीम बनाना चाहिए और यह देखना चाहिये कि इसका प्रोपर यूटेलाइजेशन हो। मैं और स्टेट के बारे में तो नहीं लेकिन एक स्टेट के लिए बोलती हूं कि जो रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देती है उसका वहां प्रोपर यूटेलाइजेशन नहीं होता है। हमको मालूम है और वहां हम लोग देखते हैं कि वहां जो अपोजीशन का गवर्नमेन्ट है, वह गवर्नमेन्ट जो रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देती है उसको इलेक्शन के टाइम पर खर्च करती है। उस रुपये से वह गरीब आदमियों के लिए काम नहीं करती है। उस रुपये को वह पार्टी के लिए यूटेलाइज करती है। आपको मालूम है कि कई महीने पहले यहां बोट क्लब पर सी० पी० एम० और सी० पी० आई० का एक रैली हुआ था उसमें बाहर से आदमी वे ले आये थे और बहुत सारे आदमी ले आये थे और उस पर बहुत रुपया खर्च किया था। कैसे खर्च किया था? ट्वन्टी प्वाइंट प्रोग्राम का जो फंड है वह गरीबों के लिए तो खर्च नहीं किया था, वह पार्टी मीटिंग के लिए खर्च किया था। वह फंड वे लोग इलेक्शन में खर्च करते हैं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिये।

मैं त्रिपुरा के बारे में भी बोलना चाहती हूं क्योंकि इस हाऊस में त्रिपुरा का कोई कांग्रेस का मेम्बर नहीं है। सी० पी० एम० के लोग हैं और वे लोग, चूंकि यहां कांग्रेस पावर में है, इसलिए वे वहां के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं अपनी पार्टी को बधाई देना चाहती हूं कि वह वहां बाई इलेक्शन में आठ हजार वोटों से जीती है। लेकिन वहां चुनाव में सी० पी० एम० के लोगों ने वाक आऊट किया। उन्होंने इसलिए वाक आऊट किया क्योंकि वे जानते थे कि वे जीतेंगे नहीं, जब वे पावर में होते हैं तो वे इलेक्शन में मेनुपुलेट करते हैं लेकिन पावर से हट जाने पर वे चुनाव से भाग जाते हैं। त्रिपुरा की जनता ने जो राय दी है उसको अब वे लोग मानते नहीं हैं। उनके इस एटीच्यूड को हम लोग कंडेम करते हैं।

मैं त्रिपुरा के बारे में कहना चाहती हूं कि त्रिपुरा में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। त्रिपुरा में एक ट्रेन लाईन नहीं है। एक ट्रेन लाईन देने का प्राइम मिनिस्टर ने वायदा किया है। त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसके लिए वहां की राज्य सरकार से बातचीत करके विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह से महिलाओं की तरफ भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। औरतों के लिए नौकरियों में कम अवसर हैं। इन्दिरा जी ने आई० एल० ओ० कंवेन्शन 188 पास करके यह किया था, इक्वल राइट आफ वेजेज फार विमन उन्होंने किया, लेकिन अभी हमारे यहां महिलाओं के लिए रोजगार के लिए इक्वल अपार्चुनिटीज नहीं हैं। महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।

एक बात पियरलैस के बारे में कहना चाहती हूं। इसके पास जनता का बहुत पैसा जमा है जो कि वहां से डाइवर्ट करके दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। इस जनता के पैसे का प्रोटक्शन करने के लिए आपके पास क्या इन्तजाम है। इस तरह की कई फाइनांशल प्राइवेट इन्स्टीट्यूशंस हैं जिनके पास जनता का काफी पैसा जमा है। जनता को उनका पैसा वापिस नहीं मिलता है। ये लोग पब्लिक को चीट करते हैं, इनके ऊपर सख्त रेस्ट्रीक्शन लगाने की आवश्यकता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

आज कीमतें बहुत अधिक बढ़ रही है, इस ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और भी सरकार काफी काम कर रही है, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। जिस चीज की कीमत एक बार बढ़ जाती है तो फिर वह कम नहीं होती। अगर किसी चीज का भाव एक रुपए से दो रुपये हो जाता है तो फिर वह दो रुपये ही रहता है, कभी कम नहीं होता, इस बारे भी में आप लोगों को देखना चाहिए, नहीं तो जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। फेयरप्राइस शाप्स पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। वहां पर भी हर दुकान पर अलग भाव होता है। इसके लिए रेट लिस्ट आवश्यक कर देनी चाहिए, ताकि ये लोग जनता को एक्सप्लाइट न कर सकें।

पोलीटिकल पार्टीज पर भी नजर रखने की जरूरत है। कुछ पार्टियो ने काफी पैसा जमा कर लिया है। सी० पी० एम० का दस साल पहले एक छोटा सा आफिस हुआ करता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसके पास 100 करोड़ रुपया है। यह पैसा कहां से आता है, आसमान से टपकता है या लाटरी से आता है। इतना रुपया कैसे बनाया जाता है, इसको देखिये। इसको देखिये कि पैसे का क्लीयरेंस है या नहीं, अगर इसके ऊपर नजर नहीं रखी गयी तो गरीब आदमी तो गरीब होता जाएगा, वह गरीब ही रहेगा और पोलीटिकल पार्टियों के पास काफी पैसा जमा हो जाएगा, जिससे ये लोग पैसे की राजनीति शुरू कर देंगे। इसको अवश्य देखने की जरूरत है।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके

[कुमारी ममता बनर्जी]

लिए धन्यवाद देती हूं ।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं तथा कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं ।

3.10 म०प०

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

सर्वप्रथम, मुझे जिसके बारे में अत्यधिक चिन्ता है और जिसके बारे में मैं सदस्यों का समर्थन चाहता हूं, वह विषय परिवार नियोजन से सम्बद्ध है । मैं उसके बारे में पहले भी कह चुका हूं तथा पुनः कहना चाहूंगा तथा मुझे आशा है कि अगले सप्ताह नियम 184 अथवा 193 के अधीन परिवार नियोजन के बारे में पुनः चर्चा की जाएगी और वह इसे प्रोत्साहन दिये जाने और हतोत्साहित किए जाने के बारे में है । वर्ष 1980 से लेकर किसी भी वित्त विधेयक में प्रोत्साहन अथवा हतोत्साहन के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है । यहां हर कोई बेरोजगारी, गरीबी और गरीबों की परेशानियों की बात तो करता है किन्तु हममें से बहुत कम लोग इस बात को दृढ़ता से कह पाते हैं कि जन्म दर घटाने बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । हमारा लक्ष्य है कि हमारी जन्म दर एक दम्पति के पीछे एक रहे अर्थात् एक महिला जनन क्षमता वाली केवल एक ही कन्या उत्पन्न करे और इस लक्ष्य को 2000 ईसवी तक पूरा किया जाना था । अब यह कहा गया है कि यह लक्ष्य और अगले 15 वर्षों तक नहीं प्राप्त किया जा सकता है और यदि यह लक्ष्य पूरा भी हो सका तो सन् 2015 तक पूरा हो सकेगा जिसका अर्थ है कि हमारी जनसंख्या प्रत्याशित जनसंख्या से अधिक होगी । इसलिए इस कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कुछ और किया जाना चाहिये था ।

दूसरी बात गुजरात से सम्बद्ध है जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं और मैं देखता हूं कि गुजरात तथा राजस्थान की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है । देश में दो सबसे अधिक सूखा पीड़ित इलाके हैं जहां गत तीन या चार वर्षों से भयंकर सूखे की स्थिति बनी हुई है । खंभात की खाड़ी के पार नवगांव में नर्मदा बांध से पाइप लाइनों के माध्यम से पेय जल उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रस्ताव भेजा गया था और एक नैटवर्क बनाने को कहा गया था जिससे कि सौराष्ट्र के अधिक-से-अधिक नगरों और गांवों को, जो अत्यधिक एकान्तिक तथा अर्ध-मरुभूमि क्षेत्र में हैं, पानी उपलब्ध कराया जा सके । वह प्रस्ताव इस समय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के पास पड़ा हुआ है तथा हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रस्ताव कार्यान्वित हो जाए । यह हिसाब लगाया गया है कि इस परियोजना पर जो धन लगाया जायेगा उसे खंभात की खाड़ी से होकर बनाये गये पुल पर मार्ग कर लगाकर वसूल किया जा सकता है । इस कर से प्राप्त आय से इस परियोजना में लगाई गई राशि की पूर्ति की जा सकती है ।

मुख्य बजट पर बोलते समय मैंने कुछेक प्रस्ताव रखे थे और किसानों तथा कृषकों को कुछ प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया था जो अपनी पूंजी खेती में लगा देते हैं । यह प्रोत्साहन इस रूप में हो सकता था कि यदि कोई किसान अपने खेत पर कोई धन खर्च करता है तो यदि उसने कोई राशि व्यय की है उसे उसकी आय से समायोजित किया जायगा । इस व्यय राशि की सीमा निर्धारित की जा सकती है अथवा ये कहिये कि 50,000 रुपये की राशि को समायोजित किया जायगा जो उसने नए ट्यूब वैल लगाने पर व्यय की हो । यह वित्त मंत्रालय पर निर्भर करता है और जहां आप इस वित्त विधेयक के अन्तर्गत इन नये प्रस्तावों में अनेक रियायतें दे रहे हैं, मेरा सुझाव है कि उसमें उपरोक्त सुझाव भी शामिल कर लिया जाये ।

अन्त में, जबकि समय थोड़ा रह गया है, मैं वित्त मंत्री को, जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, पर्यटन उद्योग को उत्कृष्ट और अत्यधिक प्रभावशाली रियायतें देने के लिए बधाई देता हूं। आपने प्रातः कालीन भाषण में उन्होंने इस पर्यटन उद्योग के महत्व का हवाला देते हुए कहा था कि इस उद्योग का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इसके कारण रोजगार के अनेक अवसर सुलभ होते हैं अपितु इसलिए भी है कि इससे बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। दी गई विभिन्न रियायतों में से मूलतः चार रियायतें बहुत ही सही, समुचित तथा सार्थक हैं तथा इनसे निःसन्देह पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। जबकि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मैं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव और देना चाहूंगा। इनमें से एक सुझाव यह है कि मैंने इस बात की प्रशंसा की थी जिसके अन्तर्गत एक सितारा, दो सितारा तथा तीन सितारा किस्म के छोटे होटल बनाने के लिए ऋण लेने वालों को और अधिक ब्याज के रूप में राज सहायता देने का प्रावधान है। हम चार सितारा अथवा पांच सितारा होटलों की बात नहीं कर रहे हैं। ऋण पर ब्याज के रूप में राज सहायता इस समय एक प्रतिशत है और उन्होंने घोषणा की है कि इसे बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दिया जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से पर्यटन का मूल ढांचा मुफस्सिल क्षेत्रों में इन छोटे होटलों के फैलाव पर निर्भर करता है और वहां इनकी जरूरत भी है और वहां पर और अधिक रियायतें देनी होंगी। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि तीन प्रतिशत की बजाय क्यों न इसे बढ़ाकर पांच प्रतिशत अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर का पचास प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, कर दिया जाये। यह एक विशेष सुझाव है।

दूसरे हमें इस पर कर देना पड़ता है। पर्यटन विदेशी पर्यटकों के आगमन पर अत्यधिक निर्भर करता है। वे ही हमारे लिए विदेशी मुद्रा लाते हैं। इसलिये इस देश में उनके घूमने फिरने को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए हमें कुछ कर लाभ देने चाहिए। होटलों को चलाने के लिए सामान के आयात पर होटलों को आयात शुल्क में रियायतें दी गई हैं। यही रियायतें परिवहन डिविजन अर्थात मोटर कारें, गाड़ियों, विशेषकर डीजल इंजन का उपयोग करने वाली गाड़ियों को दी जानी चाहिए। इन डीजल की बसों तथा कारों को चलाने के लिए यदि वे वातानुकूल सम्बन्धी सामान आयात करते हैं तो हमें उन्हें वही चालीस प्रतिशत आयात शुल्क का लाभ देना चाहिये।

इन कुछ सुझावों के साथ संशोधित विधेयक के लिए मैं वित्त मन्त्री महोदय की प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति जी, मैं वित्त विधेयक बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसा करते समय मुझे सारे देश में वह गूंज सुनाई दे रही है जो अभी चार दिन पहले ही मद्रास में अखिल भारतीय कांग्रेस आई) के सेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ देश में गरीबी हटाने की बात जिसमें कही गई है। हमें याद है कि लगभग 17 साल पहले इस देश में देश की एकमात्र नेता ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी दुखी और पीड़ित मानवता की नेता इन्दिरा गांधी ने एक आवाज उठाई थी गरीबी हटाओ। यह एक नारा, एक कार्यक्रम देश को दिया था। देश के कुछ स्वार्थी तत्वों ने और कुछ अपने साथियो ने यह आवाज दी कि इन्दिरा हटाओ और उन्होंने इस निर्णय को देश की जनता पर छोड़ दिया कि उन्हें गरीबी हटाना मंजूर है या इन्दिरा गांधी को हटाना मंजूर है। इन्दिरा जी को तब सारे देश के अन्दर भारी समर्थन मिला और स्वार्थी तत्वों का सर्वनाश देश के अन्दर हो गया। आज भी लगभग वही हालत है। कुछ अवसरवादी, साम्प्रदायिकतावादी, देशद्रोही तत्व हैं और कुछ लोग हैं जो हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के साथ थे और आज प्रधान मन्त्री ने देश के अन्दर अमता

[श्री अजीज कुरेशी]

का नया आह्वान किया है, एक नया कार्यक्रम दिया है कि गरीबी के साथ-साथ बेकारी हटाओ, तो यह तत्व कोशिश कर रहे हैं कि राजीव गांधी हटाओ। लेकिन मुझे यकीन है कि इतिहास फिर अपने आपको दोहरायेगा और भारत की जनता एक बार फिर अपना निर्णय देगी कि उन्हें राजीव नहीं, गरीबी हटाना मंजूर है। उसके बाद इन तत्वों की फिर वही जगह होगी, कूड़ा घर, कचराघर, डस्टबिन, जो आज से 17 साल पहले उनकी हुई थी। उसके अलावा इन्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं फाइनैंस बिल का समर्थन करते हुए आपका ध्यान देश के पिछड़े राज्यों की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। आपने ऐसे राज्यों के विकास के लिए अभी तक अधिक सहायता नहीं दी है और न वहां पब्लिक सैक्टर में इन्डस्ट्रीज स्थापित की हैं। हमारे यहां आदिवासियों और पिछड़े लोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें गुरवत, बेरोजगारी और भूख की समस्या विकराल रूप धारण किये हुए हैं और ऐसे इलाकों की ओर खास तवज्जह दिए जाने की आवश्यकता है। यहां मैं अपनी पार्लियामैंटरी कांसटीटूऐंसी सतना का भी जिक्र करना चाहूंगा जहां के लोग सदियों से अन्याय, असमानता, गुरवत और सामन्तवाद का शिकार रहे हैं। आज भी कोई बड़ी इन्डस्ट्री आपने उस इलाके में कायम नहीं की है। वहां आज भी लाखों लोग बेकार हैं। आजादी के सूरज की किरणें आज तक उन अंधेरे इलाकों में पूरी तरह नहीं पहुंच पायी हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और सतना क्षेत्र में कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित करने की योजना बनाये ताकि वहां के लोगों की गुरवत दूर हो सके।

इसी के साथ-साथ चित्रकूट और मैयर जैसे इलाके भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ते हैं जहां हर साल हजारों की संख्या में देश और विदेश से टूरिस्ट्स आते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे बार-बार कहने के बावजूद आज तक चित्रकूट और मैयर जैसे स्थान के लिए कोई पायलट प्रोजैक्ट नहीं बनाया गया, कोई टूरिज्म इन्डस्ट्री नहीं स्थापित की गई। इन स्थानों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और कल्चर के साथ गहरा सम्बन्ध है और इनका बहुत पुराना इतिहास है। इन स्थानों में लाखों लोग बड़ी श्रद्धा से हर साल आते हैं। इतना ही नहीं, उन स्थानों पर कोई आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं जिससे वहां आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। मैं यहां आपके माध्यम से एक बार फिर मांग करूंगा कि सरकार ऐसे स्थानों की ओर तुरन्त ध्यान दे, और उनके लिए पायलट प्रोजैक्ट या टूरिस्ट प्रोजैक्ट्स बनाये।

सभापति जी, मैं पिछले तीन सालों से लगातार मांग करता आ रहा हूं कि सतना में टी०वी० का एक रिले स्टेशन स्थापित किया जाये। आज हमारे मंत्री जो यहां बैठे हुए हैं, जब वे इस विभाग के मंत्री थे तो आपने हमें आश्वासन दिया था और उसके बाद हर साल यहां पर कहा गया कि वर्तमान वर्ष में हम वहां टी०वी० रिले सैन्टर अवश्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आपका वह वायदा अधूरा ही रहा, खोखला ही रहा, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। मैं मांग करता हूं कि इस वर्ष आप सतना में एक टी०वी० रिले स्टेशन अवश्य स्थापित करायें अन्यथा वहां के लोगों में इस कारण जो रोष है, बेचैनी है, अशान्ति है, वह हमारे कन्ट्रोल के बाहर हो जाएगी।

हमारे इलाके में टाटा और बिरला की कई सीमेंट फैक्टरियां हैं और आपने इस बार सीमेंट फैक्टरियों को कई तरह की रियायतें प्रदान की हैं, आसानियां दी हैं, कन्सेशंस दिये हैं लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि बार-बार कहने के बावजूद आज तक किसी ने यह देखने की कोशिश नहीं की कि इन सीमेंट फैक्टरियों के मैनेजमेंट द्वारा वहां के लोगों का किस तरह से शोषण किया जाता है। किसी ने आज तक कोशिश नहीं की कि इन सीमेंट फैक्टरियों के द्वारा उस इलाके में जो पौल्यूशन हो रहा है,

उसे रोका जा सके । आप सतना, मैयर और कैमोर के इलाके में जायें तो वहां 20-20 मील दूर तक आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा । पौल्यूशन के कारण वहां आसपास की फसलें हर साल बर्बाद हो जाती हैं । वहां के मवेशी, इंसान और सारा वातावरण सब कुछ बर्बाद हो गया है । उस सीमेंट फैक्टरियों से निकलने वाले धुएं, धूल, मिट्टी और पौल्यूशन को रोकने की आज तक कोई कोशिश नहीं की गई । मैं मांग करता हूं कि इन सीमेंट फैक्टरियों पर आप अपनी गिरफ्त जरा सख्त कीजिये और उन्हें एन्टी पौल्यूशन मैयर्स अपनाने के लिये मजबूर कीजिये ताकि उस क्षेत्र को बर्बाद होने से रोका जा सके ।

सभापति महोदय, इस हालात में जबकि हम इस डिफेंस बिल का समर्थन कर रहे हैं, आज हमारे देश की सीमाओं पर बड़े खतरे हैं । पाकिस्तान, चीन और गल्फ कंट्रीज के अन्दर जो लड़ाई हो रही रही है, इंडियन ओशन के जो हालात हैं, वे सब के सब हमारे चिन्ता का बायस बने हुए हैं । मैं चाहूंगा सरकार इस तरफ खास ध्यान दे । हालांकि हमारे देश के अन्दर इस सम्बन्ध में हमारी जो नीति है, उसमें हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को काफी फण्ड्स दिये हैं, काफी छूट दी है । लेकिन एक बात हमारे देश के अन्दर कही जा रही है, सुनने में आ रही है कि डिफेंस की हमारी जो लेबोरेट्रीज हैं, डिफेंस के हमारे जो विभाग हैं, उनके अन्दर "बाइंग टैक्नोलौजी एण्ड इंडक्शन एट द लेबोरेट्री लैवल, ये ऐसे बड़े फ्रेजेज हैं जो बार-बार सुनने में आते हैं और यह बात कही जाती है कि हम लेटेस्ट टैक्नोलौजी यू०एस०ए० से, अमरीका से प्राप्त करने जा रहे हैं । ऐसी टैक्नोलौजी जो संसार में कहीं उपलब्ध नहीं है । मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि भगवान के लिये हमारी डिफेंस की लेबोरेट्रीज को इस अमरीकन एन्थ्यूज से बचाया जाये । क्यों अगर एक बार अमरीकन मैंडरिन, वहां दाखिल हो गया, तो फिर हम संसार में सिर्फ अमरीका के ऊपर डिपेंड करने के अलावा और किसी काबिल नहीं रह पायेंगे और जबकि दुर्भाग्य की बात यह है कि इस साल हमने बहुत सी टैक्नोलौजी अमरीका से मांगी, लेकिन हमको वह टैक्नोलौजी नहीं मिल पाई । मिसाल के तौर पर मैन्यूफैक्चर आफ कम्पोजिट मैटीरियल के सम्बन्ध में सुपर टफ, पसुपर लाइट अलाइज एण्ड स्टील, जो कि लाइट कम्बैट एअरक्राफ्ट बनाने के काम आती हैं, हमने अमरीका से चाहा, अमरीका ने हमको देने से मना कर दिया, बल्कि खुले रूप से मना कर दिया और यह टैक्नोलौजी हमको नहीं दी । उसके बाद भी टैक्नोलौजी, हमने उनसे मांगी है, हम उनसे मांग रहे हैं । मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जिस लेटेस्ट टैक्नोलोजी की हम उनसे मांग कर रहे हैं क्या हम लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे । जो टैक्नोलौजी आपको मिलने वाली है, क्या वह आपको एल०सी०ए० बनाने में फायदा देगी, या नहीं देगी ? इस बात का अध्ययन करना पूरी तरह जरूरी है । इसी तरह जी०टी०एक्स० इंजन, जो जी०टी०एक्स० टरबाइन रिसर्च एस्टा० बेंगलौर द्वारा बनाये जा रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि उनका जो आब्जैक्ट था, जो आदर्श था कि उसके अन्दर कम से कम 200 किलोग्राम वजन हमें कम करना है, तब जाकर वे इंजन आपके काम आ पाएंगे क्योंकि अगर थ्रस्ट टू वेट रेश्यो के अनुसार 200 कि०ग्रा० वजन उनका आपने कम नहीं किया, तो वह आपके लिये किसी काम के नही होंगे और आज के आधुनिक युग में आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ।

मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि इस दिशा में क्या काम हुआ है और 200 कि०ग्रा० वजन कम करने के लिये क्या प्रगति अब तक हमने की है । इसी तरह से एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अमरीका से जो बात हो रही है । एफ-20 टाइगर शार्क एयरक्राफ्ट के संबंध में और वह हमें इन विमानों को देना चाहता है, उनको अमरीका के अलाइड ग्रुप के बहुत से दोस्त मुल्क नहीं खरीद रहे हैं और उन्होंने इनको खरीदने से मना कर दिया है । इन विमानों का हमारे यहां क्या उपयोग होगा, सरकार को दुबारा इस पर अध्ययन करना चाहिए और इस पर

[श्री अजीज कुरेशी]

ध्यान देना चाहिए।

आपने, हमने बार-बार सुना, डा० अरुणाचलम, जो हमारे एडवाइजर हैं, उनकी जवान से कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की लेबोरेट्रीज हैं, उनमें लीफ फ्राग टैक्नोलोजी अपनाई जाए, यानी दूसरों की टैक्नोलोजी जल्दी से समझकर, एडॉप्ट कर के अपनी लैब्ज में उनके ऊपर काम करके, खुद भारत के अन्दर उन चीजों का निर्माण किया जाये। लेकिन एक तरफ हम इस लीफ फ्राग टैक्नोलोजी की बात सुनते हैं और दूसरी ओर लेटेस्ट टैक्नोलोजी इम्पोर्ट करने की बात करते हैं। फारेन टैक्नोलोजी का का इंडक्शन एट दि लेबोरेटरी लैबल की बात करते हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि डा० अरुणाचलम जो डिफैन्स मिनिस्ट्री के बड़े साइन्टिस्ट आफिसर हैं, उन्होंने जो लीप फ्राग टैक्नोलोजी की बात बार-बार कही है, वह कहां तक पूरी हुई है और इसको पूरा करने में क्या हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं ?

इसी तरह हमारी आर्डिनेंस फैक्टरी और डिफैंस रिसर्च विंग ने महत्वपूर्ण काम किये हैं, हमको उन पर गर्व है और हर व्यक्ति प्राउड करता है कि हमारे विंग ने अच्छे काम किये हैं लेकिन क्या कारण है कि पिछले वर्ष आर्डिनेंस फैक्टरी को जो 680 करोड़ रुपये दिये गये थे उसमें से वह 254 करोड़ रुपयों का ही उपयोग कर पाये और बाकी का इस्तेमाल नहीं कर पाये ? इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह डिफैंस रिसर्च विंग का भी 25 परसैंट रुपया वह खर्च नहीं कर पाये, वह लैप्स हो गया। यह चिंता की बात है और इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके कारणों से सदन को अवगत कराना चाहिए।

हमने टी-72 रशियन टैंक लिये हैं। उसके बारे में सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि 50 परसैंट उनके इक्विपमैंट प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा भारत में बनाकर पूरे किये जाएंगे और ये 50 परसैंट इक्विपमैंट उस टैंक की आवश्यकता को पूरी करेंगे। जहां तक इनके भारत में बनने का सवाल है, भारत में इंडस्ट्रियल विकास की बात है, भारत में इनके बनने की बात है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 50 परसैंट सामान जो इन टैंकों का भारत में बनेगा। आपको इस बारे में पूरी-पूरी एतिहात बरतनी चाहिए, वरना ऐसे तत्व यहां पर हैं जो रूस के खिलाफ हैं और यहां पर सैबोटेज कर सकते हैं और उससे टैंक की क्वालिटी खराब हो सकती है, टैंक पूरी तरह काम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि वे रशियन टैंक हैं, इसलिये इसमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रशिया को पसन्द नहीं करते, उसमें खराबी कर सकते हैं, इसलिये इसमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है।

इसी प्रकार से जो डिफैंस और रिसर्च डैवलपमैंट विंग द्वारा सिविलियन्स को कम्युनिकेशन सिस्टम सप्लाई करने की बात कही गई है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं और उनकी पूरी सराहना करता हूं और चाहूंगा कि सरकार इस तरफ और अधिक ध्यान दे और यह रिसर्च विंग सिविल पोपूलेशन के द्वारा काम पूरा करे ताकि देश के आम नागरिक को अच्छी क्वालिटी के इक्विपमैंट मिल सकें।

हमने इस देश में गरीबों की बार-बार बात कही है। चाहे वह इंडियन फिशरीज को डैवलप करने की बात हो चाहे मैरीन फिशरीज की बात हो। अब से कुछ वर्ष पहले हरेक राज्य में स्टेट फिशरीज डवलपमैंट कार्पोरेशन बनाई गई थी, सारे भारतवर्ष में हमने उनका गठन किया था। मैं मध्यप्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की फिशरीज डैवलपमैंट कार्पोरेशन का अध्यक्ष होने का मुझे

सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जिस वक्त मैं वहां अध्यक्ष था उस समय प्राइवेट कन्ट्रैक्टर्स और मिडिलमैन को हमने वहां पूरी तरह इलिमिनेट कर दिया था, मछेरों और मार्केट के बीच कोई प्राइवेट कन्ट्रैक्टर या मिडिल मैन नहीं रहा था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिनों एक आई०ए०एस० के आफिसर जो उस विभाग के सैक्रेटरी थे और एक दूसरे आई०ए०एस० आफिसर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों की बुनियाद पर सारी कार्पोरेशन को बर्बाद कर दिया और दुबारा इस पूरी कार्पोरेशन को व्यापारी और ठेकेदारों के हवाले कर दिया और कांट्रैक्टर्स को कार्पोरेशन के सिर पर बिठा दिया। पता नहीं सरकार क्यों इस बारे में खामोश है? जो ब्यूरोक्रैट अपने स्वार्थ की खातिर ऐसे शर्मनाक काम कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार क्यों नाकामयाब है और क्यों भारत सरकार एक्शन नहीं लेती है?

मैं चाहूंगा कि सरकार पूरी तरह इस पर ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और एक बार फिर फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि इस बिल के पास होने के बाद भारत में गुमराह करने वाले तत्व जो जनता को बहकाना चाहते हैं और अंधेरे में गुम करने की कोशिश करते हैं, उस अंधेरे का सीनाचाक हो जायेगा और जनता की आशाओं और उमंगों का एक नया सूरज निकलेगा जिसकी रोशन किरणों से सारे देश के अंधेरे कौने जगमगा उठेंगे और गरीबी व बेरोजगारी का खात्मा हो जायेगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, फाइनांस बिल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर चर्चा के दौरान इस सदन के माननीय सदस्यों को सरकार की नीतियों विशेषकर जो बजट के प्रस्तुत करते वक्त थी, उनका अवलोकन करने, उनका मूल्यांकन करने और उनकी आलोचना करने का अवसर मिलता है। सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य तो इस अवसर पर मौजूद हैं लेकिन विपक्ष के सदस्य जिन के लिये यह मौका महत्वपूर्ण है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर का उपयोग करने की बजाय हमारे विपक्ष के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया। हो सकता है सदन का बहिष्कार करके कुछ हद तक उनको आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो मगर इस देश के प्रति, साधारण जनता के प्रति और हमारी वित्तीय नीतियों का निरूपण करने में, उनकी एक प्रकार से मीमांसा करने में जो विपक्ष की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने मे वह असमर्थ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसको कोई भी पसन्द नहीं करेगा। महोदय, यदि आप भी इस पर विचार करेंगे तो आप भी दिल में उसका समर्थन नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय, हमारे यहां लोकतांत्रिक पद्धति है। इस पद्धति में सहिष्णुता का सबसे बड़ा स्थान है। सहिष्णुता की अपेक्षा केवल सत्तारूढ़ पक्ष से नहीं की जाती है, यह प्रतिपक्ष से भी की जाती है। जब दोनों इस पर कायम रहेंगे तभी हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और सदन की कार्यवाही ठीक से चल सकेगी। आज जिस छोटे से मुद्दे को लेकर जो मुद्दा था ही नहीं, जो एक प्रकार से संसदीय कटाक्ष, हास्य-परिहास्य था और माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो साधारण सी बात मजाक में कही और उस साधारण सी बात का उत्तर जो मजाक में दिया जाना चाहिए था, उस पर हमारे विपक्ष के साथियों ने जिस तरीके का आचरण किया, इस देश का साधारण से साधारण व्यक्ति उसके लिये विपक्ष को माफ नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निन्दा की जाये, वह कम है।

मान्यवर, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि बजट के प्रस्तुत करने के बाद जो परिस्थितियां देश में पैदा हुई हैं, उसका अध्ययन करने का हमें मौका मिल रहा है। जिस समय बजट प्रस्तुत हुआ था उस समय हमारे देश की क्या आर्थिक परिस्थितियां थीं और बजट के प्रस्तुत करने के बाद हम उसको क्या दिशा दे पाये हैं, यह सब देखने का हमें आज मौका मिल रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं

[श्री हरीश रावत]

वित्त मन्त्री जी को इसके लिये साधुवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बजट के माध्यम से जो एक कोशिश की गई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और विशेष तौर पर कृषि को जो विशेष महत्व दिया गया है, उसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उस समय हमारे विपक्ष के कई साथियों ने यह आशंका जाहिर की थी कि फर्टिलाइजर और दूसरी चीजों पर जो छूटें दी जा रही हैं वह छोटे उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रही हैं। यह बात सदन में और सदन के बाहर दोनों जगह कही गई। कांग्रेस के जो सदस्य थे उनके मन में भी ऐसी आशंका थी। मगर वित्त मंत्री जी उस समय जो आश्वस्त शब्दों में कह रहे थे उससे हमको लगता है और मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि जो छूटें दी गई वह वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुंची हैं। मगर एक जगह पर कुछ कमजोरी रही और वह है मूल्यों पर। यदि बजट के प्रस्तुत करने के बाद आज तक आवश्यक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों का यदि हम मूल्यांकन करें तो 10 से लेकर 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और कुछ ऐसी चीजों में, कुछ ऐसे आइटम्स में वृद्धि हुई है जिनमें मूल्य वृद्धि समझ में नहीं आती। आपने कॉफी में एक्साइज ड्यूटी की छूट दी लेकिन कहीं भी देख लीजिये काफी पर दाम बढ़ गये। हमारे जो शीतल पेय बनाने वाले लोग हैं उन्होंने कीमतें बढ़ा दीं। यहां पर डी० एम० एस० का घी है, यहीं पार्लियामेंण्ट में घी है पहले 52 रुपये में बिकता था और अब वह 60 रुपया किलो हो गया, एक किलो पर सीधे 8 रुपये की वृद्धि कर दी। दूसरे और भी कई आइटम्स हैं जिनमें 15 परसेण्ट से लेकर 20 परसेन्ट की वृद्धि हुई है, इससे आम आदमी, जो आम उपभोक्ता है उसके विश्वास की नींव पर कहीं चोट पहुंचती है, उनको यह महसूस होता है कि सरकार कहती कुछ है और जब वस्तुतः उसको देखने का मौका आता है, बाजार में उसको देखने का मौका आता है तो वहां परिस्थिति कुछ दूसरी रहती है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हमें कोई ऐसा मकेनिज्म डवलप करना पड़ेगा कि यह परम्परा हट सके। एक परम्परा सी बन गई है कि बजट पेश हो और बजट पेश होने के बाद मूल्यों में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि अवश्य होनी चाहिए। इस बात को मानकर हर चीज की और विशेषकर जो कंज्यूमर आइटम्स बनाने वाले लोग हैं, उन उपभोक्ता सामग्री बनाने वालों की रुचि इस तरफ रहती है, उसके विक्रेताओं की, उसके बनाने वालों की रुचि रहती है, उन्होंने यह मानकर गारंटेड ठान लिया है कि हमको चीजों के दाम इतने बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा, यदि किसी चीज के दाम हम बढ़ाते हैं, कर बढ़ाते हैं तो ठीक है उसके दाम बढ़ें, उसको देश समझता है और उसको आम उपभोक्ता भी एफोर्ड करेगा क्योंकि देश के हित में होगा, उसी में आप दाम बढ़ायेंगे लेकिन उन वस्सुओं पर, जिनके आपने दाम नहीं बढ़ाये फिर भी उस पर निर्माता, मैन्यूफैक्चरर दाम बढ़ा देता है तो आम उपभोक्ता यह महसूस करता है कि उसको चीट किया जा रहा है, उसको ठगा जा रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि आम उपभोक्ता यह महसूस न करे कि उसको ठगा जा रहा है मैं आग्रहपूर्वक यह कहना चाहूंगा, बाजार की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए, मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए वित्त मन्त्रालय को कारगर कदम उठाने चाहिए।

इधर हमारा रुझान कुछ ऐसी चीजों की तरफ हुआ है जिनको हम कंज्यूमर आइटम्स कहते हैं और जो शौकिया तौर पर हैं। कोई अनाज और पेट भरने वाली चीजें नहीं है, मोटा कपड़ा नहीं है बल्कि जो शौकिया चीजें हैं, उनके बनाने वालों को हम नाना प्रकार के कंसेशंस देते जा रहे हैं, प्रायोरिटी वाले जो आइटम थे, प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र थे उनको जो छूटें हम देते थे, आज हम कंज्यूमर आइटम बनाने वालों को भी वही छूटें देते जा रहे हैं जो अपने आपमें ठीक नहीं है। इधर मैंने देखा है कि आटोमोबाइल के क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि आटोमोबाइल के क्षेत्र में कोई

क्रांति नहीं आनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, जब दुनिया में परिवर्तन आ रहा है तो आटोमोबाइल क्षेत्र में भी परिवर्तन आना चाहिए मगर इधर एक बाढ़ सी आ गई है। आप जरा सा देखिये, गाड़ियां कारें तो अलग हैं, मोटर साइकिल स्कूटर, नाना प्रकार के ऐसे-ऐसे नाम सुनने में आ रहे हैं और हर कोई एक क्लेम कर रहा है कि उसने एक ऐसी चीज बना दी है जिसकी दुनिया में कहीं कोई तुलना नहीं है। आप टी० वी० में एडवरटाजमैंट देखिये तो तो एडवरटाइजमैंट्स को देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम हिन्दुस्तान के टी० वी० को देख रहे हैं या जापान या अमेरिका का टी० वी० देख रहे हैं तो उससे जो आम मिडिल क्लॉस है उस मिडिल क्लॉस के अन्दर ऐसी भावना बढ़ गई है कि हम क्या कर रहे हैं और जब वह देखता है कि यह चीजें उसकी सीमा से परे हैं तो उसमें एक असंतोष फैलता है जिसका असर हमारी व्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपया हमने इस आटोमोबाइल सैक्टर को विदेशों से टैक्नालॉजी का आयात करने के नाम पर दे रखा है। पब्लिक से डिपॉजिट उन्होंने रेज कर लिये हैं, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं है जिसने करोड़ों रुपया इकट्ठा करके न रख लिया हो और उसके ब्याज में ही वह अपनी पीढ़ियों को पाल सकता है, इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा करके रखा है। जिसका पैसा वहां पर जमा है उसको चीट किया जाता है, समय पर उसको डिलीवरी नहीं दी जा रही है और भी बहुत सारी बैंड ट्रेड प्रैक्टिसिज हैं उनको सब एलाऊ कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि बहुत हो गया, अब आप कहीं चैक लगाइये, यदि आप इस पर चैक नहीं लगाएंगे तो इससे दूसरे क्षेत्रों में यही कम्पीटीशन की भावना पैदा हो गई तो फिर इसका कहीं कोई एण्ड नहीं होने वाला है। जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, डिफेन्स सैक्टर में भी इस प्रकार से हम अमरीका से और दूसरे देशों से नई टेक्नालाजी ले रहे हैं, उससे हमारी डिफेन्स लेबोरेट्रीज करप्ट हो रही हैं, उनके करप्ट होने की सम्भावना बन रही है तो वह केवल एक आशंका ही नहीं है, हकीकत हो सकती है। और यह स्थिति केवल वहीं पर नहीं है, दूसरे सैक्टर्स में भी है। तो टेक्नालाजी के आयात के नाम पर एक ब्लाइंड कम्पिटीशन इण्डस्ट्रीज में जो यह चल रहा है इस पर भी कहीं न कहीं कन्ट्रोल लगाने की जरूरत है। मुझे पक्का यकीन है इस बात का, कि माननीय वित्त मंत्री जी इस तरफ गौर करेंगे। आज हालत यह है कि अगर मारुति कार को ही हम देखें तो उसका भारतीयकरण बहुत कम हो पाया है। जापान की अर्थ-व्यवस्था उससे फल-फूल रही है। हम उनको पैसा दे रहे हैं। वहां से चीजें बनकर हमारे यहां आ रही हैं, हम उनको असेंबल करके अपना नाम देकर बाजार में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम उनकी असेम्बली वर्कशाप जैसे कालान्तर में हो जायेंगे, यदि इसको अभी से चैक नहीं किया गया।

मैं मननीय वित्त मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि कई योजनायें हमने इस दौरान घोषित की हैं – नई और कुछ पुरानी योजनायें—जो गरीबी हटाओ कार्यक्रम की अंग हैं। उनके लिए हमने वित्तीय संसाधनों को भी बढ़ाया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहूंगा आपसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इन योजनाओं पर जो पैसा हम दे रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है : एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जो० पी०, इंदिरा आवास योजना, स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान की जो योजनायें हैं और इन योजनाओं का जो टार्गेट है वह करीब-करीब एक ही है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी हम मदद करें। उन व्यक्तियों को कुछ काम मिल सके। उनको सिर ढकने के लिये मकान मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि हम अलग-अलग आइटम्स में इस पैसे को दें, हम उसके लिये एक कार्यक्रम बनायें। यदि हम यह घोषित करें कि दो साल में हर गरीब व्यक्ति को रहने के लिये मकान दे देंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि जितना पैसा हम एन० आर० ई० पी० में दे रहे हैं, आर० एल० ई० जी० पी० में दे रहे हैं, इंदिरा आवास में दे रहे हैं, दूसरे-तीसरे कार्यक्रमों में दे रहे हैं—इस सारे पैसे को यदि हम एक

[श्री हरीश रावत]

जगह पर क्लब कर दें और अपनी बैंकों से कहें कि आप भी मदद करने के लिये आइये, दूसरी वित्तीय संस्थाओं को भी इसके साथ जुड़वा दें तो निश्चित तौर से हम उस पैसे से गृह-विहीन लोगों को मकान दे सकते हैं।

हमने इधर कुछ इस बात की कोशिश की है जैसे कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जलधारा और कुटीर योजनायें चलाने की बात कही है जलधारा योजना से हर आदमी के मन में एक आशा पैदा हुई है और हमने देश से वायदा भी किया है कि हम 1990 तक हर गांव को पीने का पानी दे देंगे। मगर इस सेक्टर में जो एलोकेशन है वह कम है। राज्यों के लिये भी इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वह कुल मिलाकर यदि हम देखें, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रावधान को लेकर हम चलें तो उत्तर प्रदेश में 1995 तक भी हम हर गांव को पीने का पानी नहीं दे सकते हैं। और यह खाली उत्तर प्रदेश की ही नियति नहीं है, मैं समझता हूं और राज्यों की भी यही नियति है। इसलिये में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमने देश से कहा है, जलधारा के नाम से जो एक नया कार्यक्रम हम दे रहे हैं उसके लिये हम अवश्य वित्तीय साधन भी जुटाकर दें। यदि हम हर गांव को 1990 तक पीने का का अच्छा पानी दे सकते हैं तो भारत जैसे देश के लिये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।

जहां तक कुटीर ज्योति का सम्बन्ध है, राज्यों में विद्युत बोर्डों की जो स्थिति है, जिस तरीके से हम उनको पसा दे रहे हैं रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के माध्यम से, उस पैसे का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण में करने के बजाये, विद्युत बोर्ड तनख्वाह देने जैसे कामों पर उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। इसके ऊपर भी नियत्रण लगाने की जरूरत है नहीं तो कुटीर ज्योति का जो हमारा कार्यक्रम है वह पूर नहीं हो पायेगा, उसमें कई प्रकार की कमियां की जायेंगी।

मैं आभारी हूं प्रधान मंत्री जी का कि उन्होंने गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ का नया नारा देश को दिया है। यह वास्तव में कोई नया नारा नहीं है बल्कि देश के लोगों के मन में आशा और विश्वास पैदा करने वाला एक मूल मंत्र है। इस नारे को जो प्रधान मंत्री जी ने मद्रास से आह्वान किया है, उस आह्वान को मूर्तरूप देना और प्रदान करने का दायित्व व जिम्मेदारी आज भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और हमारे दूसरे मंत्रालयों के ऊपर आ गई है। मुझे आशा है और मुझे इस बात का भरोसा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय का दायित्व कुशल व्यक्ति के हाथ में है, वे हैं हमारे श्री एन०डी० तिवारी और उनके सहयोगी, चाहे श्री अजित पांजा जी हों, श्री फैलीरो हों और चाहे श्री गढ़वी हो—ये सब अपने-अपने क्षेत्र में परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं और इनकी टीम दूसरे मंत्रिगणों के साथ मिलकर इस नारे को मूर्तरूप देगी, व्यावहारिक रूप देगी। यदि हम इस नारे को वास्तविक अर्थों में पूरा नहीं कर पाये, तो देश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि हर बेरोजगार व्यक्ति के मन में इसके बाद एक आशा पैदा हुआ है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि सरकार उसकी मदद के लिये उसके साथ खड़ी होगी। इस काम को पूरा करने में हमारी वित्तीय संस्थायें, हमारे बैंक्स को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। विशेष तौर पर जो पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं, उनकी मदद करने में बैंकों को आगे आना होगा। मगर देखने में यह आ रहा है कि हमारे बैंक, चाहे हमारे पुराने कार्यक्रम हैं, हमारा स्व-रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को पूरा करने में या आई० आर० डी० पी० जैसे कार्यक्रमों को पूरा करने में बैंकों को जिस तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उस तरीके से बैंकों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। आप किसी ग्रामीण व्यक्ति से पूछ लीजिये। यदि आप उससे कहेंगे कि बैंकों ने अपनी जिम्मेदारी या अपनी भूमिका निभाई है? तो वह कहेगा कि नहीं, जिस रूप में उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, उस

रूप में नहीं निभाई है। बैंकों ने बहुधा इन कार्यक्रमों में सहायक बनने के बजाये अवरोधक बनने का काम किया है। उसमें रोक पैदा करने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक के माध्यम से सारे बैंकों को लेकर एक चर्चा होनी चाहिए और उनसे उसमें कहा जाना चाहिए कि यह राष्ट्रीय दायित्व है और यह राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि बैंक मजबूती के साथ इंदिरा जी और राजीव जी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों के साथ खड़े हैं और जहां पर उनको मदद की जरूरत है, वहाँ पर बैंक और हमारी वित्तीय संस्थाएं, उनकी सहायता करेंगे।

अभी मैं सहिष्णुता की राजनीति की चर्चा कर रहा था। विपक्ष को भी जितना हम दोष दें, उतना कम है, मगर कहीं पर तो असहिष्णुता के पीछे जो क्षेत्रीय असन्तुलन है, व्यक्ति इनकम में तो फर्क अपनी जगह पर है ही और उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन है, वह भी उसके लिए बहुत कुछ हद तक जिम्मेदार है। पंजाब की समस्या है। ओवर-डेवलपमेंट एक प्राब्लम है, क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, कि कई लोग कई तत्व गलत तरीके से सोचने लग गए। वही बात जो पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड का आंदोलन है, उस आंदोलन के पीछे पश्चिम बंगाल की सरकार को जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए था, उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। उनकी उपेक्षा की है, वहां के आर्थिक विकास को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा है। पिछले सात-आठ वर्षों के अन्दर वे मूल रूप से जिम्मेदार हैं। नहीं तो शायद यह गोरखालैंड की समस्या न होती। जो गोरखा देश के लिए लड़े, भारत के लिए लड़े, हमारी सीमाओ पर लड़े हैं, वे गोरखा कभी भी हिंसा पर उतारू नहीं होते। उसके लिए निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल की सरकार की मजम्मत की जाए, निन्दा की जाए, उतनी कम है। अकेले पश्चिमी बंगाल की सरकार की निन्दा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब मैं अपने पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं पर हमारे दिल में भी कचोट है और दर्द हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश के संसद सदस्य के रूप में देखता हूं तो मैं यह भी पाता हूं उत्तर प्रदेश के संसद सदस्य के रूप में भी एक पीड़ा है और एक दर्द है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए देश को जितना करना चाहिए था, भारत सरकार को जितना करना चाहिए था, उतना भारत सरकार ने नहीं किया है। हम देश की जनसंख्या का 70 पर-सेंट हैं। हमारे ऊपर टोटल जितना इकोनोमिक एक्टिविटीज पर इन्डस्ट्रियल सैक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, भारत सरकार के चाहे प्राइवेट सैक्टर हो, चाहे पब्लिक सैक्टर हों, चाहे फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स हों और चाहे वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से हो, आपने केवल तीन परसेन्ट इवेस्टमेंट किया है। गाडगिल फार्मूला, चाहे रिवाइज्ड गाडगिल फार्मूला हो। यह फार्मूला केवल उन राज्यों की मदद कर रहा है, जो राज्य पहले से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े हुये हैं। मुझे महाराष्ट्र से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कर्नाटक से कोई शिकायत नहीं है, मगर यह फार्मूला उन राज्यों की मदद कर रहा है, जो पहले से आर्थिक रूप से आगे बढ़े हुए हैं। आप आज भी देख लीजिये पब्लिक सैक्टर के अन्दर जो आपका इन्वैस्टमेन्ट है, जो फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स के अन्दर इन्वैस्टमेंट है, जो हमारे बैंकों का इन्वैस्टमेंट है, उसको आप निरूपण करके देख लीजिये, आंकड़े मंगाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अन्दर जो भी इन्वैस्टमेंट है, वह तीन परसेन्ट से ज्यादा बढ़ा नहीं है। मैक्सीमम 3 परसेन्ट इन्वैस्टमेंट पिछले साल हुआ है। तो इस हालत को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य सुषुप्त ज्यान्ट के रूप में रहेगा और वह विकास की गति में देश के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या का घनत्व हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है, वह अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश सारे हिन्दुस्तान के लिए चावल पैदा करने की क्षमता रखता है, वहां हमने सिंचाई के क्षेत्र में क्या इन्वेस्ट किया। हमारा जो बुन्देलखंड का इलाका है, वहां की खनिज सम्पदा के

[श्री हरीश रावत]

दोहन के लिए भारत सरकार ने कितनी अपनी जिम्मेवारी निभाई है। उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय इलाका है, उसके लिए क्या किया है। हम सारे नार्दने इंडिया के लिए बिजली पैदा करने का काम कर सकते हैं, जल विद्युत की इतनी हमारे पास क्षमता है लेकिन उस क्षमता के दोहन के लिए पैसा नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : स्वयं आपकी राज्य सरकार ने क्या किया है?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार नहीं, दसियों बार प्लीड किया है लेकिन जब राष्ट्रीय हित का सवाल आता है, उस समय उत्तर प्रदेश पीछे हो जाता है और राष्ट्रीय हित की बात सोचने लगता है। आज परिस्थितियां बदल रही हैं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में भी यह भावना आने लगी है कि कहीं पर उनके साथ ज्यादती हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी गौर करें। मैं अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि दूसरे राज्यों की, बिहार की बात भी कर रहा हूं और कहना चाहता हूं कि इन सारे राज्यों के विकास के लिए फाइनेन्शियल इन्वेस्टमेंट के अन्दर जो एक प्रकार का असन्तुलन पैदा हो गया है, उस असन्तुलन का मूल्यांकन करके इसमें ज्यादा पैसा इंवेस्ट करने की दिशा में काम करने की जरूरत है।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कर्मचारियों की तरफ से। माननीय प्रधान मन्त्री जी और माननीय वित्त मन्त्री जी के हम आभारी हैं कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बजट में महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान करने के लिए आपने पैसे की व्यवस्था की है, लेकिन डी० ए० इन्सटालमेंट जब ड्यू होता है और मार्च के महीने में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तों को भुगतान हो जाना चाहिए था लेकिन मार्च के महीने में महंगाई भत्ते का भुगतान होने की बजाये, हम एक संगठन के साथ, जिसको जे० सी० एम० कहते हैं, बातचीत करके मामले को टालते जा रहे हैं। जे० सी० एम० में जो लोग रेप्रेजेंट करते हैं, उनमें हमारे कम्युनिस्ट साथियों के सहयोगी कई लोग हैं और उनके अपने राजनीतिक इन्ट्रेस्ट हैं। वे चाहते है कि मामले में देर होती रहे और कर्मचारियों में इससे असंतोष पैदा हो और उस असन्तोष का फायदा उठाकर वे सरकार को बदनाम करें और हमारी ब्यौरोक्रेसी उनके जाल में फंस रही है। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है, जब चतुर्थ वेतन आयोग कहता है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का सार्वभौम अधिकार है, तो समय पर उसका उनको पेमेन्ट हो जाना चाहिये, जो निर्धारित तिथि है, उस दिन भुगतान हो जाना चाहिये और आपने कृपा करके बजट में उसका प्रावधान कर दिया है, फिर समय पर भुगतान न होने की बात समझ में नहीं आती। मैं आग्रह करूंगा कि जब आप जवाब दें, तो महंगाई भत्ते की किस्त, जो ओवरड्यू हो गई है, उसके बारे में यह कहें कि उसका भुगतान कर दिया गया है।

चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद लोगों के पे-स्केल्स में इतना जम्प हुआ है, इतनी वृद्धि हुई है कि आज साधारण से साधारण जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, डिफेन्स में काम करने वाला, एल० आई० सी० में और दूसरी जगह काम करने वाला कर्मचारी है, वह भी इनकम टैक्स की परिधि में आ गया है। उससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, कुछ आप उससे ले नहीं पाएंगे क्योंकि वह इधर-उधर इन्वेस्ट कर देगा या थोड़ा सा पैसा आपको मिला भी तो वह उससे कम होगा, जितना

आप का खर्च होगा, उतना रिटर्न भी आपको नहीं मिल पाएगा मगर साधारण गरीब आदमी, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और जो क्लास 3 का कर्मचारी है, वह भी इन्कम टैक्स की लिमिट में आ जाएगा। केवल उनकी तरफ से ही नहीं बल्कि सारे मिडिल क्लास की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो इन्कम टैक्स की छूट की लिमिट है, उसको सरकार बढ़ाये। कुछ इस तरफ आपका ध्यान तो गया है लेकिन इन्कम टैक्स की लिमिट को आपने नहीं बढ़ाया है। इसको बढ़ाकर कम से कम 25 हजार रुपये कर देना चाहिये क्योंकि जो साधारण आदमी सरकार के साथ मुस्तैदी से खड़ा है, जो राजीव जी के साथ मुस्तैदी से खड़ा है, उसे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, उसको सरकार समझ नहीं पा रही है।

इन शब्दों के साथ मैं इस फाइनेन्स बिल का स्वागत करता हूं। मुझे अपने अपोजीशन के साथियों की अक्ल पर तरस आता है। हमारे प्रो० रंगा जी जो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं, जिनका राजनीति में एक विशाल अनुभव है।

4.0 म० प०

इन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों की ही राजनीति को देखा है। उनको भी आज दुःख हो रहा होगा कि आज का विपक्ष कितना लीक से हट गया है और कितना गैर जिम्मेदार विपक्ष हो गया है। इसलिए ऐसे विपक्ष की जितनी निंदा और मजम्मत की जाए वह कम है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं डाइरेक्ट टैक्सिज के बारे में बोलूंगा।

जैसा कि हमारे दोस्त रावत जी ने कहा कि इन्कम टैक्स की लिमिट के बारे में बजट पेश होने से पहले सारे देश में यह आशा की गई थी कि इनकम टैक्स की छूट सीमा 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये हो जाएगी लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई। आज जितनी महंगाई बढ़ गई है उसको देखते हुए 25 हजार रुपये की आय कुछ भी नहीं है। जो लोग थोड़ा बहुत भी इकनोमिक्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की नालिज रखते हैं वे समझते हैं कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिये कि टैक्स के कलेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा खर्च न करना पड़े। जहां से टैक्स कलेक्ट करने की पोटेंशियलिटी आप पाएं वहां आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। वहां से आप ज्यादा रिसोर्सिज पैदा कर सकते हैं।

फिक्स्ड इन्कम ग्रुप वालों को आपको एक स्टेंडर्ड तक छूट देनी होगी। आप देखें कि आरगेनाइज्ड सेक्टर में एक मामूली मजदूर को भी साल में आज 2ऽ हजार से ज्यादा मिलता है। पता नहीं इसके बारे में सरकार को मालूम है या नहीं। मैं बहुत बड़ी-बडी कंपनियों का मैनेजर रह चुका हूं इसलिए मैं कहता हूं कि आरगेनाइज्ड सेक्टर में एक मैट्रिक पास अनस्किल्ड लेबर को तीन हजार रुपये से कम नहीं मिलता—एक महीने में। अब उसको इन्कम टैक्स देना ही होगा। दूसरी तरफ ऐसे भी लाखों लोग हैं जिनकी महीने की आमदनी दस लाख रुपये कम नहीं होगी लेकिन वे एक पैसा भी इन्कम टैक्स नहीं दे रहे हैं। मैं जो यह बात बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। देश में ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनकी आमदनी लाखों रुपये में महीने की है लेकिन वे एक पैसा टैक्स नहीं देते हैं।

टैक्स रिफार्म के बारे में किसी भी कमीशन की रिपोर्ट पढ़िये। सबने यही कहा है कि आप उस

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

तालाब में हाथ डालिये जो कि मछलियों से भरा हुआ हो और आपको पकड़ने पर मछलियां मिलें। लेकिन उस कुएं में हाथ डालने से क्या लाभ जहां से आपको पता है कि एक भी मछली नहीं मिलने वाली है। मैं अभी चार-पांच दिन पहले दक्षिण दिल्ली में एक सज्जन के यहां शादी में गया। मेरे अंदाज में वह एक साधारण से व्यापारी हैं। लेकिन उनके यहां की शादी देखने पर, उसकी बाहरी सजावट को देखने पर ही, बाहर के खाने-पीने और दूसरी बहुत सी बातों को देखने पर ही, अन्दर के लेन-देन को छोड़कर, मुझे ऐसा लगा कि उस शादी पर 60-70 लाख रुपये से कम खर्च नहीं हुआ होगा। वहां की सजावट को देख कर हम स्वर्ग में भी ऐसी आस्टेंटेशियस लिविंग की कल्पना नहीं कर सकते। इतना वल्गर डिस्पले आफ वेल्थ देखकर मेरे मन में एक बात आई कि शायद सब कुछ ऐसे ही चलेगा। हम लोग पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर ब्लैकमनी के बारे में बोलते ही रहेंगे लेकिन कमाने वाले ऐसे कमाते ही रहेंगे।

इसी तरह से लोग वल्गर डिस्प्ले करते रहेंगे और गरीब पिसता चला जाएगा। यदि आप वेलफेयर स्टेट सही मायने में देखना चाहते हैं तो आस्टेंटेशस लिविंग और वल्गर डिस्प्ले आफ वैल्थ समाप्त कीजिये, एक वादा कीजिये, तभी लोगों का विश्वास हम पर जमेगा, नहीं तो जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि लोग यही सोचते हैं कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। यदि हम कमर कस पर लें तो कोई कारण नहीं है कि ब्लैकमनी पर कंट्रोल न हो सके। अगर हमने 50 परसेन्ट भी ब्लैक मनी पर कंट्रोल कर लिया तो आप देखना कि इस देश में महंगाई कितनी कम हो जाती है। इस देश में इमरजेंसी में किस तरह से महंगाई कम हो गई थी, उस वक्त कोई आसमान से लोग नहीं आये थे, यही लोग थे। उस वक्त अफसरों को डर था कि यदि हमने ब्लैकमार्केटियर्स का साथ दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, व्यापारियों को डर था कि अगर हमारे पास ब्लैकमनी पकड़ी गई तो हम अन्दर हो जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं यह नहीं कहता कि आप इमरजेंसी लगाइये, लेकिन एक ऐसा माहौल खड़ा कीजिये जिसमें लोगों को विश्वास हो सके कि ईमानदार आदमी की पूछ है और बेईमान आदमी की जगह जेल में है, मैं कहता हूं कि जब तक आप यह नहीं कर पाएंगे तब तक आप कितने भी बिल ले आइये, कितने भी भाषण दीजिये महंगाई को नहीं रोक सकेंगे और अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब होता जायेगा, गरीब पिसता जाएगा।

डायरेक्ट टैक्स की बात करते समय मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले साल बड़ा शोर था कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, एक्सपेंडीचर टैक्स लगने वाला है। कई कमेटियां बनीं, कंसल्टेटिव कमेटी का एक ग्रुप बना, बहुत से आर्टिकल अखबारों में आए और सरकार ने भी कहा कि एक्स-पेंडीचर टैक्स लगेगा, लेकिन "खोदा पहाड़-निकली चुहिया।" आपने एक्सपेंडीचर टैक्स लगाया केवल होटल लिविंग पर। उसमें भी जिसका किराया 400 से ज्यादा होगा, उसके भी लोगों ने तरीके निकाल लिए हैं, वह अलग बात है, लेकिन और जगह एक्सपेंडीचर टैक्स लगाने में क्या दिक्कत है। आप बाकी जगहों पर भी एक्सपेंडीचर टैक्स लगाइये फिर आप देखिये कि आस्टेंटशस लिविंग कितनी कम हो जाती है। आप कहिये कि जो आदमी हवाई जहाज में सफर करेगा और 500 रुपये से अधिक टिकट होगा तो उस पर एक्सपेंडीचर टैक्स लगेगा। उस पैसे को आप डेवलपमेंट में खर्च कीजिए। आप कहिए कि अगर कोई एयर कंडीशन कोच में सफर करेगा तो उसको एक्सपेंडीचर टैक्स देना होगा, उसको आप डेवलपमेंट में खर्च कीजिए। आप कह दीजिये कि जो दो लाख से अधिक का फ्लैट खरीदेगा, उसको एक्सपेंडीचर टैक्स देना होगा, उसको आप डेवलपमेंट पर खर्च कीजिए। इस तरह से एक्सपेंडीचर टैक्स को आपको एक प्रैक्टीकल शेप देनी होगी और आप देखिये आपकी जयजयकार होगी। एक बार गरीब आदमी को यह

विश्वास हो जाए कि आप उसकी भलाई के लिए सोचते हैं, सरकार सोचती है तो वह भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा।

सभापति महोदय, दो साल पहले बहुत सोच समझ कर आपने एस्टेट ड्यूटी खत्म की थी, इस बजट में आप फिर उसको ले आये हैं। आपका कहना ठीक होगा, हो सकता है कि मेरा सोचना गलत हो, आप कहते हैं कि जो लोग वैल्थ टैक्स देंगे, उन पर एस्टेट ड्यूटी लगेगी, यह ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन आपके पास पर्सोनल कहां हैं, फिर ख्वाहमख्वाह उसको आप दोबारा क्यों ले आये हैं। जब एक बला आपने अपने सिर से हटा दी थी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के खयाल से आपने एक बला अपने सिर से हटा दी थी तो फिर आप उसको दोबारा ले आये। मेरा निवेदन होगा कि आप एस्टेट ड्यूटी को पहले जैसे ही रहने दीजिये, लोगों को इसमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है। मैंने देखा है कि सारी जिन्दगी आदमी कमाई करके कोई एक छोटा सा फ्लैट बना लेता है या बैंक में 50000 रुपये जमा कर लेता है। अचानक उस आदमी की मौत हो जाती है। मौत के गम में उसकी विधवा तो मरती ही है और जो बैंक में पैसा जमा है उस पर भी टैक्स देना होता है। मेरा निवेदन होगा कि स्टेट ड्यूटी को बिल्कुल ही खत्म कीजिये, इसके बदले में कोई दूसरी तरह की ड्यूटी लगाइये। डायरेक्ट टैक्सेज को आप इतना आसाम कर दीजिये कि इन्कम टैक्स देने के नाम से लोग डरे नहीं और इन्कम टैक्स के आफिस में जाने से घबराये नहीं। एक ईमानदार आदमी को इस बात का गर्व हो कि मैं सही टैक्स दे दूंगा, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। आपने इस बिल में एक प्रोविजन कर दिया है कि यदि कोई टैक्स देने में देर कर देगा तो उसे पेनल्टी और इंटरेस्ट भी देना होगा। कई तरह के लोग हैं और कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। लोग समय पर रिटर्न नहीं भर सकते हैं। देखना यह है कि उस इंडीविजुअल ने आपका टैक्स पे किया है या नहीं। अगर तीन महीने बाद रिटर्न दिया है तो कौन सी आफत आ गई। मेरे पास ऐसे केसेज हैं जिनमें आई० टी० ओ० तंग करने लगे कि आपने रिटर्न फाइल देर से किया तो आप इंटरेस्ट और पेनल्टी दीजिये। पेनल्टी और इंटरेस्ट की बात खत्म कराइये। जिन्होंने टैक्स नही दिया हो उन पर पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाइये और जिन्होंने टैक्स दिया हो उनके लिए इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव होना चाहिये।··· (व्यवधान) टैक्स का तरीका ऐसा होना चाहिये जिससे टैक्स देने वाले को कोई परेशानी न हो। आप अखबार में बड़े-बड़े इश्तहार देते हैं कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी आंधी आ रही है। लोग इन्तजार करते रहते हैं लेकिन कोई मिलने वाला नहीं आता। नम्बर-दो का पैसा बनाने वाला कमाता ही रहता है। जब आप इस बात का इश्तहार देते हैं कि हम व्यापारियों से मिलने आ रहे हैं तो इस बात का भी इश्तहार दीजिये कि आप एक महीने में कितने व्यापारियों से मिले। आप ऐसी लिस्ट निकालिये जिनके यहां पिछले तीन महीने में रेड हुआ हो। लिस्ट निकालने में क्या हर्ज है। यह बात अलग है कि वह बाद में छूट जाये लेकिन देश की जनता यह समझ सके कि किसका मुंह काला है और किसका मुंह उजला है। आज जो लोग बेईमानी का पैसा जमा करके बड़े-बड़े धन्ना सेठ बने हुए हैं, उनका असली रूप लोग देख सकें। रात में कोई चोर चोरी करने आये और सौ रुपये का सामान उठाकर ले जाये और संयोग से पकड़ा जाये तो उसको आप जेल में डाल देंगे। लेकिन दिन के समय कोई करोड़ों रुपया जमा कर दे तो उससे आप आराम से इनाग्युरेशन करायेंगे, माला पहनायेंगे और इज्जत की जगह देंगे। क्या यह व्यवस्था चल सकती है। डायरेक्ट टैक्सेज के बारे में मैं मंत्री जी से यही कहूंगा कि कुछ ऐसा कीजिये जिससे गरीबों की भलाई हो और जैसा जस्टिस के बारे में कहा गया है :

[अनुवाद]

न्याय न केवल किया जाये अपितु ऐसा लगे कि न्याय किया गया है।

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

[हिन्दी]

ऐसा मालूम पड़े कि आपने गरीबों के लिये कुछ किया है और कर चोरों को अन्दर किया है। तभी जाकर लोगों को लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने अप्रत्यक्ष कर में बहुत सी राहत दी हैं, पहले भी दी थीं, मेरा अपना अनुभव है कि जो भी रिलीफ आप एक्साइज में देते हैं या अप्रत्यक्ष कर में देते हैं वह उपभोक्ताओं तक कहां तक पहुंच पाती है। हमारे पहले के सदस्य ने कहा कि कमर तोड़ मंहगाई है। आप मंत्री जी एक बार मेरे साथ बाजार चलिये और देखिये कि लोगों की हालत क्या है। मिडिल क्लास नाम का वर्ग खत्म हो गया है, दो वर्ग ही रह गये हैं अमीर और गरीब। मिडल क्लास पूरी तरह पिस गया है, गरीबों की कहें तो क्या कहें। आप सब कामों को छोड़िये, केवल एक मंहगाई को कण्टेन करने के लिये उसको रोकने के उपाय कीजिये, देखिये इस देश की तरक्की हो जायेगी। और देश जो हमारे आसपास हैं जिन्होंने मंहगाई को कंट्रोल किया हुआ है। आप सीधे-सीधे उत्पादन ज्यादा कर दीजिये, मंहगाई अपने आप नीचे आ जायेगी। जिन लोगों के पास काला धन है उसे आप अपने कब्जे में करिये, मंहगाई कम हो जायेगी। यदि आप मंहगाई कम नहीं कर पायेंगे तो मुझे अफसोस है कि इस देश में जो नया वर्ग तैयार हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है बिहार में जाकर देखिये वहां पर हालत पंजाब से बदतर है वहां हर गांव में 100-200 पढ़े-लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिलती है और जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है वह हथियार उठा रहे हैं। आप उसे नक्सलवादी का नाम दीजिये, चाहे उग्रवाद का नाम दीजिये। लेकिन कहावत है कि मरता क्या न करता। उसे खाने को रोटी नहीं मिल रही है इसलिये उसने आर्म्स उठा लिये हैं, कुछ ऐसा कीजिये यह उग्रवाद और नक्सलवाद और न फैलने पाये। लोगों को रोजी-रोटी देने का उपाय कीजिये सबसे पहले तो आप शिक्षा को केन्द्र में लायें और ऐसा कीजिये कि जो कालेज बन रहे हैं वह बन्द हो जायें। बी० ए० पास लड़के गांव-गांव भटक रहे हैं। बी० ए० पास लड़का अपने घर के लोगों का व्यंग्य सहता है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली, समाज का व्यंग्य सहता है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली। उसकी शादी आसपास के लोग कर देते हैं तो ससुराल का व्यंग्य सहता है और अन्त में फ्रस्ट्रेटेड होकर वह हथियार उठा लेता है। यदि वह हथियार उठाता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरे जैसे लोगों पर है, क्योंकि हमने उसे सही दिशा नहीं दी। मैं दीवार पर लिखावट देख रहा हूं। जो आज बिहार में हो रहा है वह दूसरे राज्यों में भी होगा, इसके लिये कुछ न कुछ करना होगा। प्रधान मंत्री जी ने मद्रास में सही नारा दिया बेकारी हटाओ, लेकिन उस नारे को मूर्त रूप देने के लिये सरकार को प्रयत्न करना होगा, केवल नारे से ही बात नहीं चलेगी और मैं कहता हूं कि जो लोग इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उन्हें गम्भीरता से यह सोचना होगा कि वह सबसे ज्यादा महत्व इस देश में परिवार नियोजन को दें। विदेशों में ऐसे मैजर्ज अपनाये जा रहे हैं यदि कोई दम्पती एक बच्चा पैदा करता है तो उसे अपनी नौकरी में दुगनी-तिगनी तरक्की मिलेगी। लेकिन एक से ज्यादा बच्चा होगा तो रिवर्स गियर में सारी तरक्की घटा दी जायेगी और उसका डिमोशन हो जायेगा। अब परिवार नियोजन को आप इकोनोमी वेलफेयर से मिला दीजिये, देखिये देश में आबादी कंट्रोल होती है या नहीं। जो आदमी यह प्रमाण पत्र दे दे कि मुझे एक ही बच्चा है और दूसरा नहीं होगा, मैंने नसबन्दी करा ली है उसे आप बेहिचक दुगनी-तिगनी तरक्की दे दीजिये। सब्सटैंश्यल हैल्प कर दीजिये जिससे उन्हें पता रहेगा कि मैं सुखी पूर्वक जीवन बिताऊंगा। मुझे अफसोस है कि हमारे समाज में आज कई तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं। लोग सोचते हैं कि यदि उनके यहां लड़कियां पैदा होंगी तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि यदि किसी के यहां लड़की पैदा हो और उसने नसबन्दी करा ली हो तो स्टेट की तरफ से उस परिवार के नाम 15-20 हजार रुपया फिक्स्ड डिपौजिट में जमा कर दिया जाये ताकि जब तक वह लड़की बड़ी होकर

शादी के योग्य होगी, वह रुपया बढ़कर लाखों में पहुंच जायेगा और उस परिवार के मुखिया की सिरदर्दी खत्म हो जायेगी। इस प्रस्ताव पर प्रैक्टिकल थिंकिंग की जरूरत है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे आप कितना इकोनौमिक डैवलपमैंट कर लें जब तक आपने फैमिली प्लानिंग योजना को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया, सब कुछ बेकार जायेगा।

मैं पिछले एक साल से सुनता आ रहा हूं और इस सदन में भी काफी चर्चा होती है कि हमारे देश में ड्राउट है। परन्तु जब मैं अपनी कांसटीटूऐंसी में जाता हूं, नार्थ बिहार जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि दिल्ली ऊंचा सुनती है, वह बहरी है। उस समय मेरा सिर शम से झुक जाता है। लोगों का कहना है कि पिछले साल नार्थ बिहार में जितनी भयंकर बाढ़ आयी, उतनी पिछले 150 सालों में नहीं आई परन्तु किसी भी पब्लिक डाक्यूमेंट में उस फ्लड के बारे में आपको चर्चा नहीं मिलेगी। हम जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं तो कहते हैं कि सूखे के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो गयीं। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अनाज के मामले में नार्थ बिहार का काफी योगदान रहा है परन्तु इस साल फ्लड के कारण वहां बहुत बर्बादी हुई है। लोगों की लाखों की फसलें तबाह हो गयी हैं जिस का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि ड्राउट से भी तबाही होती है लेकिन ड्राउट से किसी का मकान नहीं गिर जाता, किसी के कपड़े बर्बाद नहीं हो जाते, ड्राउट से खाने के बर्तन नहीं चले जाते जब कि फ्लड के कारण लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनकी जगह कहां चली गयी, किस जगह थी। पहले जिस व्यक्ति का वहां झोंपड़ा था, फ्लड के बाद आज वहां नदी बह रही है। इसलिये मेरी मांग है कि आपने ड्राउट के कारण इन्कम टैक्स पर जो सरचार्ज लगाया है, उसे केवल ड्राउट के लिये ही सरचार्ज न माना जाये, बल्कि उसे फ्लड के लिये भी सरचार्ज माना जाना चाहिये और फ्लड से प्रभावित लोगों को भी ड्राउट के बराबर सहायता दी जानी चाहिये। यदि ड्राउट के कारण किन्हीं इलाकों में बैंक के कर्जों को माफ किया गया है तो वैसी ही छूट आप फ्लड अफैक्टिड एरियाज के लोगों को भी प्रदान कीजिये। इसके अलावा आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिये कि बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ को रोका जा सके। इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। वह नेपाल से बात करे और इस समस्या का समाधान निकाले। आखिर हम किस वजह से हर साल पिटते हैं, बर्बाद होते हैं। आज स्थिति यह हो गयी है कि जिन लोगों के पास पहले 500 एकड़ जमीन थी, अच्छे गृहस्थ लोग थे, वे चांदनी चौक में मजदूरी कर रहे हैं। आज यह हमारे टौलरैंस के बाहर की बात हो चुकी है। क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि हम हर साल बाढ़ से पिटते रहें। केन्द्रीय सरकार को बाढ़ की समस्या से निपटने के लिये गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यदि हमारे बिहार के लोग सहनशील हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि वहां के लोग पिटते रहें। बाढ़ की समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है। आपको इस पर गहराई से विचार करके रोकना होगा।

आजकल हमारे देश में एक अजीब-सी प्रथा चल पड़ी है कि हमने 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सारे का सारा खर्च कलैक्टर के हाथ में दे दिया है। आज कलैक्टर मिनि मुगल बने हुए हैं, न उनके सामने एम०एल०ए० कुछ है और न एम०पी० की कोई बात चलती है। वे लोग पब्लिक रिप्रेजैन्टेटिव को कुछ समझते ही नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्यादातर कलैक्टर डिस-औनैस्ट है और मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और साबित कर सकता हूं, कम से कम बिहार में जितने कलैक्टर्स हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी है। कुछ समय पूर्व हमारे यहां एक डिप्टी कमिश्नर के यहां रेड हुआ, 60 लाख रुपया निकला। आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे। दूसरे, आजकल जिसे देखो कोर्ट में जाकर स्टे ले आता है। अब इन्टीरियर में उस डिप्टी कमिश्नर के पास डालर कहां से आये, उनकी कोई जस्टिफिकेशन तो होगी। उसने किसी डैवलपमैंट वर्क से ही चोरी की होगी। आप तो सन्तोष कर लेते हैं कि हमने डैवलपमैंट के कामों के लिये इतना पैसा दे दिया लेकिन क्या आपने कभी यह सोचने की

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

कोशिश की है कि उस डेवलपमैंट के पैसे से गरीब आदमियों को लाभ पहुंचा या नहीं और कितना पहुंचा। हम पौलिटीशियन बेकार बदनाम होते हैं जबकि खाने वाला एक नया वर्ग हमारे देश में पैदा हो गया है इन ब्यूरोक्रेट्स का, कलैक्टर्स का। इसलिये आप 20-प्वाइंट प्रोग्राम की इम्पलीमैंटेशन को डीसैन्ट्रेलाइज कीजिये। मैंने तो कहा है, इसका सबसे अच्छा तरीका है, मैं चायना में जाकर देख आया हूं, लोगों ने श्रमदान से बड़े-बड़े डैम बनाये हैं, श्रमदान से, बड़े-बड़े काम किये हैं। हमने भी बिहार में किया है, कोसी प्रोजैक्ट बनाया है। मैं तो कहता हूं कि जब भी आपको कोई कच्ची सड़क बनानी हो, उस पर मान लिया दो लाख रुपया लगे, तो गांव वालों से कहिए कि एक लाख रुपये मूल्य का श्रमदान आप कीजिये एक लाख रुपये मूल्य सरकार देगी, फिर आप देखिये कौन कहां से खाता है। कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे बेईमानी पर रोक लगे और यदि इस बेईमानी पर रोक नहीं लगेगी तो हम तो पैसा देते जायेंगे और वह पैसा पानी में जाता जायेगा, ब्यूरोक्रेट्स का एक वर्ग है, जो और भी मोटा होता जायेगा।

फारेस्ट्री के नाम पर पिछले 4-5 सालों में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और प्रत्येक फारेस्ट आफिसर पहले से सौ गुना ज्यादा अमीर हो गया है, इसका कोई पता लगाने की कोशिश तो करे। पेड़ नहीं लग रहे हैं, अफसरों के घरों में पैसों के पेड़ लग रहे हैं, कोई तो पता लगाने की कोशिश करे, आखिर यह पैसा गरीबों का है, उनके पास कहां से और कैसे आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है। वक्त ऐसा आ गया है कि जब हम यह नहीं कह सकें कि चोरी कहां पर होती है, चोर आया है, तो जनता कहेगी कि हमारा भी उसमें शेयर था, हम भी उसमें चोर थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो डिवेलपमेंट के नाम पर खर्चा हो रहा है वह सही लोगों के हाथ में जाये, इसकी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए।

अन्त में, मैं कहूंगा कि जब इस देश में पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज का कंसैप्ट आया था, तो बड़ी उम्मीदें बनी थीं और लगता था कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जो स्वप्न पं० जवाहर लाल नेहरू ने पब्लिक सैक्टर के बारे में देखा था वह एक बहुत बड़ा स्वप्न था। वे कहा करते थे कि ये आधुनिक मंदिर हैं और सचमुच आधुनिक मंदिर है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टील का, हैवी इंजीनियरिंग का पं० नेहरू ने लगाया था, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर यदि देश में न होता, तो शायद हम आर्थिक रूप से विदेशों के गुलाम अभी भी बने रहते। उस महान् आत्मा को बहुत बड़ा नमन् करता हूं उनको बहुत बड़ी बधाई जाती है, जिन्होंने भविष्य को देखा था। लेकिन जब और क्षेत्र में हम पब्लिक सैक्टर को लाने लगे, तो हमारी नाक उन अफसरोंने काट दी जिन्हें हमने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, जिन्हें हमने चेयरमैन बनाया जिन्हें हमने अफसर बनाया। एक-एक चेयरमैन और एक-एक मैनेजिंग डायरेक्टर जिसके यहां रेड हुई है, उसकी क्या हालत है, आपको पता है। तो करना तो यह चाहिए कि यह पता लगे कि यदि कोई पब्लिक सैक्टर घाटे में जा रहा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सरकार गुप्त रूप से पता लगाये कि कहीं यह पब्लिक सैक्टर घाटे में जा रहा है और इसका एम०डी० मोटा तो नहीं हो रहा है। मैं आपको कहूंगा कि यह कब तक चलेगा कि पब्लिक के पैसे से कोई अफसर राज करे।

मैं अपने खिलाफ बात करता हूं, आज दुनिया में एक नई हवा आई है। सोवियत यूनियन में ग्लास नोट की बात हो रही है, चायना में भी लकीर से हटकर लोग काम कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों नहीं घाटे वाले पब्लिक सैक्टर के बारे में नये सिरे से सोचें। मैं प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजर का यदि कोई को-आपरेटिव बने तो हम छोटे-छोटे पब्लिक यूनिट क्यों नहीं उनके हाथ में एक्सपैरीमैंट के तौर पर दे सकते हैं? आप उसे 5 साल के लिये दे दें और कह दें कि यदि इसमें

घाटा होगा तो जिम्मेदारी तुम्हारी और यदि फायदा होगा तो आधा तुम्हारा और आधा हमारा। इसका एक्सपैरीमैंट करने में क्या नुकसान है? जब सोशलिज्म का मसीहा रूस कर रहा है, चाइना कर रहा है तो हम एक्सपैरीमैंट क्यों नहीं कर सकते? हम बार-बार अपने एक्सचैकर से पैसे निकालकर पब्लिक यूनिट में कब तक देते रहेंगे, कहीं न कहीं और कोई न कोई लकीर खींचनी होगी।

फाइनेन्स बिल में आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेट्ड यूनिट होंगे तो एक्सपोर्ट में जितनी कमाई होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यह बहुत बड़ी बात है। फारेन एक्सचेंज पोजीशन आपकी ऐसी है और दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड की जो हालत हो रही है, प्रोडक्शन की वृद्धि बढ़ रही है, हमने अखबारों में देखा है कि अमेरिका ने हमारे टैक्सटाइल पर बेन लगा दिया है, यह बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। यह बहुत अच्छा काम किया है मैं कहूंगा कि एक्सपोर्ट करने वालों और भी ज्यादा सुविधा देनी चाहिए। रा-मैटीरियल पर सब्सीडी दी जानी चाहिए, मार्केटिंग में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट पर ही हम जिन्दा रहते हैं।

आज शायद आपको पता हो कि जापान, कोरिया और ताइवान के टैक्सटाइल्स और दूसरी चीजें यहां दिल्ली के पालिका बाजार में दुनिया भर का माल फल्ड किया हुआ है और उसके सामने हमारी चीजें नहीं टिक पा रही हैं। आप एक्सपोर्ट के सामान को जब तक सस्ता नहीं करेंगे, हम दुनिया के बाजार में भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे।

अंत में, मैं अपनी बात कहकर खत्म करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो बेकारी हटाओ का नारा दिया है, उसे हम सब मिलकर रूप दें और यह दिखा दें कि हम इस देश में सही रूप से बेकारी हटा सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा): माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक 1988 के समर्थन में अपने कुछ सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे सभी साथियों ने कहा कि इस साल का बजट प्रशंसा योग्य है और इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जो हमारे देश की आर्थिक नीतियां हैं, उनको सही दिशा में ठोस आधार पर चलाया जाये और जो आज के संदर्भ में हमारे देश की प्राथमिकताएं हैं उनको उस बजट में अधिक आवंटन देकर अधिक ध्यान देने का प्रयास किया है। यदि हम यह कहें कि इस साल का बजट किसान हितैषी बजट के रूप में पूरे देश के लोगों द्वारा उसका स्वागत किया गया है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछले तीन वर्षों में जो देश के सामने सूखे का संकट और बाढ़ की कठिनाई रही और इन जटिल परिस्थितियों में भी देश की अर्थ-व्यवस्था डगमगाई नहीं। परन्तु सरकार की सही नीतियों के कारण लोगों को इस कठिनाई के दौर में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस बजट में इस बात को विशेष ध्यान दिया गया है कि सभी कृषि उद्योग और ग्रामीण विकास के और 20-सूत्री कार्यक्रमों और नौजवानों को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता दी जाये, उनको अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाये जिससे जो कुछ भी नुकसानड्राउट सिचुएशन के कारण या आर्थिक परिस्थितियों के कारण पिछले वर्षों में हुआ है उसको हम काफी कुछ इस वित्तीय वर्ष में सुधार सकें।

इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के नौजवान प्रधान मंत्री आदरणीय राजीव जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से जो ठोस कदम उठाये हैं वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। किसानों को उनकी अपनी फसल पर जो ऋण मिलता है उस पर ब्याज की दर एक से ढाई प्रतिशत तक कम कर दी है।

यह अपने आप में ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है। इसी तरह से कृषि और सिंचाई पर

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

इस वर्ष 1295 करोड़ रुपया रखा गया है जो पिछले वर्ष के आवंटन के मुकाबले में 40 प्रतिशत अधिक है।

जहां तक ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का सवाल है। इसी साल में 2200 करोड़ रुपये आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी० और दूसरे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये रखे गये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि गांवों में जो रोजगार की जटिलता है और गांवों के विकास के लिये जो ऐस्सेट्स बनाने की आवश्यकता है उसके लिये हमारी सरकार जागरूक रही है और उसको इस बजट में सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है।

4.36 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

इसके साथ-साथ जो छोटे सीमान्त कृषक हैं और जो हरिजन, आदिवासी और भूमिहीन परिवार के लोग हैं उनको भी "जलधारा" नामक योजना देकर सिंचाई के पम्प देने की योजना बनाई है। यह सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके साथ-साथ 10 लाख कुएं आर०एल०ई०जी०पी० और एन०आर०ई०पी० कार्यक्रम द्वारा खोदकर ऐसे लघु, सीमांत, हरिजन आदिवासी कृषकों को सुलभ किये जायेंगे जिनके पास जमीन तो है परन्तु सिंचाई की सुविधा के अभाव में उतना उत्पादन नहीं कर पाते। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी फैसला है। इसकी वजह से उस परिवार, उस व्यक्ति या उस किसान को मदद मिलेगी जिस की सही मायने में सरकार को आवश्यकता है। मैं इन प्रयासों की हृदय से प्रशंसा करना चाहूंगा।

जो सबसे अधिक और सीधा फायदा देने की बात किसानों के हक में आई है वह खाद और कीटनाशक दवाइयां हैं। इन सब के मूल्यों में साढ़े सात से लेकर 10 प्रतिशत की कमी करने के लिये जो कदम इस बजट में इस वित्त विधेयक के नाम से और सरकार की नीतियों के माध्यम से उठाये गये हैं उसके भी अच्छे परिणाम आने वाले समय में हमारे किसानों को और देश की ग्रामीण जनता को देखने को मिलेंगे। पिछले तीन वर्षों में देश के विभिन्न प्रान्तों में सूखे का गम्भीर संकट आया और जिस की वजह से पैदावार भी घटी और लोगों को खाने के लिये अनाज भी कठिनाई से मिला। उस समय हमारी सरकार ने अपने उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग करते हुए जो हमारे पास रिजर्व स्टाक फूड ग्रेन्स का था, उन सब का उपयोग करते हुए वह अनाज प्रभावित इलाकों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से पहुंचाया। इसके साथ ही हमने वह अनाज एन०आर०ई०पी० और एल०एल०जी०ई०पी० योजनाओं के अंतर्गत मजदूर वर्ग के लोगों को काम के बदले अनाज योजना में दिलाया जिसकी वजह से यह 2-3 वर्षों के गम्भीर संकट का हमारे गांवों के लोगों को आभास नहीं हुआ। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में इन सब कठिनाइयों के बावजूद हमारे देश की आर्थिक नीति डगमगाई नहीं और देश के औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में भी बराबर बढ़ावा आता रहा और आज करीब 9.7 प्रतिशत हमारे देश की औद्योगिक विकास की दर पहुंच चुकी है जो कि आज से 8-9 वर्ष पहले जनता पार्टी के शासनकाल में घटकर 1.7 के करीब पहुंच गई थी। स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने 1980 के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कदम उठाये—वह चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे अनाज उत्पादन का हो, चाहे लघु और मध्यम उद्योगों और चाहे पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात हो। आज हम बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश का औद्योगिक ढांचा, कृषि के उत्पादन की योजनाएं, हमारे देश का आर्थिक ढांचा जो

कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय से ही एक सही दिशा में आजादी के बाद से ही चलाने के लिये तैयार हुआ था। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से और इसके बाद योजनाबद्ध विकास का रास्ता जो हमारे देश ने अपनाया और इंदिरा जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो ठोस प्रयास किया, आज यही कारण है कि हमारी सरकार जो हमारे नौजवान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सफलता से कार्य कर रही है, इन ठोस आर्थिक मुद्दों पर, नीतियों पर सफलता से उन सभी योजनाओं को अमली जामा पहना रही है जो देश के राष्ट्रनिर्माताओं ने आजादी के बाद इस देश के लिये सुनिश्चित की थीं। हमें इस साल के बजट में यह बात भी विशेष रूप से देखने को मिली है कि ग्रामीण इलाकों में जो पेयजल का संकट था उसको भी युद्ध स्तर पर हमारी सरकार के प्रयासों से हल किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में करीब एक लाख 62 हजार गावों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया था। 1987-88 के बजट में, वित्तीय वर्ष पूरा होने तक करीब एक लाख गांवो में पीने के पानी के संकट को दूर किया गया है और उसके साथ-साथ इस साल के बजट में जो प्रावधान रखा है वह करीब 430 करोड़ रुपया ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता अभियान के लिये है जो इस बात को दर्शाता है कि गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति को, देश के दूरदराज के इलाके में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिये हमारी सरकार और हमारे सभी सम्बन्धित विभागों के लोग कितने चिंतित हैं और इसको हमारे केन्द्रीय बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई है।

इसी तरह से हमारे वित्त विभाग ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में इस साल का बजट प्रस्तुत करते हुए लघु उद्योगों को और एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड इण्डस्ट्रीज के लिये जो विशेष छूट दी है, करों में राहत दी है उनको अन्य 5 वर्षों के लिये अन्य इंसेंटिव्ज दिये गये हैं, हम समझते हैं कि इस तरह के प्रावधानों से और नियम को सरल बनाकर हमारे उद्यमियों को अधिक सुविधा देने से उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, देश के औद्योगिक उत्पादन पर पड़ेगा और उससे देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और उससे हम अपने यहां उत्पादित चीजों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ठीक समय पर, ठीक दामों पर सुलभ करवा पाएंगे। उसके साथ साथ देश में रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और देश का इन्वेस्टमैंट, पूंजी निवेश अनप्रोडक्टिव, गैर उत्पादन वाले क्षेत्र में लगने के बजाय ऐसे क्षेत्र में अधिक आकर्षित होगा जिसका परिणाम उत्पादन के रूप में और हायर प्रोडक्टि-विटी के रूप में हमारे देश को मिलेगा। वित्त मंत्री जी के निश्चित रूप से इन प्रयासों की मैं सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस बजट में और इस वित्त विधेयक में लघु उद्योगों को और जो निर्यातोन्मुख उद्योग हैं उनको विशेष प्राथमिकता दी है, उनकी कठिनाइयों का ध्यान रखा है और अगले 5 वर्षों के लिये अधिक छूट इसमें उन्होंने घोषित की है।

जहां तक हमारे प्रधान मंत्री जी ने मद्रास के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ का नारा दिया उसका सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के समय की सबसे बड़ी कठिनाई और समस्या की है, ओर हमारे नेता आदरणीय राजीव जी का ध्यान गया है और उन्होंने हाल ही में हुए इस अधिवेशन में इस नारे को नारे के रूप में नहीं बल्कि एक संकल्प के रूप में देश की जनता के सामने रखा है। अब हम यह चाहेंगे कि वित्त विभाग, ग्रामीण विकास, बिभाग उद्योग और खादी ग्रामोद्योग और रोजगार से सम्बन्धित अन्य जितने मंत्रालय हैं वह सभी लोग मिलकर एक ऐसी एकीकृत योजना, इण्टीग्रेटेड प्रोजैक्ट वह तैयार करें जिससे हम इस आह्वान को, इस संकल्प को सही रूप में योजना बनाकर, एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाकर, समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर देश के नौजवानों के सामने और देश के नागरिकों के सामने रख सकें। क्योंकि जो आज देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या है वह करीब 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर है, उससे कम नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता है कि सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं—आई० आर० डी० पी० की योजना है,

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

एन०आर०ई०पी० और आर०एल०ई०जी०पी० की योजना है, ट्राइसम है, स्वरोजगार की योजना है, और भी अन्य योजनाएं, खादी ग्रामोद्योग की योजनाएं हैं, परन्तु इन सब को किसी एक ही विन्डो से या किसी एक ही योजना के अन्तर्गत संचालित करने का प्रावधान नहीं है। यदि इन स्वरोजगार योजनाओं की एक ही विन्डो से सब सुविधाएं हमारे शिक्षित बेरोजगारों को मिल सकें, चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, इसके साथ ही साथ उसको उपयुक्त प्रशिक्षण भी दिया जा सके, चाहे आई०टी०आई० में दें, चाहे ट्राइसम में दें या विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आप लागू कर के प्रशिक्षण दें तो निश्चित रूप से इन ही योजनाओं के अन्तर्गत हम कम से कम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को प्रति वर्ष रोजगार के साधन दे सकते हैं। इतना स्कोप इस वित्तीय बजट में और इस विधेयक के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं, उनमें देखने को मिलता है।

मैं आपका ध्यान और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो आई० आर० डी० पी० के कार्यक्रम हैं इसमें गरीबी की सीमा से नीचे जो लोग रहते हैं, जिनका सर्वेक्षण प्रत्येक गांव-गांव में हमने कर लिया है, उनको राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से बहुत कम ब्याज दर पर ऋण सुलभ कराते हैं, जिससे वे अपने सिंचाई के साधन बना सकते हैं, बैलगाड़ी ले सकते हैं, गाय-भैंस पाल सकते हैं या गांव में कोई भी कुटीर और लघु उद्योग लगा सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है वह है भ्रष्टाचार की। यह देखने में आता है कि उसमें जो सबसीडी का पार्ट है उसमें ही पूरी हेरा-फेरी होती है। वहां के राज्य शासन या स्थानीय संस्था के माध्यम से डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत बेनिफिशरों को सबसे अधिक कठिनाई आती है। मेरा सुझाव है कि यदि हम सबसिडी के काम्पोनेन्ट को देने की बजाये, आई० आर० डी० पी० का ऋण जो मिलता है, गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले लोगों को, वह ब्याज मुक्त ऋण दे दें, इंट्रेस्ट फ्री लोन, तो यह चीज भ्रष्टाचार को खत्म करेगी और बेनिफशरीज जो चक्कर लगाते हैं बैंको के और दफ्तरों के, 20-25 चक्करों के बाद उन्हें ऋण मिल पाता है, तो वह प्रक्रिया भी खत्म हो जायेगी। और इसमें पूरा आर्थिक व्यय उतना ही पड़ता है। यदि हम तीन हजार का ऋण किसी को दे रहे हैं तो उसका एक तिहाई, यानी 1 हजार रुपया हम उसे अनुदान के रूप में देते हैं और वह भी उसे 6 महीने या साल भर के बाद मिलता है और 5 साल में उसके द्वारा 3 हजार रुपये की वापसी की जाती है। जो उसकी ब्याज की दर है उसे कुछ इस तरह से रखा गया है 9 या 10 प्रतिशत, कि उसे पांच साल में तीन हजार रुपये वापस करने पड़ते हैं। इसलिए यदि हम पहले ही उसे ब्याज मुक्त ऋण के रूप में तीन हजार रुपये दे दें तो बात वही होगी लेकिन उससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा और सबसीडी के काम्पोनेन्ट का जो मिस-यूटिलाईजेशन होता है और जो अन्य कठिनाइयां उसको होती हैं कि समय पर पैसा मिल नहीं पाता है, वह चीज भी खत्म हो जायेगी। बेनिफिशरी को सीधे राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा मिल जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, ग्रामीण विकास के लिये जो वृहद योजनायें चालू कर रखी हैं और इस साल के बजट में 2,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है यदि इसका सही उपयोग होता है, समय पर जरूरतमन्द को मदद मिलती है तो इससे हमारी सरकार की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और रोजगार के साधन भी सुलभ होते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री राजीव गांधी ने जो वायदा देश के गरीबों से किया है वह सिर्फ नारा ही नहीं है, एक कार्य-संकल्प है हमारे नेता का और उसको हम ग्रामीण अंचलों में देखने को पाते हैं। मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में जरूर कहना चाहता हूं --वित मंत्री जी यहां से कहीं निकल गये हैं लेकिन मैं चाहूंगा मेरी भावनाओं को उन तक पहुंचा दिया जाये, प्रोसीडिंग्ज के माध्यम से वे निश्चित रूप से इस पर गौर

करेंगे। बैंकों की जो कार्य-प्रणाली चल रही है उसमें कुछ वर्षों से गिरावट आई है—इसको सभी स्वीकार करते हैं और इसमें कोई दो मत नहीं हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक गांवों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसका फायदा भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मिला है परन्तु उसका सही समय पर समुचित लाभ किसान को और जरूरतमन्द को मिल जाये—इस व्यवस्था को अभी ठीक करना है। जो भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं गांवों में हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखायें गांवों में हैं या सहकारी बैंकों की शाखायें गाँवों में हैं, उन पर जिला स्तर पर इस तरह का एक नियंत्रण होना चाहिए, एक मानिटरिंग कमेटी बननी चाहिए जिससे कि उनकी कार्य-प्रणाली पर नियंत्रण रखा जा सके। जो मोनिटरिंग कमेटी है, वह डिस्ट्रिक्ट लैवल को-आर्डिनेशन कमेटी होती है! लेकिन उसमें जनप्रतिनिधि नहीं होते, न एम्पीज होते हैं और न एम० एल० एज० होते हैं। ब्रांच मैनेजर और कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं। मेरा सुझाव है कि जिला लैवल पर इस डी० एल० सी० सी० कमेटी में संसद सदस्य हों, विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों और को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हों—इनको मैम्बर बना कर वहां की कार्य-प्रणाली और उनके लक्ष्य को सुनिश्चित करना चाहिए। वैसे तो ये बैंक अपने उस जिले का लीड-बैंक होना है, वह बैंक तीन साल का एक्शन प्लान बना लेता है। एक्शन प्लान में बैंक के अधिकारी ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और प्राथमिकता निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन किसानों के नुमाइंदे नहीं होते जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता। यदि वह एक्शन प्लान उस विशेष जिले के लिये बना है तो मेरा सुझाव है कि वहां के कृषकों के प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधिगण हैं और जो इलेक्टेड-बाडीज के लोग हैं, उनको एक्शन प्लान बनाने में क्यों नहीं जोड़ा जाता है। जब तक हम इस प्लानिंग का डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे नेता राजीव गांधी जी ने भी कहा है कि हमें जिला स्तर पर योजना प्रणाली को लागू करना है, चाहे प्रशासन में हो, चाहे हमारी योजनाओं को लागू करने में हो। मेरा सुझाव है कि बैंकों की वर्किंग कार्य-प्रणाली में भी एक्शन प्लान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ कि हमारे वित्त मंत्री जी आने वाले समय में इस ओर ध्यान देंगे और इस कार्य-प्रणाली में सुधार करेंगे और राष्ट्रीयकृत बैंकों को सक्षम बनायेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक बजट के उद्देश्यों को किस तरीके से पूरा करें और सही रूप देने के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसे अपनी समझ के मुताबिक वित्त किस तरीके से आ सके और अभी जिस तरीके से बताया गया है कि कहां-कहां चोरियां होती हैं, ठीक से व्यवस्था हम वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सही व्यक्ति को माध्यम नहीं बना रहे हैं। यह सही वर्क कौन करता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह देश का किसान हो सकता है। अगर किसानों को आप माध्यम बनायें, तो वह आपको सिद्ध करके बता देगा कि किस ईमानदारी के साथ वह संग्रह करता है और उपयोग भी किस तरीके से करता है। मेरा इससे अभिप्राय यह है कि आपने जिस तरीके से अभी किसानों की तरफ ध्यान दिया है, उसके लिये मैं पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारे नेतृत्व वर्ग को, जिसने गांधी जी के बाद दूसरा गांधी पैदा किया है, जिसने किसानों की तरफ ध्यान दिया है। हमारी सारी व्यवस्था अब उधर जा रही है। आपने उसके लिए अर्थ रखा है, मगर माध्यम किसान को नहीं चुना हैं। आपको माध्यम किसान को ही चुनना होगा। जैसा अभी बताया गया कि बैंकों के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाते हैं, अब उस बैंक का विकेन्द्रीकरण करना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप सीधे गांव की पंचायत को यह अधिकार दें। गाँव पंचायत सक्षम है। वह बैंकिंग का भी काम

[श्री केयूर भूषण]

अपने गांव के लिए पूरा करे और उस पर विश्वास करिए ! गांव के किसान को जानकारी रहती है कि कौन किसान कैसे उपयोग करेगा और किस तरह से वापस देगा। इसमें किसान भागीदार हों। आज बिलकुल विपरीत होता है। जिसे पैसे की जरूरत है, जिसके लिये हम पहुंचा रहे हैं, उसकी पूरे ढांचे में भागीदारी नहीं होती है। तो उन्हें भागीदार बनाया जाए।

आप उद्योगों के लिए कुछ कर रहे हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप उद्योग बढ़ा रहे हैं मगर उद्योग बढ़ाने का लक्ष्य भी जब आपने किसान को माना है, तो किसान के आधार का उद्योग बनाइए। कृषि पर आधारित जब तक उद्योग नहीं होगा, तो किसान को कोई लाभ नहीं होगा। आप उद्योग किस लिए कर रहे हैं। उद्योग देश की पूंजी बढ़ाने के लिये करते हैं। साथ ही साथ जैसा हमारा नारा है, बेरोजगारी दूर करने का, तो बेरोजगारी दूर करने के लिये भी उद्योग करते हैं। बेरोजगारी आप किस की दूर करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों की, जो 80 प्रतिशत गांवों के अन्दर रहते हैं। इतनी योजनाओं के बाद भी वे शहरों में दिखाई दे रहे हैं। गांवों में जो बेरोजगार हैं, गांव के किसान का बच्चा है, गांव का पढ़ा-लिखा नौजवान है, वह गांव छोड़कर जाता है, गरीब गांव छोड़कर जाता है, अकुशल कारीगर गांव छोड़कर जाता है और शिक्षित गांव छोड़कर जाता है और चला आता है शहर के अन्दर। आप उनको गांव में ही रोजगार देने का प्रयत्न करें। क्यों नहीं गांवों में रोजगार देते हैं। आप उद्योग वहां लगायें, ताकि वहां जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल सके। वहां का जो उत्पादन है, वह उत्पादन बढ़ सके।

आपने अभी-अभी घोषणा की है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। बेरोजगारी आप निश्चित ही दूर कर सकते हैं, जिस दिन आप यह संकल्प करें कि गांव को हम मजबूत बनायेंगे और गांव में रोजगार देंगे और गांव की वस्तुओं को हम आगे बढ़ायेंगे। उद्योग आप शहरों में लगाते हैं, तो गांव के लोगों को क्या मिलता है। कच्चे माल की पैदावार करने वाले गांव हैं। आप वहीं के वहीं उसका उपयोग होने दीजिए। अगर वह कपास पैदा करता है, तो उसी क्षेत्र के अन्दर, तहसील के अन्दर आप कारखाना लगाएं और उसमें किसान को भागीदार बनाएं। फिर आप कपास के दामों के सम्बन्ध में किसी किसान को झगड़ा करते नहीं पाएंगे। कपास का दाम उसी किसान का बेटा तय करेगा और उसका बेटा ही कारखाने के अन्दर काम करता होगा। तो इससे गांव की बेरोजगारी दूर होगी और किसान की हालत सुधरेगी। किसान को अपनी वस्तु की कीमत तय करने का अवसर दीजिए। आज व्यापारी और कपड़ा मिल अपनी चीजों के दाम तय करता है और जो टैक्स साबुन के ऊपर आप लगाते हैं, वह टैक्स भी वह नहीं देता है, वह टैक्स भी खरीददार देता है और वह पूरी तरह से बच जाता है। किसान के बेटे को यह काम करने दीजिये। किसान ईमानदार है और इतिहास बताता है कि किसान कभी बेईमान नहीं रहा। उसको यह काम करने दीजिये। अगर वह यह काम करेगा, तो टैक्स की चोरी नहीं होगी टैक्स की चोरी को रोकने वाला जो महकमा है, वह बन्द करना पड़ेगा। आप किसान के हित में यह कीजिये। आप किसान को बदलने का कम से कम मौका दीजिए। किसान का जो गन्ना है, उसको शूकर के रूप में बनाने दीजिए। इतना ही नहीं पेय पदार्थ के लिए जो विदेशों में फर्मों को ढूंढ़ रहे हैं, उसके बजाये पेय पदार्थ यहीं पर बनने दीजिए। सारी चीजें हमारे पास हैं, तो यहीं पर उनको बनने दीजिए। संतरे की फसल हो रही है, तो उसकी बोटलिंग किसानों को करने दीजिए। टिमाटर जो हो रहा है, उसका सूप बनाने का मौका किसानों को दीजिए।

5.00 म० प०

जिस क्षेत्र में धान होता है, वह धान भी उद्योगपतियों के हाथ में चला जाता है। उद्योगपति

धान और चावल का मिल लगाता है। उसके बाद उसका मोड़ा तेल निकालने के लिए चला जाता है। उसका तेल बनने के बाद वह बाजार में बेचा जाता है। मगर इस सबका किसान को वह फायदा नहीं मिलता। आप यह सब करने का मौका किसान को दीजिए कि वह अपने क्षेत्र के अन्दर तेल तैयार करे। आप देखेंगे कि वह सभी प्रकार के तेल तैयार करके आपको देगा।

मैं तो यह तक कहने को तैयार हूं कि हर चीज भारत के अन्दर तैयार हो सकती है। आपको विदेशों से चीजें नहीं मंगानी पड़ेंगी। लोग विदेशों से चीजें मंगाना भूल जाएंगे। गुलाब पैदा करना किसान जानता है। उसको यह पैदा करने का मौका दीजिए। सारी चीजें यहां पैदा की जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको मन बनाना होगा। आप कहते हैं कि यह किसान का बजट है। लेकिन आप किसान को विकास करने का भी मौका दीजिए।

आज आप उद्योगपतियों को माध्यम बनाकर ही उद्योग लगाना चाहते हैं। आप उद्योगों का विकास करने का काम किसान पर भी छोड़िये। आप देखेंगे कि ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो भ्रष्टाचार करेगा। आज किसान भ्रष्टाचार के कारण पीड़ित है। आप हरेक उद्योग के अन्दर उनको प्रतिनिधित्व दीजिए, भागीदारी दीजिए। आप देखेंगे कि उन उद्योगों में किसान भ्रष्टाचार नहीं करने देगा।

जो हमारी परम्परागत चीजें हैं आज किसान उनके अधिकार से भी वंचित हो रहा है। बारिस के पानी को बचाने का अधिकार आप किसान को दीजिए। आप देखेंगे कि एक बूंद पानी भी बारिस का बह नहीं जाने देगा। हम तालाब बनाते हैं। गांव-गांव में किसान तालाब बनाने को तैयार हैं। अगर आप यह अधिकार उसको देंगे तो आप देखेंगे कि गांव-गांव में सैकड़ों तालाब बन जाएंगे और बारिस का एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाएगा। इससे आप बाढ़ और सूखे के नुकसान से भी बच जाएंगे, अकाल से बच जाएंगे।

वृक्षारोपण का काम कभी बहुत पवित्र माना जाता था। लोग बाग-बगीचे लगाते थे। आज भी बाग-बगीचे लगाने की बहुत आवश्यकता है। यह काम भी आप किसान के बेटे को दीजिए। वह गांव-गांव में हरियाली पैदा कर देगा। आज आप वृक्षारोपण पर जो खर्च कर रहे हैं वह किसान के बेटे के माध्यम से खर्च कीजिए। आप इससे घबराइये मत। वनवासी जो होता है वह वन का रक्षक होता है। वह वन को उजाड़ता नहीं है। आप उसको वन लगाने में सहयोग दीजिए, वृक्ष लगाने में सहयोग दीजिए। जब आप उसको बताइयेगा कि उस वृक्ष का मालिक वह होगा तो वह उस वृक्ष को कटने नहीं देगा। जब वनवासी को यह मालूम होगा कि इस जंगल का मालिक वह है तो वह उस जंगल से झाड़ तक कटने नहीं देगा।

आप सड़कों पर वृक्ष लगाते हैं। लेकिन उनसे हमें छाया भी नहीं मिलती। वैज्ञानिक यह कहते हैं कि शायद उनसे पानी मिलने में भी तकलीफ होती है। आप फलदार वृक्ष लगाइये। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि जंगलों में आप वृक्षों को फलदार वृक्षों में बदल सकते हैं। जब वनवासी को यह मालूम होगा कि वे फलदार वृक्ष उसके हैं और उन फलों की कीमत उसे मिल सकती है तो वह उन फलदार वृक्षों को और भी आगे बढ़ायेगा। आप वनवासियों पर भरोसा कीजिए। आप वैज्ञानिकों की सलाह से वनवासियों को आगे बढ़ाइए।

आज आप बड़े-बड़े उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं और उद्योगों के लिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों को चुन रहे हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर दो सौ करोड़ रुपये से ऊपर की लागत पर एक सीमेंट का कारखाना लगा। उसका परिणाम क्या हुआ? बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक उसमें लगे। इतने बड़े कारखाने में अभी जवाब मिला है कि सिर्फ 300 लोगों को वहां पर काम मिला है, इससे क्या लाभ होगा। किसके लिए

[श्री केयूर भूषण]

हम ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या बेरोजगारों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य नहीं है, तथा पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। अगर वहां के लोगों को इन उद्योगों से रोजगार नहीं मिलता है तो हमको बड़े लोगों से हटकर छोटे लोगों की तरफ आना होगा, छोटे उद्योगों की तरफ आना होगा, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इस सीमेंट कारखाने के साथ हमको यह भी देखना होगा कि वहां आस-पास खड़ी किसानों की फसल बर्बाद न हों। अगर किसान की फसल को नुक्सान हुआ तो उसके हृदय से कैसी आवाज उठेगी, इस बारे में भी आपकी जिम्मेदारी है, इसको भी देखना होगा।

अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में अगर आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं तो नदी-नालों का पानी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, बल्कि किसान के खेत में पहुंचना चाहिए। अगर किसान को आगे बढ़ाना है तो उसके खेत को सिंचित करना होगा, उसको प्राथमिकता देनी होगी और किसानों पर विश्वास करना होगा, हर जगह उसको भागीदारी देनी होगी, यही मेरा निवेदन है।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मुझे इस वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। सभापति महोदय, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके द्वारा वित्त मन्त्री महोदय ने देश को नई दिशा देने की कोशिश की है। हमारी आर्थिक नीति हमेशा यही रही है और उन्होंने अपने भाषण में भी यही कहा कि हिन्दुस्तान में समाजवाद को और मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है। शोषण रहित समाज की स्थापना हमको करनी है। शोषण रहित समाज व्यवस्था के लिए अभी प्रधान मन्त्री जी ने मद्रास में घोषणा की है कि "बेकारी हटाओ", बेकारी हटने से हमारी लाचारी कम हो जाएगी और लोगों को आर्थिक साधन उपलब्ध होंगे जिससे सब लोग ठीक से जी सकेंगे। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि किसान के बारे में अधिक ध्यान देना चाहिये, मैं भी एक दो बातें किसान के बारे में कहना चाहूंगा और कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। जब हमें ग्रामीण क्षेत्र में बेकारी हटानी है तो वहां जितनी आबादी है उसको ध्यान में रखते हुये काम करना होगा। आज जो बैकवर्ड इन्डस्ट्रियल एरियाज दिखाये जाते हैं, वहां पर शहरों के बगल में कारखाने लगा दिये जाते हैं जिससे बड़े लोग सारा फायदा सरकार से ले लेते हैं और वहां के लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता है। इसलिए शिक्षण के ढांचे में हमको तेजी से परिवर्तन करना होगा। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि डिग्री से नौकरी का कोई सम्बन्ध नहीं है, इससे नौजवानों को नई दिशा मिली है और उनमें भावना जागी है कि हमको डिग्री के अलावा शिक्षा मिलेगी तो उससे रोजगार मिलेगा। इसलिए शिक्षण का रोजगार से बहुत सम्बन्ध है। आज हिन्दुस्तान में यह होता है कि जिस काम के लिये आदमी चाहिये उस काम के लिए आदमी नहीं मिलता है और बेरोजगारी भी बहुत है। इसलिए टेक्नीकल मैनपावर जब तक हिन्दुस्तान में नहीं होगी, इन्टीग्रेटेड अप्रोच टेक्नीकल मैन पावर के लिए हिन्दुस्तान में नहीं होगी तब तक यह समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाएगी। मैं हमेशा यह बात कहता हूं और इसको दोहराना चाहता हूं कि कृषि पर आधारित उद्योग लगाना है तो वहां पर काम करने वाले किसान और मजदूर को इकट्ठा करना होगा और उसका सहयोग लेना होगा। हमारी नीति इसके लिए बिल्कुल साफ है, लेकिन राज्य सरकार को जितना दखल देना चाहिये उतना दखल राज्य सरकार नहीं देती है, इसलिए मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार को इसके लिए आग्रह करना चाहिये। अगर ग्रामीण क्षेत्र में 20 करोड़ का उद्योग लगाना है तो उसके लिए किसान को जानकारी नहीं है क्योंकि वह प्रोफेशनल तो है नहीं, उसको तो खेती करनी आती है, खेती आप उससे करवा लीजिये। इसलिए अगर आप किसान को प्रोफेशनल मैनजमेंट की मदद दे दें और उससे काम भी ले लें तो वह काम

भी करेगा, वहां की बेरोजगारी भी मिटेगी और लोग शहरों की तरफ नहीं भागेंगे। शहरों में गन्दगी नहीं बढ़ेगी, झुग्गी-झोपड़ी यहां नहीं बनेगी, शहर में समस्याएं पैदा नहीं होंगी। शहरों की आवाज पार्लियामेंट और असेम्बली में उसकी आवाज उठ जाती है और वहां सुविधाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन गांवों में कोई अखबार वाला नहीं रहता है। उनको कोई चोट नहीं लगती है और न कोई ऐसा बड़ा आदमी रहता है जिसके कारण वहां की समस्याएं हल हो सकें। आज भी आप देखें कि हमारे विपक्षी दल के सदस्य वाक-आउट करके चले गये। इनके वाक-आउट से हिन्दुस्तान का भला नहीं होगा। हिन्दुस्तान की समस्या वे समझ नहीं पाते और अगर समझते हैं तो उसके लिए सुझाव दें कि हम कैसे आगे बढ़ें। इस दिशा में नहीं सोचते, खाली प्रधान मन्त्री को बदनाम करने का षडयन्त्र हाथ में रखते हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार का नारा लगाकर और कुछ न कुछ बहाना लेकर देश के विकास की धारा में शामिल नहीं होते। आज जो वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही है, उसमें शामिल होने के अलावा उन्होंने बाहर जाना पसन्द किया है, यह बड़े दुःख की बात है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का विकास हो और बेरोजगारी हटे। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर बीस करोड़ का भी उद्योग किसान को सहकारी आंदोलन के माध्यम लगाना हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ इकट्ठा करना पड़ता है और बैंक ऋण देती है। बाकी पन्द्रह परसेन्ट राज्य सरकार, पन्द्रह परसेन्ट एन० सी० डी० सी० और साठ परसेन्ट सेन्ट्रल फाइनेंशिग इन्स्टीच्युशन्स लोन देती हैं। इस तरह की स्कीम्स हमारे पास हैं। राज्य सरकार को इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये। हम काफी लोग राजनीति में जुट गए और काफी लोग झगड़े में पड़ गये हैं। आपस के व्यक्तिगत संघर्ष में जुट गये हैं और गांवों में जगह-जगह राजनीति के कारण विकास दूर होता जा रहा है। गरीब और अमीर की दूरी बढ़ रही है। हम लोग सिर्फ झगड़े में दिलचस्पी ले रहे हैं। विकास कौन देखेगा। चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि हों या गांवों में काम करने वाला कोई अच्छा इन्सान हो, तो उनकी मदद करना जरूरी है। गांवों में उद्योग बढ़ेगा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। गांवों में जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, जब तक उद्योग नहीं जाएंगे तब तक बेरोजगारी ऐसे ही चलती रहेगी। शहरों में आप पाबन्दी लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शहर बढ़ते रहेंगे और गन्दगी बढ़ती रहेगी। क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में भी सोचना जरूरी है। झारखंड और बुन्देलखंड की बात हो रही है, क्यों हो रही है मैं यह आग्रह करूंगा कि क्षेत्रीय असन्तुलन कम करने के लिए कोई ऐसा कमीशन बना दें जो अध्ययन करे और सुझाव दे जिससे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों का विकास हो सके। हम सभी मांग करते हैं कि हमारे चुनाव क्षेत्र, हमारे राज्य और हमारे पिछड़े क्षेत्र में केन्द्रीय उद्योग लगना चाहिये। यह कहा जाता है कि ज्यादा उद्योग नहीं लग पाएंगे। जो लोकल स्टेट गवर्नमेन्ट है उसका भी खुद का इनिशियेटिव होना चाहिये। जब तक खुद का इनिशियेटिव नहीं होगा तब तक पिछड़े इलाके आगे कैसे आएंगे। बिहार के मजदूर पंजाब में जाकर काम करते हैं। लेकिन बिहार की भूमि बहुत बढ़िया है। लेकिन वहां ज्यादा पैदावार क्यों नहीं होती और ज्यादा उद्योग क्यों नहीं लगते और ज्यादा काम क्यों नहीं होता। ऐसे कई इलाके हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश के एक भाई ने ठीक कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा कोई कर्त्तव्य ही नहीं है और कोई दूसरा हमारे इलाके से बाहर से आये और पिछड़ापन दूर करें। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा लगता है। केन्द्र और राज्य सरकार को बैंक के माध्यम से या बजटरी सपोर्ट देकर कुछ कंसेशन देकर स्कीम बनाने की बात को सपोर्ट करना चाहिये। किसान कोई प्रोफेशनल नहीं है। आई०डी०बी०आई० तथा अन्य बैंकों में उनकी सहायता के लिए और कंसलटेंसी होती है। मैं समझता हूं, शुरू में वह पैसा नहीं दे सकता। जब स्कीम बन जाए और पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो तो बाद में पैसा लगाये तभी कुछ काम बनेगा अन्यथा हम बात करते रहेंगे और बाद में कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, यह कैसे होगा। करने वाला कौन है। अमरीका का विकास हुआ, रूस का विकास हुआ, चीन का विकास हुआ, हम सब लोग कहते हैं। किसने किया उनका विकास, हिन्दुस्तान से कोई गया था ? बिल्कुल योग्य आदमी हमारे यहां

[श्री बालासाहेब विखे पाटिल]

के वहां जाते हैं, क्योंकि वह ज्यादा पैसा देते हैं, इसलिए काम करते हैं। लेकिन खुद के लोगों का इनीशिएटिव होने के कारण वहां विकास होता है। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि चोरी है, काला बाजारी है, तस्करी है, हम रेड डालते हैं। दु:ख के साथ कहना पड़ता है जो लोग फेरा में जिनके घरों पर छापे पड़ते हैं उनको हम कम्पनीज का संचालक बना देते हैं सरकारी निगम के प्रमुख बना देते हैं। यह गलत बात है। गरीब लोगों के दिल में शक पैदा होता है कि इनको क्यों प्रमुख बना दिया गया। इसमें सुधार करना चाहिये और इसके ऊपर सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। पी० वी० सी० के लिए, प्लास्टिक के लिए आपने कुछ एक्साइज और कस्टम में रिलीफ दी है। लेकिन दाम कम होने के बजाये बढ़ गये हैं। इससे किसान को फायदा नहीं हुआ। यह मेरा अपना अनुभव है। सीमेंट के दाम 20 रुपये टन आपने एक्साइज की छूट दे दी, लेकिन सीमेंट के दाम भी बढ़ गये हैं, किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। बिल्डिर्स को छूट दी है। लेकिन हाऊसिंग के लिए क्या स्कीम है, हाऊसिंग का कैसे फायदा होगा, यह भी आपको देखना होगा। आपने कहा है कि खाद···मैं हम एक हजार रुपये की सबसिडी दे रहे हैं। मैं कहूंगा यह सबसिडी बन्द कर दें। एक हजार रुपये आप इरीगेशन भूमि सिंचित करने के लिए दें। सबसिडी यह दिनों-दिन बढ़ रही है। इससे हमारा मोरल भी गिर रहा है और देश का विकास भी रुक रहा है। आप इसके बजाय ब्याज मुक्त ऋण और ज्यादा से ज्यादा भूमि सिंचित करने की तरफ ध्यान दें। आपने पेपर प्लांट के लिए एक्साइज में 300 रुपये टन की रिलीफ दी है। लेकिन जो बगास बेस्ट पेपर प्लांट है उसकी कीमत कम हो जाती है वह बाजार में प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा उसके लिए कुछ न कुछ विशेष सुविधा होनी चाहिये। इसकी .00 प्रतिशत एक्साइज छूट है तो भी महाराष्ट्र में जितने यह पेपर प्लांट है वह सब बन्द हैं। एक भी काम नहीं कर रहा है···वहां पर इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। जबकि हम रोजगार निर्माण के लिये कुछ न कुछ चेष्टा कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा करें जिससे बगास बेस्ड पेपर प्लांट को सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से बढ़ावा मिले। ठीक है आयात के लिए कुछ कस्टम की छूट दी है। जो बगास बेस्ड पेपर प्लांट है उसकी छूट अलग हो, जो खाली ब्राड बेस्ड पेपर प्लांट है उसकी छूट अलग हो, दोनों की एक होने के कारण प्राइस में प्रतिस्पर्द्धा नहीं रहती। हम नान कंवेशनल रा मैटिरियल के लिए पेपर उद्योग की बात कर रहे हैं। जब तक यह सुविधा नहीं होगी। मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल होगी। एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट की बात है। किसान जो फल-वनस्पति पैदा करता है एक्सपोर्ट करना चाहता है लेकिन हमारी इसके लिए दीर्घकालीन नीति नहीं है। मैंने संसद में एक सवाल भी किया था कि फ्रूट और वेजीटेबल का एनुअल प्रोडक्शन टार्गेट कितना है। मंत्री जी ने कहा कि हम उत्पादन टार्गेट नहीं तय करते। जब उत्पादन का लक्ष्य नहीं होगा तो दीर्घकालीन नीति कैसे होगी और दीर्घकालीन नीति नहीं होगी तो खरीदने वाला कैसे खरीदेगा। इससे दाम तो बढ़ेंगे ही। हिन्दुस्तान में कितनी भी फसल पैदा करो, मार्केट में कुछ न कुछ ठहराव रहता है लेकिन विदेश में—

[अनुवाद]

निर्यात को समुचित रूप से व्यवस्थित करने की अपेक्षा होती है और इस संबंध में पर्याप्त अनुसंधान और विकास का सहयोग देना चाहिये।

[हिन्दी]

यह दीर्घकालीन नीति बनाने से इस दिशा में काफी काम हो सकता है। जब हम कहते हैं कि गरीबी की रेखा के उपर हम लोगों को लाये हैं तो यह सही बात है। हम मानते हैं लेकिन हमारी पर-केपिटा फूड कंजम्प्शन कम क्यों हुई। देश में विकास हुआ, हम मानते हैं, लेकिन हमें गम्भीरता से सोचना

होगा कि हमारी गलती कहां हो रही है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है जिसके कारण हम ज्यादा-से ज्यादा आगे बढ़ सकें और हमारी जहां-जहां खराबी है उसको ठीक कर सकें लोग बोल रहे थे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बन्द होना चाहिए। हम भी मानते हैं। आजकल अखबारों में काफी आ रहा है कि हिन्दुस्तान की सरकार वाई फेसिज तीन साल के अन्दर जीरो बजटिंग सिस्टम अपनाने जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने क्या वास्तव में जीरो बजटिंग सिस्टम का कन्सैप्ट कर लिया है या नहीं, आप उसे प्रैलिमिनरी एडोप्ट कब से कर रहे हैं। क्या आपने सभी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स और गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन्स में जीरो बजटिंग का सिस्टम लागू करने का निश्चय कर लिया है और उस दिशा में काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्पष्ट करें क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की और मुझे इसके बारे में भी बताया है। इसके कारण यदि वेस्टफुल एक्सपेंडीचर बन्द हो जाता है तो मैं इसे पसन्द करता हूं परन्तु इससे बेरोजगारी न फैलने पाये। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश एक वैल्फेयर स्टेट है जिसमें हमें लोगों की सुविधाओं को प्राथमिकता देनी है, हम हर जगह कार्मशियल प्वाइट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते। यदि हमारी सरकार कार्मशियल तरीके से काम करने लगे तो उसे कोई समर्थन नहीं देगा। इसलिए वित्त मंत्री जी स्पष्ट करें कि इस सिस्टम को अपनाने का क्या असर होगा, देश की आर्थिक स्थिति उससे कैसे मजबूत होगी और लोगों को क्या राहत मिलेंगी। विकास प्रक्रिया में यह सिस्टम कहां तक लाभप्रद रहेगा।

हमारी एन० सी० डी० सी० कोआपरेटिव्ज के लिए अभी जो रकम देती है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से साढ़े ग्यारह परसेंट की दर से ब्याज लेती है। लेकिन आपने पिछले साल शेअर मार्केट को स्टैबिलाइज करने के लिए एक हजार करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनियों में लगाया, कुछ औद्योगिक कंपनियों में शेअर खरीदने में लगाया। उसका यील्ड सवा दो परसेन्ट आया। परन्तु आप किसानों को जो पैसा देता है, मैं चाहता हूं कि उन्हें भी कम ब्याज पर पैसा दीजिये। परन्तु आप उसके लिए तैयार नहीं। आपने शेअर मार्केट को स्टेबिलाइज करने के लिए कुल दो हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया परन्तु उससे आपको मात्र सवा दो परसेंट यील्ड मिली। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई भी कदम उठाने से पहले आपको सोचना चाहिये कि हम क्या करने जा रहे हैं, वह कौन सा रास्ता है, कितना उचित है, इसके जरिये हम जो सहूलियतें देने जा रहे हैं, उससे कौन लाभान्वित होगा। उसका क्या औचित्य है। जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को कुछ न कुछ सहूलियतें दे रहे हैं, मैं मानता हूं, परन्तु इस बारे में ज्यादा इकोनोमिक्स का ज्ञान न रखने के कारण, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि जहां आपने किसानों के उपयोग में आने वाले इन्सैक्टीसाइड्स और पैस्टीसाइड्स पर कस्टम ड्यूटी कम की है, आप उस छूट को हन्ड्रेड परसेंट कर दीजिये तो उससे किसान को ज्यादा लाभ होगा। यदि आप दो परसेंट या पांच परसेंट एक्साइज या कस्टम में छूट देते हैं तो उसका पूरा लाभ किसानों को या उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता। इससे चीजों के दाम घटने की बजाये बढ़ते ही जाते हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। मेरा सुझाव है कि इस तरह 10 आइटम्स पर छूट न देकर, यदि आप 5 आइटम्स पर सैंटपरसेंट छूट दे दें तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। उससे किसान भी यह समझेगा कि हमें सरकार की ओर से राहत मिली, उपभोक्ता भी समझेगा कि सरकार ने उसे रिलीफ दी। कम छूट देने से दामों में कमी नहीं आती।

एक बार मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ड्राउट रिलीफ के लिए आपने किसानों से रीशेडयूलिंग का वायदा किया है, परन्तु मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आर०बी० आई० ने कुछ समय पूर्व दाते कमेटी गठित की थी और उसके बाद तीन-चार बार रीशेडयूलिंग का काम हो चुका है, जहां बार-बार हमेशा ड्राउट की सिचुएशन बनी रहती है। परन्तु उस रीशेडयूलिंग का कोई फायदा नहीं निकला। उससे खाली ऐलिजिबल किसानों को भी पैसा मिलता है, जिसका 20 परसेंट बकाया है,

[श्री बालासाहेब विखे पाटिल]

बाकी किसी को नहीं मिलता।

इसके अलावा आपने 1.75 मिलियन टन खाद्यान्न का जो लक्ष्य रखा है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर फिर से गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी से इस सम्बन्ध में चर्चा की थी। जब तक उस घोषणा के तहत सभी किसानों को फायदा नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई लाभ नहीं। मैंने नाबार्ड के चेयरमैन और एम० डी० से भी चर्चा की थी परन्तु नाबार्ड के सामने भी अब एक समस्या आ रही है कि प्रिंसिपल से इन्टरेस्ट दुगना न हो जाये। उसका प्रभाव हमारी ग्रामीण सहकारी संस्थाओं पर पड़ रहा है। जब बैंक वाले किसी सोसायटी को ऋण देते हैं तो उस पर पूरा ब्याज वसूल करते हैं। इस कारण बैंकों को तो कोई घाटा नहीं होता परन्तु सोसायटीज का नुकसान हो जाता है। इसे आर० बी० आई० के डिप्टी गवर्नर और नाबार्ड के एम० डी० मान चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप समूची नीति पर एक बार फिर गहराई से विचार कीजिए ताकि हमारे कोआपरेटिव आंदोलन को किसी तरह का धक्का न पहुंचने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब चेयरमैन, मैं फायनेंस मिनिस्ट्री के बिल का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं, उनकी तरफ सरकार की तवज्जुह खासतौर पर जानी चाहिये। मैं खासतौर से जम्मू-काश्मीर के बारे में सरकार की तवज्जह दिलाऊंगा कि हमारे यहां अच्छी प्लानिंग और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन की इस कद्र मुश्किलात हैं कि जिनका जिक्र मैं कैसे करूं। अभी तक हम एक आल वैदर रोड, एक पुख्ता सड़क श्रीनगर को या कश्मीर घाटी को नहीं दे पाये हैं। अभी तक हम कश्मीर राज्य को देश से एक पुख्ता सड़क के जरिए मिला नहीं पाये हैं, यह बड़े दुख की बात है।

हमारा जो नेशनल हाइवे, श्रीनगर-जम्मू हाइवे है, वह साल भर कारआमद नहीं है और कुछ महीनों के लिए सर्दी में बर्फबारी की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, रास्ता बन्द हो जाता है और मैं आपको क्या बताऊं कि उसके नतीजे में जो जहानी, जो माली और जो अन्य क्षेत्रों में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, मैं उनको बयां नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आप पहाड़ी इलाकों में अच्छी सड़कें और अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, तो उन लोगों के विकास का क्या होगा। देखिए, मैं आपको बहुत साफ अलफाज में कहना चाहूंगा कि जहां तक जम्मू कश्मीर की रियायत का ताल्लुक है, सिर्फ एक सड़क थी श्रीनगर रावलपिंडी और इसकी वजह से सारा ट्रांसपोर्टेशन, पार्टीशन से पहले आमद-दरफ्त, तिजारत, कम्युनिकेशन लाइन आदि सब इसी रोड़ के जरिये होता था। श्रीनगर से सारा फ्रूट, फारेस्ट प्रोडक्शन और सारा हैंडीक्राफ्ट सिर्फ इसी रास्ते से जाता था और वहां से युनाइटेड इंडिया के लिए सारी चीजें भेजी जाती थीं। इस रोड़ के जरिये सारी चीजें श्रीनगर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से श्रीनगर पहुंच जाती थीं और वह रोड साल भर खुला रहता था, आल वैदर रोड़ था और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्या आज यह हमारे लिए चेलेंज नहीं है कि 40 साल गुजरने के बाद हम जम्मू-कश्मीर को एक परमानेंट रोड नहीं दे पाये हैं। श्रीनगर-जम्मू सड़क की जो हालत है मैं बता रहा हूं पेपर्स में तो आप पढ़ते ही रहते हैं कितनी मुश्किलात हैं, हजारों लोग रास्ते में पड़े रहते हैं, दस-दस दिन तक, खाना नहीं मिलता है, टूरिस्ट वहां जाने से खौफ खाते हैं। लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो हम कहां जाएं। इस प्रकार से रास्ते में जो उनकी मुसीबतें हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनका कोई हल नहीं है। श्रीनगर-जम्मू रोड पर बहुत पैसा हमने खर्च किया है, लेकिन उस रोड से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, यह हमारे लिए चेलेंज है कि इस बीच में हम पुरानी रोड के मुकाबले एक नई रोड नहीं बना पाये हैं। आजाद कश्मीर में जो सड़कें थी, उसके लिए भी वही

मश्किलात थीं। वहां की सरकार ने सिल्क रोड को मुजफ्फराबाद से पीकिंग तक मिला दिया और हम अपने यहां रोड को पुख्ता तक नहीं कर पाये और उसकी वजह से जो हमारी तरक्की के रास्ते थे, वे महदूद होकर रह गये हैं और उसकी वजह से जो साइक्लोजिकल टेंशन्स पैदा हो रही हैं, जो पोलिटिकल टैंशन्स पैदा हो रही हैं, वे इसके अलावा हैं।

मैं आपसे अर्ज करूं जब मैं लैजिस्लेटिव असेंबली में मैम्बर था बराबर 11 वर्ष तक यह आवाज उठाता रहा हूं कि हमको एक परमानेंट श्रीनगर को इंडिया से मिलाने के लिये दूसरा सब्सटीट्यूट रोड दे दिया जाये। इसके लिये हम मुगल रोड का नाम लिया करते थे। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी पिछले दिनों राजेश पायलट साहब जम्मू गये थे और उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ बात की थी और यह प्रपोजल मान लिया है कि हमको श्रीनगर को रेस्ट आफ दि कंट्री से मिलाने के लिये एक सब्सटीट्यूट रोड के तौर पर मुगल रोड को मान लेना चाहिये, लेकिन यह बड़ी गलत बात है कि प्लानिंग की कमी की वजह से, अब तक हम उस रोड के ऊपर कोई काम नहीं कर पाये हैं। एक जमाना था जब हम मुगल रोड की बात करते थे, तो ऐसा लगता था कि हम यह गलत बात कर रहे हैं, और कहते थे कि ये आर्मी की स्ट्रैटेजी के खिलाफ जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि जितनी अच्छी सड़कें बनेंगी, उतना ही ज्यादा मुल्क का प्रोटैक्शन होगा, मुल्क की डिफेंस लाइन भी मजबूत होगी क्योंकि उन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा आपकी फौज आसानी से ले जाई जा सकती है, लाई जा सकती है, उस एरिया में रास्ते बनेंगे और कम्युनिकेशन लाइन को कायम रख सकेंगे, यह सब अपने ही देश के हित में तो जा रहा है, लेकिन हमने ऐसी बात नहीं की, इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि यह तो श्रीनगर और रेस्ट आफ दि कंट्री की बात है।

आप लद्दाख जाइये, आप रजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवाह किस्तवाड़ जाइये, आप उड़ी जाइये, आप उन एरियाज में जाइये जहां फौज अपनी जान-जोखिम में डालकर पूरे देश की हिफाजत कर रही है। वहां आप देखेंगे कि उन इलाकों के लोगों की हालत 18वीं सदी से भी पीछे है। अगर आप उन कश्मीरियों की हालत देखें, जम्मू के डोगरों की हालत देखें, लद्दाख के लद्दाखियों की हालत देखें, तो आपको बड़ा दुख होगा कि आज तक उनमें सड़कें नहीं हैं, उन एरियाज में रास्ते नहीं हैं और उन क्षेत्रों में श्रीनगर से भी वक्त पर हम रसद और फूड नहीं पहुंचा पाते हैं। और बाकी जो एसैन्शियल कमोडिटीज हैं, वह हम नहीं पहुंचा पाते। इसलिए मैं मिनिस्ट्री से चाहूंगा कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों को डैवलप करना चाहते हैं तो आपको यह चेलेन्ज कबूल करना होगा और आपको श्रीनगर को रैस्ट आफ दी कन्ट्री के साथ जोड़ना होगा। आपने मुगल रोड को जो बिल्कुल स्टेट के पास ही छोड़ दिया है, इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ी मदद आपको अपने तौर पर भी करनी पड़ेगी। उस रोड को नेशनल रोड मानकर गवर्नमैंट आफ इंडिया को उसका सारा एक्सपेंस बीअर करना चाहिए और उसके लिये सारी टैक्नोलाजी और इम्पुट देने की मदद करनी पड़ेगी। यह भारत का मोस्ट सैन्सिटिव स्टेट है और स्ट्रैटेजिक प्वाइन्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको प्रायर्टी पर मुगल रोड को बनाना पड़ेगा और उसके डैवलपमैंट का साधन करना पड़ेगा।

मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पंजाब की सिचुएशन की वजह से वहां बड़ी मुश्किलात हैं। हमारे यहां रोड और रेलवेज के जरिये से हजारों लाखों टूरिस्ट अब जाना पसन्द नहीं करते, वहां जाने से घबराते हैं कि पंजाब की हालत बहुत खराब है। उनके लिये ट्रेन और बस से जाना मुश्किल हो गया है। मैं चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर की जो हमारी बेसिक लाइफ लाइन है टूरिज्म की, अगर उसको आप डैवलप करना चाहते हैं, वहां के लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं, उनके रोजगार का भी सोचना चाहते हैं तो आपको इंडियन एयर-लाइन्स को बताना पड़ेगा, आपको सब्सीडाइज्ड रेट पर एयर-टिकिट देनी पड़ेंगी, टूरिस्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इंसैंटिव देना पड़ेगा कि अगर वह रोड्स से नहीं जाना चाहते तो एयर से

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

जाएं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस मामले पर आप गौर करें।

जम्मू और काश्मीर में हैंडीक्राफ्ट इतना ज्यादा है, हमारे पास सिल्क है, फ्रूट्स हैं, कालीन हैं, हम उनको और डैवलप करेंगे, करोड़ों अरबों रुपया हमको फारेन एक्सचेंज से मिलेगा जो मुल्क की तरक्की के लिए काम आयेगा। आपको श्रीनगर को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना चाहिए और उसको वही सुविधाएं मिलनी चाहिएं जो आपने हैदराबाद, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली को दी हुई हैं। श्रीनगर को भी गल्फ कंट्रीज से, दूसरे मुल्कों से मिलाने के लिये डायरेक्ट जहाजों का वहां जाना आना मुमकिन बनाना चाहिये ताकि हमारे प्रोडक्ट्स वहां पर जाएं और वहां से सामान आ जाये और टूरिस्ट्स आ जाएं।

मैं बिजली के बारे में अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे यहां पोटैन्शियल बहुत हैं, 10 हजार मेगा-वाट की गारन्टी हम आपको देते हैं लेकिन आज खुद काश्मीर में हमें अपने बच्चों की तालीम के लिये रात में लाइट नहीं मिलती, हमारे आर्टिजन बिजली के लिये तरसते हैं।

आपने पिछले दिनों उड़ी, दूरहस्ती प्रोजेक्ट और सलाल के लिये बहुत कुछ किया और उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन की। काश्मीर में पानी का इतना जखीरा है, दरिया और नाले इतने बह रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसका पोटेन्शियल यूज करके 3,4 और 10 साल में 10 हजार मेगावाट बिजली ले सकते हैं। उससे हमारे लोगों को भी फायदा होगा, इंडस्ट्रीज डैवलप हो जाएंगी और हमारे लोगों को काम मिलेगा और हम अपना माल दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमें स्टेट की डेवलपमैंट के लिए और पैसा मिल सकता है।

मैं इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं कि जम्मू-काश्मीर में खासतौर से काश्मीर घाटी तरक्की नहीं कर पा रही है। हमारे यहां इंडस्ट्री डैवलप नहीं हो रही हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि आप जे० एड के० को तरक्की दें। स्विटजरलैंड में दूध का बहुत उत्पादन हो रहा है चाकलेट की वहां इंडस्ट्री हैं। वहां मिठाइयों की चाकलेट की इतनी प्रोडक्शन हो रही है कि वह सारी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। वहां वाच की छोटी और बड़ी इण्डस्ट्री हैं इसलिये आपको तमाम स्माल और मीडियम इण्डस्ट्रीज की टैक्नोलाजी को वहां पर लाना पड़ेगा।

मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उस इंडस्ट्री को डेवलप करें। इससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लाखों की तादाद में हमारे नौजवान बेकार बैठे हुए हैं जिससे गम व गुस्सा पालिटिकल टैंशन पैदा होता है। रोजगार मिलने पर हम उस टैंशन पर काबू पा सकेंगे। मैं यही बातें आपसे कहना चाहता हूं।

मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू काश्मीर के विकास और उसकी तरक्की के लिये गवर्नमेंट कोई नई प्रपोजल और नई प्लैनिंग लेकर आयेगी और उस तरफ तवज्जह देगी।

(شری عبدالرشید کابلی (سری نگر))

جناب چیئرمین میں فائننس منسٹری کے بل کا سواگت کرتا ہوں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ جو پہاڑی چھیتر کے علاقہ ہیں ان کی طرف سرکار کی توجہ خاص طور پر جانی چاہیے۔ میں خاص طور سے جموں کشمیر کے بارے میں سرکار کی توجہ دلاؤں گا کہ ہمارے یہاں اچھی پلاننگ اور کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن کی اس قدر مشکلات ہیں کہ جن کا ذکر میں کیسے کروں۔ ابھی تک ہم ایک آل ویدر روڈ ایک پختہ سڑک سری نگر کو یا کشمیر گھاٹی کو نہیں دے پائے ہیں۔ ابھی تک ہم کشمیر راجیہ کو دیش سے ایک پختہ سڑک کے ذریعہ ملا نہیں پائے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔

ہمارا جو نیشنل ہائی وے سری نگر جموں ہائی وے ہے وہ سال بھر کارآمد نہیں ہے اور کچھ مہینوں کے لیے سردی میں برفباری کی وجہ سے لینڈ سلائڈ کی وجہ سے راستہ بند ہو جاتا ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے نتیجے میں جو جانی اور مالی اور جو ان چھیتروں میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں میں ان کو بیان نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ پہاڑی علاقوں میں اچھی سڑکیں اور اچھا ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں کے وکاس کا کیا ہوگا۔ دیکھیے میں آپ کو بہت صاف الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک جموں کشمیر کی ریاست کا تعلق ہے صرف ایک سڑک تھی سری نگر راولپنڈی اور اس کی وجہ سے سارا ٹرانسپورٹیشن پارٹیشن سے پہلے آمد رفت تجارت کمیونیکیشن لائن سب اس روڈ کے ذریعہ ہوتا تھا سری نگر سے سارے فروٹ فار لے جانے ڈکشن اور سارا ہینڈی کرافٹ صرف

اس راستے سے جاتا تھا اور وہاں سے یونائیٹڈ انڈیا کے لیے ساری چیزیں بھیجی جاتی تھیں اس روڈ کے ذریعہ ساری چیزیں سری نگر سے راول پنڈی اور راولپنڈی سے سری نگر پہنچ جاتی تھیں اور وہ روڈ سال بھر کھلا رہتا تھا۔ آل ویدر روڈ تھا اور اس میں کوئی دقت نہیں تھی۔ کیا آج یہ ہمارے لیے چیلنج نہیں ہے کہ ۴۰ سال گذرنے کے بعد ہم جموں کشمیر کو ایک پرمانینٹ روڈ نہیں دے پائے ہیں۔ سری نگر۔ جموں سڑک کی جو حالت ہے میں بتا رہا ہوں۔ پیپرس میں تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں کتنی مشکلات ہیں ہزاروں لوگ راستے میں پڑے رہتے ہیں دس دس دن تک کھانا نہیں ملتا ہے۔ ٹورسٹ وہاں جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ لینڈ سلائڈ سے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں تو ہم کہاں جائیں۔ اس پرکار سے راستے میں جوان کی مصیبتیں ہیں ان کی پریشانیاں ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ سرینگر۔ جموں روڈ پر بہت پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے لیکن اس روڈ سے کام نہیں چلے گا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اس بیچ میں ہم پرانی روڈ کے مقابلہ ایک نئی روڈ نہیں بنا پائے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو سڑکیں تھیں ان کے لیے بھی وہی مشکلات تھیں۔ وہاں کی سرکار نے سلک روڈ کو مظفر آباد سے پیکنگ تک ملا دیا اور ہم اپنے یہاں روڈ کو پختہ تک نہیں کر پائے اور اسکی وجہ سے جو ہماری ترقی کے واسطے تھے وہ محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور اسکی وجہ سے جو سائکلوجیکل ٹینشنس پیدا ہو رہی ہیں جو پولیٹیکل ٹینشنس پیدا ہو رہی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔

میں آپ سے عرض کروں جب میں لیجسلیٹو اسمبلی میں ممبر تھا برابر اور شروع تک یہ آواز اٹھاتا رہا ہوں کہ ہم کو ایک پرمانینٹ سری نگر کو انڈیا سے

ملانے کے لیے دوسرا سبسٹیٹیوٹ روڈ دیدیا جائے۔ اس کے لیے ہم
مغل روڈ کا نام لیا کرتے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی پچھلے دنوں راجیش
پائلیٹ صاحب جموں گئے تھے اور انہوں نے چیف منسٹر کے ساتھ بات کی تھی
اور یہ پرپوزل مان لیا ہے کہ ہم کو سری نگر گورنمنٹ آف دی کنٹری سے
ملانے کے لیے ایک سبسٹیٹیوٹ روڈ کے طور پر مغل روڈ کو مان لینا چاہیئے
لیکن یہ بڑی غلط بات ہے کہ پلاننگ کی کمی کی وجہ سے اب تک ہم اس
روڈ کے اوپر کوئی کام نہیں کر پائے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم مغل روڈ کی
بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم یہ غلط بات کر رہے ہیں اور کہتے تھے
کہ یہ آرمی کی اسٹریٹجی کے خلاف جا رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے
میرا ماننا ہے کہ جتنی اچھی سڑکیں بنے گی اتنا ہی زیادہ ملک کا پروٹیکشن
بھی ہوگا۔ ملک کی ڈیفینس لائن بھی مضبوط ہوگی کیونکہ ان ایریاز میں زیادہ
سے زیادہ آپ کی فوج آسانی سے لائی جا سکتی ہے۔ اس ایریا
میں راستے بنیں گے اور کمیونیکیشن لائن کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ سب
اپنے ہی دیش کے ہت میں تو جا رہا ہے لیکن ہم نے ایسی بات نہیں
کی اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تو سری نگر اور ریسٹ
آف دی کنٹری کی بات ہے۔

آپ لداخ جائیے آپ راجوری، پونچھ ڈوڈا، بھدرواہ کشتواڑ
آپ اڑی جائیے۔ آپ ان ایریاز میں جائیے جہاں فوج اپنی جان
جوکھم میں ڈال کر پورے دیش کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہاں آپ
دیکھیں گے کہ ان علاقوں کے لوگوں کی حالت ۱۸ ویں صدی سے بھی
پیچھے ہے۔ اگر آپ ان کشمیریوں کی حالت دیکھیں۔ جموں کے ڈوگروں

کی حالت دیکھیں۔ لداخ کے لداخیوں کی حالت دیکھیں تو آپ کو بڑا دکھ ہوگا
کہ آج تک ان ایریاز میں راستے نہیں ہیں اور ان چھیتروں میں سری نگر
سے کبھی وقت پر رسد اور فوڈ نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ اور باقی جو اسینشیل
کموڈیٹیز ہیں وہ ہم نہیں پہونچا پاتے۔ اس لیے میں منتری سے
چاہوں گا کہ اگر آپ پہاڑی چھیتروں کو ڈیولپ کرنا چاہتے
ہیں تو آپ کو یہ چیلنج قبول کرنا ہوگا اور آپ کو سری نگر
کو ریسٹ آف دی کنٹری کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ آپ نے مغل روڈ
کو جو بالکل اسٹیٹ کے پاس ہی چھوڑ دیا ہے اس سے کام نہیں
چلے گا۔ اس روڈ کو نیشنل روڈ مان کر گورنمنٹ آف انڈیا کو اس
کا سارا ایکسپینس بیئر کرنا چاہیے اور اس کے لیے ساری ٹیکنالوجی اور
انپوٹ دینے کی مدد کرنی پڑے گی۔ یہ بھارت سرکار کا موسٹ سینسیٹیو
اسٹیٹ ہے اور اسٹریٹیجک پوائنٹ ہے۔ اسکو آپ اگنور نہیں کر سکتے
ہیں۔ آپ کو پرائرٹی پر مغل روڈ کو بنانا پڑے گا اور اس کے ڈیولپمنٹ
کا سادھن کرنا پڑے گا۔

میں آپ سے عرض کروں گا کہ پنجاب کی سچویشن کی وجہ سے
وہاں بڑی مشکلات ہیں۔ ہمارے یہاں روڈ اور ریلویز کے ذریعہ
سے ہزاروں لاکھوں ٹورسٹ اب جانا پسند نہیں کرتے۔ وہاں جانے
سے گھبراتے ہیں کہ پنجاب کی حالت بہت خراب ہے۔ ان کے لیے
ٹرین اور بس سے جانا مشکل ہو گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جموں
کشمیر کی جو ہماری بیسک لائف لائن ہے ٹورزم کی۔ اگر اسکو آپ
ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں

232

ان کے روزگار کا بھی سوچنا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈین ایئر لائنس کو بنانا پڑے گا آپ کو سبسیڈائزڈ ریٹ پر ایئر ٹکٹ دینی پڑے گی ٹورسٹس کو زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دینا پڑے گا۔ اگر وہ روڈز سے نہیں جانا چاہتے تو ایئر سے جائیں۔ میں آپ سے عرض کرونگا کہ اس معاملہ پر آپ غور کریں۔

جموں اور کشمیر میں ہینڈی کرافٹ اتنا زیادہ ہے ہمارے پاس سلک ہے فروٹس ہیں۔ قالین ہیں ہم ان کو اور ڈیولپ کرینگے کروڑوں اربوں روپیہ ہم کو فارن ایکسچینج سے ملے گا۔ جو ملک کی ترقی کے لیے کام آئیگا۔ آپ کو سری نگر کو انٹرنیشنل ہوائی اڈہ بنانا چاہیئے۔ اور اسکو وہی سویدھائیں ملنی چاہیئے جو آپ نے حیدرآباد بمبئی کلکتہ اور دلی کو دی ہوئی ہیں۔ سری نگر کو بھی گلف کنٹریز سے دوسرے ملکوں کو ملانے کے لیے ڈائریکٹ جہازوں کا وہاں آنا جانا ممکن بنانا چاہیئے تاکہ ہمارے پروڈکٹس وہاں پر جائیں اور وہاں سے سامان آجائے اور ٹورسٹس آجائیں۔

میں بجلی کے بارے میں عرض کرنا چاہونگا کہ ہمارے یہاں پوٹنشیل بہت ہیں ۱۰ ہزار میگاواٹ کی گارنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن آج خود کشمیر میں ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رات میں لائٹ نہیں ملتی۔ ہمارے آرٹیزن بجلی کے لیے ترستے ہیں

آپ نے پچھلے دنوں اڑی دولہستی پروجیکٹ اور سلال کے لیے بہت کچھ کیا اور اس میں بڑا کنٹریبیوشن کی۔ کشمیر میں پانی کا اتنا ذخیرہ ہے دریا اور نالے اتنے بہہ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کا

پوٹینشیل یوز کر کے ۳-۴ اور ۱۰ سال میں ۱۰ ہزار میگاواٹ بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ہو گیا۔ انڈسٹریز ڈیولپ ہو جائینگی اور ہمارے لوگوں کو کام ملے گا اور ہم اپنا مال دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور پیسہ مل سکتا ہے۔

میں انڈسٹری کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں خاص طور سے کشمیر گھاٹی ترقی نہیں کر پا رہی ہے۔ ہمارے یہاں انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آپ جے اینڈ کے کو ترقی دیں۔ سوئٹزرلینڈ میں دودھ کا بہت اتپادن ہو رہا ہے۔ چاکلیٹ کی وہاں انڈسٹری ہے۔ وہاں مٹھائیوں کی چاکلیٹ کی اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے کہ وہ ساری دنیا کو سپلائی کر رہے ہیں۔ وہاں واچ کی چھوٹی اور بڑی انڈسٹری ہیں اسلیے آپ کو تمام اسمال اور میڈیم انڈسٹریز کی ٹکنالوجی کو وہاں پر لانا پڑے گا۔

میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں۔ اس سے ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملیگا۔ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس سے غم و غصہ پولیٹیکل ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ روزگار ملنے پر ہم اس ٹینشن پر قابو پا سکیں گے۔ میں یہی باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔

میں امید کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے وکاس اور اسکی ترقی کے لیے گورنمنٹ کو نئی نئی پرپوزل اور نئی پلاننگ لے کر آئیگی اور اس طرف توجہ دے گی۔]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत फाइनांस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आज बहुत दुखी हूं। आप तो जानते हैं कि इस सदन की गरिमा होती है और आज एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसके लिये पूर्णतया विरोध पक्ष उत्तरदायी है।

5.36 म० प०

[माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारे विरोधी दल के कुछ लोगों ने गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगाये और कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं जबकि यह संसदीय भाषा नहीं है। उसी बीच में जब हमारे गृह मंत्री श्री बूटा सिंह जी आये तो हम लोगों की भावनाओं पर उन विरोध पक्ष वालों ने छींटाकशी की। लेकिन हम लोगों ने एक संसदीय परम्परा के अनुसार उसे सहन किया। अन्त में एक ऐसी स्थिति आई कि केवल एक-दो सदस्य नहीं बल्कि सभी हमारे गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगाते रहे और कहते रहे यह झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार वातावरण में एक तनाव उत्पन्न हो गया। उस तनाव को समाप्त करने के लिये हंसी का एक फव्वारा छोड़ा गया। हमारी कल्याण राज्य मंत्री जो यहां सदन में उपस्थित हैं। उनको भी याद होगा कि जब हम उत्तर प्रदेश असेम्बली में थे तो एक हुकम सिंह विसन थे। जब भी कभी ऐसा वातावरण होता था तो वह हंसी का फव्वारा छोड़ देते थे। हमारे प्रधान मंत्री जी हाजिर जवाब हैं। जब उन्होंने देखा कि एक तनाव उत्पन्न हो रहा है तो उन्होंने उस वातावरण को शान्त करने के लिये हंसी के लहजे में एक हल्की सी बात कह दी और उस बात को उन्होंने बहुत अधिक तूल दे दिया। आज जबकि यह फाइनांस बिल आने वाला था तो उनको ऐसे समय में अवश्य सदन में उपस्थित होना चाहिए था। हमें तो ऐसा लगता है कि विरोध पक्ष फाइनांस बिल पर बोलने के लिये अपने आप को असमर्थ पा रहा है। देश के अर्थशास्त्रियों ने बजट के सम्बन्ध में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उसको भी देखते हुए उन्हें अवश्य यहां उपस्थित होना चाहिए था। इसके लिये इस देश की साधारण जनता इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। इस सदन में सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है। अगर कोई हमारी सरकार के विरुद्ध और एक वरिष्ठ मंत्री के विरुद्ध कोई गलत आरोप लगाये तो यह उनको शोभा नहीं देता है। इस सबके बावजूद भी हमने उस तरह की बात नहीं की। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने समय को समझा और उन्होंने उस तनाव को कम करने के लिये ऐसी बात कही। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज इस फाइनांस बिल पर कुछ बोलने के लिये उनके पास नहीं था। हम फाइनांस बिल इसलिये लाते हैं कि जो प्रपोजल्स हैं उनको हम असली-जामा पहना सकें। मुझे याद है कि जब इस वर्ष बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तो विरोध पक्ष की तरफ से कोई छींकता था और कोई दूसरी तरह की बोली बोलता था। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी जैसे-जैसे बजट पढ़ते जाते थे वैसे-वैसे हतप्रभ होते जाते थे।

आज हमें फाइनांस बिल के उन्हीं प्रस्तावों पर बोलना है जिसको कि हम अमली-जामा पहना सकें। हमने अभी जो ऐतिहासिक प्रस्ताव ए० आई० सी० सी० द्वारा मद्रास में पास किया इससे वह और ज्यादा हतप्रभ हो गये। क्योंकि प्रधान मंत्री ने कहा कि हम देश की गरीबी हटाने का संकल्प तो लिये हुए हैं, स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने ही इस कार्यक्रम को चलाया था, जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी कि लाखों-लाखों और करोड़ों नौजवानों के लिए, जो बेकारी के शिकार हैं, कि हम गरीबी हटायेंगे और बेकारी भी हटायेंगे। इसको सुनकर उन्होंने कहा कि यह तो सारे देश में राजीव जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति दूसरी फिजा हो गई। यही नहीं राजीव जी ने यह कहा है कि प्लानिंग कमीशन को, प्रदेश सरकारें और केन्द्र सरकार को कि फिर से एक एक्शन प्लान बनायें कि किस तरह से बेकारी दूर हो। उन्होंने यह बताने के लिए निर्देश दिये है। यही नहीं एन०आर०ई०पी०

[श्री राम प्यारे पनिका]

और आर० एल० ई० जी०पी० में भी उन्होंने एक रचनात्मक और व्यवहारिक रुख अपनाने के लिए कहा है। इससे निश्चित रूप से गरीबी दूर हुई है और जहां 52-53 परसेण्ट लोग हमारे गरीबी की रेखा के नीचे थे, आज सरकार के सतत प्रयासों के कारण, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम क्रियान्वित करने के कारण हम 32 परसेण्ट पर आ गये हैं लेकिन हम इससे संतोष नहीं करते। हमने एक क्रान्तिकारी और ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और इसको कार्यान्वित करने के लिए हमने कार्यक्रम बनाने का भी निर्णय कर लिया है। यही नहीं प्रधान मंत्री जी ने एक बात और कही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम देश को समृद्ध चाहते हैं। देश उन्नति करे और उन्नति कर रहा है। वह तो करे ही लेकिन सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें उत्तरोत्तर विकास कर ही रहे हैं और यह क्या कम आश्चर्य की बात है कि शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है, देश के 35 मैट्रोलोजिकल डिवीजंस में से 21 में सूखा है और पूर्वांचल के जितने राज्य हैं, बिहार, बंगाल आसाम, उन तमाम में अप्रत्याशित बाढ़ और यही नहीं इसके अतिरिक्त कई जगह पर अन्य प्राकृतिक आपदायें आई उसके बावजूद हमने देश की जनता को और दुनिया को दिखा दिया कि जो इण्डस्ट्रियल उत्पादन हुआ है वह 16 परसेण्ट हुआ है और औसत 8 से ऊपर करने जा रहे हैं। जुलाई, अगस्त और सितम्बर एक तरह से लीन मंथ्स होते हैं लेकिन हमने इसमें 16 परसेण्ट किया। यही नहीं बल्कि हमने सिद्ध कर दिया कि जो अप्रत्याशित सूखा था और रॉ मैटीरियल भी इस सूखे के कारण बहुत प्रभावित हुआ था लेकिन उस हालत में भी हमने यह सिद्ध किया कि 1977 से 1980 का जो समय था उस मामूली सूखा कुछ हिस्सों में था तो भी इण्डस्ट्रियल उत्पादन 1 4 परसेण्ट नीचे चला गया था लेकिन हमने इसके उल्टा सिद्ध किया।

यही नहीं कृषि में भी आप देखें तो हम केवल 7 और 10 परसेन्ट के बीच में कम उत्पादन करने जा रहे हैं। हमारी सारी मशीनरी ने प्रधान मंत्री की देख-रेख में सिंचाई की सुविधाएं, खाद की सुविधाएं और कृषि की अन्य सुविधाएं ऐसी बढ़ाई कि केवल 7 से 10 मिलियन टन तक ही कम उत्पादन हो रहा है जो एक उपलब्धि है। जबकि उस समय कृषि के उत्पादन में 17 प्रतिशत गिरावट आ गई थी, जनता पार्टी के राज की तो हकीकत यह है। हमारी उपलब्धियां हो रही हैं, इसको हमारे विरोधी दल इस नजरिये से देखते हैं, जान लें और आज जबकि हम नये-नये कार्यक्रम लेने जा रहे हैं, विरोधी दलों को रचनात्मक सुझाव भी देने चाहिए थे लेकिन वह यहां नहीं हैं।

एक बात मंहगाई की है। मंहगाई है लेकिन मंहगाई क्यों हुई क्योंकि अप्रत्याशित सूखा है, प्राकृतिक कठिनाइयां हैं। डवलपिंग इकोनोमी में स्वाभाविक सा है कि मंहगाई बढ़ती है लेकिन आप देखें कि मंहगाई को किस प्रकार हमारी सरकार ने अपने कार्यक्रमों के द्वारा कम करने का प्रयास किया है। आप आंकड़े देखिये। यही समय था, जनता राज के समय 21.8 परसेण्ट इंफ्लेशन हो गया था और दुनिया के इकोनोमिस्ट, दुनिया के बहुत से देश आश्चर्य में पड़ गये थे कि भारतवर्ष में कौन सी शक्ति है कि सारी जगह इंफ्लेशन बढ़ता जाता है। अपने इंफ्लेशन को इस साल रोकने के लिये आप देखें कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था, अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है। स्वाभाविक है कि सूखा है तो इंफ्लेशन बढ़ सकता है लेकिन प्रधान मंत्री की बात सही थी कि मार्च तक हम दो अंकों से अधिक नहीं बढ़ने देंगे यानी हमारा इंफ्लेशन रेट 9.8 परसेन्ट रहा। अब हम बढ़ सकते हैं। प्रधान मंत्री कहां कहते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। कठिनाइयां बढ़ सकती हैं लेकिन हमने किस तरह से दबा कर रखा उससे दुनिया के लोग आश्चर्य-चकित रह गये। आप राष्ट्रीय आय को देखें। जहां जनता राज में, राष्ट्रीय सकल आय जो होती है, उसमें 4.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी, हमारी इतनी कठिनाइयां

के बाद भी डेढ़ और दो परसेन्ट के आप-पास हम अपनी आमदनी भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हमारी जो एकोनामी है, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था है उसमें एक लचीलापन है, कठिनाइयों को बरदाश्त करने की एक शक्ति उसमें आ गई है।

जहां तक महंगाई की बात है, मंहगाई केवल केन्द्रीय सरकार को कोसने से ही दूर नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा पूर्ति विभाग है, आज मैं उसका डाटा देख रहा था, आपको आश्चर्य होगा। जानकर कि एक तरफ जो हमारी विरोधी सरकारें हैं राज्यों में, चाहे बंगाल की है, आंध्र की है या कर्नाटक की है और हमारी कांग्रेस की भी कुछ हैं जो यह कहती हैं कि केन्द्र हमारे लिये आवश्यकतानुसार आबन्टन नहीं करता चाहे वह गेहूं हो, चीनी हो या अन्य सामान हो परन्तु आपको जानकर दु:ख होगा कि राज्य सरकारों ने कभी भी समय से केंन्द्र द्वारा आवंटित उपभोक्ता सामान को नहीं उठाया। इससे मंहगाई बढ़ी। यही नहीं, केन्द्र ने कुछ गाइड लाइन्स भी राज्यों को दे रखी है। आखिरकार यहां हम जो बैठे हैं तो केन्द्र की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमायें है उनको भी देखना पड़ेगा। क्या मंहगाई का सारा का सारा भार आप केन्द्र पर ही लादना चाहते हैं। लादिये, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। राशन की दुकानों का खोलना क्या केन्द्रीय सरकार का काम है? इंदिरा जी ने 14 सूत्री कार्यक्रम दिया था जिसमें दो हजार यूनिट्स पर एक राशन की दुकान खोलने की बात कही थी। इंदिरा जी जब थीं तब उन्होंने कहा था कि राशन-कार्ड होने चाहिए लेकिन अगर आज राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में जनता को राशन-कार्ड मोहैया नहीं करा रही हैं और केन्द्र द्वारा आवंटित उपभोक्ता सामग्री को नहीं उठा रहा है और केन्द्र द्वारा बनाये गये कानूनों को अपने क्षेत्र में कड़ाई से पालन नहीं करा रही है, ब्लैक-मार्केटीयर्स, होर्डर्स, स्मगलर्स प्राफिटीयर्स को अगर राज्य सरकारें नहीं रोक रही हैं तो राजीव जी को हम क्या उलाहना दें? केन्द्र सरकार का भी कुछ काम है, हम गाइडलाइंस देते हैं, कानून बनाते हैं और कुछ विषयों पर राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का हक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सही परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिस्थिति को समझें। क्या विरोधी दल यहां केन्द्र में ही आकर आवाज उठायेंगे? मैं पूछना चाहता हूं बंगाल की सरकार से, आंध्र प्रदेश की सरकार से कि उन्होंने मंहगाई को कम करने के लिये, जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिये, केन्द्र द्वारा जो गाइड-लाइंस बनाई गई हैं उनका पालन करने के सम्बन्ध में क्या किया है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मंहगाई के बारे में हम केवल केन्द्रीय सरकार पर ही दबाव डालें तो यह बात एक पक्षीय होगी। आज केन्द्रीय सरकार कितनी चिन्तित है? कल इसी सदन में पूर्ति मंत्री ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम 10 लाख टन गल्ला बाहर से मंगायेंगे। हमारे पास 95 लाख टन यानि 1 करोड़ टन में भी 5 लाख टन कम गल्ला बफर स्टाक में रह गया है। जब अकाल शुरू हुआ था तब 23 मिलियन टन था लेकिन आज इतना कम है और सरकार कितनी चिंतित है। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार के प्रयासों से रबी की फसल अच्छी हुई है और एक करोड़ टन का प्रोक्योरमेन्ट का लक्ष्य हमारा पूरा हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि बाहर से हमें अन्न मंगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी सरकार बड़ी दूरदर्शी है। उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे देश के व्यापारी नाजायज फायदा उठाना चाहें, कमी को देखते हुए होर्डिंग शुरू कर दें इसलिये कल ही मंत्री जी ने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाहर से गल्ला मंगायेंगे। इसलिये देश की जनता को बिल्कुल भी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भूखों मरेगा। जब तक हमारे राजीव जी जैसे नौजवान समय को समझने वाले दूरदर्शी प्रधान मंत्री हैं, निश्चित रूप से इस देश की जनता भूखों नहीं मरने पायेगी। (व्यवधान)

दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। अभी तो मैं भूमिका में ही था। यह बात सही है कि कभी कभी हम एकदम आवाज करते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको हम पसन्द नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर

[श्री राम प्यारेय निका]

को पसन्द करेंगे। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि आज कल के जमाने में पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर, ज्वाइंट सैक्टर और को-आपरेटिव सैक्टर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सारा पैसा हमारे पांजा जी यानि गवर्नमेंट एक्सचैंकर से जाता है। आप देखें—प्राइवेट इंडस्ट्रीज में 90 परसेंट पैसा देश के बैंकों का होता है। इसलिए इसका कोई महत्त्व नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके कामकाज में सुधार करें। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल क्षेत्र हैं, उनमें तीन वर्षों के अन्दर हमने आशातीत सफलता प्राप्त की है। आप रेल को देखें, इस्पात को देखें, पावर को देखें, पावर सैक्टर में पानी न बरसने के बावजूद भी 16 परसैंट की वृद्धि की है। कोयले के क्षेत्र में भी जो हमने टारगेट रखा था, उससे आगे हुए। तेल का क्षेत्र, जिसमें पैट्रोलियम वगैरह आते हैं, यह अभी तो हमें बाहर से मंगाना पड़ रह रहा है, लेकिन इसमें जो टारगेट फिक्स किये थे, उससे आगे चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें सुधार करने की जरूरत है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप आटोनोमी दीजिए पब्लिक सैक्टर को, लेकिन आपको उस पर कन्ट्रोल करना बहुत जरूरी है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जो पब्लिक सैक्टर के मैनेजर्स हैं, जो एग्जिक्यूटिव्ज है, वे राजा-महाराजाओं की तरह अपना जीवन बिताना चाहते हैं। अभी एक पब्लिक सैक्टर के बारे में चर्चा हो रही थी। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि कोई भी एग्जिक्यूटिव साइट पर नहीं रहता है। कोई दिल्ली रहता है तो कोई कलकत्ता रहता है। डिवीसी का बिजली का उत्पादन 39 परसेंट है, जिसमें बंगाल, असम और बिहार आते हैं, जबकि देश का उत्पादन 60 परसेंट है। यदि इसमें बंगाल को जोड़ दें, पता नहीं कहां की सरकार है, तो वह 55 परसेंट रह जाता है। लेकिन उसमें डी०वी०सी० भी प्रभावित है। मैं वहां का पी०एल०एफ० देख रहा था तो पाया कि वह 39 परसेंट है। इसकी छानबीन की तो पता चला कि सी०एम०डी० दिल्ली में रहता है और कुछ लोग कलकत्ता में रहते हैं, जबकि उनको अपने क्षेत्रों में होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि पार्लियामेंट के प्रति सभी उत्तरदाई हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ओटोनोमी इसलिये लेते हैं, ताकि वे नैपोटिज्म फैला सकें। अपने भाई-भतीजों को नौकरी दिलवा सकें। लखपति हैं तो करोड़पति हो जायें। इस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है इसलिए आज आवश्यकता है कि उसमें अच्छे एग्जिक्यूटिव्स हों। जितने भी आपके 200-250 संस्थान हैं, उन सभी में आप अच्छे लोगों को नियुक्त करें। मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि आप जो सोशियल वर्कर हैं, पार्टी के जो अनुभवी नेता हैं, उनको आप सी०एम०डी० बनाइए, फिर देखिए कि रिजल्ट क्या होता है। आप यह न सोचें कि ब्यूरोक्रेट्स ही संभाल सकते हैं। अभी एक आई०ए०एस० के बारे में बताया जा चुका है। मैं आपसे मांग करता हूं, जो स्थान खाली हैं, जो स्थान रिक्त हैं, उन स्थानों को आप पार्टी के अनुभवी नेताओं से भरे। अगर एक व्यक्ति देश का अच्छा मंत्री हो सकता है, तो वह एक अच्छा सी०एम०डी० भी हो सकता है और अच्छा प्रशासनिक भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आपके पास हजारों-हजार पोलिटिकल एक्सपीरियेंस लोग हैं, जो आपकी आइडियोलोजी में विश्वास करने वाले आदमी हैं, उनको नियुक्त करें। पब्लिक सैक्टर को सुधारिए, क्योंकि इसमें आपका 80 हजार करोड़ रुपया लगा है।

अभी भारत बन्द के बारे में बात हो रही थी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : कल पांच मिनट बोल लेंगे। अभी तो हम एक ही सैक्टर पर बोले हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अनुशासन की बात है, इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक 1988 का जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

यह बजट जो प्रस्तुत हुआ है, उसकी प्रशंसा तो हमने पहले की थी। यह विशाल बजट किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मध्यम श्रेणी के लिए बहुत ही लाभदायक बजट है। जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है, वह 7,484 करोड़ रुपये का है। प्रश्न यह होता है कि हम बराबर घाटे का बजट क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। घाटे का बजट प्रस्तुत करने के सिवा हमारे पास और वित्त मंत्री जी के पास कोई आल्टरनेटिव नहीं था। अगर घाटे का बजट प्रस्तुत न करते, तो टैक्स लगाने पड़ते, अगर घाटे का बजट न पेश करते, तो टैक्स लगाने के साथ-साथ हमारा प्लान है, उसको कट करना पड़ता। हम प्लान को भी कट नहीं करना चाहते हैं और टैक्स भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो कोई आल्टरनेटिव नहीं हो सकता था सिवाय इसके कि घाटे का बजट प्रस्तुत करें। अब स्थिति यह है कि घाटे का जो बजट प्रस्तुत किया है, उस घाटे के बजट में यह स्थिति होनी चाहिये कि घाटे की स्थिति को हम दूसरे साधनों से नियंत्रण कर सकें। हमारा नान-प्लान एक्सपेंडीचर है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर है, उस में जितनी कमी की जा सकती है, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। अभी मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था कि हमारा नान-प्लान एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है और वह 18 परसेंट प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। इस प्रकार यह तो नान-प्लान एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है, उस को हमें कम करने की आवश्यकता है और उसके लिये जरूरी है कि हम ने प्रशासन में जो खर्चे बहुत बढ़ा दिये हैं, उन में कटौती की जाए। विशेष रूप से मैं यह देख रहा हूं कि जीप, कार हैं, इन का दुरुपयोग होता है। मैंने दिल्ली में भी देखा है और राज्यों में भी देखा है। जितने भी कलक्टर्स हैं, उनके पास कार हैं, जितने भी सुपरिटैंडिंग इंजीनियर्स हैं, उनके पास कार हैं और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके पास कार हैं और वे कारें उन के घरों में रहती हैं और उनका वे दुरुपयोग करते हैं। मेरा कहना यह है कि जितनी भी गाड़ियां हैं, उनकी पूल के अन्तर्गत व्यवस्था होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स में पूल की व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर पूल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर है, उसमें कमी की जा सकती है।

एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे जो राज्य हैं, उनको हमने स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स और नान-स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स में, दो भागों में विभाजित किया है। स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश है, आसाम आता है, जम्मू व काश्मीर आता है, नागालैंड आता है और सिक्किम आता है और ये जो स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स हैं, इनको सेन्ट्रल गवर्नमेंट विशेष तौर पर स्पेशल एसिसटेंस देती है। दूसरी जो नान-स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स हैं, उन में राजस्थान आता है। पहाड़ी क्षेत्र की जो स्टेट्स हैं, उनको स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स मे ले लिया है परन्तु जो डैजर्ट एरिया वाली स्टेट्स हैं, उन को उस में नहीं लिया है। हिन्दुस्तान में अगर डैजर्ट कहीं पर है, तो वह राजस्थान में है और जो राजस्थान का क्षेत्रफल

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

है, उसका 55 पर सैंट एरिया डैजर्ट एरिया है और उसके साथ-साथ 25 पर सैन्ट एरिया पहाड़ी एरिया है। उदयपुर डिवीजन जो है, वह पहाड़ी क्षेत्र है। इस तरह से हमारा 80 पर सैंट एरिया रेगिस्तानी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है या आदिवासी क्षेत्र में वह आता है। 20 प्रतिशत क्षेत्र ही ऐसा है, जो सैमी-डैजर्ट एरिया और प्लेन में आता है। तो मेरी आप से रिक्वैस्ट है कि इस डैजर्ट एरिया को, जिस में आदिवासी क्षेत्र भी है, आपको स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स में लेना चाहिए। इन के अन्दर जो सड़कों का निर्माण होता है, दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा खर्च आता है क्योंकि माइलेज और किलोमीटर वह दुगना, तीन गुना होता है। पीने के पानी की समस्या को हल करने का यदि प्रयास किया जाता है तो यू०पी० के 12 गांव और हमारे बाड़मेर जिले का एक गांव बराबर है। जो खर्चा वहां 12 गांवों में होगा उतना खर्चा हमारे एक गांव में होगा। विद्युतीकरण के लिये लाइन डालने पर भी हमारे यहां तिगुना-चौगुना खर्च होता है क्योंकि लोंग लाइन डालनी होती है। इसलिये हमारे यहां पीने के पानी के लिये अधिक राशि की आवश्यकता होती है, विद्युतीकरण के लिये अधिक राशि की आवश्यकता होती है, सड़कों के निर्माण के लिये अधिक राशि की आवश्यकता होती है।

कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। राजस्थान की स्थिति वित्तीय दृष्टि से इतनी मजबूत नहीं है और न वह मजबूत हो सकती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। वहां आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों का विकास करने के लिये जब तक राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाया जाता तब तक उनका विकास नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जैन जी, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। सभा अब कल 11.00 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 28 अप्रैल, 1988/8 वैशाख, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर दिल्ली-53